अष्टम माला, खंड 46, अंक 7

Thursday, 30th March, 1989

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. B.....60.....
Date.....5/3/90.....

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 30 मार्च, 1989/9 चैत्र, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (iii)	11	श्री सोमनाथ चटर्जी के नाम के सामने दिखाई गई पृष्ठ संख्या इस प्रकार पढ़िये 231-233, 258-262
55	नीचे से 8	"परियोजनाओं के लिए के लिए वित्तीय सहायता" के स्थान पर "परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता" पढ़िये।
83	12	"संयंत्रों की स्थापन" के स्थान पर "संयंत्रों की स्थापना" पढ़िये।
109	नीचे से 12	"राष्ट्र संघ" के स्थान पर "राष्ट्र संघ" पढ़िये।
145	नीचे से 3	"परिवदन" के स्थान पर "परिवहन" पढ़ि
155	10	"वृद्धि चन्द्र जैन" के स्थान पर "वृद्धि च जैन" पढ़िये।
183	9	"श्रानिवास प्रसाद" के स्थान पर "श्रीनिवास प्रसाद" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 48, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 22, गुरुवार, 30 मार्च, 1989/9 चैत्र, 1911 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	...	...	1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 411से 414, 417, 424, 426 और 427	...	...	1—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	...	20—192
*तारांकित प्रश्न संख्या : 415, 416, 419 से 423, 425, 429 और 430		...	20—27
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3952 से 3975, 3977 से 3983, 3985 से 3998, 4000 से 4019, 4021 से 4066 और 4068 से 4148	...		27—187
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	...	...	192—200
राज्य सभा से संदेश		...	200
प्राक्कलन समिति	...	...	200
66वां और 67वां प्रतिवेदन			

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस ही सदस्य पूछा था।

विषय			पृष्ठ
कार्य-मंत्रणा समिति	...		201
68वां प्रतिवेदन			
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	...	...	201—203
15वां प्रतिवेदन			
नियम 377 के अधीन मामले	...	...	203—206
(एक) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों को पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध कराए जाने हेतु भारतीय खाद्य निगम को निदेश दिए जाने की आवश्यकता			
श्री हरीश रावत	...	...	203
(दो) युवाओं को रोजगार प्रदान किए जाने हेतु मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में उद्योग लगाए जाने की आवश्यकता			
श्री कम्मोदी लाल जाटव	...	...	203—204
(तीन) भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड का प्रबन्ध-ग्रहण किए जाने की आवश्यकता			
श्रीमती बसवराजेश्वरी	...	...	204
(चार) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की एक खंड-पीठ कलकत्ता में स्थापित किए जाने की आवश्यकता			
श्री सनत कुमार मंडल	...	...	204—205
(पांच) राजस्थान में सरकारी अभिकरणों के माध्यम से सरसों और तोरिया (तिलहनों की खरीद लाभप्रद मूल्यों पर किए जाने की आवश्यकता			
श्री राम सिंह यादव	...		205
(छः) बच्चों की दशा में सुधार किए जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता			
बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला	...	...	205
(सात) कुटरू राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में रहने वाले ग्रामवासियों द्वारा तेंदू के पत्ते तोड़े जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को निदेश दिए जाने की आवश्यकता			
श्री मानकूराम सोढी	...	...	206

विषय			पृष्ठ
(आठ) नई दिल्ली में किसी प्रमुख स्थान पर स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र की प्रतिमा लगाए जाने तथा किसी सड़क का नाम उनके नाम पर रखे जाने की आवश्यकता			
डा० गौरी शंकर राजहंस ...	...	...	206
केन्द्र-राज्य संबंध आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	...	...	206--280
सरदार बूटा सिंह ...	...	...	206--208
श्री ई० अय्यपू रेड्डी	...	...	208—216
श्री वीरेन्द्र पाटिल	...	...	216—225
श्री वी० एन० गाडगिल	...	...	225--231
श्री सोमनाथ चटर्जी	...	...	231—233
श्री श्रीपति मिश्र	...	...	234—237
कुमारी ममता बनर्जी	...	...	241—243
श्री भोलानाथ सेन	...	...	243—246
श्री तम्पन थामस	...	...	246—254
प्रो० पी० जे० कुरियन	...	...	254—258
श्रीमती गीता मुखर्जी	...	...	262—265
श्री आशुतोष लाहा	...	...	266—268
श्री बिपिन पाल दास	...	...	268—272
श्री शांताराम नायक	...	...	272—276
श्री जी० एम० बनातवाला	...	...	276—280

लोक सभा

गुरुवार, 30 मार्च, 1989/ 9 चैत्र, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज तो प्रोफेसर साहब आप अकेले आ गये हैं लेकिन तुलसी जी आपके साथ हैं। तुलसी जी आप कहां गए थे।

श्री बी० तुलसी राम : मैं एक कान्फ्रेंस अटेंड करने हंगरी गया था।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा यही तो मैं पूछने वाला था।

श्री हरीश रावत : चेयरमैन ऑनर में हमारी तरफ देखा करें और जीरो आवर में उधर की तरफ देखा करें।

अध्यक्ष महोदय : आप तो हर वक्त सामने रहते हैं, उधर के लिए तो टेढ़ा करना पड़ता है।...

(व्यवधान)

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : सामने वालों को कौन पूछता है।

अध्यक्ष महोदय : सामने वाले तो हमेशा चमकते रहते हैं...

(व्यवधान)

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष जी, जब भी आपकी नजर इधर पड़े तो सीधी पड़े उधर आप टेढ़ी नजर रखे रहिए।...(व्यवधान)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बिहार में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एकक और प्रयोगशालाएं

*411. श्री चन्द्र किशोर पाठक :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में किन-किन स्थानों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एकक और

प्रयोगशालाएं स्थित हैं;

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसे कुछ और एकक तथा प्रयोगशालाएं खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और इस प्रयोजन के लिए किन-किन स्थानो को चुना गया है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) महोदय, बिहार में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान, 5 क्षेत्रीय स्टेशन और 3 अनुसंधान केन्द्र हैं, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) करीब 2.30 करोड़ रुपये।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बिहार में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एकक

क्र० सं०	भा० कृ० अ० प० संस्थान/क्षेत्रीय स्टेशन/ केन्द्र/फार्म का नाम	स्थित स्थान
1.	भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान	नामकुम (रांची)
2.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन	पूसा
3.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का केन्द्रीय बागवानी प्रयोग स्टेशन	रांची
4.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का केन्द्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन	पटना
5.	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का केन्द्रीय बारानी चावल अनुसंधान स्टेशन	हजारी बाग
6.	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान का केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान स्टेशन	पूसा
7.	केन्द्रीय अन्त: स्थलीय अभिग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान का अनुसंधान केन्द्र	भागलपुर
8.	केन्द्रीय अन्त:स्थलीय अभिग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान का अनुसंधान केन्द्र	मुजफ्फर नगर
9.	केन्द्रीय अन्त: स्थलीय अभिग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान का अनुसंधान केन्द्र	पटना

श्री चन्द्र किशोर पाठक : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिहार में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, बिहार में दो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं।

श्री चन्द्र किशोर पाठक : अध्यक्ष जी, उत्तर बिहार में एक भी कृषि विश्वविद्यालय नहीं है जबकि वह कृषि का गहन क्षेत्र है और काफी उपजाऊ भूमि है फिर वहां कृषि विश्वविद्यालय नहीं खोलने का क्या कारण है।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष जी, बिहार में काफी सेन्टर हैं। अभी जैसा मैंने बताया नौ तो अनुबन्ध में दिए हुए हैं जो मैंने सभा पटल पर रखा है। सारे बताऊंगा तो काफी समय लगेगा। अनवानपुर तो आपके जिले में है। उस जगह पर हमने तीन सेंटर खोल रखे हैं, एक क्षेत्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र।

डा० गौरीशंकर राजहंस : अनवानपुर कहां है।

श्री भजन लाल : सहरसा में है, इनके जिले में है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह नहीं है, मैं एक बात जानता हूं कि बिहार में अगर काम पूरा हो जाये तो वह सारे देश को अकेले ही खाना दे सकता है, इतनी क्षमता है।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : उत्तरी बिहार से जहां से हम आते हैं वहां एक राजेन्द्र कृषि महाविद्यालय है। वहां गन्ना विकास केन्द्र है। वहां पर उद्योग के नाम पर शुगर मिल है, लेकिन आज उसकी स्थिति दयनीय है, क्या जीरादेई में गन्ना विकास अनुसंधान केन्द्र खोलने का आप विचार रखते हैं, जो कि राजेन्द्र बाबू जी की जन्म भूमि है।

श्री भजन लाल : आपने जो कहा अध्यक्ष महोदय, वह भी सही है कि बिहार बहुत बड़ा प्रदेश है और वहां की जमीन भी बहुत अच्छी और उपजाऊ है। वहां पर पानी का साधन हो जाये चाहे नीचे से हो या कैनाल से हो तो वहां अनाज का बहुत भारी उत्पादन हो सकता है। उसके लिए भारत सरकार विचार कर रही है कि क्या किया जा सकता है। ट्यूबवैल लगाने का भी कार्यक्रम है और हम चाहते हैं कि बिहार में ज्यादा ट्यूबवैल लगायें जिससे उस इलाके को पानी दिया जा सके। इन्होंने कहा कि राजेन्द्र बाबू जी के नाम से क्या कोई गन्ना सेंटर खोलने का विचार है। तो बिहार में कृषि विश्वविद्यालय राजेन्द्र बाबू जी के नाम से है और उसमें बाकायदा गन्ना अनुसंधान का काम चल रहा है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : अध्यक्ष महोदय, रोना यही है कि हम पानी से तबाह हैं, उत्तरी बिहार में। ऐसी बात नहीं है कि पानी की कमी है। नेपाल की सारी नदियों का पानी यहां आता है इससे हर साल वहां बाढ़ आती है और उस पानी से हम तबाह हो जाते हैं। कोई ऐसा उपाय कीजिए कि हम पानी से बचें। पानी की हमें जरूरत नहीं है। नेपाल में ही इसको रोक दें।

अध्यक्ष महोदय : पानी की जरूरत तो जरूर है, लेकिन हिसाब से।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मंत्री जी ने इस प्रश्न के जवाब में कहा है :

[अनुवाद]

(क) "क्या सरकार निकट भविष्य में इस प्रकार के और यूनिट और प्रयोगशालाएं खोलना

चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और इस प्रयोजन के लिए किन स्थानों का चयन किया गया है ?"

[हिन्दी]

इन्होंने कहा है कि प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं मंत्री जी से पूछता हूं कि क्या देश के दूसरे भागों में ऐसे सेंटर खोलने के विचार है ? अगर हैं, तो बिहार में क्यों नहीं खोल रहे ?

श्री भजन लाल : बिहार में खोल रखे हैं। मुल्क में 26 में से दो विश्वविद्यालय बिहार में हैं, जैसा कि जवाब में कहा गया है। आपने कहा कि बिहार में पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका उपयोग सही नहीं होता है। इसी कारण लोग बाढ़ का शिकार होते हैं। हम चाहते हैं कि उस पानी का उपयोग किया जाए और वह तभी हो सकता है जब उसको बांध बनाकर नहरें निकाली जाएं और किसानों के खेतों में पानी जाये। जैसे कि दूसरे डैम बने हुए हैं, भाखड़ा बांध है।

तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में बर्फ तथा शीतागार सुविधायें

[अनुवाद]

*412. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में मत्स्यन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उक्त राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों में बर्फ तथा शीतागार सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन शीतागारों को कब और कहां स्थापित किये जाने की संभावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास तमिलनाडु राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में बर्फ तथा शीतागार सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन : अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु का एक लम्बा तटीय क्षेत्र है जहां प्रचुर मात्रा में समुद्री उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा, नीलगिरी, कोयम्बटूर और सलेम जिलों में काफी मात्रा में फल उपलब्ध हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि भविष्य में वहां बर्फ और शीतागार संयंत्र स्थापित किए जाएं। इसके अलावा, क्या वर्तमान शीतागारों को आधुनिक बनाने के लिए कोई स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित की गई है या विदेशों से प्राप्त की गई है।

श्री जगदीश टाईटलर : यह सही है कि लगभग 30% सब्जियां, फल और मछली बेकार चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास समुचित शीत भण्डार सुविधाएं नहीं हैं। वित्त मन्त्री महोदय ने हाल ही में बजट में कुछ रियायतें दी हैं ताकि हम शीत भण्डारण उद्योग को प्रोत्साहन दे सकें। हम विदेशी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव उपाय कर रहे हैं। बाहर से आने वाले लोग नई प्रौद्योगिकी ला सकते हैं ताकि हम अपने देश में शीत भण्डारों की श्रृंखला तैयार कर सकें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : प्रोत्साहन देने के बजाए आपको शीत भण्डारों का निर्माण करना चाहिए।

श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन : सब्जियों और फलों के लिए मदर डेरी—वातानुकूलन संयंत्र की भांति, क्या तमिलनाडु में भी इस प्रकार की सुविधाएं स्थापित करने का विचार है ?

श्री जगदीश टाईटलर : जी, नहीं।

श्री सीताराम जे० गावली : मेरे विचार से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए सरकार की चार्टर्ड नीति है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संबंध में नई नीति क्या है ?

श्री जगदीश टाईटलर : यह सच है कि हमने नई चार्टर्ड नीति तैयार की है जिसकी छः प्रमुख विशेषताएं हैं।

हम गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अधिक से अधिक दो वर्ष के लिए अनुमति देंगे। एक आवेदन पर अधिक से अधिक 10 पोत चार्टर किए जा सकेंगे। प्रतिभूति राशि प्रति पोत एक लाख रुपये होगी जो प्रति कम्पनी न्यूनतम 3 लाख रुपये होगी। भारतीय कम्पनी को पकड़े गए कुल माल के वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य का 20 प्रतिशत हिस्सा मिलना चाहिए। कर्मचारियों में 25 प्रतिशत भारतीय होंगे और भारतीय कम्पनी प्रति यात्रा, प्रति पोत पकड़े जाने वाले माल का 20 प्रतिशत बैंक गारंटी के रूप में विदेशी सहयोगकर्ता से अग्रिम लेगी, जो चार्टर्ड जहाज के भाग जाने की स्थिति में जब्त हो जाएगा।

श्री गोपाल के० टंडेल : मैं,मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए संयुक्त उद्यम के संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

श्री जगदीश टाईटलर : हमने संयुक्त उद्यम नीति तैयार की है। मेरे पास ब्यौरा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने, उसके संसाधन और विपणन के लिए संयुक्त उद्यम के तहत विदेशी सहयोग की अनुमति दी जा सकती है। संयुक्त उद्यम कम्पनी आरम्भ में या तो 3 से 5 वर्ष की अवधि के भीतर किये जाने वाले आस्थगित भुगतान पर या जहाज की लागत का 5 से 10 प्रतिशत जमा करके सीधे जहाज खरीदेगी। यह जहाज भारत में पंजीकृत होंगे और भारतीय ध्वज लगाकर चलेंगे।

आरम्भ में कर्मचारी दल के 50 प्रतिशत लोग विदेशी हो सकते हैं। किन्तु 3 से 5 वर्ष की अवधि के भीतर इसका पूरी तरह से स्वदेशीकरण हो जाना चाहिए। खरीदे जाने वाले जहाजों की संख्या 6 तक होगी और सहकारी समितियों और राज्य निगमों के मामले में छूट होगी।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण

413. **श्री एन० डेनिस** :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में खिलाड़ियों के प्रवेश हेतु आरक्षण की कोई व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ब) इसको कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ब) इस समय, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अध्ययन में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण के बारे में कोई एक रूप नीति नहीं है। सरकार ने, सचिव (युवा कार्यक्रम और खेल) की अध्यक्षता में शैक्षिक संस्थानों में दाखिले के लिए खिलाड़ियों को दी गई सुविधाओं और प्रोत्साहनों के वर्तमान स्तर का पता लगाने और इस सम्बन्ध में एक रूप नीति का सुझाव देने के लिए एक ग्रुप गठित किया है।

श्री एन० डेनिस : महोदय, राष्ट्रीय खेल नीति संबंधी संकल्प में यह विनिर्दिष्ट है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिए जाएंगे। तकनीकी और शैक्षणिक संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण तथा रोजगार देना विख्यात खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन होगा। क्या मैं मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा ?

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदय, मैं केवल यही कह सकती हूं कि विश्वविद्यालयों को वास्तविक हिदायतें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जाएंगी। हम तो केवल शिक्षा विभाग से सिफारिश कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि राष्ट्रीय खेल नीति तथा नई शिक्षा नीति का पूरी तरह से पालन हो। इस समय विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा समान नीति का पालन नहीं किया जा रहा। इसलिए हमने, यह देखने के लिए एक दल का गठन किया है कि इसका पालन कहां हो रहा है और दूसरे भी इसका पालन करें, इसके लिए क्या किया जा सकता है। किन्तु यह सब शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना होगा। मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निदेश नहीं दे सकती।

श्री एन० डेनिस : यह स्वाभाविक है कि एक समान नीति नहीं हो सकती क्योंकि खेल-कूद राज्य का विषय है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या सरकार ने राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा किया है और क्या इस बारे में कोई सहमति हुई है और यदि हां, तो सलाह-मशविरा के पश्चात क्या सहमति हुई है ?

मंत्री महोदया ने बताया है कि इस संबंध में एक दल का गठन किया जा रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि कोई प्रारम्भिक रिपोर्ट दी गई है और क्या इस बारे में देने रिपोर्ट के देने लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और क्या राज्य सरकारों या किसी संगठन ने इस बारे में कोई सलाह दी है या मांग की है ?

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : हमें राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। हमने युवा कार्य और खेल विभाग से पहल की है। एक दल का गठन किया गया है। हम कह नहीं सकते कि रिपोर्ट एक या दो महीने में तैयार होगी। किन्तु जहां तक सम्भव है हम यह जल्द से जल्द करने का प्रयत्न करेंगे और यह दल राज्य सरकारों से भी सलाह करेगा कि उनकी क्या सिफारिशें हैं। मैं यह महसूस करती हूं कि जब तक खेल समवर्ती सूची में नहीं आते हम तब तक एक समान नीति तैयार नहीं कर सकते। किन्तु हम राज्य सरकारों से सलाह करेंगे और इन परिस्थितियों में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे जो शायद वह भी सीधे राज्य सरकारों के अन्तर्गत आने वाले गैर-पेशेवर कालेजों में लागू करना चाहेंगे।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : भारतीय हॉकी विश्व प्रसिद्ध रही है और हॉकी एक ऐसा खेल है जिससे हम एक समय शीर्ष पर थे ?

अध्यक्ष महोदय : वह इतिहास की बात कर रहे हैं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : सौभाग्य से, जबसे खेल मंत्रालय का गठन हुआ है, हॉकी की तो बात ही क्या, हम किसी भी खेल में, विश्व ओलम्पिक में स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसलिए, इस मंत्रालय के गठन के साथ हम बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। यह सवाल युवाओं के बारे में है कि उन्हें खिलाड़ी कैसे बनाया जाए। उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि उदीयमान खिलाड़ी इतना अधिक समय स्कूल-कलेजों में लगा देंगे तो वह खेलों को पेशे के रूप में अख्तियार नहीं कर सकते। इसलिए, यदि उन्हें शारीरिक शिक्षा जैसे कुछ पेशेवर पाठ्यक्रमों में पेशेवर दर्जा नहीं दिया जाता वह अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। किन्तु भारत सरकार के पास यह सुविधा नहीं है। इसलिए, खेल मंत्रालय, भारत में खेलों और युवा लोगों की देखभाल किस प्रकार करता है ?

प्रो० एन० जी० रंगा : यह आरक्षण के बारे में है।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : मैं ठीक तरीके से नहीं जानती कि माननीय सदस्य मेरे से क्या चाहते हैं। मैं तो केवल यही कह सकती···

अध्यक्ष महोदय : पहले उनसे सलाह कर लें।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मैं तो कोई उत्तर नहीं चाहता। मैं टिप्पणी के लिए आभारी हूं।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : क्या मंत्री महोदया, जनजातीय क्षेत्रों तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्र प्रयोजित प्रशिक्षण संस्थान खोलने के बारे में विचार करेंगी। ताकि इन वर्गों से प्रतिभा को खींचा जाए और इसका उपयोग किया जाए ? किन्तु हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं। आरक्षण के अलावा, यह भी बेहतर होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में इन जनजातीय लड़कों के लिए आरक्षित संस्थान होने चाहिएं।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : केवल जनजातीय लड़के ही नहीं बल्कि जनजातीय लड़कियां भी। मैं माननीय सदस्यों को यह कहना चाहूंगी कि पिछले दो वर्षों के दौरान देश में बहुत से ऐसे विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र शुरू किए गए हैं, उदाहरणार्थ, अण्डमान और निकोबार द्वीप में नौकायान और जल खेल शुरू किए गए हैं, इसी प्रकार केरल के अलप्पी में भी ये खेल शुरू किए गए हैं। हमने रांची में भी हॉकी के लिए एक केन्द्र खोला है, उत्तर-पूर्वी राज्यों में हमने फुटबाल के लिए शुरू किया है, लद्दाख में लम्बी और मध्यम दूरी की दौड़ के लिए और इसी प्रकार शिमला में भी ये केन्द्र शुरू किए गए हैं। दक्षिण में हमने सिद्दी समुदाय के लिए पश्चिमी तट पर एथलेटिक्स के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किये हैं। जब भी हमें प्रतिभा का पता लगता है और जहां कहीं इसकी आवश्यकता होती है, हम वहां ये केन्द्र शुरू कर रहे हैं। हम इन संस्थाओं को स्थानीय रूप से स्थापित कर रहे हैं तथा खिलाड़ियों को उनके क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करने के लिए इन्हें नवोनतम उपकरण तथा सर्वोत्तम प्रशिक्षक, इनमें से कुछ प्रशिक्षक विदेशों से भी हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह गायकवाड : महोदय, इन संस्थाओं द्वारा बहुत से प्रसिद्ध खिलाड़ियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थीं और बाद में इन खिलाड़ियों को बैंकों तथा अन्य केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों ने ले लिया है। सांसद होने के नाते और प्रतिष्ठित खिलाड़ी होने के नाते भी मैंने इन संस्थाओं में उपयुक्त पदों के लिए बहुत से खिलाड़ियों की सिफारिश की थी। किन्तु उन्हें कुछ नहीं मिला। इन खिलाड़ियों को दी जाने वाली इस सुविधा को संस्थाओं के निर्णय पर पूर्णतः बन्द कर दिया गया है।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : क्या आप रोजगार की बात कर रहे हैं ? बहुत से बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास निर्धारित कोटा है जिसे वे खिलाड़ियों को देते हैं। इसमें एकरूपता नहीं है। यह कोई नीति नहीं है। किन्तु इनमें से अधिकांश कुछ निश्चित संख्या में खिलाड़ियों को ले रहे हैं। यह उस खेल विशेष पर निर्भर करता है जिसे वह बैंक या उपक्रम बढ़ावा दे रहे हों। उदाहरण के लिए अधिकांश बैंकों में टेबल टेनिस को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ और संस्थाएं अन्य खिलाड़ियों को ले रही हैं क्योंकि वे उस उपक्रम विशेष में एक पूरी टीम बनाना चाहते हैं जो कि किसी विशेष स्तर तक पहुंच सके। इसलिए वे हर खेल को नहीं लेते हैं। यह तो उस खेल विशेष पर निर्भर करता है जिसे वे खिलाड़ियों को कोटा देकर स्वयं बढ़ावा दे रहे है। किन्तु मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि अभी इसमें और अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है और शायद कोई एकरूप नीति, यदि सम्भव हो, अर्थात खिलाड़ियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार में सभी नौकरियों में कुछ प्रतिशत आरक्षित किया जाना चाहिए, एक आदर्श स्थिति होगी।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : शैक्षिक संस्थाओं को भी इसे अपनाना चाहिए। वे इसका अनुसरण नहीं कर रही हैं।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : जहां तक शैक्षिक संस्थाओं का संबंध है, मैं आपको वह पत्र व्यवहार दिखा सकती हूं जो हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विश्वविद्यालयों के साथ किया है। वास्तव में, कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां कोटा था और जिसे नई शिक्षा नीति के बाद वर्ष 1988 में समाप्त कर दिया गया। हम उनके साथ सतत सम्पर्क बनाए हुए हैं। हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालयों द्वारा किस प्रकार कोई रास्ता निकाला जा सकता है जिससे प्रतिभावान खिलाड़ियों को वरीयता दी जा सके, जो फिलहाल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन साहब, क्या आपको कुछ और पूछना है ?

प्रो० पी०जे० कुरियन : जी हां, क्योंकि मूल प्रश्न खिलाड़ियों के लिए आरक्षण के बारे में है। माननीय मंत्री जी यह कह रही हैं कि अभी तक कोई एकरूप नीति नहीं है और यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जिम्मेदारी है। आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या शिक्षा मंत्रालय को क्यों नहीं कहते ? नई शिक्षा नीति की घोषणा के बाद ही इसे समाप्त किया गया है। वे ऐसा करने में समर्थ हैं। आपकी सूचना के लिए यह बता दूं कि दिल्ली के कालेजों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण था। किन्तु नई शिक्षा नीति की घोषणा के बाद इसे हटा लिया गया। इसे समाप्त कर दिया गया। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या नई शिक्षा नीति की घोषणा के बाद ही ऐसा हुआ है और यदि हां, तो मंत्रालय इसके लिए क्या करने जा रहा है।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : प्रथम प्रश्न के बारे में, मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगी कि हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस बारे में बात की है। मैं केवल उस उत्तर को उद्धृत कर सकती हूं जो हमें भेजा गया है। मैं उद्धृत करती हूं—"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस मामले में सलाह ली गई है। आयोग खिलाड़ियों को पी० टी०, पी० एण्ड टी० और पी० ए० टी० में रियायती अंक देने तथा आरक्षण करने के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है।" शिक्षा विभाग ने इस मामले पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से बात करने संबंधी हमारी मांग के संदर्भ में हमें यह उत्तर भेजा है। यह सच है कि दिल्ली में वर्ष 1986 तक चार सीट थीं, जिन्हें दिल्ली कालेज ऑफ टेक्नोलॉजी में खेल-प्रदर्शन के आधार पर भरा जाता था। दो कालेज ऐसे थे जहां चार सीट दी गई थीं। और अब हमें यह सूचित किया गया है कि शैक्षिक परिषद ने इसे घटाकर दो सीट करने का निर्णय लिया है। किन्तु स्थायी

समिति ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि कोटा ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसलिए, वर्ष 1988 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने कोटा पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब ये बातें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या तकनीकी शिक्षा बोर्ड को तय करनी है। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : शिक्षा मंत्री यहां उपस्थित हैं। उन्हें उत्तर देने दें। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

प्रो० एम० ओ० रंगा : आप कितने प्रश्नों की अनुमति देते हैं? वही सदस्य उस समय तीन प्रश्न नहीं पूछ सकता जब वह स्वयं मूल प्रश्नकर्ता न हो। यह क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप बार-बार वही बात कितनी देर तक दोहरा सकते हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तीन प्रश्नों की अनुमति किसने दी है? तीन प्रश्न किसने पूछे हैं?

(व्यवधान)

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मंत्री का इन प्रश्नों से कोई संबंध नहीं है।

सिंगापुर स्थित भारतीय उच्चायोग में गबन

*414. **श्री एच० ए० डोरा**† :

श्री पी० एम० सईद :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर स्थित भारतीय उच्चायोग से बहुत बड़ी धनराशि का गबन हुआ है, जैसा कि 2 मार्च, 1989 के इंडियन एक्सप्रेस में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि का गबन हुआ है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) भारत का हाई कमीशन, सिंगापुर के कौंसली विंग में कैशियर के रूप में काम करने वाली श्रीमती लीला पिल्लै ने जो कि सिंगापुर की राष्ट्रिक थी और स्थानीय रूप से भर्ती की गई थी, अगस्त, 1987 से जुलाई, 1988 के बीच मिशन के कौंसली राजस्व से 62,970 सिंगापुर डालर (भारतीय मुद्रा में 3,65,680/- रुपये के बराबर का गबन किया था।

(ग) जब अगस्त, 1988 में इस गबन का पता चला तो मामले की सूचना सिंगापुर पुलिस को दी गई। श्रीमती लीला पिल्लै की सेवाएं 1 सितम्बर, 1988 से समाप्त कर दी गई थी और उसी दिन सिंगापुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बाद में श्रीमती पिल्लै को जमानत पर छोड़ दिया गया। भारत का हाई कमीशन, सिंगापुर ने गबन की राशि की वसूली तथा श्रीमती पिल्लै द्वारा विश्वासघात करने के लिए उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के निमित्त सिंगापुर को 12-10-88 को एक विवरण दिया गया जिसमें गबन की सभी घटनाओं का ब्यौरा दिया गया था। उम्मीद है कि सिंगापुर पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी होते ही श्रीमती पिल्लै के खिलाफ मुकदमा चलाएगी।

श्री एच० ए० डोरा : महोदय, विदेशों में भारतीय दूतावासों में गबन की बहुत अधिक घटनाएं

होती हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे पिछले तीन वर्षों में हुए गबन के मामलों की संख्या बताएंगे; इनमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त थी; इसमें कौन-कौन व्यक्ति शामिल थे और उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है ?

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी अपने उत्तर में कहा है कि यह मामला हमारे नोटिस में लाया गया था और इस मामले में उचित कार्रवाई की जा चुकी है। मुझे इस समय अन्य मामलों की जानकारी नहीं है। मुझे इसके लिए पृथक नोटिस दिया जाना चाहिए।

श्री एच० ए० डोरा : भारतीय दूतावासों में विशेषकर जहां स्थानीय लोगों को खंजांची के रूप में नियुक्त किया जाता है, गबन को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई क्या है ?

प्रो० के० के० तिवारी : साधारणतः अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाया जाना मिशन के मुखिया के निर्णय पर ही निर्भर करता है। हम, अनुदेश जारी करते रहे हैं और हमने यह बात दोबारा दोहराई है कि स्थानीय लोगों को संवेदनशील स्थानों या रोकड़ अनुभागों में न लगाया जाए।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ब्रिटेन द्वारा सहायता

*417. **श्री बनवारी लाल पुरोहित**+ :

प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने खाद्य प्रसंस्करण हेतु भारत के साथ सहयोग करने तथा इस क्षेत्र में सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन द्वारा इस सम्बन्ध में किए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) भारत-ब्रिटिश आर्थिक समिति की फरवरी, 1989 में हुई बैठक के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संदर्भ में प्रसंस्करण इंजीनियरिंग, शीतागारों और पैकेजिंग के क्षेत्रों में सहयोग करने की सम्भावनाओं का पता लगाया गया था।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, फॉरन कोलोबोरेशन के लिए खासकर इस मिनिस्ट्री में कई डैलीगेशन आते है। मैं यह कहता हूं, वे आते हैं और बातचीत करके चलते जाते हैं तथा आगे कुछ नहीं होता है। मतलब आपकी मिनिस्ट्री, आपका डिपार्टमेंट तैयार नहीं रहता है या वे अन-प्रिपेयर्ड आते हैं। इस हाई-लैवल पर डैलीगेशन आते हैं, इधर मिनिस्टर उनसे मिलते हैं, पूरे आफिसर व सैक्रेटरी सब मिलते हैं, मिलने के बाद कोई रिजल्ट नहीं निकलता है – इसका क्या कारण है ? पार्टिकुलरली अभी ब्रिटिश डैलीगेशन आया, काफी डिसकशन हुआ और डिसकस करने के बाद रिजल्ट क्या निकला, यह मैं पूछना चाहता हूं ? एक्सप्लोर क्या किया, आपकी तरफ से ऑफर क्या किया गया और क्या जवाब दिया गया ? कौन-कौन सी इण्डस्ट्री आपने बताई कि हमारे यहां पर काम शुरू करना है।

मेरा प्रश्न यह है, आपका डिपार्टमेंट, आपकी मिनिस्ट्री टोटली क्या ब्लैक रहते हैं, जैसे ही वे आते हैं उनको जवाब देने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए कन्क्रीट प्रपोजल नहीं रखी जाती है—इसका क्या कारण है ?

[अनुवाद]

*श्री जगदीश टाईटलर : मुझे यह कहते हुए खेद है कि माननीय सदस्य को मंत्रालय की कार्य-*प्रणाली के बारे में गलत सूचित किया गया है। मंत्रालय को बने अभी आठ माह हुए हैं। मंत्रालय का गठन करने के बाद, जो समझौते हमने किए हैं और रियायत संबंधी जो नई नीतियां हमने तैयार की हैं, उसे देखते हुए मंत्रालय ने अच्छा कार्य किया है।

ब्रिटिश प्रतिनिधि मण्डल जो अभी हाल ही में आया था, के विषय में आरंभिक प्रश्न के संदर्भ में मैं उन्हें यह सूचित करना चाहूंगा कि मुझे ब्रिटिश मंत्री से कल ही एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश व्यापारी अत्यधिक रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि मैं कुछ उद्योग-पतियों के साथ आऊं ताकि हम एक जगह बैठ सकें; और मैं या मेरे अधिकारीगण उन्हें यह बता सकें कि मेरा मंत्रालय क्या कर रहा है।

मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं कि मैं यह समझता हूं कि अगले दो वर्षों के अन्दर हमारे कार्यों के परिणाम नजर आएंगे क्योंकि मंत्रालय अभी शुरू ही हुआ है। अगले दो वर्षों में यह क्योंकि हमने इसमें अन्तर्ग्रस्त निर्यात और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने जैसे कार्यों के कारण यह मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय से भी बड़ा हो जाएगा।

यह एक अच्छी खबर है कि यदि हम अमेरिकन और जापानी लोगों को मशीनें उपलब्ध करा सकें तो वे मत्स्य उद्योग के लिए तैयार हैं। अकेले अमेरीकी ही प्रति वर्ष एक बिलीयन डालर पर तैयार है। जापानी भी कहते हैं "जितना हम उन्हें दे सकें।" हम अपने अधिकाधिक प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि भविष्य बहुत उज्ज्वल है। (व्यवधान)···पूरे उद्योग का भविष्य बहुत ही अच्छा है और मैं समझता हूं कि अन्तत्तोगत्वा मैं यह सुनिश्चित कर सकूंगा कि किसानों को अपने उत्पाद का अच्छा मूल्य मिले और उसके बच्चों को नौकरी मिले।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए मछली फार्म बनाइए।

श्री जगदीश टाइटलर : जी, महोदय।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, हमारे विदर्भ के नौ जिले हैं, जहां पर फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री की तरफ से आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है। यहां पर फॉरेन कोलाबोरेशन की बात की जा रही है, तो संतरा हमारे इलाके में पैदा होता है। अभी कल टी०वी० पर पाइनऐपल की प्रोसैसिंग के प्लान्ट का इनऑगरेशन हुआ है। संतरे की इन्डस्ट्री को बढ़ाने के लिए आप को कुछ करना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी यूनिट में दो साल में सिकनैस आ रही है। कोई नया बड़ा यूनिट नहीं आ रहा है, किसानों को मदद नहीं मिल रही है और संतरे के भाव गिर रहे हैं। यह आज की परिस्थिति है। इस बारे में आप विचार करके कुछ कीजिए, ताकि किसानों को कुछ जम्प मिले और किसानों को कुछ फायदा मिले। इस दिशा में आप कोई कन्क्रीट प्रपोजल रखेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : संतरा तो आपके यहां है या हमारे यहां अबोहर-फाजिलका में है।

श्री बालकवि बैरागी : संतरा तो मंदसौर में भी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो समझता था कि आप अफीम उगाते हैं।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाइटलर : पेप्सी कोला वाले तो पहले से ही पंजाब उत्पाद की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस देश के इतिहास में पहली बार कल क्या हुआ। सुदूर उत्तर पूर्व में एक जनजातीय व्यक्ति अनानास उपजाता था और शाम को बाजार में 10 या 20 पैसे एक के हिसाब से बेचता था। फिर भी उसे खरीदने में कोई रुचि नहीं ले रहा था।

पिछले आठ महीनों में मैं इन जनजातीय लोगों की सहायता कर रहा था और कल हमने अनानास का यह पेय आरम्भ किया। महोदय, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो फल वे बाजार में पहले 10 पैसे या 15 पैसे में बेचते थे, वही आज 2.00 रुपये प्रति फल बेचा जा रहा है? दिल्ली की जनता यही रस पी रही है जो देश के सुदूर क्षेत्र में बनता था। मैं सुनिश्चित करूंगा कि इन क्षेत्रों का जितना अधिक हो सके उपयोग किया जाए।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : एक-एक टिन हम मैम्बर्स को भी दिलवा दीजिए।

श्री वी० तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की तरफ से बहुत ही सोच समझ कर यह महत्वपूर्ण मंत्रालय बनाया गया और मंत्री जी को यह पोर्टफोलियो सौंपा गया। मंत्री जी उसमें कुछ दिलचस्पी ले रहे हैं लेकिन मैं आपके नोटिस में और मन्त्री जी के नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि इस मंत्रालय को जितना बढ़ावा देना चाहिए वह नहीं दिया गया। इसमें खाली छोटा सा डिस्कशन हुआ और ऐसा ही रिप्लाई दिया गया। इसमें किसानों के काम आने वाली, किसानों को मदद मिलने वाली, किसानों को फायदा होने वाली कौने सी चीजों पर डिस्कशन हुआ, छोटी-छोटी गरीब लोगों के काम आने वाली कौन सी इण्डस्ट्री पर डिस्कशन हुआ? क्या इसमें मछली इण्डस्ट्री भी इन्वाल्व है? अगर है तो आन्ध्र प्रदेश में समुद्र तट बहुत बडा है तो वहां पर भी कोई ऐसी योजना आप बना रहे हैं? दूसरी बात जो आपके नोटिस में लाने वाली हैं, यह है कि इस मंत्रालय में मंत्री जी दिलचस्पी ले रहे हैं, कुछ अधिकारी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन एक अधिकारी वायु भवन में बैठता है, एक अधिकारी कृषि भवन में बैठता है, एक अधिकारी ट्रांसपोर्ट भवन में बैठता है तो यह इण्डस्ट्री कैसे बढ़ेगी? कैसे मिनिस्ट्री आगे बढ़ेगी इसलिए इसको एक जगह लाकर, एक जगह आफिस बनाकर जल्दी से जल्दी इसका फायदा लोगों को मिले, इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं, यह मैं पूछना चाहता हूं?

अध्यक्ष महोदय : बस-बस। तुलसी जी ने तो रामायण ही शुरू कर दी।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, जो भी कार्यवाही हमारे मन्त्रालय द्वारा की जा रही है उसका संबंध किसानों से है और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि किसानों को लाभ हो। जहां तक मेरे मंत्रालय का संबंध है, यह तीन-चार स्थानों पर नहीं है। निश्चय ही कर्मचारियों की कमी है जो हमें मिलने वाले हैं किन्तु काम पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मैं उन कर्मचारियों की प्रशंसा करता हूं कि थोड़े से कर्मचारियों के साथ आठ महीने में इन्होंने इतना काम किया है जो संभवत: बड़े मंत्रालय भी नहीं कर सके हैं।

श्री के०एस० राव : महोदय, हम सभी यह जानते हैं और हम सभी इस बात से चिन्तित हैं कि किसानों को अपने उत्पाद के लिए सही दर नहीं मिल रहा है। और उपभोक्ता को बहुत अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय बनने से किसानों की आशाएं बहुत बढ़ गई हैं। मेरे जिले में एक क्षेत्र नुजीवेडु है जो ऐसे आमों के उत्पादन के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध है। और उनका निर्यात भी हो रहा है किन्तु किसानों को उचित दर नहीं मिल रही है। अतः इस बात की ओर ध्यान दिए बिना कि क्या किसी विशेष जिले या क्षेत्र को केन्द्र की या राज्य की राज्य सहायता मिलती है, क्या वे कम से कम ऐसी सुविधाएं देंगे और यदि कोई व्यक्ति नुजिवेडु में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आरम्भ करता है तो वे यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को अपना उत्पाद देने से वहीं पर उचित मूल्य प्राप्त हो ?

श्री जगदीश टाईटलर : हम किसानों की सहायता करने के लिए हर संभव कार्य करेंगे और हमारा मंत्रालय उनकी सहायता के लिए हर समय तैयार है।

[हिन्दी]

डा० सी० एस० वर्मा : अध्यक्ष महोदय, फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री का बिहार में अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बिहार के जो इण्डस्ट्रियली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री के लिए इस मंत्रालय से क्या हो रहा है ? खास करके उस जिले में जो कि बाढ़ग्रस्त एरिया है और जो एग्रीकल्चर में काफी सफीशिण्ट है ? उस जिले के लिए आपके पास कोई प्रोजेक्ट है ? मेरी खगरिया कांस्टीट्वेंसी एग्रीकल्चर कांस्टीट्वेंसी है, उसमें एक भी इण्डस्ट्री नहीं है। क्या सरकार वहां फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री लगाने के लिए कुछ सोच रही है ?

[अनुवाद

श्री जगदीश टाईटलर : जो भी काम मैं करता हूं वह समस्त देश के लिए है। यह किसी विशेष राज्य के लिए नहीं है। आप मुझे कृपया प्रस्ताव दीजिए और हम आपकी सहायता करेंगे।

[हिन्दी]

डा० सी० एस० वर्मा : खासकर उस जगह पर जहां कोई इण्डस्ट्री नहीं है, वहां फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री खोलने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

जीव-प्रौद्योगिकी की सहायता से गेहूं की किस्मों का विकास

[अनुवाद]

*424. श्री ओहरि राव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीव-प्रौद्योगिकी तकनीकों के द्वारा गेहूं की नई किस्मों के विकास में सहायता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो गेहूं की कौन-कौन सी नई किस्मों का विकास किया गया और इससे गेहूं उत्पादन में अनुमानतः कितनी वृद्धि होगी ?

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) गेहूं की किस्मों का विकास करने के लिए जैव-प्रौद्योगिकी (बायो टेक्नोलॉजी) अनुसंधान अभी हाल ही में चालू किया गया है। अतः इस तकनीक के द्वारा गेहूं की कोई नई किस्म अभी विकसित नहीं हुई है। इसके अलावा नई विकसित किस्मों का खेती-बाड़ी में उपयोग करने की सिफारिश करने से पहले सभी परिणामों की बारीकी से जांच करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, गेहूं के उत्पादद पर ऐसी किस्मों के प्रभावों के बारे में अभी कुछ कहा जाना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

श्री श्रीहरि राव : मुझे मालूम हुआ है कि दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी संस्था बनाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस संस्था के निर्माण के समझौते में गेहूं तथा अन्य किस्मों के विकास के लिए जैव-प्रौद्योगिकी के अनुसंधान को भी सम्मिलित किया गया है। यदि हां, तो इसकी विस्तृत जानकारी क्या है और इस देश में किन संस्थाओं को इसके साथ सम्बद्ध किया जाएगा ?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, बायो-टेक्नोलाजी द्वारा जहां अनुसंधान हो रहा है, वे तीन सैंटर हैं, लेकिन अभी तक कोई भी किस्म रिलीज नहीं की गई है। इस पर अनुसंधान तीन साल से चल रहा है लेकिन कोई वेराइटी इसलिए रिलीज नहीं की गई कि जब तक इसके पूरे परिणाम नहीं देख लिए जाते, कौन-सी बीमारी की रोकथाम यह कर सकती है, कितना उत्पादन दे सकती है, कैसी क्वालिटी होगी, इन सारी बातों की जांच की जा रही है और उसके परिणाम आने पर ही रिलीज की जाएगी। हमारी कोशिश है कि इसको जल्दी रिलीज करें लेकिन अभी तक रिलीज नहीं की गई है।

[अनुवाद]

श्री श्रीहरि राव : क्या गेहूं की सभी किस्मों के विकास के लिए जैव-प्रौद्योगिकी का आयात किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या देशी अनुसंधान तथा विकास के लिए कोई समझौता किया जा रहा है ?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर बाहर के मुल्कों के साथ इस पर विचार-विमर्श होता है और विचारों का आदान-प्रदान होता है। हमारे यहां के विशेषज्ञ बाहर जाते हैं और बाहर के विशेषज्ञ यहां पर आते हैं और सारी बातों पर विचार करने के बाद जब बीज आता है, तो उसका यहां पर रोपण किया जाता है और उसके बाद रिलीज करते हैं। जब पूरी तसल्ली हो जाती है, हमारे देश के साइंटिस्ट्स की कि यह बीज सही है या नहीं, उसके बाद ही किसानों को वह बीज देते हैं और उसको रिलीज करते हैं।

डा० प्रभात कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां मध्य प्रदेश में बहुत बड़े हिस्से में धान की खेती होती है और धान की फसल चार महीने में होती है। धान को काटने के बाद कुछ खेतों में कुछ लोग गेहूं का उत्पादन करते हैं लेकिन आम किसान की यह मान्यता है कि धान की खेती से खेत

की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कोई इस किस्म की खोज की जा रही है जिससे 8 महीने जो जमीन परती पड़ी रहती है, उस पर किस किस्म का गेहूं या अन्य खाद्यान्न बोया जाए, जिससे उपजाऊ शक्ति पर असर न पड़े। किसानों को ऐसी खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खोज की जा रही है ?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जहां धान की फसल बोई जाती है, वहां पर आमतौर पर गेहूं बोया जाता है। थोड़ा-सा एरिया ऐसा हो सकता है, जहां पर लेट वेराइटी बोते हों और उस पर वह न बोया जाता हो।... (व्यवधान)...यह गलत नहीं है, सही बात है और अध्यक्ष महोदय, आप तो कृषि पंडित हैं, आप इसको जानते होंगे कि वहां पर गेहूं का उत्पादन होता है। आप कहीं भी जाकर इसके बारे में पता कीजिए। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जितनी जमीन में धान बोया जाता है, उस सारी जमीन में गेहूं बोया जाता है। कहीं आपने कागजों में देख रखा होगा और आन प्रैक्टिकल आदमी नहीं होंगे। आप जाकर पंजाब, हरियाणा में देखिए। वे सारे मुल्क को खिलाते हैं। यह हो सकता है कि, जैसा इन्होंने कहा, उस एरिया में लेट वेराइटी धान की हो और वह देर से पकती हो। तो भी लेट लेट वेराइटी में गेहूं भी चालू हो सकता है और जनवरी तक गेहूं की बुवाई हो सकती है। उसमें उत्पादन में थोड़ा झाड़ तो कम हो सकता है लेकिन बहुत-सी जगहों में लोग लेट वेराइटी में गेहूं भी बोते हैं। जहां लेट धान पड़ता है उसके लिए हमारे देश में कृषि अनुसंधान परिषद ने बाकायदा रिसर्च करके कि असली वेराइटी कौन-सी हो, बीज की वेराइटी कौन-सी हो, और लेट वेराइटी कौन-सी हो, सारी वेराइटीज पर विचार करके मुल्क के सामने रखा है ताकि किसान उससे पूरा फायदा उठा सके और किसी भी किसान की कोई भी जमीन, कोई भी धरती बगैर खेती के नहीं बचे। इसके लिए पूरा प्रोग्राम केन्द्रीय सरकार ने किया है।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : आज हमें आधुनिक प्रौद्योगिकी, विशेषकर जैव-प्रौद्योगिकी पद्धतियों से नये बीजों की अनेक किस्मों के शीघ्र विकास की आवश्यकता है, और भारतीय वैज्ञानिक इस काम में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और वे अच्छे बीजों का विकास कर रहे हैं। फिर भी, भारतीय कृषि वैज्ञानिकों के इन प्रयासों के बावजूद, सरकार अन्य देशों से बीजों की भारी मात्रा का आयात करती रही है। निश्चय ही यह हमारे देश में बीज प्रौद्योगिकी के देशी विकास के लिए हानिकर होगा। क्या सरकार इस नीति को बदलेगी और अपनी कृषि की उन्नति के लिए अपने देश में ही बेहतर बीज के विकास में वैज्ञानिकों का उपयोग करेगी ?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल गेहूं के बीज का है। गेहूं के बीज बाहर से लाने का कोई प्रपोजल नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गेहूं के बीज की क्वांटिटी को हमने हर साल इस देश में बढ़ाया है। 1984-85 में हमने 12 लाख क्विंटल बीज तकसीम किया था और 1987-88 में हमने 19 लाख टन किया है। जहां तक बाहर से बीज लाने की पालिसी के बारे में आपने सवाल किया है, अध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि कुछ बीज ऐसे हैं, कुछ जिंसें ऐसी हैं जिनका उत्पादन हमारे देश में परिस्थितियों के कारण हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाये हैं। जैसे कि मोटा अनाज का, आयल सीड्स का, दालों का, फल और सब्जियों का जितना उत्पादन बढ़ना चाहिए था उतना उत्पादन नहीं बढ़ा है। लेकिन गेहूं और राईस का उत्पादन बहुत बढ़ा है। जिन जिंसों का उत्पादन नहीं बढ़ा है उनके बारे में भारत सरकार ने पालिसी बनाई है कि जिस कंट्री से मोटे अनाज दालों और आयल सीड्स के बीज

हमारे यहां आ सकते हों और जिनसे हमारे यहां उपज बढ़ सकती हो वह लाया जाए। जिससे कि देश में उनका उत्पादन बढ़ सके। इनका उत्पादन न बढ़ने की वजह से हमें तेल बाहर से मंगाना पड़ता है, दालें मंगानी पड़ती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इनका बीज जहां से भी मिल सके ले करके किसान को दिया जाए ताकि देश में इनका उत्पादन बढ़ाया जा सके।

राष्ट्रीय चरागाह नीति

[अनुवाद]

*426. डा० दिग्विजय सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारी संख्या में बेकार पशुओं के कारण चरागाहों का दुरुपयोग हो जाता है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से चरागाहों की अधिकतम उपयोग क्षमता निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का राष्ट्रीय चरागाह नीति तैयार करने का विचार है ?

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग तथा राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं संरक्षण बोर्ड ने अनुमान लगाया है कि देश में कम उत्पादकता वाले पशुओं के बहुत अधिक संख्या में होने के कारण चरागाहों का दुरुपयोग हो जाता है।

(ख) चरागाहों के दुरुपयोग की सीमा तथा उनकी उपयोग क्षमता के बारे में कोई ठोस आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बायोमास उत्पादन तथा चराई के विभिन्न पहलुओं पर संबंधित मंत्रालयों में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय भूमि उपयोग तथा बंजर भूमि विकास परिषद द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति की रूपरेखा में कई पहलू शामिल हैं, जैसे चरागाह भूमि के अवक्रमण को रोकना, उनकी उत्पादकता बनाए रखना, पशु उत्पादन में अधिक उत्पादकता वाले पशुओं के उत्पादन को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में एक विशिष्ट स्थान पर आहार की व्यवस्था करने को बढ़ावा देना, भूमि के उचित उपयोग के तरीके को अपनाने में जनता का सहयोग लेना आदि।

[अनुवाद]

डा० दिग्विजय सिंह : महोदय, मैंने यह प्रश्न इसलिए पूछा था क्योंकि मैं समझता हूं कि हमें भारत के वनों की तुलना में भारत के चरागाहों की अधिक चिन्ता है। संभवत: गुजरात और राजस्थान के पशुओं की आधी से अधिक संख्या अन्यत्र चली जाती है क्योंकि यहां ऐसा कोई स्थान नहीं है, इन क्षेत्रों में चरागाहों की अधिकतम क्षमता उपयोग का कोई हिसाब नहीं है। अत: जब मंत्री ने स्वीकार किया है कि इनका बहुत अधिक शोषण हो रहा है, जिसका उन्होंने उत्तर दिया है, वह इस बात को भी

स्वीकार करते हैं कि चरागाहों के अतिशोषण और चारा उपलब्ध कराने की क्षमता के सम्बन्ध में कोई सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, न इनके सम्बन्ध में कोई हिसाब लगाया गया है और न ही इस पर कभी विचार किया गया है। यदि यह स्थिति है तो इसका समाधान यही है कि पशुओं को बांध कर खिलाया जाए और इन्हें इकट्ठे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना एवं चरागाहों और हमारे पशु-धन को नष्ट नहीं करना है। यहां बताई गई इस राष्ट्रीय चरागाह नीति को तैयार करने पर अभी तक क्यों नहीं विचार किया गया है ? इस पर विचार क्यों नहीं किया गया है कि पशुओं को थान पर खिलाया जाए ?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि देश में कोई 45 करोड़ पशुधन हैं और जिनमें से कुल मिलाकर आधे दूध देते हैं और आधे सूखे हैं। जब दूध सूख जाता है तो उसको घर पर बांधना संभव नहीं है इसलिए उनको बाहर चराने की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि देश में 33 करोड़ हैक्टेयर रकबे में से कोई एक करोड़ बीस लाख हैक्टेयर रकबा ऐसा है जो चरागाह के लिए मिलता है। कुछ एरिया ऐसा है जो बन की भूमि है लेकिन जंगल नहीं है, वहां भी पशु चरता है। पशुओं को घर बांधकर चराया जाए तो संभव नहीं है। आज देश में प्रति वर्ष 73 करोड़ टन सूखे चारे की जरूरत है जबकि 44 करोड़ टन चारा देश में बनता है। हरा चारा 95 करोड़ टन चाहिए जबकि 25 करोड़ टन बनता है। इसलिए, उन पशुओं को बाहर भी जंगल में छोड़ना पड़ता है। जिस राज्य में सूखा पड़ता है वहां राज्य सरकार को पैसा दिया जाता है कि वह चारे का स्पेशल बन्दोबस्त करे। चरागाह के खराब होने का सवाल ही नहीं है। जहां तक हो सका है हमने नये बीज भी पैदा किए हैं जिससे हरा चारा ज्यादा मात्रा में पैदा हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा पशुओं को चराने के लिए हम सुविधा दे सकें, उस पर भारत सरकार विचार करती है।

[अनुवाद]

डा० विजिवजय सिंह : महोदय, उन्होंने राष्ट्रीय चरागाह नीति तैयार करने के सम्बन्ध में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। एक राष्ट्रीय चरागाह नीति तैयार करने को महत्व क्यों नहीं दिया गया है ? यह केवल बाहर चरने का प्रश्न नहीं है, यह पशुओं का पश्चिमी राजस्थान से मध्य प्रदेश जाने का और रास्ते में कृषि उत्पादन नष्ट करने का प्रश्न है। हमारी फसलों का 15 प्रतिशत तक नुकसान इन पशुओं के अवैध चरने के कारण होता है। एक राष्ट्रीय चरागाह नीति तैयार करना उचित क्यों नहीं समझा गया है ? मैं पहले यह पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चरागाह नीति बनाना आवश्यक क्यों नहीं है।

महोदय, दूसरा यह कि राष्ट्रीय भूमि उपयोग तथा बंजर भूमि विकास परिषद् तथा राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास निगम के अन्तर्गत के पट्टे पर भूमि देते हैं जिससे उन्हें पेड़ लगाने का अधिकार मिलता है किंतु चरागाहों के विकास के लिए कोई भूमि नहीं दी जा रही है। यद्यपि इन सभी बातों का सम्बन्ध घास के उत्पादन से ही चाहिए तो ऐसा करना आवश्यक क्यों नहीं समझा गया है ?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : मैंने डी के जवाब में बताया है कि राष्ट्रीय भूमि उपयोग तथा बंजर भूमि विकास परिषद् द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति की रूपरेखा में कई बातें शामिल हैं। जहां तक इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में गुजरात के पशु चरने चले जाते हैं और राजस्थान के पशु भी

दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं। आप जानते हैं बहुत से प्रदेशों में तीन-तीन, चार-चार साल सूखा पड़ता है तो पशुओं को एक प्रदेश में कैसे रोक कर रखा जा सकता है। जहां उम्मीद थोड़ी-सी भी होती है वहां पशु जा सकते हैं, उनको चरने से रोका नहीं जा सकता।

तमिलनाडु में राज्य मार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में दर्जा बढ़ाया जाना

[अनुवाद]

*427. **श्री पी० कुलनदईवेलु :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राजमार्गों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन राज्य मार्गों का दर्जा बढ़ाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो किन मार्गों का दर्जा बढ़ाकर उनको राष्ट्रीय राजमार्गों में बदला जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं; अर्थात्

(1) मद्रास से कन्याकुमारी तक ईस्ट कोस्ट रोड और

(2) नागर कोइल (एन० एच० 47 पर) से कावलकिनरु (एन० एच० 7 पर) तक रोड लिंक।

(ग) जी, नहीं।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए निर्धारित मानदण्ड और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, इत्यादि को ध्यान में रखते हुए कोचीन मदुरै रोड, संयोगवश जिसके अन्तर्गत तमिलनाडु में लगभग 130 कि० मी० लम्बी सड़क आती है, को हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

श्री पी० कुलनदईवेलु : मेरे प्रश्न के (क) और (ख) भागों के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु सरकार ने दो सड़कों के नामों का प्रस्ताव किया है। हमने पहले ही राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिए 18 राज्य राज मार्गों की सूची दी है। पिछले तीन दशकों के दौरान राज्य राजमार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने के लिए एक किलोमीटर सड़क पर भी काम नहीं हुआ है।

दूसरा, अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। आपने स्वयं स्वीकार किया है कि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। जब राज्य सरकार किसी राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने के लिए प्रस्ताव भेजती है, तो स्वत: ही केन्द्रीय सरकार को पहले सड़क का सर्वेक्षण करना पड़ता है। ऐसा करने के पश्चात ही उन्हें इसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना पड़ता है।

फिर भी, मैं मंत्री महोदय का उनके द्वारा मेरे प्रश्न के भाग (घ) का उत्तर देने के लिए आभारी हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि कोचीन मदुरै रोड, जो लगभग 130 कि० मी० लम्बी सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की गई है। यद्यपि विगत में एक किलोमीटर का भी दरजा नहीं बढ़ाया गया, किन्तु जब आप जल-भूतल परिवहन मंत्री बने, आपने हमें ऐसी 130 कि० मी० सड़क दी। हम आपके आभारी हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री को शर्मिन्दा मत कीजिए।

श्री पी० कुलनवेलु : यह उनकी प्रशंसा है।

हम केवल इस सड़क के लिए ही मांग नहीं करते रहे हैं। अपितु अन्य कई सड़कों के लिए भी करते रहे है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ईस्ट कोस्ट रोड़ (पूर्व तटीय मार्ग) पर भी काम आरम्भ करेगी जो युद्ध के समय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। किन्तु आपने जो राशि दी है, वह तो बहुत कम है, जो लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपये हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको उत्तर नहीं चाहिए ? उत्तर के लिए समय नहीं बचेगा।

श्री पी० कुलनवेलु : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस पूर्व तटीय मार्ग को आरम्भ करेंगे। हम इसको राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं क्योंकि यह युद्ध के समय अत्यन्त सहायक है।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस सड़क का उल्लेख किया है वह निश्चय ही एक महत्वपूर्ण सड़क है। चूंकि हम अपने संसाधनों के भीतर यह काम आरम्भ नहीं कर सके, अत: यह परियोजना एशियाई विकास बैंक को दी गई है। मद्रास से कडालौर तक 160 कि०मी० की सड़क का कार्य एशियाई विकास बैंक के साथ 39 करोड़ रुपये की लागत से आरम्भ किया गया है और एशियाई विकास बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। मुझे इस बात की बहुत अधिक आशा है कि इस सड़क को एक राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग अर्थात सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का संबंध है, हमारे कुछ मानदण्ड हैं। प्रत्येक राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि वह ऐसी सड़कों के नाम दें जो इन मानदण्डों को पूरा करते हैं। सिफारिशों के बाद भी, यद्यपि राष्ट्रीय राजमार्गों की हमारी मांग लगभग 65 हजार कि०मी० है, हमारे पास केवल 33 या 34 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। किन्तु यह सारा संसाधनों की कमी के कारण है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक अब इस सम्मानित सदस्य सदन द्वारा पारित कर दिया गया है और सरकार भी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार अन्य क्षेत्रों से संसाधन जुटाने के लिए भारतीय राजमार्ग वित्त निगम बनाने और देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सड़क क्षेत्र का विकास करना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

*415. डा० वी० वेंकटेश :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वारा अपने आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए विश्वव्यापी रूप से आमंत्रित टेंडर कुछ ही विदेशी कम्पनियों के लिए सीमित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी संबंधित देशों को टेंडर भेजने वाली कम्पानियों को इस बारे में उचित रूप से सूचना दी गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की आधुनिकीकरण परियोजना के कार्यान्वयन में भारी लागत और समय को कम करने के लिए "सेल" द्वारा, सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यान्वयन नीति के अन्तर्गत 6 अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों से टेंडर आमंत्रित किए गए थे। ये उपस्कर के पैकेज थे, जिनके संबंध में डिजाइन तथा इंजीनियरी जानकारी देश में उपलब्ध नहीं थी। ये टेंडर उन विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय पार्टियों से सीमित अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर आमंत्रित किए गए थे, जिनका डिजाइन, इंजीनियरी, निर्माण सप्लाई, स्थापना तथा संयंत्र और उपस्करों को चालू करने के संबंध में टर्न की उत्तरदायित्व को निभाने का अच्छा रिकार्ड था और उनसे निर्धारित समय सीमा में संविधात्मक उत्तरदायित्वों को पूरा करने की आशा थी।

(ग) जी, हां।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड का कार्य-निष्पादन

*416. श्री अतीश चन्द्र सिन्हा :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड कलकत्ता ने वर्ष 1988-89 के दौरान अपने कार्य-निष्पादन में सुधार किया है;

(ख) क्या उत्पादकता और क्षमता उपयोग में भी वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान कापर

लिमि-टेड (एच० सी० एल०) का 1986-87 से कार्यनिष्पादन इस प्रकार है :—

उत्पादन निष्पादन

	1986-87	1987-88	1988-89 (अप्रैल, 88-फरवरी, 89)
अयस्क उत्पादन (हजार टन)	4522	4993	4598
ब्लिस्टर तांबा (टन)	37959	33923	40963
शोधित तांबा (विदेश में टोल प्रद्रावित तांबा सहित)	44563	42134	46711

वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रुपये में)

	1986-87	1987-88	1988-89 (अप्रैल, 88-फरवरी, 89)
शुद्ध लाभ/(हानि)	(8.87)	16.12	60.02 (अनन्तिम)

इन आंकड़ों में सरकारी ऋणों पर ब्याज शामिल नहीं है।

उत्पादकता

	1986-87	1987-88	1988-89 (अप्रैल, 88-फरवरी, 89)
नियोजित प्रति व्यक्ति वार्षिक अयस्क उत्पादन (टन)	178	198	204 (अनन्तिम)

क्षमता उपयोग

	1986-87	1987-88	1988-89 (अप्रैल, 88-फरवरी, 89)
(क) खानों में	84%	92%	94%
(ख) कारखानों में	80%	82%	94%

प्रधान मंत्री की चीनी नेताओं के साथ बातचीत के दौरान चीनी मिसाइलों का उल्लेख

[हिन्दी]

*419. **श्री सरफराज अहमद :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तिब्बत में चीनी मिसाइलों के, जिनका रुख भारत की ओर है, समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या प्रधान मंत्री की हाल की चीन यात्रा के दौरान चीनी नेताओं से हुई उनकी बातचीत में इस मामले पर भी चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो चीन सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं। नाभिकीय तथा सामूहिक विनाश के अन्य सभी हथियारों को रखने, उनका भण्डारण, परीक्षण तथा प्रयोग करने के संबंध में भारत सरकार ने अपनी नीति को सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर जोरदार ढंग से अभिव्यक्त किया है। चीन की सरकार इस मसले पर हमारी नीति से परिचित है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इससे पहले चीन की सरकार ने यह कहा था कि तिब्बत में भारत के खिलाफ चीनी प्रक्षेपास्त्र लगाने की खबरें मात्र मनगढ़न्त और झूठ हैं जिनका निहित उद्देश्य इस काबिल नहीं कि उनका खण्डन किया जाए। सरकार ने चीन सरकार के इस बयान पर गौर किया है। सरकार की यह नीति है कि जिन घटनाओं का भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता हो उन पर बराबर निगाह रखी जाए।

गन्ने की बुवाई के समय में परिवर्तन

[अनुवाद]

*420. **श्री आर० एम० भोये :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने के पेराई मौसम के समाप्त होने पर किसानों की बहुत बड़ी फसल खेतों में ही खड़ी रह जाती है;

(ख) क्या सरकार का आगामी वर्षों में इस स्थिति से बचने के लिए गन्ने की बुवाई के समय में परिवर्तन करने के बारे में कदम उठाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गन्ने की बहुतायत के कारण जिन किसानों को घाटा होने की संभावना है सरकार का चालू मौसम में उनकी सहायता के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) गन्ने की पेराई अप्रैल के अन्त तक कई राज्यों में चलेगी और अन्य कुछ राज्यों में सितम्बर के अन्त तक चालू रहेगी । अतः इस स्थिति में अभी से यह कहना ठीक नहीं होगा कि काफी फसल पेराई से बची रह जाएगी ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

नेहरू युवक केन्द्र संगठन के कर्मचारियों के वेतनमान

*421. श्री संतोष कुमार सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नेहरू युवक केन्द्र संगठन के कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा शर्तों में निकट भविष्य में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि इन्हें केन्द्रीय सरकार के अन्य संगठनों के कर्मचारियों के बराबर लाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नेहरू युवा केन्द्र संगठन के कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा शर्तों को निर्धारित करते हुए नेहरू युवा केन्द्र संगठन (सेवा) विनियम, 1987 इस शर्त से सरकार द्वारा नवम्बर 1987 में मंजूर किए गये थे कि इन विनियमों का दो वर्षों के बाद पुनरीक्षण किया जायेगा ।

पेप्सिको द्वारा अन्य कम्पनियों के उत्पादों का निर्यात

*422. श्री मोहनभाई पटेल :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य कम्पनियों द्वारा उत्पादित उन उत्पादों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है जिन उत्पादों का पेप्सी संयुक्त उद्यम द्वारा निर्यात किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो इन उत्पादों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) मै० पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ने सूचित किया है कि ऐसी सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता ।

खेसरी दाल का उत्पादन और खपत

[हिन्दी]

*423. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेसरी दाल की पिछली फसल किस क्षेत्र में और कितनी मात्रा में पैदा की गई;

(ख) क्या सरकार ने खेसरी दाल के स्वास्थ्य के लिए हानिकर होने को ध्यान में रखते हुए आम आदमी द्वारा इसकी खपत को रोकने की दृष्टि से इसकी फसल को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कोई कठोर कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) वर्ष 1987-88 के दौरान खेसरी दाल के अधीन 10.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था तथा इसका उत्पादन 5.18 लाख मीटरी टन था।

(ख) और (ग) खेसरी दाल के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) राज्य सरकारों से खेसरी दाल की बिक्री पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। मध्यप्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है।

(2) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे खेसरी दाल में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन के घातक प्रभावों के मामले में उपभोक्ताओं को शिक्षित करें। दाल से टॉक्सिन अलग करने के साधारण तरीकों की भी सिफारिश की जाती है।

(3) उत्तर प्रदेश तथा असम में खेसरी दाल की खेती करने पर रोक लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश तथा बिहार राज्यों ने इसकी खेती के बदले दालों तथा तिलहन फसलों की अन्य उपयुक्त किस्में उगाने के लिए कदम उठाए हैं।

(4) बेहतर फसलों की किस्मों के सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होने के फलस्वरूप, बिहार तथा अन्य राज्यों में धीरे-धीरे खेसरी दाल का क्षेत्र घट रहा है।

उड़ीसा में नवोदय विद्यालय

[अनुवाद]

*425. श्री बृजमोहन महन्ती :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में खोले गये नवोदय विद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त विद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने और कितने प्रतिशत छात्रों को दाखिला दिया गया है;

(ग) इन विद्यालयों में दाखिला लेने वाली छात्राओं की संख्या एवं उनकी प्रतिशतता क्या है;

(घ) क्या उड़ीसा में नवोदय विद्यालय खोलने का कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) पुरी जिले में नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तथापि, वित्तीय बाधाएं सरकार को धीमी गति से नये विद्यालय खोलने के लिए बाध्य करती है।

विवरण

(क) 30-3-1989 की यथास्थिति के अनुसार उड़ीसा में खोले गये नवोदय विद्यालयों के ब्यौरे

1. रंगाली डेम साइट, जिला धनकनाल
2. सतीगुड़ा, जिला कोरापुट
3. मुनडाली, जिला—कटक
4. पिल्लासालनी डेम साइट जिला—फूलबनी
5. बेलपाड़ा, जिला— बोलनगीर
6. चिपलीमा, जिला—सम्बलपुर
7. डाकघर जिकनगर, जिला—सुन्दरगढ़
8. बागुड़ी, जिला—बालासोर
9. नारला, जिला—कालाहांडी
10. सुरंगी, जिला—गंजम
11. बटनोटी, जिला—मयूरभंज
12. हाड़ागढ़, जिला—केअनझर

(ख) और (ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा छात्राओं की संख्या तथा प्रतिशतता

(1) छात्रों की कुल संख्या	1857		
(2) अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या तथा उनकी प्रतिशतता	369	—	19.9%

(3) अनुसूचित जन-जाति के छात्रों की संख्या तथा उनकी प्रतिशतता	416	—	22.4%
(4) छात्राओं की संख्या तथा उनकी प्रतिशतता	398	—	21.4%

दुग्ध उत्पादकों को दिया जा रहा मूल्य

*429. श्री पी० आर० कुमारमंगलम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदर डेरी दूध के लिए उपभोक्ताओं से लिए जा रहे मूल्य का कितना भाग दुग्ध उत्पादकों को दिया जाता है;

(ख) मदर डेरी द्वारा तैयार किए गये दुग्ध के मूल्य में से वाणिज्यिक स्तर पर कम कीमत पर आयात किए गये अथवा उपहार के रूप में प्राप्त हुए दुग्ध पदार्थों से तैयार किए गए दूध के अंश की लागत की प्रतिशतता क्या है;

(ग) मदर डेरी को उसकी फल एवं सब्जियां परियोजना पर कितना घाटा हुआ और उस पर कितना व्यय हुआ; और

(घ) क्या दूध के मूल्य में हाल में की गई वृद्धि फलों तथा सब्जियों संबंधी परियोजना पर घाटे के कारण थी ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) मदर डेरी अपने लिये ताजे दूध की सप्लाई सीधे ग्रामीण उत्पादकों से नहीं लेती है। वह यह सप्लाई राज्य सहकारी डेरी संघों से लेती है। आजकल, उपभोक्ता मूल्य का लगभग 80% राशि इन राज्य सहकारी डेरी संघों को उनकी दूध की सप्लाई के लिए अदा की जाती है।

(ख) फिलहाल दूध के मूल्य की लगभग 16 प्रतिशत राशि दूध पुनर्मिश्रण के लिए प्रयुक्त संरक्षित वस्तुओं के मूल्य निमित्त होती है। संरक्षित वस्तुओं जैसे सपरेटा दुग्ध चूर्ण बटर आयल/सफेद मक्खन मदर डेरी को उपहार स्वरूप नहीं मिलते हैं, बल्कि ये मदर डेरी को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित निर्गम मूल्यों पर अपने पूल स्टाक से दिए जाते हैं।

(ग) फल एवं सब्जियां यूनिट मदर डेरी से भिन्न दिनांक 1-4-1988 से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की एक अलग यूनिट बनी। अत: मदर डेरी ने इस बारे में कोई हानि या खर्च वहन नहीं किया।

(घ) मदर डेरी द्वारा टोंड दूध के बिक्री मूल्यों में हाल ही में की गई वृद्धि, जो दिनांक 30-12-1988 से लागू हुई, का फल एवं सब्जियां परियोजना से कोई सम्बन्ध नहीं है।

दूध के बिक्री मूल्यों में वृद्धि किया जाना राज्य सहकारी डेरी संघों को ताजे दूध की सप्लाई के लिये अधिक मूल्य देने, संरक्षित वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि और अपने खर्च तथा प्रचालन लागत में बढ़ोतरी होने के कारण आवश्यक हो गया था।

सूखा प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता

*430. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री बी० तुलसीराम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के आंध्र प्रदेश के साथ लगने वाले कुछ जिलों को सूखा प्रभावित जिले घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ जिलों की भी सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) सम्बद्ध राज्य सरकारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) वर्तमान नीति के तहत संबंधित राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह वर्षा के न आने और इसके परिणामस्वरूप फसल के न होने के कारण पैदा होने वाली परिस्थितियों को देखते हुए सूखे से प्रभावित जिलों/क्षेत्रों की घोषणा करे। उड़ीसा राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार उड़ीसा सरकार ने बोलंगीर, कटक, गंजम, कलाहांडी, कोरापुट, फूलबनी और सम्बलपुर जिलों में 4007 गांव सूखे से प्रभावित घोषित किए हैं।

(ग) सूखे से प्रभावित जिलों/क्षेत्र की घोषणा किये जाने के बारे में आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) फसल वर्ष 1988-89 के दौरान सूखा राहत के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग करने के बारे में आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

"अलॉम फार्मों" का विकास

3952. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान केरल में अलॉम फार्म, कन्नानोर में कोई विकास कार्य हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस फार्म के विकास हेतु वर्ष 1987-88 में कितनी राशि का नियतन किया गया है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) जी, हां। एक विवरण संलग्न है।

(ग) निगम का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक है। विभिन्न शीर्षों के अधीन वर्ष 1987-88 के दौरान किया गया वास्तविक खर्च निम्न प्रकार है :—

1. भवन	4.58 लाख रुपए
2. सिंचाई	0.73 लाख रुपए
3. भूमि विकास	0.46 लाख रुपए
4. बागवानी (विशिष्ट संतति उद्यान)	3.43 लाख रुपए
5. पौध रोपण	148.59 लाख रुपए

विवरण

(1) सिंचाई के अधीन, ब्लाक सं० 1 में एक रोक बांध, रबड़ नर्सरी के लिए छिड़काव सिंचाई, पी०वी०सी० पाइपों के जरिए बहाव सिंचाई तथा फार्म के लिए लघु सिंचाई योजना शुरू की गई है।

(2) भवनों के अधीन, कम कीमत के आवास, आराम गृह की मरम्मत तथा स्कूल भवन के कार्य शुरू किए गए हैं।

(3) भूमि विकास के अधीन, 5 हैक्टेयर को समतल करना तथा 3.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

(4) बागवानी के अधीन विशिष्ट संतति उद्यान रख-रखाव तथा व्यापारिक पौध रोपण किया जाता है।

(5) कृषि तथा बागवानी योजनाओं के अलावा ओसर पोषण मात्स्यकी, हरा काजू प्रसंस्करण तथा नारियल तेल एवं कोपरा प्रसंस्करण इकाई जैसी अन्य विकासात्मक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

आटा मिलों पर मूल्य नियंत्रण उपबंध लागू करना

3953. श्री परसराम भारद्वाज :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य उत्पादों के मूल्यों में कमी लाने के लिए आटा मिलों पर मूल्य नियंत्रण उपबंध लागू किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके फलस्वरूप प्राप्त निष्कर्षों का ब्योरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) रोलर फ्लोर मिलिंग उद्योग से अक्तूबर, 1986 में नियंत्रण हटा लिया गया था। इस समय गेहूं के पदार्थों पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है। देश के किसी भी भाग में रोलर फ्लोर मिलों पर कोई औप-

चारिक अथवा अनौपचारिक मूल्य अनुशासन लागू नहीं किया गया है।

हिमाचल प्रदेश और पंजाब में राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने संबंधी प्रस्ताव

3954. प्रो० नारायण चन्द पराशर :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश और पंजाब की राज्य सरकारों ने सातवीं और आठवीं योजनाओं में कतिपय राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों, उनमें सिफारिशों तथा सरकार द्वारा उन पर लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) पंजाब सरकार ने चालू योजना अवधि के दौरान नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की सिफारिश की है :—

(क) पठानकोट-मंडी सड़क।

(ख) करनाल-जगाधरी-पोंटा-रोहस-सुंगरी-बाहली-सरहन-जियोरी सड़क।

(ग) मुकेरियन-तलवाड़ा-नूरपुर-डलहौजी-बाथरी-चौरा-संगेरा-भदरवा-बटोट सड़क।

(घ) किरतपुर-नंगल-उना-तलवारा-मुकेरिया सड़क।

(ङ) शिमला-ब्रह्मपुखार-घागस-घुमरविन-हमीरपुर-नादौन-ज्वालामुखी-कोटला सड़क।

(च) पिंजोर-नालागढ़-स्वारघाट सड़क।

(छ) जालंधर-होशियारपुर-धर्मशाला सड़क।

(ज) मनाली-केलांग सड़क।

(झ) जालंधर-होशियारपुर-धर्मशाला-रावी घाटी सड़क।

सरकार ने हाल ही में लगभग 220 कि० मी० लम्बी पठानकोट-मंडी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है। लगभग 10 कि० मी० लम्बी सड़क पंजाब में पड़ती है।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा अपने बेड़े में जोड़े गए पोत

3955. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अपने बेड़े में कितने पोत जोड़े गये हैं; और

(ख) इनमें से कितने पोत अलग-अलग विदेशी और स्वदेशी शिपयार्डों से खरीदे गये और वे कहां-कहां से खरीदे गये, उनकी लागत क्या थी और भारवहन क्षमता कितनी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय नौवहन निगम के बेड़े में कितने जहाज जुड़े हैं, उनकी संख्या निम्न प्रकार है :—

1986-87	13
1987-88	1
1988-89	2
कुल :	16

(ख) शिपयार्डों के, लागत और डी० डब्ल्यू० टी० के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

(1) 1986-87 के दौरान 10.483 करोड़ रुपये की कीमत से हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० (भारत) से 16806 डी० डब्ल्यू० टी० का एक कॉम्बी कैरियर।

(2) 1986-87 के दौरान दोवू कारपोरेशन, दक्षिण कोरिया से प्रति जहाज की कीमत 15.25 मिलियन अमरीकी डालर की दर से 47000 (लगभग) डी० डब्ल्यू० टी० वाले बारह बल्क कैरियर।

(3) 1987-88 के दौरान 3.95 डी० एम० मिलियन की कीमत पर पश्चिम जर्मनी के मालिक से 150 डी० डब्ल्यू० टी० का एक सेकंड हैंड यात्री जहाज।

(4) 1988-89 के दौरान 12.51 करोड़ रुपये की कीमत पर हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० (भारत) से 26800 डी० डब्ल्यू० टी० का एक बल्क कैरियर, और

(5) 12.92 करोड़ रुपये की कीमत पर गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एण्ड इंजीनियर्स (इंडिया) से 26000 डी० डब्ल्यू० टी० का एक बल्क कैरियर।

पशु प्रजनन अनुसंधान योजना

3956. श्री एच० डी० पाटिल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशु प्रजनन अनुसंधान योजना के लिए उपकर धनराशि का प्रयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस धनराशि के प्रयोग के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) कृषि उत्पाद उपकर धनराशि से वर्ष 1986-87 से 1987-88 तक के दौरान कितनी पशु प्रजनन अनुसंधान योजनाओं को मंजूरी दी गई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (ख) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान आठ योजनाएं स्वीकृत की गई थीं।

स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के अन्तर्गत अनुसंधान और विकास केन्द्र

3957. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विभिन्न स्थानों पर कितने अनुसंधान और विकास केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड का कटक, राउरकेला और भुवनेश्वर में ऐसे केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने रांची में अपने निगमित अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के साथ-साथ भिलाई, राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर के इस्पात कारखानों तथा महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेल्ट, चन्द्रपुर में उप केन्द्र की स्थापना की है।

(ख) कटक तथा भुवनेश्वर में इस प्रकार के केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) "सेल" का सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमरीका के साथ अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सहयोग है। सुसंगत ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

(1) "सेल" के अनुसंधान एवं विकास केन्द्र तथा सोवियत संघ के वी०/ओ० त्याजप्रोमेक्सपोर्ट के बीच हुए करार की मार्फत लोहे तथा इस्पात में औद्योगिक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत रूस सहयोग वर्ष 1978 में शुरू हुआ था।

सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात कारखानों को सम्मिलित कर भागीदारी अनुसंधान कार्यों के लिए अगले पांच वर्षों के लिए पहली जनवरी, 1985 से एक दूसरा समझौता हुआ।

"सेल" ने भी आई० पी० बार्डिन सेन्ट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ फेरस मेटलर्जी मास्को के साथ सहयोगात्मक करार किया है जिसमें सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए वैज्ञानिकों की अदला-बदली, उपस्करों के परीक्षण तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी विकासों के संबंध में जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था है।

(2) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में भारत-अमरीका सहयोग के भाग के एक रूप में "सेल" ने लोहे तथा इस्पात प्रौद्योगिकी के अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग के लिए नेशनल साइंस फाउंडेशन, अमरीका के साथ एक करार किया है। इस कार्य में ये शामिल हैं— परीक्षण करना, आंकड़े का संयुक्त विश्लेषण तथा भारत और अमरीका की प्रयोग शालाओं का दौरा करना।

बम्बई और गोवा के बीच द्रुत गति नौका सेवा

3958. **प्रो० मधु दण्डवते :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सत्यगिरी शिपिंग कंपनी को बम्बई से गोवा के लिये कोंकण तट पर द्रुत गति नौका सेवा प्रारम्भ करने की मंजूरी दी थी;

(ख) यदि हां, तो कोंकण तट पर यह यात्री सेवा प्रारम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यात्री सेवायें कब तक प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) 22-6-1987 को दी गई मंजूरी 8-8-1988 को रद्द कर दी गई क्योंकि स्वीकृति की वैधता अवधि बढ़ाये जाने के बावजूद कंपनी ने संस्वीकृति के अनुपालन में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। देश में निर्मित उच्च गति के दो बोटों के अधिग्रहण सम्बन्धी संशोधित प्रस्ताव, जिसे कंपनी ने अक्तूबर, 1988 में पेश किया था, को भी 30-1-1989 को रद्द कर दिया गया क्योंकि इसमें आवश्यक ब्यौरों का अभाव था तथा कंपनी से पूरी विशिष्टियां और ब्यौरा देते हुए नये सिरे से आवेदन करने की सलाह दी गई थी।

(ग) सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

जोत भूमि

3959. **श्री जायनल अबेदिन :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कृषक समुदाय में से कृषि मजदूरों, छोटे, मझोले, सीमान्त और बड़े किसानों का राज्यवार प्रतिशत क्या है;

(ख) कुल खेती-क्षेत्र में से किसानों का प्रत्येक श्रेणी की जोत भूमि का राज्यवार प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या वर्ष 1980 से बाद जोत भूमि-क्षेत्र में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) विवरण-1 और 2 संलग्न हैं।

(ख) विवरण-3 संलग्न है।

(ग) और (घ) विवरण-4 संलग्न है।

विवरण-1

राज्यवार कुल कृषि समुदाय (कृषि श्रमिक तथा खेतिहर) से कृषि श्रमिकों की प्रतिशतता—1981

क्रमांक	राज्य	प्रतिशतता
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	52.9
2.	बिहार	44.9
3.	गुजरात	37.7
4.	हरियाणा	26.5
5.	हिमाचल प्रदेश	3.8
6.	जम्मू व कश्मीर	5.8
7.	कर्नाटक	41.2
8.	केरल	68.4
9.	मध्य प्रदेश	31.8
10.	महाराष्ट्र	43.1
11.	मणिपुर	7.3
12.	मेघालय	13.8
13	नागालैंड	1.1
14.	उड़ीसा	37.2
15.	पंजाब	38.2
16.	राजस्थान	10.6
17.	सिक्किम	5.2

1	2	3
18.	तमिलनाडु	52.1
19.	त्रिपुरा	35.7
20.	उत्तर प्रदेश	21.5
21.	पश्चिम बंगाल	45.9
	अखिल भारत	37.5

स्रोत : भारतीय जनगणना, 1981

टिप्पणी : 1. इसमें असम शामिल नहीं है जहां अशान्ति की परिस्थितियों के कारण 1981 में गणना नहीं हो सकी थी।

2. प्रत्येक राज्य के संदर्भ में प्रतिशतता अलग-अलग है।

विवरण-2

श्रेणीवार—जोतों के वितरण की प्रतिशतता—1985-86

क्र० सं०	राज्य	सीमान्त जोत (1 है० से कम)	छोटी जोत (1-2 है०)	अर्ध-मध्यम जोत (2-4 है०)	मध्यम जोत (4-10 है०)	बड़ी जोत (10 है० एवं अधिक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	54.2	20.8	15.2	8.0	1.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	13.4	18.6	31.1	30.9	6.0
3.	असम*	59.3	22.8	13.7	4.0	0.2
4.	बिहार	76 9	11.2	8.0	3.4	0.5
5.	गोवा	77.3	13.3	6.0	2.5	0.9
6.	गुजरात	24.2	21 7	24.9	23.4	5 8
7.	हरियाणा	37·3	19.6	20.2	17.7	4.5
8.	हिमाचल प्रदेश	63.6	19.6	11.5	4.6	0.7
9.	जम्मू व कश्मीर	73.9	15.8	8.3	1.9	0.1
10.	कर्नाटक	36.4	26.3	21.0	13.2	3.1
11.	केरल	91.5	5.8	2.1	0.5	0.1

1	2	3	4	5	6	7
12.	मध्य प्रदेश	35.9	21.2	21.0	17.0	4.9
13.	महाराष्ट्र	30.6	25.6	24.3	16.5	3.0
14.	मणिपुर	48.2	34.5	15.1	2.1	0.1
15.	मेघालय	34.7	30.0	27.1	7.7	0.5
16.	मिजोरम	39.9	36.4	21.0	2.5	0.2
17.	नागालैंड	6.6	15.4	15.3	33.6	29.1
18.	उड़ीसा	52.1	25.4	16.2	5.7	0.6
19.	पंजाब	23.5	19.1	26.7	23.9	6.8
20.	राजस्थान	28.6	19.4	20.6	20.7	10.7
21.	सिक्किम	34.5	25.6	22.6	14.3	3.0
22.	तमिलनाडु	71.3	16.4	8.4	3.4	0.5
23.	त्रिपुरा	67.7	22.6	8.8	0.9	नगण्य
24.	उत्तर प्रदेश	72.6	15.7	8.3	3.1	0.3
25.	पश्चिम बंगाल	71.0	19.1	8.4	1.5	नगण्य
	अखिल भारत	58.0	18.2	13.6	8.2	2.0

स्रोत : कृषि गणना 1985-86

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनन्तिम हैं और उनमें संशोधन हो सकता है।

2. प्रत्येक राज्य के संदर्भ में प्रतिशतता अलग-अलग है।

* : 1980-81 कृषि गणना से संबंधित है।

नगण्य : नगण्य।

विवरण-3

श्रेणीवार संचालित क्षेत्र के वितरण की प्रतिशतता--1985-86

क्र० सं०	राज्य	सीमान्त जोत (1 है० से कम)	छोटी जोत (1-2 है०)	अर्ध-मध्यम जोत (2-4 है०)	मध्यम जोत (4-10 है०)	बड़ी जोत (10 है० एवं अधिक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	14.5	17.3	24.0	27.3	16.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.0	6.4	20.7	44.2	26.7

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम*	18.7	24.0	27.5	15.6	14.2
4.	बिहार	27.8	17.1	24.9	22.1	8.1
5.	गोवा	26.3	17.3	15.8	14.5	26.1
6.	गुजरात	3.7	9.2	20.6	41.6	24 9
7.	हरियाणा	6.2	10.3	21.3	37.9	24.3
8.	हिमाचल प्रदेश	20.6	22.5	25.6	21.0	10.3
9.	जम्मू व कश्मीर	33.0	24.9	25.9	12.6	3.6
10.	कर्नाटक	7.3	15.9	24.2	32.7	19.9
11.	केरल	46.1	21.5	15.3	7.4	9.7
12.	मध्य प्रदेश	5.5	10.6	20.1	35.6	28.2
13.	महाराष्ट्र	5.9	14.4	25.7	36.6	17.4
14.	मणिपुर	21.0	38.2	31.4	8.9	0.5
15.	मेघालय	10.6	22.5	38.7	23.8	4.4
16.	मिजोरम	18.4	34.2	38.5	7.8	1.1
17.	नागालैंड	0.4	2.6	5.2	27.9	63.9
18.	उड़ीसा	17.5	24.2	29.8	22.2	6.3
19.	पंजाब	3.4	7.6	20.5	38.7	29.8
20.	राजस्थान	3.1	6.4	13.5	29.6	47.4
21.	सिक्किम	6.5	12.8	23.7	31.9	25.1
22.	तमिलनाडु	25.9	22.7	22·0	19.3	9.3
23.	त्रिपुरा	33.6	35.9	23.4	4.5	2.6
24.	उत्तर प्रदेश	28.4	23.5	24.3	19.0	4.8
25.	पश्चिम बंगाल	32.3	31.1	24.5	8.6	3.5
	अखिल भारत	13.1	15.5	22.2	28.7	20.5

स्रोत : कृषि गणना 1985-86

टिप्पटी : 1. आंकड़े अनन्तिम हैं और उनमें संशोधन हो सकता है।

2. प्रत्येक राज्य के संदर्भ में प्रतिशतता अलग-अलग है।

* 1980-81 कृषि गणना से संबंधित है।

विवरण-4

1980-81 और 1985-86 के दौरान जोतों का औसत आकार

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जोतों का औसत आकार (हेक्टेयर) 1980-81	1985-86
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.94	1.72
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.27	4.09
3.	असम	1.36	*
4.	बिहार	1.00	0.87
5.	गोवा	1.19	1.03
6.	गुजरात	3.45	3.29
7.	हरियाणा	3.52	2.76
8.	हिमाचल प्रदेश	1.54	1.24
9.	जम्मू व कश्मीर	0.99	0.86
10.	कर्नाटक	2.73	2.41
11.	केरल	0.43	0.36
12.	मध्य प्रदेश	3.42	2.91
13.	महाराष्ट्र	3.11	2.65
14.	मणिपुर	1.24	1.24
15.	मेघालय	1.74	1.76
16.	मिजोरम	1.49	1.57
17.	नागालैंड	7.41	7.46
18.	उड़ीसा	1.59	1.47
19.	पंजाब	3.82	2.77
20.	राजस्थान	4.44	4.34
21.	सिक्किम	1.95	2.75
22.	तमिलनाडु	0.67	0.64

1	2	3	4
23.	त्रिपुरा	1.07	1.02
24.	उत्तर प्रदेश	1.01	0.93
25.	पश्चिम बंगाल	0.95	0.92
	अखिल भारत	1.84	1.68

स्रोत : कृषि गणना 1980-81 एवं 1985-86

टिप्पणी : 1985-86 के आंकड़े अनन्तिम है और उनमें संशोधन हो सकता है।

* : असम से 1985-86 के लिए आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रौद्योगिकी एवं मशीनरी के आयात हेतु लाइसेंस जारी करना

3960. **प्रकाश वी० पाटिल :**

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य प्रसंस्करण हेतु हमारे देश में प्रौद्योगिकी एवं मशीनरी के आयात के लिए वर्ष 1987, 1988 के दौरान तथा 1989 में अब तक कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(ख) इनमें से कितने लाइसेंस एकाधिकार गृहों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दिए गए; और

(ग) इन वर्षों में स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित कितने एककों को लाइसेंस दिए गए ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) अनुसूचित उद्योग "खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों" से संबंधित विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए 1987-88 के दौरान 57 आशय पत्र और 8 औद्योगिक लाइसेंस तथा 1988-89 (जनवरी, 1989 तक) के दौरान 40 आशय पत्र और 4 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे। स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित यूनिटों को जारी किए गए लाइसेंसों के संबंध में सूचना अलग से नहीं रखी जाती है।

स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा यात्रा करने के लिए बोट केबिनों का दर्जा बढ़ाकर प्रथम श्रेणी का करना

3961. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोट केबिनों का दर्जा बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों को प्रथम श्रेणी की नि:शुल्क यात्रा करने की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने भूतपूर्व अण्डमान राजनीतिक बन्दियों के लिए अण्डमान निकोबार द्वीप समूह की, जहाजों द्वारा यात्रा करने के लिए उपलब्ध मौजूदा मुफ्त बंक श्रेणी पैसेज को स्तरोन्नत करके प्रथम श्रेणी करने का निर्णय लिया है।

पटसन का उत्पादन

3962. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान, वर्षवार, बिहार में पटसन का वास्तविक अथवा अनुमानत: कितना उत्पादन हुआ;

(ख) विशेष पटसन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार के पटसन उत्पादकों को अभी तक किस प्रकार की और कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान बिहार में कितने एकड़ भूमि पर पटसन की खेती की गई; और

(घ) बिहार में पटसन उत्पादन में वृद्धि करने और इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) वर्ष 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान बिहार में पटसन के उत्पादन का अनुमान क्रमश: 959.0, 889.5, 1674.6, 1069.0 और 882.2 हजार गांठ था। इसमें प्रत्येक गांठ 180 किलोग्राम की थी।

(ख) विशेष पटसन विकास कार्यक्रम के तहत सरकार, प्रमाणीकृत बीजों उपकरणों, रेटिंग टैंकों की खुदाई करने, फंगल कल्चर के पैकेटों के वितरण, प्रदर्शनों को तैयार करने, पौधे संरक्षण रसायनों/मृदा सुधारकों के लिए और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहायता देती है। वर्ष 1987-88 के दौरान बिहार राज्य को विशेष पटसन कार्यक्रम के तहत निर्मुक्त की गई धनराशि 82.57 लाख रुपये थी।

(ग) वर्ष 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान बिहार राज्य में पटसन के तहत क्षेत्र का अनुमान क्रमश: 125.4, 133.4, 212.9, 145.4 और 131.8 हजार हैक्टेयर था।

(घ) कच्चे पटसन के उत्पादन में वृद्धि करने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से वर्ष 1972-73 में शुरू की गई गहन पटसन विकास कार्यक्रम को केन्द्रीय प्रायोजित योजना की पटसन/मेस्ता उगाने वाले सभी प्रमुख राज्यों में वर्ष 1986-87 तक जारी रखा गया था। वर्ष 1987-88 से बिहार सहित पटसन/मेस्ता का उत्पादन करने वाले सभी राज्यों में एक विशेष पटसन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सम्भाव्य क्षमता वाले क्षेत्र में पटसन

की उत्पादकता में वृद्धि करना और इसकी गुणवत्ता में सुधार करना है।

नारियल की कीमतों में गिरावट

3963. **श्री पी० ए० एन्टनी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नारियल की कीमतों में गिरावट आने के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार नारियल के तेल की बिक्री राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के माध्यम से कराये जाने की सम्भावनाओं पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता

3964. **श्री के० मोहनदास :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित/जातियों तथा जनजातियों और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान नवोदय विद्यालयों के लिए कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) नवोदय विद्यालय योजना में यह परिकल्पना की गई है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित बच्चों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण सम्बन्धित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाएगा बशर्ते कि ऐसा आरक्षण किसी भी जिले जिले में राष्ट्रीय औसत से कम न हो। यदि इन दो वर्गों में से एक वर्ग के बच्चे पर्याप्त संख्या में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, तो दोनों वर्गों के बीच में स्थानों का विनिमय करना सम्भव होगा। परीक्षण तकनीकों में आवश्यक सुधार भी किए गए हैं ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उनके लिए निर्धारित आरक्षण के अनुसार नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने को सुनिश्चित किया जा सके। तथापि, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से सम्बन्धित बच्चों के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है।

(ग) नवोदय विद्यालय योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के लिए बजट में कुल आबंटन इस प्रकार से है :—

वर्ष 1988-89 के लिए (संशोधित प्राक्कलन)।	79.30 करोड़ रुपये
वर्ष 1989-90 के लिए (बजट प्राक्कलन)।	79.30 करोड़ रुपये

भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत सिंचित फालतू भूमि

3965. **श्री रेड्डप्प दास :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में भूमि की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत भूमि की अधिकतम सीमा के वास्तविक क्षेत्रफल से अधिक विभिन्न परिवारों को कुल कितनी सिंचित भूमि रखने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या यह भूमि जो पहले सिंचाई सुविधाओं के अभाव में अतिरिक्त घोषित नहीं की जा सकी थी, अब वहां सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी अधिनियम में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना पंजाब सरकार से एकत्र की जा रही है।

मत्स्य पत्तन कर्मचारियों का विशाखापत्तनम पत्तन न्यास से सहायता देने और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध

3966. **श्री सोडे रामैया :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम मत्स्य में पत्तन में कार्यरत कर्मचारी विशाखापत्तनम पत्तन, पत्तन न्यास से आर्थिक सहायता देने और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध करते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विशाखापत्तनम न्यास ने क्या कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां।

(ख) विजाग पत्तन न्यास ने उन्हें सूचित किया कि हाउसिंग और अन्य कल्याण सम्बन्धी सुविधाएं राज्य सरकार (आंध्र प्रदेश) द्वारा सुलभ करानी होंगी और उन्हें सलाह दी है कि तदनुसार मामले को राज्य सरकार के साथ उठाएं।

पान का उत्पादन

3967. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पान का राज्यवार वार्षिक उत्पादन कितना है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : पूर्वानुमान फसल न होने के कारण, पान के उत्पादन के सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

रसिका संयंत्र को हुआ घाटा

[हिन्दी]

3968. श्री राजाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडर्न फूड इंडस्ट्रीज के अन्तर्गत रसिका संयंत्र जून, 1982 में स्थापित किया गया था;

(ख) क्या रसिका संयंत्र ने वर्ष 1983 में लाभ अर्जित किया किन्तु उसके बाद प्रति वर्ष यह घाटे पर चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसे कितनी धनराशि का घाटा हुआ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं और इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) सरकार ने रसिका के ब्रांड नाम से फल के पेयों का उत्पादन करने के लिए एक फ्रूट जूस बाटलिंग प्लांट की स्थापना की थी और इसे अप्रैल, 1982 में माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि० को अन्तरित कर दिया गया था। इस प्लांट को वाणिज्यिक परिचालन के लिए उसी महीने चालू कर दिया गया था। यह प्लांट इसकी स्थापना से ही हानि उठा रहा है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इसे हुई हानियों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	राशि (रु०/लाख)
1985-86	7.44
1986-87	8 61
1987-88	16.24

हानियों का मुख्य कारण बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा होना है और कम्पनी की प्रचार तथा बिक्री प्रवर्तन पर खर्च करने की सीमित क्षमता होना है। कम्पनी ने वितरण प्रणाली को कारगर बनाने, उत्पादकता में सुधार करने तथा लागत को कम करने की योजना बनाई है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों को विदेश भेजना

[अनुवाद]

3969. श्री के० राममूर्ति :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान फ्रांस, चीन, नीदरलैंड, स्वीडन, कनाडा और ब्रिटेन में आयोजित

अन्तर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठियों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं में भाग लेने वाले भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1987-88 के लिए नीदरलैंड सरकार के शिक्षावृत्ति कार्यक्रम में शामिल हुए अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए न्यूजीलैंड, चेकोस्लोवाकिया और अमरीका में आयोजित कार्यक्रम में भेजे गये अधिकारियों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) गत दो वर्षों के दौरान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित अधिकारियों ने उनके नाम के सामने उल्लिखित देशों में अंतर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठियों, संगोष्ठियों,कार्यशालाओं में भाग लिया :

(1) श्री ए०के० दास, निदेशक (भू-रसायन)	—	फ्रांस
(2) श्री ए०एस० घनोटा, भूविज्ञानी (वरिष्ठ)	—	चीन
(3) श्री ए०बी० गोस्वामी, निदेशक (भूविज्ञान)	—	नीदरलैंड
(4) श्री वी० नटराजन, निदेशक (भूविज्ञान)	—	स्वीडन
(5) श्री जी० कुमार, निदेशक (भूविज्ञान	—	कनाडा
(6) श्री एम०के० कौल भूविज्ञानी (वरिष्ठ)	—	ब्रिटेन
(7) डा० के० अयूस्वामी, भूविज्ञानी (वरिष्ठ)	—	ब्रिटेन
(8) डा० एस०के० आचार्य, निदेशक (भूविज्ञान)	—	फ्रांस
(9) श्री ए० सोनकिया, भूविज्ञानी (वरिष्ठ)	—	फ्रांस

(ख) निम्नलिखित अधिकारियों ने 1987-88 के लिए नीदरलैंड सरकार की शिक्षावृत्ति का लाभ उठाया :—

(1) श्री एम०एम० स्वामी, भूविज्ञानी (वरिष्ठ)

(2) श्री पी० चक्रवर्ती, भूविज्ञानी (कनिष्ठ)

(3) श्री जी० दास गुप्ता, भूविज्ञानी (कनिष्ठ)

(4) श्री एच०पी० मिश्रा, सहायक भूभौतिकीविद

(5) श्री एन० बालकृष्ण राव, सहायक भूभौतिकीविद

(6) श्री एम०जे० अहमद, भूविज्ञानी (कनिष्ठ)

(ग) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय भूसर्वेक्षण-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण के लिए भेजे गये अधिकारियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

1.	श्री आर० एस० सैनी, ड्रिलर	—	न्यूजीलैंड
2.	श्री ए०के० चौधरी, भूविज्ञानी (वरिष्ठ)	—	सं०रा० अमेरिका
3.	डा० एन०सी० भट्टाचार्जी, भूविज्ञानी (वरिष्ठ)	—	सं०रा० अमेरिका
4.	डा० एम०के चट्टोपाध्याय, भूविज्ञानी (वरिष्ठ)	—	सं०रा० अमेरिका

कृषि विश्वविद्यालयों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में शामिल न करना

3970. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :**

श्री जी० एस० बसवराजू :

श्री टी० बी० चन्द्रशेखरय्या :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषि विश्वविद्यालयों से उन्हें औद्योगिक विवाद, अधिनियम, 1947 के अधिकार क्षेत्र कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में शामिल न करने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) कुछ कृषि विश्वविद्यालयों से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधिकार क्षेत्र और कर्मचारी भविष्य निधि नियम 1952 में शामिल न किया जाये। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 के अनुच्छेद 2 (ग) द्वारा "उद्योग" की परिभाषा में संशोधन किया गया है जिससे कि इसके अधिकार क्षेत्र से "शैक्षिक, वैज्ञानिक, अनुसंधान या प्रशिक्षण संस्थानों को दूसरे से अलग कर दिया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधिकार क्षेत्र में शामिल न किए जाने वाले प्रस्तावित संगठनों के कर्मचारियों से सम्बन्धित शिकायतें दूर करने की कोई वैकल्पिक प्रक्रिया न होने की वजह से इस संशोधन को अब तक लागू नहीं

किया गया।" अस्पताल एवं अन्य संस्थान (कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने संबंधी बिल" नामक एक बिल राज्य सभा द्वारा 28 अप्रैल, 1988 को पास किया गया था जिसमें शैक्षिक, वैज्ञानिक, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण संस्थान सहित कुछ संस्थानों के कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने की व्यवस्था की गई है। यह बिल अभी लोक सभा द्वारा पास किया जाना है।

(II) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रबन्ध अधिनियम, 1952.

वे विश्वविद्यालय, जो संसद अथवा राज्य विधायिका के नियम के तहत स्थापित किए गए हैं और जिनके कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के कार्य क्षेत्र से अलग रखा गया है।

प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड में धन का दुरुपयोग

[हिन्दी]

3971. **श्री काली प्रसाद पांडेय :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के प्रबंधकों को, वर्ष 1988 के दौरान अधिकारियों के दौरों पर हुए धन के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध और इस प्रकार के व्यर्थ व्यय को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में, उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) से (ग) प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि० (पी०डी०आई०एल०) ने सूचित किया है कि एक अधिकारी के खिलाफ कम्पनी के एक भूतपूर्व कर्मचारी से शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें 1348.50 रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त है। शिकायत पर सी०बी०आई० की धनबाद शाखा द्वारा जांच की जा रही है।

पाराद्वीप पत्तन के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

[अनुवाद]

3972. **श्री सांभाजीराव थकाडे :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण कोरिया के मैसर्स हयून्डी कारपोरेशन को पाराद्वीप पत्तन के विकास के लिए सौंपे गये कार्य हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में कुल कितनी लागत आई है;

(ख) क्या सरकार ने इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने में किसी भारतीय परामर्श सेवा से सहायता की मांग की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या दक्षिण कोरिया ने रिपोर्ट तैयार करने में विलम्ब को देखते हुए भारत से लौह अयस्कों

के आयात के लिए पांच साल के ठेके पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की कुल लागत 505000 अमरीकी डालर होगी जिसका वहन हुंडाई कारपोरेशन द्वारा किया जाएगा और भारतीय खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा भारतीय मुद्रा में 74.2 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा।

(ख) और (ग) परियोजना के लिए अपेक्षित बुनियादी अध्ययन वाटर एण्ड पावर कंसल्टैंसी सर्विसेज और कंसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज, नई दिल्ली नामक दो भारतीय कंपनियों द्वारा किए जा रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में रिक्त पद के लिए उम्मीदवार

3973. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में रिक्त पद के लिए उम्मीदवार नामजद करने का विचार है;

(ख) क्या भारतीय उम्मीदवार का चयन करने के लिए एक समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों तथा इसके विचारार्थ नियमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ऐसे नामांकनों के लिए अब तक क्या प्रक्रिया अपनाई गई है और क्या पूर्वनिर्णयों का पालन किया जायेगा; और

(ङ) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य वर्तमान और सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों के नाम पर रिक्त पद के लिए उम्मीदवार के रूप में विचार किया जा सकता है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर०एस० पाठक को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में डा० नगेन्द्र सिंह की मृत्यु के कारण रिक्त स्थान पर निर्वाचन के लिए भारतीय उम्मीदवार के रूप में नामजद किया गया है।

(ख) और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में निर्वाचन के लिए भारतीय राष्ट्रीय दल उम्मीदवार नामजद करता है। 1907 के प्रशांत अन्तर्राष्ट्रीय विवाद समाधान के लिए हेग अभिसमय के प्रावधानों के अनुसार भारत स्थायी पंच निर्णय न्यायालय में चार सदस्य नामजद कर सकता है जो अन्तर्राष्ट्रीय पंच निर्णय के लिए उपलब्ध रहने के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार नामजद करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय दल के रूप में भी काम करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय दल के मौजूदा सदस्यों के नाम हैं :

1. भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती

2. भूतपूर्व कानून और न्याय मंत्री श्री ए०के० सेन

3. भारत के महान्यायवादी श्री के० पारासरन

इसके चौथे सदस्य डा० नगेन्द्र सिंह थे।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों को स्थायी पंच निर्णय न्यायालय के राष्ट्रीय दल नामजद करते हैं। इस प्रक्रिया से अलग हटने का कोई सवाल नहीं है।

(ङ) भारतीय राष्ट्रीय दल पर इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है कि वह किसी सेवारत न्यायाधीश को नामजद करे या सेवानिवृत्त को।

भारतीय शांति सेना की वापसी

3974. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में श्रीलंका से भारतीय शांति सेना की दो और बटालियनें वापस बुला ली हैं; और

(ख) श्रीलंका में 31 मार्च, 1989 को भारतीय शांति सेना के जवानों की कुल संख्या कितनी होगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) करीब 50,000

पांचवां शिक्षा सर्वेक्षण

3975. **श्री महेश्वर तांती :**

श्री लक्ष्मण मलिक :

श्रीमती वसवराजेश्वरी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् द्वारा पांचवां शिक्षा सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) और (ख) जी, हां। पांचवें अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़े सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से एकत्र किए गए हैं। इसमें देश में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं (उच्चतर माध्यमिक स्तर तक) की संख्या के संबंध में सूचना, ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं, स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर दाखिला, स्कूलों में शिक्षकों से संबंधित सूचना, स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं और सहायक सेवाएं तथा उनमें चल रही प्रेरणादायक योजनाओं से संबंधित सूचना निहित है। इसके प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार है :—

1. दाखिला (कक्षाएं 1—5)	
(1) कुल दाखिला	8,66,83,289
(2) लड़कियों का कुल दाखिला	3,56,76,663
2. कक्षाएं 6—8	
(1) कुल दाखिला	2,72,00,656
(2) लड़कियों का कुल दाखिला	96,42,537
3. कक्षाएं 9 और 10	
(1) कुल दाखिला	1,14,74,962
(2) लड़कियों का कुल दाखिला	36,42,267
4. कक्षाएं 11 और 12	
(1) कुल दाखिला	34,40,863
(2) लड़कियों का कुल दाखिला	10,56,592
5. अनुसूचित जातियों का दाखिला	
(1) कक्षाएं 1—5	1,50,39,683
(2) कक्षाएं 6—8	40,64,405
(3) कक्षाएं 9 और 10	15,39,301
(4) कक्षाएं 11 और 12	3,94,023
6. अनुसूचित जनजातियों का दाखिला	
(1) कक्षाएं 1—5	69,95,848
(2) कक्षाएं 6—8	13,77,992
(3) कक्षाएं 9 और 10	4,92,708
(4) कक्षाएं 11 और 12	9 53
7. कुल नामांकन अनुपात	
(1) कक्षाएं 1—5	93.63
(2) कक्षाएं 6—8	48.51

पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की दर

पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि वर्ष 1986 में कक्षा 1 में दाखिले की प्रतिशतता के रूप में कक्षा 5 में दाखिला 49.28% था। वर्ष 1986 में कक्षा 1 में दाखिले

की प्रतिशतता के रूप में कक्षा 8 में दाखिला 31.11 प्रतिशत था।

स्कूल भवन

प्राइमरी स्कूलों की प्रतिशतता

(1) बिना भवन के (खुले स्थान/तम्बुओं/फूस की झोपड़ियों में)	13.50
(2) कच्चे भवनों सहित	13.75
(3) पक्के/आंशिक रूप से पक्के भवनों में	72.75

स्कूल स्तरों पर महिला शिक्षा की प्रतिशतता

(1) प्राइमरी स्तर	30.56
(2) अपरप्राइमरी स्तर	32.19
(3) माध्यमिक स्तर	28.12
(4) उच्चतर माध्यमिक स्तर	29.33

स्कूलों में खुल सुविधाएं/आनुषंगिक सुविधाएं

स्कूलों में खेल मैदानों की सुविधाओं की उपलब्धता

(1) खेल के मैदानों की सुविधा वाले प्राइमरी स्कूल	3,08,260
(2) खेल के मैदानों की सुविधा वाले अपरप्राइमरी स्कूल	1,03,203
(3) खेल के मैदानों की सुविधा वाले माध्यमिक स्कूल	45,021
(4) खेल के मैदानों की सुविधा वाले उच्चतर माध्यमिक स्कूल	13,940

स्कूल

(1) स्कूलों की कुल संख्या	7,35,785
(2) ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल	6,34,719

वर्ष 1978—86 तक की अवधि के दौरान दाखिले की प्रतिशतता में वृद्धि

कक्षाएं 1—5

(1) कुल दाखिला (शहरी तथा ग्रामीण)	26.36
(2) कुल दाखिला (ग्रामीण)	28.63

कक्षाएं 6—8

(1) कुल दाखिला (शहरी तथा ग्रामीण)	51.46
(2) ग्रामीण कुल दाखिला	62 36

कक्षाएं 9 और 10

(1) कुल दाखिला (शहरी और ग्रामीण) 63.03

(2) कुल दाखिला (ग्रामीण) 80.81

कक्षाएं 11 और 12

(1) कुल दाखिला (शहरी और ग्रामीण) 87.66

(2) कुल दाखिला (ग्रामीण) 127.49

अनुसूचित जातियों का दाखिला

(1) कक्षाएं 1—5 48.81

(2) कक्षाएं 6—8 101.97

(3) कक्षाएं 9 और 10 120.73

(4) कक्षाएं 11 और 12 132.00

अनुसूचित जनजातियों का दाखिला

(1) कक्षाएं 1—5 62.35

(2) कक्षाएं 6—8 126.21

(3) कक्षाएं 9 और 10 124.40

(4) कक्षाएं 11 और 12 185.19

अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेस मार्ग

3977. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण कार्य पिछले एक वर्ष से रुका पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त परियोजना के लिए आबंटित धनराशि की तुलना में वर्ष 1988 के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है और परियोजना की अनुमानित लागत की तुलना में 31 दिसम्बर, 1988 तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) उक्त परियोजना को कब तक पूरा किया जाने का लक्ष्य है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1988-89 में 25.55 करोड़ रुपए के आबंटन में से 1.1.1988 से 31.12.88 तक 10.10 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 137.20 करोड़ रु० की संस्वीकृत लागत में से फरवरी, 1989 तक 37.65 करोड़ रु० का संचित खर्च किया जा चुका है।

(घ) परियोजना पूरी होने की लक्षित तारीख फरवरी, 1992 है।

कपास की खेती

3978. **श्री विजय एम० पाटिल :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, कपास की खेती कितने भू-क्षेत्र में होती है;

(ख) क्या अगले दस वर्षों के दौरान कपास का खेती क्षेत्र बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है; और;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार कितनी हैक्टेयर भूमि में कपास की खेती की जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) आने वाले वर्षों में कपास के तहत क्षेत्र में वृद्धि करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। उत्पादकता में सुधार करने पर मुख्य रूप से बल दिया गया है। तथापि, अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि होने से कपास के क्षेत्र में मामूली वृद्धि हो सकती है। यह बात कपास की सम्भाव्य क्षमता और इसके आर्थिक प्रतिफल पर निर्भर होगी।

विवरण

कपास की खेती के तहत राज्यवार क्षेत्र

(क्षेत्र हजार हैक्टेयर में)

क्र० सं०	राज्य	1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	619.7	411.0	567.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.4	0.4	0.4
3.	असम	3.5	3.0	2.9
4.	बिहार	0.3	0.3	0.5
5.	गुजरात	1404.0	1366.2	718.7
6.	हरियाणा	344.0	379.0	417.0

1	2	3	4	5
7.	हिमाचल प्रदेश	0.3	0.3	0.2
8.	जम्मू व कश्मीर	0.4	0.3	0.2
9.	कर्नाटक	674.4	414.2	489.8
10.	केरल	6.0	5.8	5.7
11.	मध्य प्रदेश	535.9	522.7	517.0
12.	महाराष्ट्र	2753.0	2692.6	2517.7
13.	मणिपुर	0.1	0.1	0.1
14.	मेघालय	8.0	6.9	6.9
15.	मिजोरम	1.0	1.2	1.2
16.	उड़ीसा	3.2	2.5	3.3
17.	पंजाब	559.6	567.0	620.0
18.	राजस्थान	333.1	364.5	343.9
19.	तमिलनाडु	254.3	185.7	238.4
20.	त्रिपुरा	1.4	1.1	1.0
21.	उत्तर प्रदेश	28.3	21.9	17.1
22.	पश्चिम बंगाल	0.1	0.3	0.3
23.	पाण्डिचेरी	1.7	1.0	0.5
	अखिल भारत	7532.7	6948.0	6470.5

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के मूल्य में वृद्धि

3979. **श्री गुरुदास कामत :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के मूल्य में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वस्तु के मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है और इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) दिल्ली दुग्ध योजना के घी और मक्खन के बिक्री मूल्य नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार संशोधित किये गए थे :—

क्र० सं०	दुग्ध उत्पाद का नाम	बिक्री मूल्य (रुपये में)	
		21.12.88 से लागू	18.3.89 से लागू
1.	घी		
	1. कि० ग्रा० (पोलीपैक)	64.00	61.00
	1. कि० ग्रा० (टीन)	68.00	65.00
	2 कि० ग्रा० (टीन)	135.00	129.00
2.	मक्खन		
	नमक युक्त		
	100 ग्रा०	6.00	वही मूल्य
	500 ग्रा०	29.00	—तदैव—
	सफेद		
	500 ग्रा०	30.00	—तदैव—

दिल्ली दुग्ध योजना के घी और मक्खन के बिक्री मूल्य उत्पादन की लागत और इसी प्रकार के उत्पादों के प्रचलित बाजार मूल्यों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं।

केरल में विश्वविद्यालयों और कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता

3980. प्रो० के० वी० थामस :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केरल के कालेजों और विश्वविद्यालयों को कितनी सहायता दी गई; और

(ख) क्या प्रदान की गई सहायता का समुचित उपयोग किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० वी० शाहो) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उक्त उल्लिखित अनुदानों के विस्तृत परीक्षित लेखे और उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, आयोग, संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किए गए पिछले अनुदानों के संबंध में किये गये खर्च की प्रगति रिपोर्टें प्राप्त होने के पश्चात् ही अनुदान की अगली किस्त जारी करता है।

विवरण

(रुपये लाखों में)

केरल में विश्वविद्यालयों के नाम	1985-86 के दौरान दिया गया अनुदान		1986-87 के दौरान दिए गए अनुदान		1987-88 के दौरान दिए गए अनुदान	
	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालयों के कालेज	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालयों के कालेज	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालयों के कालेज
कालीकट विश्वविद्यालय	36.79	0.47	9.52	55.77	64.57	34.37
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कोचीन	96.36	22.45	28.52	0.46	56.23	—
महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	—	34.49	—	50.08	—	35.33
केरल कृषि विश्वविद्यालय	—	—	—	—	—	—
केरल विश्वविद्यालय	65.20	30.02	42.49	46,72	129.54	24.68
कुल	198.35	87.43	80.53	153.03	250.34	94,38

उड़ीसा में गांवों को पक्की सड़क से जोड़ना

3981. श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में अब तक कितने गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा गया है; और

(ख) उड़ीसा राज्य के कालाहान्डी जैसे पिछड़े जिलों में सक्रिय रूप से विकास कार्य न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई

3982. श्री राज कुमार राय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में उर्दू भाषा की पढ़ाई के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उर्दू अध्यापकों के कितने पद सृजित किए गए हैं; और

(ग) कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० जाही) : (क) दिल्ली प्रशासन सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में उर्दू के शिक्षण की सुविधा प्रदान करता है बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रत्येक कक्षा में कम से कम छात्रों की संख्या 6 हो।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) पी० जी० टी० स्तर का एक पद और टी० जी० टी० के 4 पद रिक्त पड़े हुए हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए के लिए वित्तीय सहायता

3983. श्री टी०वी० चन्द्रशेखरप्पा :

श्री एस०बी० सिदनाल :

श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राष्ट्रीय सहकारी विकास (एन० सी० डी० सी०) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का वित्त-पोषण करने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता प्राप्त करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को किन-किन क्षेत्रों में स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने सूचित किया है कि उनके पास कृषि-प्रसंस्करण परियोजनाओं/खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजनाएं हैं।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

फैजाबाद बाइपास

[हिन्दी]

3985· **श्री निर्मल खत्री :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर फैजाबाद बाइपास के निर्माण-कार्य का प्रथम चरण पूरा हो गया है;

(ख) इस परियोजना के द्वितीय चरण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) इस धनराशि से किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) दूसरे चरण के लिए कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एम० वी० अनास्तासिस नामक जहाज में भारतीय चालक दल के सदस्य

[अनुवाद]

3986. **श्री सोमजीभाई डामर :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 102 और 114 के प्रावधानों और अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अन्तर्गत पनामा के एक पंजीकृत जहाज एम० वी० अनास्तासिस

में भारतीय चालक दल का कोई सदस्य नियुक्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम०वी० अनास्तासिस जहाज के चालक दल के साथ किया गया समझौता पत्तन अधिकारी/शिपिंग मास्टर के पास जमा किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या चालक दल के सभी सदस्यों को वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के प्रावधानों और अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अनुसार कार्यक्रम किया गया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) नौवहन महानिदेशक बम्बई ने चालक दल द्वारा अपने सरकारी कार्यों को पूरा करने के सम्बन्ध में की गई शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ज) एम० वी० अनास्तासिस के चालक दल को न्याय देने के लिए सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सर्वश्री एस० एम० रिबेलो और एम० आर० कार्नियेरो नामक दो भारतीय अधिकारी एम० वी० एनेस्थेसिस पर 24.10.1980 को मास्टर और चीफ आफिसर के रूप में नियुक्त हुए। एम० वी० एनेस्थेसिस पनामी ध्वज के तहत पंजीकृत है और दो भारतीय अधिकारी गैर-भारतीय करार शर्तों पर जहाज पर नियुक्त हुए। इस पर वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम की धारा 102 और 114 के उपबंध नहीं लागू होते हैं।

(ग) और (घ) उपरोक्त करार शर्तें प्रारम्भ में नौवहन मास्टर, कालीकट के पास जमा थीं किन्तु उसे यह पता लगाने के बाद वापस ले ली गई कि यह नौवहन मास्टर के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

(ङ) से (ज) प्रभावित भारतीय कर्मी सदस्यों को यह सलाह दी गई कि यह नौवहन महानिदेशक के क्षेत्राधिकार में नहीं है। प्रभावित पार्टियां उच्चतम न्यायालय के समक्ष गई जिसने 26.2.1985 को अपना अंतिम निर्णय दिया। उपरोक्त फैसले को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

"इस्को" एककों में ठेकेदारों के श्रमिक

3987. श्री नारायण चौबे :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयरन स्टील कम्पनी (इस्को) के बर्नपुर और कुल्टी स्थित कारखानों में कितने ठेका श्रमिक कार्य कर रहे हैं तथा ठेकेदार-फर्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) "इस्को" के बर्नपुर और कुलटी स्थित एककों में पृथक-पृथक, ऐसे श्रमिक किन-किन

विभागों/दुकानों में कार्यरत हैं;

(ग) इन दो एककों में कितने व्यक्तियों के फालतू होने की संभावना है;

(घ) क्या इन श्रमिकों को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरित कर दिया जाता है अथवा करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एस० फोतेदार) : (क) 27 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार "इस्को" के बर्नपुर और कुल्टी स्थित कारखानों में कार्य कर रहे ठेका श्रमिकों तथा ठेकेदार-फर्मों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

	ठेका श्रमिकों की संख्या	ठेकेदार-फर्मों की संख्या
बर्नपुर कारखाना	3732	75
कुल्टी कारखाना	792	44

(ख) जिन विभागों/शॉप्स में वे कार्य कर रहे हैं उनका ब्यौरा निम्नानुसार है :—

बर्नपुर कारखाने के विभाग/शॉप्स

1. कोक ओवन्स
2. ब्लास्ट फर्नेस
3. मेल्टिंग शाप
4. पावर इंजीनियरिंग
5. मैकेनिकल इन्जीनियरिंग
6. परमानेंट वे
7. सिविल मेंटीनेंस
8. स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग
9. ट्रैफिक
10. रॉ मेटरियल्स हैण्डलिंग
11. स्टोर्स
12. रिफ्रैक्टरी
13. इंजीनियरी एण्ड इकॉनामी
14. स्क्रैप एण्ड साल्वेज
15. ट्रेनिंग
16. कांट्रैक्ट सेल
17. केपिटल रिपेयर्स
18. लेबोरेट्री
19. स्लैग ग्रेन्युलेशन
20. शीट मिल्स
21. रोलिंग मिल्स
22. इलेक्ट्रिक मैंटीनेंस
23. प्रोजेक्ट (स्टोर्स)
24. डिस्पोजल (स्टोर्स)
25. रिफ्रैक्टरी (स्टोर्स)
26. प्रोजेक्ट

कुल्टी कारखाने के विभाग/शॉप्स

1. जनरल कास्टिंग शाप	10. मेटलर्जिकल
2. हाट मेटल फाउंड्री	11. ट्रैफिक
3. मान फेरस फाउंड्री	12. साल्वेज
4 फाउन्ड्री सर्विसेज	13. मैटीरियल्स
5. स्टील फाउन्ड्री	14. सिविल इंजीनियरिंग
6. लाइट कास्टिंग्स	15. इलैक्ट्रीकल
7. स्पन पाइप प्लांट नं० 1	16. पर्सोनल
8. स्पन पाइप प्लांट नं० 2	17. मैकेनिकल
9. स्पन पाइप प्लांट नं० 3	

(ग) अधिशेष किए जाने वाले सम्भावित ठेका-श्रमिकों की संख्या का आकलन नहीं किया गया है।

(घ) अधिशेष ठेका-श्रमिकों को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

त्रिवेन्द्रम में विश्वविद्यालय स्वायत्तता सम्बन्धी गोष्ठी

3988. श्री शांतिलाल पटेल :

श्रीमती वसवराजेश्वरी :

श्री जी० एस० वासवराजू :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम में हाल ही में विश्वविद्यालय स्वायत्तता के बारे में गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) क्या देशभर के विख्यात शिक्षाविदों ने इस गोष्ठी में भाग लिया था; और

(ग) यदि हां, तो इसमें की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) से (ग) प्रेस में कुछ रिपोर्टें छपी हैं कि त्रिवेन्द्रम नागरिक मंच द्वारा "विश्वविद्यालय स्वायत्तता और सम्बन्धित मामलों" पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था तथा कुछ प्रमुख शिक्षाविदों ने इसमें भाग लिया था। परन्तु शिक्षा विभाग को सेमिनार की कार्रवाई या सेमिनार में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत से बाहर बंकर (ईंधन टंकी) भरवाने पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा

3989. **श्री हरीश रावत :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक भारतीय नौवहन कम्पनी द्वारा भारत से बाहर बंकर (ईंधन टंकी) भरवाने पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार से विदेशी मुद्रा देश से बाहर भेजे जाने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या पश्चिम तट स्थित पत्तनों पर भारतीय बंकरों में तेल भरवाने के लिए प्रोत्साहन देने की कोई व्यवस्था की जा रही है जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में भविष्य के लिए कौन-सी योजना बनाई गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केरल में खेल परियोजनाओं की स्थापना

3990. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में केन्द्रीय सरकार की सहायता से कौन-कौन-सी खेल परियोजनाओं की स्थापना की जा रही है;

(ख) इनकी स्थापना किन-किन स्थानों पर की जा रही है और प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) क्या इनके निर्धारित समय के अन्दर पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) अपने-अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में खेलों के विकास की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केन्द्रीय सरकार की भूमिका विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देकर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने तक ही सीमित है।

केरल सहित राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर, परियोजना से परियोजना के आधार पर स्वीकार्य केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान खेल अवस्थापन के सृजन के लिए केरल सरकार की 97 (सत्तानवें) परियोजनाओं में सहायता की गई थी। स्थान, स्वीकृत केन्द्रीय सहायता की राशि और प्रत्येक मामले में दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी केरल सरकार की है। इसलिए हम यह

नहीं कह सकते कि ये निर्धारित समय के अन्दर पूरी हो जाएंगी।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	दी गई राशि
1	2	3	4
		(रुपये लाखों में)	
1.	सी० एन० स्टेडियम, त्रिवेन्द्रम	5.00	5.00
2.	सैंट मेरी हाई स्कूल में स्टेडियम, कोडीकुलम, जिला इडुक्की।	0.48	0.48
3.	अझीया पंचायत में मिनी स्टेडियम, जिला कोझीकोड	0.50	0.25
4.	पुल्लूर पेरियार पंचायत में मिनी स्टेडियम, हरीपरम, जिला कासरगोड	1.36	0.68
5.	सैंट थोमस यू० पी० हाई स्कूल में मिनी स्टेडियम केराडी, जिला पालघाट	0.48	0.48
6.	सैंट चर्च राजकीय हायर सैकेण्डरी स्कूल के लिए मिनी स्टेडियम, पुथुपाली, जिला कोटट्यम	1 82	0.91
7.	सैंट अगस्टाईन हाई स्कूल में स्टेडियम, नेल्ली कुट्टी, जिला कन्नौर	1.20	0.60
8.	सैंट चर्च हाई स्कूल में स्टेडियम, मुक्कुलम, जिला इडुक्की	1.80	0.90
9.	सैंट जोसफ हाई स्कूल में स्टेडियम, वायट्टूपरम्बा, जिला कन्नौर	0.50	0.25
10.	दीपा हाई स्कूल में स्टेडियम, कुझीथोलु, जिला इडुक्की	0.60	0.30
11.	मलोम गांव में स्टेडियम ग्राउण्ड, होसदुर्ग तालुका, जिला कासरगोड पाथनमथीट्टा	0.50	0.25
12.	एन० एस० एस० हाई स्कूल में स्टेडियम, थाडीयूर, जिला पाथनमथीटटा	0.85	0.43
13.	देवा मथ हाई स्कूल में इन्डोर स्टेडियम, पाइसाकरी, पायावूर, जिला कन्नौर	2.00	2.00

1	2	3	4
14.	माडवी प्रियादर्शिनी यू० पी० स्कूल में इन्डोर स्टेडियम, माडवी पंचायत, जिला कन्नौर	1.15	0.57
15.	श्री छेत्तुर संकरन नायर मेमोरियल ट्रस्ट में इन्डोर स्टेडियम, कन्नीपुरम, जिला पालघाट	1.60	1.60
16.	सैंट मेरी हाई स्कूल में मिनी स्टेडियम का सुधार कल्लानोड, जिला कोझीकोड़	2.50	1.25
17.	मौहम्मद अली जोहर हाई स्कूल में स्टेडियम, इलेटटे, जिला कोझीकोड	1.35	0.67
18.	सैंट सेबासटीन हाई स्कूल में स्टेडियम, नीनाडंगु, जिला इर्नाकुलम	1.40	1.40
19.	माथनगर इंग्लिश मिडियम स्कूल में खेल केन्द्र, माथनगर, जिला कोचीन	1.37	0.68
20.	खेल केन्द्र (सैंट जोसफ यू० पी० स्कूल) में मिनी स्टेडियम, कोछुथोवाला, जिला इडुक्की	1.00	0.50
21.	सैंट थोमस हाई स्कूल में खेल मैदान इराटायर, जिला इडुक्की	0.50	0.50
22.	छपरापोरडवा हाइ स्कूल में मिनी स्टेडियम छपरापडवा, जिला कन्नौर	2.60	2.60
23.	कूवापल्ली में मिनी स्टेडियम सैंट जोसफ हाई स्कूल, कूवापल्ली, जिला कोट्टयम	1.08	0.54
24.	सैंट जोसफ हाई स्कूल में खेल मैदान, रायपड नलूकाडो, जिला कोट्टयम	0.50	0.50
25.	सैंट एंथोनी हाई स्कूल में बास्केट बालकोर्ट बाड़ागारा, जिला कालीकट	0.25	0.25
26.	सैंट जौन हाई स्कूल में खेल मैदान, पुलीनाथनम, जिला ऐल्लेपी	0.50	0.50
27.	मनीयार, हाई स्कूल में खेल मैदान, मनीयार, जिला पाथनमथीटटा	0.50	0.50
28.	सैंट मेरी हाई स्कूल में खेल मैदान, अराकुलम, जिला इडुक्की	0.50	0.50

1	2	3	4
29.	सैंट सबाशन यू० पी० स्कूल में खेल मैदान, नादुमकंडम, जिला इदुक्की	0.50	0.50
30.	सैंट मेरी हाई स्कूल में खेल मैदान, टीकोय, जिला कोट्टयम	0.50	0.50
31.	राजकीय हाई स्कूल में खेल मैदान वाझापल्ली, चेंगाविहेरी, जिला कोट्टयम	0.50	0.50
32.	क्रिसेंट हाई स्कूल में खेल मैदान ओमुकुर, जिला मालापुरम	0.50	0.50
33.	विद्या भवन मंदिर में खेल मैदान और अन्य सुविधाएं, इलामकारा, जिला कोचीन	0.38	0.38
34.	विद्या भवन मंदिर में खेल मैदान और अन्य सुविधाएं, गिरीनगर, जिला इर्नाकुलम	0.18	0.18
35.	बालिकाओं के लिए अवर लेडी मर्सी हाई स्कूल के लिए खेल मैदान, पुथी कुरीची, जिला त्रिवेन्द्रम	0.50	0.50
36.	टी० वी० जोसफ मेमोरियल हाई स्कूल के लिए खेल मैदान, पिंडीमाना, जिला इर्नाकुलम	0.50	0.50
37.	सैंट अगस्टाइन हाई स्कूल में खेल मैदान कालूरकेड, जिला इर्नाकुलम	0.50	0.50
38.	पी० टी० चोको मेमोरियल हाई स्कूल में खेल मैदान, पुलीकालु, जिला कोट्टयम	0.50	0.50
39.	किलोन में इन्डोर शटल कोक कोर्ट	0.50	0.50
40.	मनीयार हाई स्कूल में तीन खेल मैदानों का निर्माण, मनीयार, जिला कन्नौर	0.50	0.25
41.	राजकीय हाई स्कूल में खेल मैदान का सुधार, कालावूर, जिला ऐल्लेपी	0.50	0·50
42.	पिनाउगोडे में वाईनोड आरफनेज हाई स्कूल में खेल मैदान, माईतील, जिला वाईनोड	0.50	0.50

1 2	3	4
43. राजकीय गनपथ हाई स्कूल में फुटबाल मैदान फिरोक, जिला कालीकट	0.50	0.50
44. बालिका बी० बी० हाई स्कूल के लिए खेल मैदान, नानगीरकुमालमारा, जिला ऐल्लेपी	0.38	0.38
45. एस०ए०बी०टी०एम० हाई स्कूल में खेल मैदान, थायानेरी, जिला कन्नौर	0.50	0.50
46. राजकीय हाई स्कूल में स्टेडियम, छित्तूर, जिला पाथनमथीटटा	5.00	5.00
47. सैंट थोमस हाई स्कूल में स्टेडियम, कारीकोट्टाकारी, जिला कन्नौर	2.40	1.20
48. बाबल उलूम हाई स्कूल में फुटबाल मैदान, थूथा, जिला मालापुरम	0.43	0.43
49. पालीकाल पंचायत में ए०एम० हाई स्कूल में खेल मैदान, जिला मालापुरम	0.50	0.50
50. करियार पंचायत, तेलीचेरी तालुक जिला कन्नौर में करियाद नेम्बियार हाई स्कूल के मैदान में लघु स्टेडियम	1.50	0.75
51. एन०ई०एस० कालेज, पुन्नानी तालुक, जिला मालापुरम में जिमनासियम सहित स्टेडियम	1.75	0.88
52. जे०जे० मर्फी हाई स्कूल वंडायर, जिला कोट्टायम में स्टेडियम	1.38	1.38
53. एस०एन० कालेज, किलान में ट्रेक का निर्माण	0.32	0.16
54. सैंट गम्मास बालिका हाई स्कूल जिला मालापुरम में बास्केटबाल, वालीबाल और शटल कोर्ट	1.12	1.12
55. सैंट मेरी हाई स्कूल परियापुरम जिला मालापुरम में स्टेडियम	2.50	1.25
56. पयोली हाई स्कूल जिला कोजीकोड में लघु स्टेडियम	2.60	1.30
57. राजकीय राष्ट्रीय हाई स्कूल कोडेकना, जिला त्रिचूर में खेल मैदान	0.50	0.50

1	2	3	4
58.	वेल्लीकुलम, कोट्टायम जिले में बास्केटबाल और वालीबाल कोर्ट	0.50	0.25
59.	सैंट सलियस्थियान हाई स्कूल, अयारकुनम जिला कोट्टयाम से संलग्न फुटबाल कोर्ट सहित लघु स्टेडियम	1.00	1.00
60.	सैंट अगस्टीना हाई स्कूल कल्लोरड, मोवाटपुरम, जिला अर्नाकुल्लम में खेल मैदान	0.50	0.50
61.	होली फेमली हाई स्कूल इन्छीनी, कोट्टयाम, जिला कोट्टयाम में खेल मैदान	0.50	0.50
62.	विमला माता हाई स्कूल कडालीक्कड, कलाकुल्लम, जिला इडुक्की के लिए खेल मैदान	0.50	0.50
63.	चीट्टरा हाई स्कूल, करीमपुझा ग्राम, जिला पालघाट के लिए खेल मैदान	0.50	0.50
64.	अराविकाड उच्च स्कूल के लिए बास्केटबाल कोर्ट जिला एलेप्पी	0.50	0.50
65.	कोलूचेरी में कालीचेरी केन्द्रीय एल०पी० स्कूल के लिए स्टेडियम, कन्नौर जिला	1.25	0.62
66.	लिटल फ्लावर कालेज के परिसर में अंतरंग स्टेडियम, त्रिचुर जिला	2.23	2.23
67.	सैंट मेरी उच्च स्कूल के लिए स्टेडियम, मैरीकुल्लम, जिला इडुक्की	1.23	0.61
68.	अदाकोपुथुर में खेल मैदान, जिला पालघाट	0.50	0.25
69.	पेरम्पादेव में बी०वी०जे०एम० उच्च स्कूल के लिए स्टेडियम, जिला कन्नौर	1.12	0.56
70.	सैंट थॉमस नगर मुकोला में मारथोम स्टेडियम का निर्माण, त्रिवेन्द्रम	3.65	3.65
71.	डॉन बास्को स्कूल में अतरंग स्टेडियम, इरिंजालाबदा, जिला त्रिचूर	5.00	5.00
72.	सैंट जोसफ उच्च स्कूल में स्टेडियम, कोदानचेरी जिला कोझीकोड़	5.00	2.50
73.	यूनीपारांबा में स्टेडियम कोयम्बतूर रोड़ जिला पालघाट	5.00	2.50

1	2	3	4
74.	मन्यार उच्च स्कूल में दो खेल मैदान, मन्यार जिला कन्नौर	4.	0.50
75.	मन्यार उच्च स्कूल में खेल मैदान, जिला पथानिमथिता	0.50	0.25
76.	त्रिचुर में अतरंग स्टेडियम	40.00	37.50
77.	जलीय परिसर, त्रिचुर	35.00	12.50
78.	इदुक्की में खेल परिसर	5.00	5.00
79.	बहुउद्देश्यीय अतरंग स्टेडियम, कोचीन	5.00	2.50
80.	अतरंग स्टेडियम, कालीकट	5.00	2.50
81.	आउटडोर स्टेडियम, कालीकट	5.00	2.50
82.	बहुउद्देश्यीय अतरंग स्टेडियम, त्रिवेन्द्रम	5.00	2.50
83.	कोथूरुथी में तरणलाल, कोचीन	5 00	2.50
84.	खेल परिसर, थिरूवाला, जिला पाथनथीला	12 88	6.44
85.	खेल मैदानों का विकास		
	(1) सैंट पीटरस कान्वैंट उच्च स्कूल कूथापलायम, जिला पालघाट (2) राजकीय उच्च स्कूल, पेची, त्रिचूर (3) राजकीय संस्कृत उच्च स्कूल, चारमंगलम एलेप्पी (4) राजकीय बाल उच्च स्कूल, हरिपद, जिला कन्नौर	1.75	0.88
86.	वाटर वर्क्स परिसर, त्रिवेन्द्रम में बहुउद्देश्यीय इन्डोर स्टेडियम	45.00	42.50
87.	त्रिवेन्द्रम में सिंथेटिक ट्रेक	50.00	50.00
88.	एल०एन०सी०पी०ई०, त्रिवेन्द्रम में बेलोड्रन	5.00	5.00
89.	खेल काम्पलेक्स, क्यूलन	5.00	5.00
90.	सैंट जैवियर उच्च स्कूल, चामनर, इडुकी में मिनी स्टेडियम	0.875	0.43750
91.	हरि श्री विद्यानिधी पंकुन्नम, जिला त्रिचूर में खेल मैदान	0.50	0.25
92.	स्क्रेड हर्ट उच्च स्कूल, अंगूडीनाडक, जिला कन्नौर में स्टेडियम	2.525	1.26250

1	2	3	4
93.	सैंट पीटरस अंग्रेजी माध्यम उच्च स्कूल, काडियारुपु, जिला एर्नाकुलम में इन्डौर स्टेडियम	5.00	2.50
94.	सैंट मेरी उच्च स्कूल, पेरियापुरम, जिला मालापुरम में स्टेडियम	2.50	2.50
95.	सैंट थोमिस उच्च स्कूल, करीमान्नोर, जिला इडुक्की में खेल मैदान	0.50	0.25
96.	पालीयोरा उच्च स्कूल, त्रिवेन्द्रम में खेल मैदान	0.50	0.25
97.	सैंट विन्सेट अंग्रेजी माध्यम उच्च स्कूल, पेलाई, जिला कोट्टायम में खेल मैदान	0.50	0.25

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा को गेहूं और चावल का आवंटन

3991 श्री चिन्तामणि जेना :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के दौरान उड़ीसा को गेहूं और चावल की कितनी-कितनी मात्रा आवंटित की गई है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष के दौरान सृजित श्रम-दिवसों की संख्या कितनी है; और

(ग) वर्ष 1989-90 के लिए नियत खाद्यान्न का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के दौरान उड़ीसा को आवंटित/रिलीज किए गए गेहूं और चावल की मात्रा नीचे दर्शायी गई है :—

खाद्यान्न	मात्रा (मीटरी टन)
चावल	7828
गेहूं	7827

(ख) जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान अब तक (फरवरी, 1989 तक) रोजगार के 123 82 लाख श्रम दिन सृजित किए गए हैं।

(ग) ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों के वितरण को अब 1.5 किलोग्राम प्रति श्रम दिन पर नियत कर दिया गया है। इस आधार पर, वर्ष 1989-90 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को 44,500 मीटरी टन खाद्यान्नों (आधा गेहूं तथा आधा चावल) का आवं-

टन मिलने की सम्भावना है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में मिनी सुपर इस्पात संयंत्र स्थापित करना

3992. श्री महेश्वर तांती :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के अनेक एककों द्वारा संयुक्त मिनी इस्पात संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव काफी समय से लम्बित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों को देरी से मंजूरी देने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) दिनांक 20 दिसम्बर, 1988 के प्रेस नोट संख्या 37 (1988 सिरीज) के अनुसार स्पंज लोहे पर आधारित संयुक्त लघु इस्पात संयंत्रों द्वारा गर्म बेल्लित स्ट्रीपों के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता बनाने के बारे में नीति की घोषणा होने के बाद, इस प्रकार की परियोजनाओं के सम्बन्ध में औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए 26 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए आवेदन-पत्र आवश्यकतानुसार पूर्ण नहीं थे। मामले प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का दौरा

3993. श्री शरद दिघे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगान के विदेश मंत्री ने मार्च, 1989 में भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अफगानिस्तान की उभरती हुई स्थिति के बारे में विस्तार के साथ विचार-विमर्श किया गया।

उड़ीसा में मुर्गीपालन

3994. श्री के० प्रधानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में मुर्गीपालन के लिए सहायता देने का विचार है;

(ख) क्या उड़ीसा में चेंगान्नूर में केन्द्रीय सरकार की हैचरियों के विकास करने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) ग्रामीण गरीबों के लाभ के लिए और पिछड़े, आदिवासी और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में महिलाओं

को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत बैकयार्ड कुक्कुट उत्पादन एककों की स्थापना के लिए 1987-88 और 1988-89 के दौरान उड़ीसा राज्य सरकार को क्रमशः 1.50 लाख रुपये और 3.775 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई थी। 1989-90 के दौरान उपर्युक्त योजना के लिए आवश्यक धनराशि को निर्मुक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षक संघों की भूमिका

3995. **डा० सुधीर राय :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत विद्यालय शिक्षक संघों के लिए निर्धारित की गई भूमिका का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसमें दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० वी० शाही) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में कहा गया है कि "शिक्षक संघों को व्यावसायिक निष्ठा को प्रोत्साहित करने में, शिक्षक की गरिमा को बढ़ाने तथा व्यावसायिक दुराचार को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक संघ शिक्षकों के लिए व्यावसायिक नीति विषयक संहिता तैयार कर सकते हैं तथा इसके अनुपालन को सुनिश्चित कर सकते हैं।"

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने शिक्षकों के लिए एक व्यावसायिक नीति विषयक संहिता तैयार करने हेतु राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक संघों की नवम्बर, 1986 में एक कार्यशाला आयोजित की तथा जनवरी, 1988 में एक सम्मेलन आयोजित किया।

स्कूलों में वैदिक गणित

3996. **डा० ए० के० पटेल :**

श्रीमती वसवराजेश्वरी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदिक गणित पर हाल ही में आयोजित एक गोलमेज वार्ता में छात्रों में गणित के प्रति रुचि पैदा करने के लिए स्कूलों में वैदिक गणित पाठ्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को पाठ्यक्रम में सूत्र और उनके प्रयोग का संबंधित पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने की सलाह दी गई है;

(ग) इस संबंध में गोलमेज बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा की गई और जो निर्णय लिए गए उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० झाही) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा 22-24 फरवरी, 1989 तक आयोजित गोलमेज चर्चा में यह सुझाव दिया गया है कि स्कूलों में छात्रों के प्रयोग के लिए कुछ सूत्रों और उनके अनुप्रयोग को संवर्धन सामग्री के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास किए जाएं। इसने यह सुझाव भी दिया है कि रा० शै० अ० एवं प्र० प० स्कूल शिक्षा में इन पहलुओं को शामिल कर सकती हैं।

(ग) और (घ) गोलमेज की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं : --

(1) वैदिक गणित में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने में रुचि रखने वाली एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उन्हें सहायता दी जानी चाहिए।

(2) प्रतिष्ठान को छात्रों के लिए सूत्रों पर पुस्तक लिखने, अध्यापकों तथा अन्य प्रयोक्ताओं को शिक्षित करने तथा गणितीय गणना की अन्य पद्धतियों के साथ तुलनात्मक अध्ययन देने वाली पुस्तक लिखने का कार्य प्रारम्भ करना चाहिए।

(3) जगद्गुरू शंकराचार्य द्वारा रचित "वैदिक गणित" नामक पुस्तक में निहित विचारों के विकास उपयुक्त संगणक साफ्टवेअर कार्यक्रमों में संगत विचारों को शामिल करने और सूत्रों के आधार पर गणितीय सूत्रों का विस्तार और विकास के लिए परियोजनाएं संस्वीकृत की जा सकती हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने अनेक प्राचीन भारतीय गणितीय प्राविधियों की उपयोगिता को स्वीकार्य कर लिया है जो छात्रों की मानसिक योग्यता को प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् विशिष्ट तंत्रों और सामग्रियों का विकास कर रहा है जिनका स्कूली परिस्थिति में प्रयोग किया जा सकता है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सम्पूर्ण कार्य-निष्पादन की जांच हेतु समिति

3997. श्री मट्टम श्रीराम मूर्ति :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सर्वांगीण कार्यकरण की जांच करने के लिए गठित की गई समिति के सदस्य कौन-कौन से हैं तथा इसके निर्देश पद क्या हैं;

(ख) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो समिति के निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सरकार द्वारा गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति की संरचना निम्नलिखित है : --

1.	श्री लवराज कुमार	अध्यक्ष
2.	श्री आर० गणपति	सदस्य

3. श्री एस० कस्तूरी सदस्य

4. श्री ए० बी० ठाकुर सदस्य सचिव
विकास सलाहकार (एस० बी० आर०)
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैं :—
समिति इनकी जांच करेगी :

1. प्रत्येक जहाज जो 1981-82 से यार्ड में निर्मित हुआ है और या जो निर्माणाधीन है, के संदर्भ में एच० एस० एल० का कार्य-निष्पादन
(बजट के मुकाबले वास्तविक)

2. प्रत्येक चरण (इस अवधि के दौरान हरेक निर्माणाधीन प्रत्येक जहाज पर) के संदर्भ में लक्ष्य के अनुसार चरणों की प्राप्ति नहीं करने के कारण तथा उनके फलस्वरूप उत्पादन लागत और माली हालत पर असर;

3. जहाजों की डिलीवरी में विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए मौजूदा उत्पादन प्रक्रिया और प्रणालियों में प्रक्षेपित क्षमता उपयोग का औचित्य या अन्यथा स्थिति असंतुलनों का, यदि कोई है, पता लगाना;

4. क्या निर्धारित सीमा से अधिक बैंकों से उधार लेना अपरिहार्य था;

5. डिजाइन, सामग्री खरीद और शॉप फ्लोर में वास्तविक उत्पादन जैसे विभिन्न उत्पादन अन्तर-चरणों के बीच किस सीमा तक योजना और समन्वय मूल शिड्यूल के अनुरूप थे। यदि नहीं, तो इन लक्ष्यों में तालमेल नहीं होने का क्या कारण है। ऐसी गलतियों के लिए किस सीमा तक प्रबंध असफल रहा है। और असफलता की जिम्मेदारी निश्चित करना;

6. समुचित क्षमता उपयोग के साथ शिपयार्ड की न्यूनतम कार्य पूंजी क्या हो; और

7. शिपयार्ड की वित्तीय कठिनाइयों को हल करने के लिए क्या दीर्घावधि उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) जी, हां।

(ग) समिति की सिफारिशों की जांच की गई है। एच० एस० एल० को उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने की सलाह दी गई है जो इसके दायरे में आती हैं। शेष सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों को लागू करना

3998. श्री सी० अंगा रेड्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई, गरीब और स्वरोजगार महिलाओं के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्था, जो कि स्वयंसेवी एजेंसियों से सम्बद्ध हो, स्थापित करने सम्बन्धी

सिफारिश को लागू करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) निर्धन और स्व-नियोजित महिलाओं के लिए एक विशिष्ट ऋण संस्था की स्थापना करने के बारे में राष्ट्रीय स्व-नियोजित महिला आयोग के प्रतिवेदन की जांच कर ली गई है। यह विचार है कि इस प्रकार का संगठन बिना किसी विस्तृत आधारभूत ढांचे के, जो दुर्वह और मंहगा होगा, पूरे देश में ऋण सुविधाओं को जरूरतमंद भारी संख्या में निर्धन और गरीब महिलाओं तक नहीं पहुंच पाएगा। अतः यह बेहतर समझा गया कि ऐसी महिलाओं की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए विशेष केन्द्र, शाखाएं आदि खोलकर मौजूदा बैंकिंग पद्धति को प्रयोजनीय और सुग्राही बनाया जाए जो महिलाओं की आवश्यकताओं के अधिक अनुरूप हो।

गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना

4000. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार ऐसे गांवों की संख्या कितनी थी जिन्हें बारहमासी सड़कों से नहीं जोड़ा गया था; और

(ख) वर्ष 1989-90 के अन्त तक कितने गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1-4-88 को 1000 और उससे अधिक आबादी वाले गांवों जिन्हें बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना है, की संख्या 36877 है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1989-90 तक 24338 गांवों को सड़को से जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

"इफको" की विस्तार योजनाएं

4001. **श्री गोपाल कृष्ण घोडा** :

श्रीमती वसवराजेश्वरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोपरेटिव लिमिटेड (इफको) की पैट्रो-रसायन के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य उर्वरक कम्पनियां प्रस्तावित पैट्रोरसायन परियोजना में पूंजी निवेश करने के लिए सहमत हो गई है; और

(घ) क्या सरकार ने विस्तार सम्बन्धी परियोजना के लिए मंजूरी दे दी है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख) जी, हां। इफको ने निम्नलिखित पेट्रोकैमिकल कम्पलैक्सों में से एक की स्थापना के लिए आवेदनपत्र दिया है :—

1. औरैया (उ०प्र०) में गैस पर आधारित पेट्रोकैमिकल परियोजना,

2. विशाखापतनम (आंध्र प्रदेश) में नेफथा पर आधारित क्रैकर कम्पलैक्स।

(ग) जी, नहीं। इफको ने इस प्रयोजन के लिए किसी अन्य उर्वरक कम्पनी से सम्पर्क स्थापित नहीं किया है।

(घ) जी, नहीं।

केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

4002. **प्रो० पराग चालिहा :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के नए भर्ती किए गए/पदोन्नत हुए प्रधानाचार्यों को नियुक्ति/स्थाई किए जाने से पूर्व एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना होता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन उनके लिए जो प्रधानाचार्यों के रूप में चुने जाते हैं, प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता पर अन्यान्य प्रेरणात्मक पाठ्यक्रम का आयोजन करता है।

(ख) प्रेरणात्मक पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित विषय शामिल हैं :—

(क) संचार निपुणताओं का विकास।

(ख) पर्यावरण सम्बन्धी जानकारी और उसके लिए चिन्ता।

(ग) प्रशासनिक तथा वित्तीय नियमावली और प्रक्रियाएं; और

(घ) स्कूल संगठन।

दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली प्राइवेट बसों में चार रुपए वाली छुटटी यात्रा टिकट का जारी न किया जाना

4003. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली प्राइवेट बसों के संचालक यात्रियों को चार रुपए वाली छुट्टी यात्रा टिकट जारी नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह टिकट प्राप्त करने के लिए यात्रियों को पहले दिल्ली परिवहन निगम की बस में सवार होना पड़ता है जिसके कारण यात्रियों को अनावश्यक असुविधा होती है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम में प्राइवेट बसों के प्रचालन के लिए किए गए प्रबन्ध के तहत प्रचालकों का चालक दल टिकटें बेचता है, सामान्य किराया वसूल करता है और अर्जित राशि अपने पास रखता है। अतिरिक्त किस्म की रियायती किराया-प्रणाली जैसे हाली डे टिकटों को प्राइवेट प्रचालकों द्वारा जारी किया जाना प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

(ग) और (घ) ऐसे महत्वपूर्ण/हैवी लोडिंग स्थानों/टर्मिनलों पर एडवांस बुकिंग कर्ता तैनात किए गए हैं जहां से इच्छुक यात्री 4 रु० का हाली डे टिकट खरीद सकते हैं। एडवांस बुकिंग कर्ता ये टिकटें एक दिन पहले तथा टिकटों की वैधता वाले दिन जारी कर सकते हैं।

फसल बीमा योजना का कार्यान्वित न किया जाना

[हिन्दी]

4004. **श्री शांति धारीवाल** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987-88 के दौरान राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में फसल बीमा योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने राजस्थान सरकार को यह योजना लागू करने के लिए निदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो राजस्थान में यह योजना कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) वर्ष 1987-88 के दौरान वृहत फसल बीमा योजना राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा में लागू नहीं की गई थी। तथापि राजस्थान ने रबी 1985-86 तथा खरीफ 1986 के मौसमों के दौरान योजना लागू की थी।

(ख) वृहत फसल बीमा योजना स्वैच्छिक प्रकार की योजना है तथा राज्य इसे लागू करने/न करने के लिए स्वतंत्र है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (ख) पर दिए गए उत्तर को ध्यान में रखकर प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान

[अनुवाद]

4005. श्री हुसैन दलवाई :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ग्रामीण विकास कार्यक्रमो के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक संस्थाओं के योगदान को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है;

(ख) इस समय इन कार्यक्रमों में शामिल स्वैच्छिक संस्थाओं की राज्य वार संख्या कितनी है; और

(ग) इस दिशा में स्वैच्छिक संस्थाओं की उपलब्धियां क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में एक पंजीकृत सोसाइटी-लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण तकनीकी विकास परिषद् (कापार्ट) एक नॉडल संगठन है जो विशिष्ट ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संस्थाओं को भाग लेने के लिए बढ़ावा देता है।

(ख) कापार्ट द्वारा वित्त-पोषित स्वैच्छिक संस्थाओं की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) कापार्ट द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को मंजूर की गई ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्वीकृत विभिन्न परियोजनायें कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। उपलब्धियां कुल मिलाकर संतोषजनक रही हैं।

विवरण

कापार्ट द्वारा वित्त-पोषित स्वैच्छिक संगठनों की राज्यवार संख्या

क्र०सं०	राज्य	स्वैच्छिक संगठनों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	96
2.	असम	31
3.	बिहार	185
4.	दिल्ली	48
5.	गुजरात	59
6.	गोवा	1
7.	हरियाणा	19

1	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	12
9.	जम्मू और कश्मीर	3
10.	कर्नाटक	55
11.	केरल	66
12.	मेघालय	3
13.	मणिपुर	63
14.	मध्य प्रदेश	47
15.	महाराष्ट्र	117
16.	मिजोरम	2
17.	नागालैंड	1
18.	उड़ीसा	75
19.	पंजाब	5
20.	पांडिचेरी	2
21.	राजस्थान	50
22.	तमिलनाडु	158
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	229
25.	पश्चिम बंगाल	175
	कुल	1,503

कर्नाटक में तकनीकी शिक्षा के लिए विश्व बैंक की सहायता

4006. श्री नरसिंह सूर्यवंशी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में तकनीकी शिक्षा के लिए विश्व बैंक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों को भी ऐसी सहायता दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत् सम्बन्धी राज्य वार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस०पी० चाकी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

इन्दिरा नामक कीटनाशी का अस्थाई पंजीकरण

4007. डा० टी० कल्पना देवी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वदेश में गैर-विषैले पौधे से विकसित किए गए इन्दिरा नामक कीटनाशी का दो वर्ष के लिए अस्थाई रूप से पंजीकरण किया था;

(ख) क्या इसका स्थाई रूप से पंजीकरण करने के बजाय पहले किया गया अस्थाई पंजीकरण भी समाप्त किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। अस्थाई पंजीकरण 27-12-1988 को समाप्त कर दिया गया था।

(ग) पंजीकरण का अस्थाई प्रमाण पत्र पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि कीटनाशी का प्रचार उन उद्देश्यों के लिए किया गया जिनके लिए उसका पंजीकरण नहीं किया गया था।

नारियल के पौधे लगाना

4008. श्री ए० चार्ल्स :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विश्व में नारियल उगाने में अग्रणी राष्ट्रों को भी पीछे छोड़ देने की दृष्टि से देश में नारियल भारी मात्रा में उगाने को प्रोत्साहन देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(ग) क्या अध्ययन से पता चला है कि देश में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन करने वाले राज्य केरल में प्रति पेड़ उत्पादन में कमी आ रही है;

(घ) क्या राज्य में नारियल के पौधों को प्रभावित करने वाली विभिन्न बीमारियों तथा नारियल उत्पादन में कमी के कारणों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा केरल में नारियल के पौधों के बचाव के लिए तत्काल क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) देश में नारियल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार नारियल विकास की कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

(ख) इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गुणवत्ता पौध रोपण सामग्री का उत्पादन तथा वितरण, नारियल के अधीन क्षेत्र में विस्तार, मौजूदा बागानों में उत्पादकता सुधार कार्यक्रम आदि जैसी विभिन्न विकास योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) उपज में कमी के लिए अभिज्ञात किए गए कारण हैं - पाम वृक्षों का जराग्रस्त होना, कीटों तथा रोगों, विशेषकर जड़ मुरझान रोग का पाया जाना, बागों की घटिया देखभाल तथा अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं। अनुसंधान परिणामों के आधार पर बीमारी को रोकने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न विकास उपाय शुरू किए गए हैं।

(च) नारियल विकास बोर्ड रोग से प्रभावित नारियल बागानों के काया-कल्प तथा उनकी पुनर्व्यवस्था के लिए केरल में 10,000 हैक्टेयर क्षेत्र में एक समेकित कृषि परियोजना कार्यान्वित कर रहा है।

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का सैनिक और हथियारों की संख्या में कमी करने के लिए प्रस्ताव

4009. **श्री कमल नाथ** :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5—11 मार्च, 1989 को कलकत्ता साप्ताहिक पत्रिका "संडे" में प्रकाशित पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का साक्षात्कार और सैनिक हथियारों की संख्या में दोनों पक्षों की ओर से कमी करने संबंधी प्रस्ताव की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार यह महसूस करती है कि ऐसे कदम उठाना भारत और पाकिस्तान दोनों के ही पारस्परिक हित में होगा जिनसे दोनों देशों के संबंधों का वातावरण सुधरे और इससे उनके रक्षा संबंधी खर्च कम हों ताकि पहले से ही अल्प उपलब्ध संसाधनों को विकास के कार्यों में लगाया जा सके।

कृषि श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान के रूप में खेसरी दाल का दिया जाना

4010. **श्री सोमनाथ रथ :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में भू-स्वामियों द्वारा खेसरी दाल का उत्पादन किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है तथा इसे श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान के रूप में दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) खेसरी दाल के रूप में मजदूरी का भुगतान किया जाना पुरानी बात हो चुकी है जबकि यह सबसे सस्ता खाद्यान्न हुआ करता था। यह प्रथा अब लगभग समाप्त हो चुकी है। इसका कारण मुख्यतया यह है कि गेहूं और चावल अब खेसरी से सस्ते हैं।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के लिए अपनाए गए मानदण्ड

4011. **श्री शिव प्रसाद साहू :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपने विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले बिहार के विभिन्न शिक्षा संस्थानों के छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से सात प्रतिशत अंक कम कर देता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का भविष्य में इस प्रथा को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० साहो) : (क) से (ग) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सीनियर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के कक्षा 12 में प्रवेश के लिए बोर्डों/संस्थाओं की अर्हक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को 1985-86 से विश्वविद्यालय की अकैडमिक परिषद द्वारा अपनाए गए सूत्र के अनुसार साधारणीकृत किया जाता है।

आन्ध्र प्रदेश में वज्रकरूर में हीरे का खनन

4012. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :**

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुरम जिले में वज्रकरूर में गत दो अथवा तीन वर्षों से खनन कार्य धीमी गति से चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एस० फोलेदार) : (क) वज्रकरूर में हीरे के लिए कोई खनन कार्य आरम्भ नहीं किया गया है, क्योंकि गवेषण परिणामों से वहां हीरे के आर्थिक रूप से उपादेय निक्षेप होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यकतानुसार तकनीकी शिक्षा

[हिन्दी]

4013. श्री बुद्धि अग्र जैन :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केवल उतने ही छात्रों को तकनीकी शिक्षा देने की सम्भाव्यता पर विचार करेगी, जितने तकनीकी विशेषज्ञों की वास्तव में आवश्यकता हो; और

(ख) क्या सरकार का तकनीकी शिक्षा के स्तर में भी सुधार करने का विचार है ताकि सभी तकनीकी स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को उनकी योग्यतानुसार रोजगार मिल सके ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एस० पी० आहो) : (क) और (ख) देश में तकनीकी शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास और इसके स्तर को बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को अ० भा० त० शि० प० अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं। अन्य बातों में परिषद, तकनीकी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण प्रारम्भ करने, सभी सम्बन्धित विषयों पर आंकड़े एकत्र करने और तकनीकी शिक्षा में अपेक्षित वृद्धि और विकास की भविष्यवाणी करने के लिए उत्तरदायी होगी। विद्यमान तकनीकी संस्थाओं में नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने या नई तकनीकी संस्था खोलने के लिए एक मुख्य दिशा-निर्देश यह है कि यह यथा अनुमानित तकनीकी जनशक्ति आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए और यथासम्भव उभरते क्षेत्रों या रोजगार की सम्भावना वाले क्षेत्रों में होनी चाहिए।

राष्ट्रीय कृषि राहत कोष की स्थापना

[अनुवाद]

4014. श्री वाई० एस० महाजन :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि राहत कोष स्थापित करने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है, जिसको स्थापित करने का वायदा गत वर्ष के बजट भाषण में किया गया था;

(ख) इसे स्थापित करने में अत्याधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा प्रस्तावित राहत कोष को शीघ्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) वित्त मंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय कृषि ऋण राहत निधि के

विवरण तैयार करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के विचार/टिप्पणियां मांगी गई हैं। प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों को रोजगार

[हिन्दी]

4015. **श्री राम प्यारे सुमन :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवारों ने अप्रैल, 1986 में दिल्ली परिवहन निगम में कंडक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया था, लेकिन उन्हें अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है;

(ख) समय-समय पर आवश्यक पद उपलब्ध होने के बावजूद इन उम्मीदवारों को नियुक्त न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन उम्मीदवारों को कब तक नियुक्त किया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) एक —अनुसूचित जाति उम्मीदवार। (ख) और (ग) दिल्ली परिवहन निगम कंडक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे उम्मीदवारों का पेनल रखता है जो सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं। तथापि, जब कभी रिक्तियां होती हैं योग्यता-क्रम के अनुसार पेनल में से उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाता है। अभी तक कंडक्टर का कोई पद रिक्त नहीं हुआ है जिस पर उन उम्मीदवारों को लाया जा सके जिन्होंने अप्रैल, 1986 में प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

बिहार में सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषणा

[अनुवाद]

4016. **डा० गौरी शंकर राजहंस :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परियोजना कब तक लागू की जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों से होने वाली दुर्घटनाएं

4017. **श्री कमल चौधरी :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 और 1988 के दौरान दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर दिल्ली परिवहन निगम की बसों से कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कितने घायल हुए; और

(ग) इन दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों तथा घायल हुए व्यक्तियों को कितनी-कितनी धनराशि का मुआवजा दिया गया ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सूचना निम्नलिखित है :—

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या			
	छोटी	बड़ी	घातक	कुल
1987	3388	179	182	3749
1988	3850	155	212	4217

(ख) सूचना निम्नलिखित है :—

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या	
	मारे गए	घायल हुए
1987	202	1632
1988	224	1588

(ग) जनवरी, 1987 से दिसम्बर, 1988 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों से हुई दुर्घटनाओं में से दिल्ली परिवहन निगम ने ऐसे 117 मामलों के सम्बन्ध में सम्बन्धित मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनलों के पास 39,08,500/-रु० की राशि जमा कराई है जिन मामलों में ट्रिब्यूनलों द्वारा अन्तरिम/अन्तिम एवार्ड पास किया गया है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए शिक्षा संहिता और लेखा संहिता का संशोधित संस्करण

4018. **श्री हेतराम :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के लिए शिक्षा संहिता और लेखा संहिता के संशोधित संस्करण तैयार हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो नए संस्करण कब तक प्रकाशित कर दिए जायेंगे;

(ग) क्या भारत सरकार के नियमों की भांति इन्हें भी केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को उपलब्ध किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस पी० आही) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालयों के लिए लेखा संहिता में के० वी० एस० द्वारा अब संशोधन कर दिया गया है और वह मुद्रणाधीन है। शिक्षा संहिता में संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) ये प्रकाशन बिक्री के लिए नहीं हैं और ये केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों के लिए उनके आन्तरिक प्रयोग के लिए हैं। ये सभी कर्मचारियों को संदर्भ के लिए उपलब्ध हैं।

मध्य प्रदेश में विभिन्न संयंत्रों की स्थापना

[हिन्दी]

4019. श्री महेन्द्र सिंह :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में स्पंज आयरन प्लांट, स्टील प्लांट तथा कम्पोजिट स्टील प्लांट की स्थापना हेतु कोई आशय-पत्र जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संयंत्रों के अब तक स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एस० कोतेदार) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए, 1986-87 से अब तक तीन आशय-पत्र जारी किए गए हैं। इनके अतिरिक्त, स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए तब से दो आशय-पत्र तथा 26 पंजीकरण जारी किए गए हैं। लघु इस्पात संयंत्र कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। स्पंज आयरन संयंत्रों के संबंध में निवेश का निर्णय उद्यमियों द्वारा उनके वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर लिया जाएगा।

कृषि क्षेत्र में चीन के साथ सहयोग

[अनुवाद]

4021. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में चीन के साथ सहयोग का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दिनांक 8 मार्च, 1989 को कृषि मंत्रालय, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और भारत के बीच परामर्श के एक ज्ञापन-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें दोनों देशों के बीच विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के द्विपक्षीय कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रस्तावों को शामिल किया गया।

(1) कृषि तथा मात्स्यिकी में शिष्टमण्डल का आदान-प्रदान।

(2) शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्षेत्र फसलों और ताजे पानी में मछली पालन पर संयुक्त अनुसंधान।

(3) डेरी अध्ययन, पशुओं के चमड़ों के उपचार, मृदा सुधार तथा रासायनिक उर्वरक उपयोग, भूमि उपयोग और प्रबंध, और अन्त:स्थलीय मछली पालन/फार्म मशीनरी में विशेषज्ञों के विशिष्ट दौरों का आदान-प्रदान।

(4) फसल के उन्नत बीजों और मुर्गी, घरेलू पशुओं और मछली के प्रजनन स्टाक का आदान-प्रदान।

केरल में नवोदय विद्यालय

4022. श्री टी० बशीर :

श्री के० मोहनदास :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में स्थापित नवोदय विद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक विद्यालय में प्रतिवर्ष कितने विद्यार्थियों को दाखिल किया जाता है और क्या इस संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) प्रत्येक विद्यालय में कितने अध्यापक और कितने विद्यार्थी हैं;

(घ) प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केरल में स्थापित किए जाने वाले विद्यालयों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) केरल में निम्नलिखित स्थानों पर अब तक 10 नवोदय विद्यालय स्थापित किए गये हैं :—

1. पेनावू, जिला इदुक्की
2. मन्नाडीसले, जिला पठानाम्थीट्टा
3. पेरिया, जिला कसरगोड़
4. नेरियामंगलम, जिला एर्नाकुलम
5. भागवतपादपुरी, जिला कन्नानोर

6. पाइपद, पल्लीकाचीरा, जिला कोट्टायम

7. पालायद, बादागारा, जिला कालीकट

8. मयन्नूर, जिला त्रिचूर

9. अगाली, जिला पालघाट

10. उरकाम (मेलमूरी) जिला मल्लापुरम

(ख) नवोदय विद्यालय योजना में यह परिकल्पना की गई है कि नवोदय विद्यालय में केवल कक्षा VI स्तर की कक्षा पर ही दाखिला होगा और साधारणत: प्रति कक्षा में अधिकतम 40 छात्रों वाली दो कक्षाएं होंगी । प्रत्येक स्कूल में दाखिल किए गए छात्रों की संख्या संलग्न अनुबंध में दर्शाई गई है । इस समय नवोदय विद्यालयों में दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ङ) वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए नए नवोदय विद्यालयों की स्थापना के लिए इस कार्यक्रम को धीमा करने का निर्णय लिया गया है। अत: वाइनड तथा किलौन जिलों में नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए केरल राज्य सरकार के प्रस्तावों को निलम्बित कर दिया गया है ।

विवरण

क्रम सं०	ऐसे जिले जहां नवोदय विद्यालय स्थित हैं	छात्रों की कुल संख्या	कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या	शिक्षण कर्मचारियों के रिक्त पदों की संख्या
*1.	इडुक्की	219	12	1
*2.	पथानम्थीट्टा	214	11	2
*3.	कसारगोड़	219	11	2
*4.	एर्नाकुलम	209	11	2
**5.	कन्नानोर	151	9	1
**6.	कोट्टायम	146	8	2
**7.	कालीकट	153	8	2
***8.	त्रिचुर	79	6	2
***9.	पालघाट	80	6	2
***10.	मल्लापुरम	80	7	1

* वर्ष 1986-87 में आरम्भ किए गए नवोदय विद्यालय ।

** वर्ष 1987-88 में आरम्भ किए गए नवोदय विद्यालय ।

*** वर्ष 1988-89 में आरम्भ किए गए नवोदय विद्यालय ।

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के आश्रितों का विदेशी कम्पनी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना

4023. **श्री राम स्वरूप राम :**

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नियुक्त भारतीय विदेश सेवा के किसी अधिकारी की पत्नी अथवा कोई अन्य आश्रित व्यक्ति विदेशी कम्पनी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है और उसके उत्पादों को विशेषकर भारत सरकार के उपक्रम को बेच सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे मामलों में सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है;

(ग) इस प्रकार के कितने प्रतिनिधित्वों में सरकार की अनुमति प्राप्त की गई है;

(घ) सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार नियंत्रण रखती है कि ऐसे मामलों में सरकारी पद का दुरुपयोग न किया जाए और विदेशी कम्पनियों को संवेदनशील सूचनाएं न दी जाएं;

(ङ) क्या इन मामलों में सरकार की जानकारी में कोई अनियमितताएं आई हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में की गई जांच से क्या परिणाम निकला ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकारी कर्मचारी के पति-पत्नी/आश्रित को किसी विदेशी फर्म में सरकार की अनुमति से प्रतिनिधि के रूप में नियोजित किया जा सकता है और वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्पर्क रख सकते हैं।

(ग) अभी तक ऐसी कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

(घ) ऐसी अनुमति तभी प्रदान की जाती है जबकि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी का वैदेशिक वाणिज्यिक संगठन अथवा यहां तक कि ऐसे देश के साथ कोई राजकीय लेन-देन नहीं होता जहां वह संगठन आधारित है।

(ङ) इस सम्बन्ध में कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा युवा शिविरों का आयोजन

4024. **श्रीमती डी० के० भंडारी :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण लिमिटेड ने पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं को खेलों में प्रशिक्षित करने के लिए अपनी राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987 और 1988 में शिविर आयोजित किए थे;

(ख) यदि हां, तो इन शिविरों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रशिक्षित किए गए सिक्किम के युवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1989 और 1990 में ऐसे और शिविर आयोजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन०एस०टी०सी०) योजना के अन्तर्गत देश भर से (पहाड़ी क्षेत्रों सहित) युवा लड़के और लड़कियों (9 से 12 वर्ष की आयु) का पता लगाता है, ताकि उन्हें आने वाले समय में खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षित किया जा सके। वर्ष 1986 से गहन प्रशिक्षण के लिए ग्रीष्म और शरद अवकाश के दौरान ऐसे लड़के और लड़कियों के लिए शिविर आयोजित किये जाते हैं ताकि उनके शरीर विज्ञान की स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके उनमें टीम भावना विकसित की जा सके और उन्हें प्रतियोगी खेलों में भाग लेने के लिए तैयार किया जा सके।

(ख) सिक्किम के पांच एन०एस०टी०सी० लड़के/लड़कियों ने वर्ष 1988 में इन शिविरों में भाग लिया था।

(ग) सिक्किम से 9 लड़के/लड़कियां वर्ष 1989 में इन शिविरों में भाग लेंगे। विभाग का वर्ष 1990 में भी ऐसे शिविर आयोजित करने का प्रस्ताव है।

(घ) वर्ष 1989 की ग्रीष्म छुट्टियों के दौरान शिविर 10 खेल विषयों में देहरादून (उत्तर प्रदेश), चण्डीगढ़, राई (हरियाणा), पंचगानी (महाराष्ट्र), कुर्सियांग (पश्चिम बंगाल) वल्लभ विद्यानगर (गुजरात), बंगलौर और मैसूर (कर्नाटक) में आयोजित किए जायेंगे।

खाद्य तेलों का नौवहन

4025. **श्री राम पूजन पटेल** :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोत पर्यन्त शुल्क आधार पर आवश्यक खाद्य तेलों की खरीद की शर्तों को अंतिम रूप देने के मामले में "ट्रांसचार्ट" की क्या भूमिका है;

(ख) राज्य व्यापार निगम ने पोत पर्यन्त शुल्क खरीद की शर्तों के सम्बन्ध में ट्रांसचार्ट और सप्लायरों के साथ कितनी बार बातचीत की है;

(ग) पोत पर्यन्त शुल्क आधार पर खाद्य तेलों की ढुलाई के लिये स्थान की समुचित व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) खाद्य तेलों की ढुलाई में कितने भारतीय जहाज लगे हैं और विदेशी जहाजों की तुलना में उनकी संख्या कितनी है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 1979-80 से खाद्य तेल का एफ०ओ०बी० आधार पर कोई आयात नहीं किया गया और इसलिए उसके बाद से खरीद की शर्तों को अंतिम रूप देने में "ट्रांसचार्ट" की कोई भूमिका नहीं रही थी।

(ख) एफ०ओ०बी० आधार पर खरीद के बारे में ट्रांसचार्ट और एस०टी०सी० तथा संबंधित

विभागों के बीच नियमित रूप से पत्राचार और विचार-विमर्श होता रहा है। उसके बाद एस०टी०सी० ने सप्लायरों के साथ विचार-विमर्श किया और दिसम्बर 1988 में जल-भूतल परिवहन मंत्रालय को यह सूचित किया कि वे सप्लायरों को यह सूचित करते रहे थे कि इसके बाद से न्यूट्रलाइज्ड पाम ऑयल और रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज्ड पाम ऑयल का पूरा आयात सिर्फ एफ०ओ०बी० आधार पर ही होगा।

(ग) चूंकि एफ०ओ०बी० आधार पर कोई खरीद नहीं हो रही है, इसलिए पर्याप्त कार्गो स्थान बनाने का प्रश्न नहीं होता।

(घ) ऐसे दस भारतीय टैंकर हैं जिन्हें सामान्यत: मलेशिया से खाद्य तेल की ढुलाई के लिए लगाया जाता है। ये जहाज गैर भारतीय जहाजों की तुलना में अनुकूल हैं।

सहकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्र स्थापित करना

4026. **श्री मोहन भाई पटेल :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सहकारी क्षेत्र में कुछ और उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कितने तथा ये संयंत्र देश में कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख) इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि० (इफको) द्वारा आंवला, उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित 1350/2200 टन प्रति दिन अमोनिया यूरिया संयंत्र की क्षमता को दुगना करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

सिविल और सैन्य क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय

4027. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान सिविल और सैन्य क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वर्षवार खोले गये जिलावार स्थानों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान और अधिक विद्यालय खोले जाएंगे और जिलावार चुने गए स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या राज्य सरकारों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/अन्य एजेंसियों से प्राप्त कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एस० पी० आहो) : (क) सातवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में खोले गए केन्द्रीय विद्यालय इस प्रकार हैं :—

वर्ष	क्षेत्र		
	रक्षा	सिविल	उच्चतर शिक्षण की परियोजना संस्था
1985-86	26	06	09
1986-87	32	49	14
1987-88	17	30	05
1988-89	13	18	11
	88	103	39

वर्ष 1985-86 से 1988-89 के दौरान खोले गए स्कूलों के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान नये केन्द्रीय विद्यालयों के खोलने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) विभिन्न प्रायोगिक एजेंसियों से 48 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इनके सम्बन्ध में निर्णय नये स्कूलों को खोलने के लिए निर्णय करते समय लिया जाएगा जैसा कि प्रत्येक वर्ष जून के आस-पास लिया जाता है जब ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते हैं।

विवरण

वर्ष 1985-86 से वर्ष 1988-89 तक की अवधि के दौरान खोले गए केन्द्रीय विद्यालयों के राज्यवार ब्यौरे

क्र० सं०	राज्य का नाम	1985-86 के दौरान खोले गए केन्द्रीय विद्यालय	1986-87 के दौरान खोले गए केन्द्रीय विद्यालय	1987-88 के दौरान खोले गए केन्द्रीय विद्यालय	1988-89 के दौरान खोले गए केन्द्रीय विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	6	3	2
2.	असम	2	8	2	4
3.	बिहार	2	5	4	6
4.	गुजरात	2	2	3	2
5.	दिल्ली	3	1	1	1
6.	हरियाणा	—	2	5	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	4	—	1
8.	जम्मू एवं कश्मीर	3	3	3	1

1	2	3	4	5	6
9.	कर्नाटक	—	4	—	1
10.	केरल	—	4	—	1
11.	मध्य प्रदेश	6	12	2	6
12.	मेघालय	1	1	—	1
13.	महाराष्ट्र	3	1	3	4
14.	मणिपुर	—	2	—	—
15.	नागालैंड	—	—	1	—
16.	उड़ीसा	—	1	3	1
17.	पंजाब	6	5	4	—
18.	पांडिचेरी	—	1	—	—
19.	राजस्थान	2	7	4	1
20.	तमिलनाडु	2	1	1	—
21.	उत्तर प्रदेश	5	13	9	7
22.	पश्चिम बंगाल	2	10	3	2
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	1	—	—
24.	गोवा	—	1	—	1
	भारत से बाहर				
25.	मास्को (यू० एस० एस० आर०)	—	—	1	—

पश्चिम बंगाल को आयातित शुष्क चूर्ण तथा बटर आयल की सप्लाई

4028. **श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य डेरी विकास बोर्ड ने कलकत्ता शहर तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में सामान्य सप्लाई बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से आयातित शुष्क चूर्ण और बटर आयल की आपातकालीन सप्लाई का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि तथा सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) समय-समय पर ग्रेटर कलकत्ता दुग्ध योजना द्वारा दी गई आवश्यकताओं प्रक्षेपणों और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के पास जिन्सों की उपलब्धि के आधार पर बोर्ड ने वर्ष 1988-89 (दिसम्बर, 1988 तक) के दौरान ग्रेटर कलकत्ता दुग्ध योजना को 2760 मी० टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण और 151 मी० टन बटर आयल की सप्लाई की।

पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड का संचयी घाटा

4029. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त उद्यम पारादीप फास्फेट लिमिटेड में भारत तथा नारू ने कितनी-कितनी पूंजी लगाई है;

(ख) इस यूनिट के चालू होने के समय से अब तक कुल मिलाकर कितना घाटा हुआ है;

(ग) घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) विशेष रूप से अधिक प्रशासनिक खर्च तथा कम बिक्री के कारण होने वाले घाटे में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) पारादीप फास्फेट्स लि० में भारत सरकार तथा नौरू सरकार की साम्य पूंजी क्रमशः 61.20 करोड़ रुपये तथा 58.80 करोड़ रुपये है।

(ख) 31-3-1988 की स्थिति के अनुसार संचित हानियां 10.90 करोड़ रुपये बैठती है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 31-1-1989 तक कम्पनी ने 2.74 करोड़ रुपये का लाभ हासिल किया।

(ग) और (घ) प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण डी० ए० पी० की कम उठान, बैगनों की कमी तथा आयातित फास्फोरिक एसिड की कमी के कारण उत्पादन में बाधा हानियों के कारण थे। फास्फोरिक एसिड के कैपटिव उत्पादन के लिए सुविधाओं के अक्टूबर, 1989 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। अबाध उत्पादन तथा डी० ए० पी० की उच्चतर उठान से कम्पनी के वित्तीय निष्पादन में सुधार होगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से भण्डार तथा मदों/सामग्री की खरीद

4030. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपयार्ड्स और पत्तन न्यास स्टोर-मदों/सामग्री की खरीद सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से, जब कभी इन उपक्रमों द्वारा उन्हें उक्त सामग्री की पेशकश की जाती है अथवा उपलब्ध कराई जाती है, कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों द्वारा की गई पेशकश पर कोई मूल्य वरीयता दी जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में, जब भी उपलब्ध हो, स्टोर सामग्री खरीदने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) नियमों के तहत यथा अनुज्ञेय सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों से स्टोर्स खरीदने के प्रयास किए जाते हैं।

(ख) भारत सरकार के अधीनस्थ शिपयार्ड, सार्वजनिक क्षेत्रीय यूनिटों को मूल्य में तरहीज देते हैं। तथापि, पोर्ट ट्रस्ट (विशाखापत्तनम को छोड़कर) ऐसा नहीं करते।

(ग) पोर्ट ट्रस्ट प्रतियोगी आधार पर अपनी खरीद करते हैं।

(घ) स्टोर्स की खरीद का यथोचित प्रचार किया जाता है और सार्वजनिक क्षेत्रीय निगमों और पोर्ट ट्रस्टों की कीमत, गुणवत्ता, डिलीवरी शिड्यूल आदि पर यथोचित ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इन अवधारणाओं की शर्त पर सार्वजनिक क्षेत्रीय यूनिटों से खरीद करने में कोई बाधा नहीं है।

गैर-औपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए राज्यों से अनुरोध

4031. श्री अतीश चन्द्र सिन्हा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गैर-औपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में विभिन्न संगठनों से आवेदन प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या राज्यों की तरफ से विलम्ब के कारण इन आवेदनों का निपटान करने में विलम्ब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) और (ख) जी, हां। इस मन्त्रालय को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवेदन-पत्रों की अग्रिम प्रतियों सहित प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या निम्नलिखित है :—

राज्य का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या
बिहार	58
पश्चिम बंगाल	60

(ग) और (घ) बिहार में राज्य सरकार की सिफारिशों के लिए तीन माह से अधिक 7 आवेदन पत्र और छः माह से अधिक 33 आवेदन पत्र लम्बित पड़े हुए हैं। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की सिफारिशों के लिए तीन माह से अधिक पांच तथा छः माह से अधिक 31 आवेदन पत्र लम्बित पड़े हुए हैं।

इस मामले में राज्य सरकारों के दृष्टिकोणों को तत्काल प्राप्त करने के लिए उनके साथ पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

बिहार में प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों के प्रस्तावों को संस्वीकृत करने और उन पर विचार करने के लिए हाल ही में केन्द्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों सहित एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है।

कोचीन शिपयार्ड के पास शिपिंग-कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के पोत निर्माण आदेश

4032. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया ने पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न बल्क कैरियरों (पोतों) के निर्माण के लिए कोचीन शिपयार्ड को निर्माण-आदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह शिपयार्ड इन पोतों का निर्माण अनुबंधित समय-सीमा में पूरा कर पा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त निर्माण-आदेशों को जल्द पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड के लिए विदेशी सहायता

4033. **श्री एन० डेनिस :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड का विदेशी सहयोग से अपने कार्य का विस्तार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एम० एफ० एल०) ने अपने अमोनिया, यूरिया और एन० पी० के संयंत्रों का सम्पूर्ण सर्वेक्षण करने के लिए विदेशी सलाहकार नियुक्त किए हैं ताकि उनकी अधिक आयु को बढ़ाने

तथा उच्चतर क्षमता उपयोगिता एवं दक्षता प्राप्ति की सम्भावनाओं का पता लगाया जा सके। एम० एफ० एल० का अपने वर्तमान संयंत्रों के प्रतिस्थापन में नये अमोनिया और यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का भी प्रस्ताव है।

उर्वरकों के निरन्तर उपयोग से भूमि की उर्वरता में कमी आना

4034. श्री एन० डेनिस :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में उर्वरकों के निरन्तर उपयोग से कृषि भूमि पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उर्वरकों के उपयोग से भूमि की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति कम होती जाती है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की विभिन्न अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं (ए०आई०सी०आर०पी०) के अन्तर्गत उर्वरकों के मिट्टी और फसल की पैदावार पर पड़ने वाले कम समय के और लम्बे समय के प्रभावों के बारे में जांच की गई है। इस प्रायोजनाओं के नाम नीचे लिखे हैं—(1) सस्य वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना (2) लम्बे समय के उर्वरक परीक्षण (3) मिट्टी का परीक्षण-फसल पर प्रभाव और विभिन्न केन्द्रीय फसल संस्थान। सन् 1966-67 की हरित क्रांति की शुरूआत के दौरान इस मामले में अनुसंधान का काम शुरू किया गया था। इससे पता चला है कि जितनी मात्रा में इस समय उर्वरकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उतनी ही मात्रा में उनके लगातार इस्तेमाल से फसल की उत्पादकता और क्वालिटी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। उर्वरकों का अनुकूल मात्रा में प्रयोग करने से मिट्टी में जैव बायोमास बढ़ जाता है और इसके अपघटन (डीकाम्पोजीशन) से मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्म जैविक गुणों में बढ़ोतरी होती है। सघन खेती वाले इलाकों में उर्वरकों का संतुलित प्रयोग बहुत जरूरी है, ताकि मिट्टी के पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाया जा सके और इस तरह मिट्टी में जरूरी पोषक तत्वों की कमी के कारण उपज में कमी न आने पाये इस सम्बन्ध में किये गये अनुसंधान से यह भी पता चला है कि समेकित पोषकों अकार्बनिक कार्बनिक और जैव उर्वरकों के प्रयोग की भी जरूरत है, जिससे कि मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखा जा सके।

(ग) जी नहीं।

(घ) सुधरे पोषक तत्व प्रबंध सम्बन्धी प्रक्रियाओं की सिफारिश की जा रही है, ताकि किसान उन्हें अपना सकें।

विदेशी कम्पनियों को भारत निर्मित सस्त्र नौकाओं को पट्टे पर देना

4035. श्री एन० डेनिस :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशी कम्पनियों को भारतीय समुद्र तट पर मछली पकड़ने हेतु भारत में निर्मित अपनी मत्स्य नौकाओं को पट्टे पर दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं, भारतीय समुद्र तट पर मछली पकड़ने के लिए किसी विदेशी को भारतीय मत्स्य नौकाएं पट्टे पर देने के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सेलम इस्पात संयंत्र द्वारा इस्पात का उत्पादन

4036· श्री एन० डेनिस :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम इस्पात संयंत्र स्वदेशी स्टेनलेस स्टील प्लेटों का उत्पादन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कुल कितना उत्पादन किया गया ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान स्टेनलेस स्टील प्लेटों के उत्पादन की मात्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	उत्पादन (टनों में)
1986-87	267
1987-88	1166

वर्ष 1988-89 में फरवरी, 1989 तक, स्टेनलेस स्टील का 2107 टन उत्पादन हुआ।

चीन और भारत के बीच शिक्षार्थियों (स्कालर्स) का आदान-प्रदान

4037. श्री परसराम भारद्वाज :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के अनेक विश्वविद्यालयों में "चीनी भवन" में शोध करने के लिए अपने शिक्षकों तथा छात्रों को विश्व भारतीय विश्वविद्यालय भेजने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन और भारत के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों के बारे में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दोनों देशों के बीच नियमित शिक्षार्थी (स्कालर्स) आदान-प्रदान कार्यक्रम तैयार करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस०पी० चाही) : (क) विश्वभारती को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) भारत सरकार और चीन की लोक गणराज्य सरकार के बीच एक सांस्कृतिक करार पर 28-5-88 को 5 वर्ष की अवधि के लिए हस्ताक्षर हुए थे। इसके अनुसरण में भारत तथा चीन ने 27-12-88 को 1988 90 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किये हैं। इस कार्यक्रम में दोनों देशों के बीच अध्येताओं, शिक्षाविदों के आदान-प्रदान की व्यवस्था शामिल है।

नौवहन कम्पनियों द्वारा पोतों का स्वामित्व

4038. **श्री परसराम भारद्वाज :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1989 तक सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की नौवहन (शिपिंग) कम्पनियों द्वारा यात्री और माल (कारगो) पोतों के स्वामित्व का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : 1-3-1989 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टर की नौवहन कंपनियों के स्वामित्व वाले यात्री और कार्गो दोनों ही तरह के जहाजों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

स्वामित्व

जहाज की किस्म	सार्वजनिक क्षेत्र		प्राइवेट क्षेत्र	
	जहाजों की संख्या	डी डब्ल्यू टी	जहाजों की संख्या	डी डब्ल्यू टी
यात्री	6	10012	—	—
कार्गो	161	5018111	204	4303557

मध्य प्रदेश के केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों और अध्यापकों का प्रतिशत

[हिन्दी]

4039. **श्री परसराम भारद्वाज :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों और अध्यापकों का प्रतिशत क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : 30-4-1988 की यथा स्थिति के अनुसार सूचना निम्नलिखित है :—

	छात्र	अध्यापक
अनुसूचित जाति	8.9%	5.77%
अनुसूचित जनजाति	2.92%	0.48%

परमाणु हथियारों के सत्यापन के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की स्थापना

[अनुवाद]

4040. डा० दिग्विजय सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पूरे विश्व में परमाणु हथियारों के सत्यापन के लिए संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत एक विशेष एजेंसी स्थापित करने हेतु क्या पहल की है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को कार्यरूप में परिणित करने की तैयारी और इसके लिए वित्तीय व्यवस्था कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की एजेंसी में भारत की क्या भूमिका है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) न्यूयार्क में मई-जून, 1988 में संपन्न संयुक्त राष्ट्र महासभा के निरस्त्रीकरण संबंधी तीसरे विशेष अधिवेशन में भारत ने नाभिकीय अस्त्र मुक्त और हिंसामुक्त विश्व व्यवस्था में प्रवेश करने की जो कार्ययोजना प्रस्तुत की थी उसमें संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में समेकित बहुपक्षीय साक्ष्यांकन व्यवस्था का प्रस्ताव है जो निरस्त्रीकरण और नाभिकीय अस्त्र मुक्त विश्व के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान शांति और सुरक्षा का सुनिश्चय करने के लिए एक सुदृढ़ बहुपक्षीय रूपरेखा के अभिन्न अंग के रूप में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के निरस्त्रीकरण संबंधी इस तीसरे विशेष अधिवेशन में इस प्रस्ताव पर यद्यपि कोई सहमति नहीं हुई थी, तथापि, पिछले वर्ष सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र महासभा के 43वें अधिवेशन में साक्ष्यांकन के सम्बन्ध में एक मध्यमार्गी प्रस्ताव स्वीकार किया गया था जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव साक्ष्यांकन पर अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन करेंगे। जिन प्रस्तावों का अध्ययन किया जाना है उनमें अन्य बातों के साथ समेकित बहुपक्षीय साक्ष्यांकन व्यवस्था का अध्ययन भी शामिल है। भारत को भी इस दल में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में जूनियर प्रोजेक्ट फैलोशिप

4041. श्री संतोष कुमार सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के जूनियर प्रोजेक्ट फैलोशिप की राशि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जाने वाली जूनियर रिसर्च फैलोशिप की राशि के बराबर थी;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जूनियर रिसर्च फैलोशिप की राशि 800/-रुपए से बढ़ाकर 1800/-रुपए कर दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस परिषद् ने भी फैलोशिप की राशि बढ़ाई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस धनराशि में वृद्धि कब तक की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस०पी० शाही) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) जूनियर परियोजना फैलो के संबंध में शिक्षावृत्ति में 1-3-1989 से 800/-रुपये (समेकित) से बढ़ाकर 1800/-रुपये (समेकित) कर दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गांवों को अपनाना

4042. **श्री परसराम भारद्वाज :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को दिन का मुफ्त खाना और वर्दी उपलब्ध कराने के लिए गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की मदद लेने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में योजना का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस०पी० (शाही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण

4043. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने विशेष श्रेणी के राज्यों में खनिजों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान ऐसा कोई सर्वेक्षण किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी हां। खनिज सर्वेक्षण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा ये सर्वेक्षण भारतीय भू-सर्वेक्षण सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक विशेष श्रेणी राज्यों में कर रहा है।

(ख) और (ग) खोजों से ज्ञात राज्यवार प्राप्तिस्थल/भंडार आकलन इस प्रकार हैं :— मेघालय में 0.123 मिलियन टन सिलिमेनाइट-धारी चट्टानें; 1.12 मिलियन टन बाक्साइट, 5.7 मि० टन फास्फेट, 7.0 मि० टन क्ले/लिग्नोमार्ल; असम तथा मेघालय में 11.147 मि० टन कोयला, अरुणाचल प्रदेश में 13.55 मि० टन लाइमस्टोन; जम्मू व कश्मीर में 4.0 मि० टन सीमेंट ग्रेड चूना

पत्थर, तथा हिमाचल प्रदेश में 0.20 मि० टन बैराइट। जम्मू तथा हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पट्टी में 0.1 ग्राम प्रति टन के सीमित मूल्य के सीमित स्वर्ण भंडार भी पाये गए हैं।

खनिज सर्वेक्षण की कुछ चालू व कुछ नई क्रियाएं 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में जारी रहेंगी या शुरू की जाएंगी।

भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक द्वारा गर्म जाकेटों की खरीद में अनियमितताएं।

[हिन्दी]

4044. श्री काली प्रसाद पांडेय :

क्या खनि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक ने 13.50 लाख रुपये मूल्य की गर्म जाकेट खरीदी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सिन्दरी एकक के कर्मचारियों को ये जाकेट अभी तक सप्लाई नहीं की गई है और इन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं पाया गया और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच करने के बाद कुछ अधिकारियों को दोषी पाया था; और

(ग) यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खनि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ०सी०आई०) ने सूचित किया है कि 4768 ऊनी जैकेटों में से, 497 जैकेट सिन्दरी एकक के कर्मचारियों को जारी किए गए हैं। चूंकि जैकेटें विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं थी, इसलिए सी०बी०आई० की धनबाद शाखा ने फरवरी, 1987 में एक मामला दर्ज किया और जुलाई, 1988 में अपनी रिपोर्ट दी। सी०बी०आई० की सिफारिशों के अनुसार 8 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के पूर्ण होने के पश्चात आगे की कार्यवाही की जाएगी।

लम्बरदारों के वेतनमानों में वृद्धि की मांग

4045. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या खनि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त किए गए लम्बरदार (हैडमैन) लम्बे समय से अपने वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं;

(ख) इस समय दिए जा रहे वेतन कब निर्धारित किए गए थे;

(ग) क्या सरकार का वेतन में वृद्धि करने की उनकी मांगों पर विचार करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अन्नादेव पुजारी) : (क) से (ङ) लम्बरदारों को कोई तनख्वाह नहीं दी जाती है बल्कि उन्हें उनके द्वारा एकत्र किए जाने वाले भूमि राजस्व का 5 प्रतिशत भाग दिया जाता है। मेहनताने की यह प्रणाली भू-राजस्व नियम, 1909 के अन्तर्गत वर्ष 1922 के दौरान तय की गई थी। पिछले कुछ समय से लम्बरदारों की यूनियन, उन्हें दिए जा रहे मेहनताने में वृद्धि के लिए अभ्यावेदन कर रही है। लम्बरदारों की वर्तमान संस्था को सुदृढ़ करने और उनकी मांगों पर विचार करने हेतु पंजाब की राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय सरकारी समिति गठित की है। राज्य सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि मामले को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

धातु विज्ञान के सम्बन्ध में तमिलनाडु में आधुनिक अनुसंधान केन्द्र

[अनुवाद]

4046. डा० पी० बल्लल पेरुमल :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धातु विज्ञान तथा स्टेनलैस स्टील उत्पादन प्रक्रिया के लिए तमिलनाडु में एक आधुनिक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा केन्द्र विदेशी सहयोग से स्थापित करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एस० ओबेदार) : (क) और (ख) इस्पात विभाग में इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बंगलौर स्थित विवेकानन्द केन्द्र को वित्तीय सहायता

4047. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य समाज कल्याण बोर्ड ने "ऋण" के तीन एकक चलाने के लिए बंगलौर स्थित विवेकानन्द केन्द्र को वित्तीय सहायता स्वीकृत करने हेतु केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशें कब भेजी गईं;

(ग) विवेकानन्द केन्द्र को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) उक्त केन्द्र को कितनी वित्तीय सहायता राशि मंजूर की गई है अथवा मंजूर किए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) जी, हां। सिफारिश सितम्बर, 1988 में भेजी गई थी।

(ग) और (घ) सिफारिश पर अमल किया गया है और 2 शिशु-गृहों के लिए वर्ष 1988-89 के लिए संगठन को स्वीकृत धनराशि 10,102/- रुपये है।

बर्मा सरकार के पास लम्बित पड़े मुआवजा के मामले

4048. श्री बृज मोहन महंती :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीयों के जायदाद के मुआवजा के कितने मामले बर्मा सरकार के पास जो कि उस सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत कर दी गई है; निपटान हेतु लम्बित पड़े हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बर्मा सरकार के पास मुआवजे के लिए उन भारतीयों के जो बर्मा छोड़ गए हैं। 2,891 आवेदन विचाराधीन हैं।

मत्स्य पालन के केन्द्र स्थापित करना

4049. श्री ई० अय्यपू रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र उद्योग विकास संगठन का कोलेरू झील में मत्स्य पालन विकास के लिए एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कीटनाशक नियन्त्रण निकाय तथा राष्ट्रीय कीटनाशक सूचना एकक की स्थापना

4050. श्री पी० आर० कुमारमंगलम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्वास्थ्य एसोसिएशन द्वारा दिल्ली में आयोजित की गई राष्ट्रीय संगोष्ठी में एक राष्ट्रीय कीटनाशक नियन्त्रण निकाय तथा राष्ट्रीय कीटनाशक सूचना एकक स्थापित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) यह सूचित किया गया है कि भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एसोसिएशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में एक राष्ट्रीय कीटनाशक विषाक्त नियन्त्रण निकाय तथा राष्ट्रीय कीटनाशक सूचना सेल स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान

[हिन्दी]

4051. **श्री चन्द्र किशोर पाठक :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान बिहार में इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत कितने मकान निर्मित किए गए और इनमें से कितने मकान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आवंटित किए गए; और

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान कितने मकानों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 1988 तक बिहार में 9939 मकान निर्मित/आवंटित किए जाने की सूचना मिली है। चूंकि योजना के अन्तर्गत लाभार्थी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग तथा मुक्त बंधुआ मजदूर हैं, अत: निर्मित किए गए सभी मकान केवल इन्हीं वर्गों को ही आवंटित किए गए हैं।

(ख) राज्य को योजना के अन्तर्गत 1988-89 के दौरान आवंटित की गई निधियों से वर्ष के दौरान 19,327 मकानों का निर्माण किया जा सकता है। राज्य में 1989-90 के दौरान निर्मित किए जाने वाले मकानों की संख्या, योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के दौरान निर्मित किए गए मकानों के बराबर होने की आशा है।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड में तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती

[अनुवाद]

4052. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड में शीर्षस्थ पद पर ताँबा खनन के तकनीकी विशेषज्ञ के स्थान पर वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ को नियुक्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसी उद्योग से ही किसी योग्य तकनीकी विशेषज्ञों को खोजने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एस० ओतेदार) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के जनवरी, 1989 में खाली हुए अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक पद को भरने के लिए, विहित प्रक्रिया के अनुसार, सरकारी उद्यम चयन बोर्ड की मार्फत कार्यवाही की गई है।

बिहार में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

[हिन्दी]

4053. श्री चन्द्र किशोर पाठक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार में कितने केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के लिए बिहार को कितनी धनराशि का अनुदान दिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एस० वी० शाही) : (क) बिहार में 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान चल रहे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की कुल संख्या क्रमश: 46876 और 42877 थी।

(ख) दो वित्तीय वर्षों के दौरान इनको चलाने के लिए संस्वीकृत राशि क्रमश: 574.44 और 519.60 लाख रु० थी।

बिहार में आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रों का संचालन

4054. श्री चन्द्र किशोर पाठक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में "आंगनवाड़ी कार्यक्रम" के अन्तर्गत कितने केन्द्र चलाए जा रहे हैं; और

(ख) गत दो वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार में इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी अनुदान राशि दी गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल-विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) 31-3-1988 तक बिहार में 14,110 आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित 142 केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल-विकास सेवा (आई०सी०डी०एस०) परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी थीं।

1988-89 में बिहार के लिए 3,236, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित 26 और आई०सी०डी०एस० परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं को स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(ख) आई०सी०डी०एस० कार्यक्रम के लिए 1987-88 और 1988-89 में बिहार को दी गई अनुदान सहायता की राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	दी गई अनुदान राशि (रुपये लाखों में)		
	आई०सी०डी०एस० के लिए	आई०सी०डी०एस० प्रशिक्षण के लिए	कुल
1987-88	1014.56	31.91	1046.47
1988-89 (29-3-89 तक)	1193.57	48.28	1241.85

तमिलनाडु में जल की कमी

[अनुवाद]

4055. श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में 1 अप्रैल, 1987 से 30 जून, 1988 के बीच कितने गांवों और नगरों में जल की कमी रही;

(ख) इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी;

(ग) क्या राज्य सरकार ने अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो स्वीकृत की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश पुछारी) : (क) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1987 के सूखे के दौरान तमिलनाडु में 6554 गांव, 7 कस्बे तथा 3 नगर-पालिकायें पेयजल की कमी से प्रभावित हुई थी।

(ख) केन्द्र सरकार ने अग्रिम योजना सहायता के अन्तर्गत राज्य में ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में पेयजल की सप्लाई प्रबन्धों के लिए क्रमश: 17.4 करोड़ रुपये तथा 15.17 करोड़ रुपये के व्यय की सीमा अनुमोदित की थी ; उसके अतिरिक्त, रिगों तथा अन्य ड्रिलिंग उपकरणों की खरीद के लिए 1.45 करोड़ रुपये की राशि भी अनुमोदित की गई थी। 1987-88 के दौरान भारत सरकार ने राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 18.10 करोड़ रुपये की सामान्य धनराशि रिलीज के अलावा, केन्द्रीय सहायता के रूप में 7.72 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि रिलीज की थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में काजू उद्योगों का विकास

4056. श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में काजू उद्योगों के विकास के लिए कौन-कौन सी योजनाओं को स्वीकृति दी गई है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

स्वायत्तशासी कालेजों के कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय संगठन

4057. श्री पी० एम० सईद :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने स्वायत्तशासी कालेज विद्यमान हैं;

(ख) क्या सरकार का देश में कार्यरत स्वायत्तशासी कालेजों पर निगरानी रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियंत्रणाधीन एक अलग राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) नए संगठन को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) इस समय विद्यमान स्वायत्त कालेजों की संख्या 96 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

खेसरी दाल की खेती

4058. श्री पी० एम० सईद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 मार्च, 1989 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "कल्टिवेशन आफ खेसरी दाल फ्लोरिसस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या खेसरी दाल की खेती पर प्रतिबंध होने के बावजूद, जो कि इसके उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है, इसकी खेती अभी तक की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश तथा असम में खेसरी दाल की खेती पर रोक लगा दी गई है। बिहार, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों ने इसकी खेती के बदले दालों तथा तिलहन फसलों की अन्य उपयुक्त किस्में उगाने के लिए कदम उठाए हैं।

(ग) खेसरी दाल के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) राज्य सरकारों से खेसरी दाल की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अनुरोध किया गया है। मध्य प्रदेश, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है।

(2) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे खेसरी दाल में मौजूद न्यूरोटोक्सिन के घातक प्रभावों के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करें। दाल से टोक्सिन अलग करने के साधारण तरीकों की भी सिफारिश की गई है।

(3) सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होने के फलस्वरूप बेहतर फसलों की किस्में लगाये जाने से बिहार तथा अन्य राज्यों में खेसरी दाल का क्षेत्र धीरे-धीरे घट रहा है।

(4) खेसरी दाल तथा इसके उत्पादों का बिक्री पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954, नियम 1955 (नियम 44 अ) के अधीन रोक लगाई गई है।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के निदेशक

4059. **डा० वी० वेंकटेश :**

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, कलकत्ता के निदेशक बोर्ड में निदेशकों की संख्या कम कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 के दौरान हिन्दुस्तान कापर लि० के निदेशक बोर्ड में निदेशकों की संख्या कम करने के बारे में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। किन्तु, 1988-89 के दौरान दो पद अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (परिचालन) के पद रिक्त हुए हैं। इन रिक्त पदों को विहित प्रक्रिया के अनुसार भरने के लिए सरकारी उद्यम चयन बोर्ड की मार्फत पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

"इल्लीगल कांट्रेक्ट्स फार जर्मन फर्म" शीर्षक से समाचार

[हिन्दी]

4060. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री दिनेश गोस्वामी :

श्री नारायण चौबे :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मार्च, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इल्लीगल कांट्रेक्ट्स फार जर्मन फर्म" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए ठेका देने के बारे में कोई अवैधता नहीं बरती गई है, अत: सरकार द्वारा इसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता :

"बर्मा इम्पोजिज फी ऑन बोर्डर क्रासिंग" शीर्षक से समाचार

4061. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 मार्च, 1989 के इंडियन एक्सप्रेस में "बर्मा इम्पोजिज फी ऑन बार्डर क्रासिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया है कि बर्मा ने सीमा पार करने वाले आदिवासियों पर शुल्क लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में यदि कोई कदम उठाये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बर्मा में आने या वहां से जाने पर किसी तरह का कोई कर लगाना उसका अपना आन्तरिक मामला है और इसलिए इस मामले को बर्मा की सरकार के साथ उठाना उचित नहीं होगी।

उड़ीसा की सड़क परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

4062. श्री बृज मोहन महन्ती :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की उन सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें विदेशी वित्तीय सहायता हेतु मंजूरी दी जानी है; और

(ख) उड़ीसा की उन सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो मंत्रालय में आन्तरिक संसाधनों से धनराशि जुटाने हेतु मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्र० सं०	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कार्य का नाम	राशि (लाख रु०)
1	2	3	4
I. बाह्य वित्तीय सहायता हेतु स्वीकृति के लिए प्रतीक्षित सड़क परियोजनाएं			
1.	5	कटक-भुवनेश्वर खण्ड को एन एच 50/0 से 22.82 कि०मी० तक 4 लेन में चौड़ा करना।	622.00
II. आंतरिक संसाधनों से निधियों की स्वीकृति के लिए प्रतीक्षित सड़क और पुल परियोजनाएं—राष्ट्रीय राजमार्ग			
1.	23	296/600—310/0 तक पुलियों का पुनर्निर्माण	44.15
2.	42	मेरामुंडली बाई पास पर क्रस्ट लगाना	39.49
3.	6	201 से 204 कि०मी० तक रिएलाइनमेंट के लिए एल ए	10.93
4.	43	296/6-310/0 कि०मी० के बीच एल ए	30.36
5.	43	322/0-329/0 कि०मी० को चौड़ा करना और मजबूत बनाना	73.79
6.	6	471/0 से 476/3 कि०मी० को मजबूत बनाना	69.08
7.	5	414—418 कि०मी० को चार लेनिंग के लिए एल ए	12.40
8.	5	0—10 75 कि०मी० को चार लेनिंग के लिए एल ए	65.85
9.	5	10.75-11.75, 13.50 से 14.50, 18.50 से 19.50 कि०मी० को चार लेनिंग के लिए एल ए	75.38

1	2	3	4
10.	5	11.75 से 13 45, 14.70 से 18.50, कि०मी० को चार लेनिंग के लिए एल ए	90.60
11.	5	ज्योमेट्रिक्स में सुधार 306.8 से 309.40 कि०मी० पहुंच I पहुंच II	46.41
12.	23	कुराधी नाला के लिए एप्रोचेज हेतु एल ए	1.89
13.	23	—वही — मालगुनी पुल के लिए	4.43
14.	5	373/0 से 380/0 और 384/0 से 387/0 कि०मी० को मजबूत बनाना	78.21
15.	6	एन एच 6 के 517/374 कि०मी० पर छोटा पुल	24.33
16.	23	एन एच 23 के 218/7 कि०मी० पर छोटा पुल	10 50
17.	6	228/0 से 240 कि०मी० को चौड़ा करना और मजबूत बनाना	152.53
18.	6	बायधान पुल तक पहुंच मार्ग	68.83

III. अन्तर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की सड़कों की केन्द्र प्रयोजित स्कीम के अन्तर्गत आंतरिक संसाधनों से निधियों के लिए स्वीकृति हेतु प्रतीक्षित राज्य सड़क परियोजना।

खुंतुनी एन एच 42 से भुवनेश्वर एन एच 5 तक वैकल्पिक सड़क लिंक का निर्माण, इसमें मुंडली बीर पर पुल का निर्माण शामिल है जिसमें 342 लाख रु० की केन्द्रीय ऋण सहायता निहित है।	684.00

परमाणु शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध संधि के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत का प्रस्ताव

4063. डा० दिग्विजय सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा परमाणु शस्त्रों के संबंध में वर्ष 1963 को आंशिक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को शामिल करते हुए एक व्यापक परमाणु शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध-संधि के प्रश्न पर विचार करने के लिए सम्मेलन आयोजित करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रस्तुत किए गए औपचारिक प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रस्ताव का कितने देशों ने समर्थन किया है; और

(ग) यह बैठक आयोजित करने के विरोध को रोकने के लिए कितने मतों की आवश्यकता है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) 1963 में वातावरण में, बाहरी अन्तरिक्ष में और पानी में नाभिकीय अस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने से संबद्ध संधि के

(पी०टी०बी०टी०) एक पक्ष के रूप में भारत ने औपचारिक रूप से यह अनुरोध किया है कि इस संधि के अनुच्छेद 2 के अनुसार इस संधि में संशोधन करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए जिसका असर इस संधि (पी०टी०बी०टी०) को एक व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि में बदलने पर पड़ेगा। इस आशय के पत्र पी०टी०बी०टी० की तीन निक्षेप सरकारों को अर्थात यू०के०, संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सरकारों को संबोधित थे।

(ख) 15 मार्च, 1989 तक पी०टी०बी०टी० की पक्षकार 38 राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया था।

(ग) अगर पी०टी०बी०टी० के पक्षकार 39 राज्य मांग करें तो यह संशोधन सम्मेलन बुलाया ही जाना चाहिए।

कपास के कीर्तिमान उत्पादन का इसके मूल्यों पर प्रभाव

4064. **डा० दिग्विजय सिंह :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान कपास का कीर्तिमान उत्पादन होने से इसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा है और इसके इस वर्ष के मूल्य के संदर्भ में गत पांच वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : पिछले पांच वर्षों के लिए आर्थिक सलाहकार द्वारा दिए गए थोक मूल्यों के सूचकांकों का (1970-71 = 100 के आधार पर) वार्षिक औसत (सितम्बर-अगस्त) नीचे दिया गया है :—

1983-84	246.7
1984-85	245.3
1985-86	187.0
1986-87	231.0
1987-88	317.5
1988-89	274.7
(फरवरी, 1989)	

गुजरात में मिहीरोक बांध निर्माण

4065. **डा० दिग्विजय सिंह :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने मिहीरोक बांधों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया;

(ख) इनमें से कितने मिहीरोक बांधों का निर्माण पूरा हो गया है; और

(ग) अधूरे चैक डेम सम्बन्धी निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी

सहायता दी जाती है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) चैक डेम एक छोटी संरचना है, जो भू-क्षरण और भूमि अवक्रमण समस्याओं द्वारा प्रभावित भूमि का उपचार करने के लिए किए जाने वाले भू एवं जल संरक्षण उपायों के घटकों में से एक घटक है। आमतौर पर, चैक डेमों में निर्माण सहित मृदा-संरक्षण कार्यक्रमों की सूचना क्षेत्र के हिसाब से दी जाती है। इसलिए, चैक डेमों से संबंधित जानकारी अलग से नहीं दी जाती है। इसके अतिरिक्त, चैक डेमों की संख्या और उनकी किस्में स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से भिन्न-भिन्न होती हैं। केन्द्रीय सहायता विनिर्दिष्ट समस्या वाले क्षेत्र के लिए भू-संरक्षण कार्यक्रमों के तहत उपचारों के पैकेज हेतु दी जाती है।

दमण और द्वीव में खाद्यान्न उत्पादन

4066. **श्री गोपाल के० टंडेल** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान दमण और द्वीव में खाद्यान्न का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 में दमन और द्वीव में खाद्यान्नों के उत्पादन के अनुमान क्रमशः 2.0, 2.2 और 2.2 हजार मीटरी टन थे।

नेहरू शताब्दी दौड़

4068. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 मार्च, 1989 को देश में नेहरू शताब्दी दौड़ का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों की राजधानियों तथा अन्य स्थानों के नाम क्या-क्या हैं जहां यह समारोह आयोजित किया गया था;

(ग) इस दौड़ के आयोजकों के नाम क्या हैं;

(घ) इस दौड़ में अनुमानतः कितने लोगों ने हिस्सा लिया;

(ङ) इस पर अनुमानित कितनी धनराशि व्यय की गई तथा इससे अनुमानतः कितनी आय हुई; और

(च) दौड़ आयोजित करने का उद्देश्य क्या था और इन उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) दौड़ पूरे भारत में कई शहरों/जिलों में आयोजित की गई थी।

(ग) शताब्दी दौड़, पूणे अन्तर्राष्ट्रीय मैराथन ट्रस्ट द्वारा जवाहरलाल नेहरू शताब्दी

स्मरणोत्सव कार्यान्वयन समिति और भारतीय अमेच्योर एथलेटिक संघ के सहयोग से आयोजित की गई थी।

(घ) आयोजकों के अनुसार पूरे भारत में करीब 3 मिलियन लोगों ने दौड़ में भाग लिया था।

(ङ) विभाग के पास यह सूचना नहीं है क्योंकि यह इस विभाग द्वारा वित्त पोषित नहीं था।

(च) आयोजकों के अनुसार दौड़ का लक्ष्य राष्ट्रीय एकीकरण और युवाओं में खेलों में रुचि पैदा करना था।

बाढ़ राहत सहायता का गलत वितरण

4069. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में गत वर्ष हुई भारी वर्षा के कारण हुई क्षति की पूर्ति के लिए राहत और मुआवजा देने हेतु वित्तीय सहायता के गलत वितरण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उक्त शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आय बढ़ाने के लिए कार्यक्रम

4070. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान देश में, विशेष रूप से गुजरात में, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय बढ़ाने के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि क्या है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए निर्धारित धनराशि की तुलना में वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान इन कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा आठवीं योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए तैयार की गई दीर्घावधि योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०) गरीबों के लाभ के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे ग्रामीण विकास विभाग के तीन प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं। सारे देश में और गुजरात में इन तीन कार्यक्रमों का 1985 से फरवरी, 1989 तक का निष्पादन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) मूल्यांकन अध्ययनों, समवर्ती मूल्यांकन और निगरानी के आधार पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है। 1989-90 के दौरान कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए उठाए जा रहे विशेष कदमों में एक कदम है -ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को मिलाकर एक करना। मिलाए गए कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों में केन्द्र और राज्यों का अंशदान 75:25 के अनुपात में होगा। केन्द्रीय सहायता सीधे जिलों को रिलीज की जाएंगी। जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना के नाम से केन्द्रीय क्षेत्र का एक नया कार्यक्रम भी कुछ चुने हुए जिलों में 1 अप्रैल, 1989 से शुरू किया जा रहा है। आठवीं योजना प्रस्तावों के प्रारूप को तैयार करने के लिए संचालन दलों/कार्य दलों का गठन किया गया है।

विवरण

1985—89 (फरवरी, 1989 तक) के दौरान प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का निष्पादन

क. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०)

	आवंटन (लाख रु० में)	उपयोग (लाख रु० में)	भौतिक लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या)
	1	2	3	4
1985-86				
अखिल भारत	40736.00	44110.38	2470679	3060678
गुजरात	1597.10	1511.05	94000	101275
1986-87				
अखिल भारत	54382.56	61337.93	3500000	3747269
गुजरात	1979.67	2324.35	122500	147527
1987-88				
अखिल भारत	61338.00	72744.41	3963510	4247296
गुजरात	2123.03	2485.04	150281	154124
1988-89				
अखिल भारत	68795.30	54467.17*	3193546	2649567*
गुजरात	2306.64	2116.67*	114472	109209*

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०)

	रिलीज किए गए संसाधन (लाख रु० में)	उपयोग में लाए गए संसाधन (लाख रु० में)	भौतिक लक्ष्य (लाख श्रम दिन)	उपलब्धि (लाख श्रम दिन)
1985-86				
अखिल भारत	59307.59	53195.05	2280.00	3164.14
गुजरात	2123.00	1568.00	57.00	69.71
1986-87				
अखिल भारत	76513.46	71777.13	2750.83	3953.92
गुजरात	3405.30	2908.41	60.00	132.83
1987-88				
अखिल भारत	88821.04	78830.87	3635.58	3707.74
गुजरात	3483.66	3924.07	112.23	172.21
1988-89				
अखिल भारत	82022.58	65532.20*	3476.78	2838.10*
गुजरात	3589.07	2347.59*	133.60	113.94*

च. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०)

	कुल संसाधन (लाख रु० में)	उपयोग में लाए गए (लाख रु० में)	भौतिक लक्ष्य (लाख श्रम दिन)	उपलब्धि (लाख श्रम दिन)
	1	2	3	4
1985-86				
अखिल भारत	69451.24	45317.32	2057.32	2475.76
गुजरात	2150.69	1512.63	50.00	70.62
1986-87				
अखिल भारत	86858.38	63591.45	2364.47	3061.43
गुजरात	2596.72	1872.96	60.00	79.63
1987-88				
अखिल भारत	85924.07	65353.09	2684.15	3041.06
गुजरात	3122.36	2688.30	71.33	100.76

	1	2	3	4
1988-89				
अखिल भारत	92847 89*	43518.36*	2604.19*	2016.07*
गुजरात	3065.53*	1660.54*	102.71*	71.73*

*आंकड़े फरवरी, 1989 तक (अनन्तिम)

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के नये केन्द्र

4071. **श्री राज कुमार राय :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितने नये केन्द्र खोले गये; और

(ख) इन केन्द्रों में नियुक्त किए गए कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० के० तिवारी) : (क) तीन। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने निम्नलिखित तीन देशों में सांस्कृतिक केन्द्र खोले हैं :—

(1) मारीशस—फरवरी, 1988

(2) इण्डोनेशिया—फरवरी, 1988

(3) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ—मार्च, 1989

(ख) **मारीशस—**

इस केन्द्र में एक निदेशक और नृत्य, कंठ संगीत, तबला और मृदंगम के लिए अलग-अलग अध्यापक रखे गये हैं। इस केन्द्र में 5 स्थानीय कर्मचारी भी हैं।

इण्डोनेशिया—

इस केन्द्र में एक निदेशक और नृत्य, कंठ संगीत, तबला और सितार के लिए अलग-अलग अध्यापक रखे गये हैं। इस केन्द्र में 5 स्थानीय कर्मचारी भी हैं।

सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ—

इस समय इस केन्द्र में एक कार्यवाहक निदेशक और एक नृत्य शिक्षक है। सितार, तबला, योग और हिन्दी के लिए अलग-अलग अध्यापक रखे गए हैं और एक तबला वादक द्वारा शीघ्र ही पद-भार ग्रहण करने की उम्मीद है। स्थानीय स्टाफ अभी नियुक्त किया जाना है।

जन्म शताब्दियों का मनाना

4072. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान जिन-जिन महान विभूतियों की जन्म शताब्दियां मनाई जा रही हैं उनके नाम तथा अन्य ब्यौरे क्या हैं और उनकी जीवन स्मृति तथा सहयोग के लिए क्या-क्या कार्यक्रम

आयोजित किए जा रहे हैं तथा इन कार्यक्रमों के लिए कितनी-कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ख) इस उद्देश्य के लिए गठित समितियों का ब्यौरा क्या है तथा इन्होंने अब तक क्या-क्या कार्यक्रम आयोजित किए हैं और वर्ष 1989-90 के लिए इन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) और (ख) शताब्दी समारोहों का आयोजन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और नागरिक मंचों द्वारा समितियों का गठन करके किया जाता है और सरकार द्वारा सेमिनारों, प्रकाशनों तथा अन्य शताब्दी कार्य-कलापों जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सहायता दी जाती है।

चालू वर्ष अर्थात् 1988-89 के दौरान भारत सरकार द्वारा मनाई गई/मनाई जा रही शताब्दियों में पण्डित गोविन्द वल्लभ पंत (10-9-87 से 10-9-88 तक), डा० एस० के० सिन्हा (21-10-87 से 21-10-88 तक) श्री के० एम० मुंशी (30-12-87 से 30-12-88 तक), डा० एस० राधाकृष्णन (5-9-88 से 5-9-89 तक), राष्ट्रीय शंकर जयन्ती महोत्सव (21-4-88 से 21-4-89 तक), मौलाना अबुल कलाम आजाद (11-11-88 से 11-11-89 तक), सवाई जय सिंह II त्रिशताब्दी 3-11-88 से 3-11-89 तक), पंडित जवाहरलाल नेहरू (14-11-88 से 14-11-89 तक) और श्री जी०वी० मावलंकर (27-11-88 से 27-11-89 तक) की शताब्दियां शामिल हैं।

सवाई जय सिंह II की त्रिशताब्दी को छोड़कर उपरोक्त सभी शताब्दियों के लिए राष्ट्रीय समितियां गठित की गई हैं। जवाहरलाल नेहरू शताब्दी कार्यान्वयन समिति जवाहरलाल नेहरू और श्री जी०वी० मावलंकर की जन्म शताब्दियां आयोजित कर रही है। शताब्दियों के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों में सामान्यतया शताब्दियों के औपचारिक उद्घाटन और समापन समारोह, स्मारक डाक-टिकटों को जारी करना, प्रतिमाओं/अर्द्ध-प्रतिमाओं की स्थापना, "आकाशवाणी" और "दूरदर्शन" द्वारा वृत्तचित्रों और विशेष कार्यक्रमों का निर्माण, जीवनी-सम्बन्धी/स्मारक ग्रन्थों आदि जैसे प्रकाशन, प्रदर्शनियां, सेमिनारें/स्मारक व्याख्यान शामिल है। जवाहरलाल नेहरू शताब्दी के कार्यक्रम तथा कार्यान्वयन समिति द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

पंडित गोविन्द वल्लभ पंत की संग्रहीत कृतियों और पंडित गोविन्द वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना जैसी दीर्घकालिक परियोजनाओं को छोड़कर, सभी कार्यक्रम आमतौर पर शताब्दी वर्ष के दौरान ही आयोजित किये जाते हैं।

1989-90 के लिए निर्धारित प्रमुख कार्यक्रमों में राष्ट्रीय शंकर जयंती महोत्सव, पंडित जवाहरलाल नेहरू शताब्दी, श्री जी०वी० मावलंकर शताब्दी, डा० एस० राधाकृष्णन शताब्दी और मौलाना अबुल कलाम आजाद शताब्दी के समापन समारोह, डा० एस० राधाकृष्णन और शंकराचार्य पर डाक टिकटों का जारी किया जाना तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार शामिल है।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/एजेन्सियों द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम आमतौर पर उनके द्वारा अपने बजट में से ही वित्तपोषित किए जाते हैं। पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को शताब्दियों और वर्षगांठों के आयोजन के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता सहित शताब्दी कार्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए संस्कृति विभाग को चालू वर्ष (संशोधित प्राक्कलन 1988-89) में 40 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

विवरण

कार्यान्वयन समिति द्वारा सीधे कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाएं/कार्यक्रम

कार्यक्रम संख्या	परियोजना/कार्यक्रम	कार्यान्वयन एजेंसी/ एजेंसियां	कार्यान्वयन समिति द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता (कुल रुपये करोड़ों में)
7	संपूर्ण संचार और डिजाइन विभाग जिसमें निम्नलिखित शामिल है :—	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	1.00
	(1) नई पीढ़ी के लिये संचार कार्यक्रम	कार्यान्वयन समिति	
	(2) आजादी का गीत		
	(3) माइंडस्पोर्ट प्रतियोगिता		
	(4) राष्ट्रीय झंडे के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना		
30	राष्ट्रीय स्वाधीनता स्मारक	कार्यान्वयन समिति	50.00
96	राज्यों के बीच युवकों का आदान-प्रदान तथा पड़ौसी राज्यों में विकासात्मक परियोजनाओं के लिए युवकों के दौरे	कार्यान्वयन समिति युवाकार्य विभाग राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय,	13.00
105	जवाहरलाल नेहरू की स्मारक डायरी	कार्यान्वयन समिति	0.50
106	जवाहरलाल नेहरू पर स्मारक ग्रंथ	कार्यान्वयन समिति	2.00
107	राष्ट्र निर्माण/जवाहरलाल नेहरू पर सम्मेलन/सेमिनार	कार्यान्वयन एजेंसी	1.00

मंत्रालयों/राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रम/परियोजनायें परन्तु इनमें कार्यान्वयन समिति मुख्य अथवा समन्वयक भूमिका निभाएगी, जिसमें निधियों का नियंत्रण भी शामिल होगा

कार्यक्रम संख्या	परियोजना/कार्यक्रम	कार्यान्वयन एजेंसी/ एजेंसियां	कार्यान्वयन समिति द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता (कुल रुपये करोड़ों में)
1	2	3	4
19	जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा अथवा अर्धप्रतिमा का चयन	संस्कृति विभाग	0.00

1	2	3	4
29	भारत आधुनिक सूचना केन्द्र	एक नवीन सोसाइटी कार्यान्वयन समिति	5.00
45	अल्पसंख्यक तथा कमजोर वर्गों के छात्रों के लिये विशेष प्रशिक्षण तथा शिक्षण योजना	कल्याण मंत्रालय कार्मिक मंत्रालय	0.00
47—62	16 राष्ट्रीय नेताओं की जन्म-शताब्दियां मनाना	संस्कृति विभाग	0.00
64	देश में विज्ञान केन्द्र खोलना तथा पुस्तकालय सुविधाओं का संवर्धन करना	शिक्षा विभाग विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग सभी राज्य सरकारें	50.00
65	भारत की खोज रेलें	रेल मंत्रालय पर्यटन विभाग	0.00
66	स्वतन्त्रता—40 प्रत्येक ग्राम पंचायत में उद्यान लगाना	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग सभी राज्य सरकारें	0.00
67.	धुंआं रहित चूल्हों का विवरण तथा गोबर गैस प्लांट लगाने का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम	गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग सभी राज्य सरकारें	50.00
69	हिमालय में पुन: वनरोपण करना	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार जम्मू एवं काश्मीर सरकार	100.00
70	विकलांगों तथा समाज के वंचित वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम	समाज कल्याण विभाग सिरटर्स आफ चैरिटी, रामकृष्ण मिशन तथा लेशायर होम्स जैसे स्वैच्छिक संगठन	10.00
104	महिला तथा बाल विकास विभाग में एक महिला अधिकार प्रभाग की स्थापना	महिला एवं बाल विकास विभाग	0·00

1	2	3	4
108	भारत तथा विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए जवाहरलाल नेहरू छात्रवृत्तियों का सृजन	शिक्षा विभाग	5.00

वे कार्यक्रम/परियोजनायें जो केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों को अपने बजट में से कार्यान्वित करने के लिए भेजे जायेंगे

कार्यक्रम संख्या	परियोजना/कार्यक्रम	कार्यान्वयन एजेंसी/एजेंसियां
1	2	3
1	स्वतन्त्रता के चालीस वर्ष पुरस्कार	कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
2	फोटो प्रतियोगिता	सूचना व प्रसारण मंत्रालय
3	हर वर्ष छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा के सर्वश्रेष्ठ सर्वतोमुखी छात्रों को प्रधानमंत्री का प्रमाण-पत्र	शिक्षा विभाग
4	गणतंत्र दिवस परेड के पश्चात झाँकियों की एक लघु प्रदर्शनी	रक्षा मंत्रालय
6	लोक गाथा गीतकारों के राष्ट्रीय स्तर के समारोह आयोजित करना	संस्कृति विभाग
9	नेहरू सेवा कोर की स्थापना	खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग शिक्षा विभाग
10	सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन तथा सूखा राहत कार्य में स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग	ग्रामीण विकास विभाग
11	सम्मेलनों का आयोजन	केन्द्रीय सरकार के सम्बद्ध मंत्रालय कार्यान्वयन समिति
13	रेल पर चल प्रदर्शनी	भारतीय व्यापार-मेला प्राधिकरण रेल मंत्रालय नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय
14	स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास पर एक फोटो प्रदर्शनी	भारतीय व्यापार-मेला प्राधिकरण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
17	भारत में 13 फीचर फिल्मों का प्रदर्शन	विदेश मंत्रालय
18	प्रचार सामग्री का मुद्रण (3 प्रकाशन)	विदेश मंत्रालय

1	2	3
20.	विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में निबन्ध, वाद-विवाद और आशु चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित करना	विदेश मंत्रालय
21.	भारत के विकास पर 8 भाग वाला दूरदर्शन सीरियल	दूरदर्शन
22.	आधुनिक भारत के निर्माता	दूरदर्शन
23.	श्याम बेनेगल का भारत एक खोज	दूरदर्शन
24.	आई एम फोर्टी	दूरदर्शन
25.	आकाशवाणी द्वारा प्रसारित करने के लिए स्वीकृत किये गये कार्यक्रम	आकाशवाणी
26.	स्वतंत्रता संग्राम की शानदार घटनाओं पर कार्यक्रम	गीत और नाटक प्रभाग
27.	राष्ट्रीय नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और विकासात्मक उपलब्धियों पर फिल्मों की श्रृंखला	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार
28.	दूरदर्शन/आकाशवाणी के कार्यक्रम स्थानीय किंवदन्तियों को बनाए रखने के लिए वीरता, त्याग और बहादुरी पर स्थानीय अभिरुचि की कहानियां	दूरदर्शन आकाशवाणी
31.	राष्ट्रीय महत्व की विद्यमान संस्थाओं का नवीकरण करना और उन्हें पुनर्जीवित करना	सम्बन्धित प्रमुख विभाग
33.	अंटार्कटिका पर भारतीय दल के पहुंचने की स्मृति में 9 जनवरी, 1986 को दूरदर्शन पर एक विशेष कार्यक्रम फ्रीडम—40 चलो टू बी टेकन टू अंटार्कटिका	महासागर विकास विभाग, दूरदर्शन
34.	स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के प्रमुख भाषणों को संग्रहीत करके एक स्मारक ग्रंथ में उनका प्रकाशन किया जाना चाहिए।	शिक्षा विभाग

1	2	3
35.	जवाहर लाल नेहरू शताब्दी के दौरान वैज्ञानिक उपलब्धियों पर एक स्मारक ग्रंथ का प्रकाशन	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
36.	सामाजिक बैंकिंग में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने वाले बैंकों की शाखाओं के लिये विशेष पुरस्कार आरम्भ किये जाने चाहिए। इन पुरस्कारों को "प्रियदर्शिनी पुरस्कार" कहा जा सकता है।	आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग
37.	फ्रीडम 40 लोगो को यथासम्भव अधिक से अधिक बैंक शाखाओं में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।	आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग
38.	1988 में अन्तर्राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन	कृषि मंत्रालय
39	एक चल कृषि प्रदर्शनी का आयोजन करना जिसे स्थानीय कृषि मेलों के अवसर पर देश के विभिन्न भागों में ले जाया जा सके।	कृषि मंत्रालय रेल मंत्रालय
40.	अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के बीच कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन	कल्याण मंत्रालय
41,	आदिवासी छात्रों के लिये स्कूल में दोपहर का निःशुल्क भोजन	कल्याण मंत्रालय
42.	सभी प्रकार की आदिवासी संस्कृतियां दर्शाने वाला राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव	कल्याण मंत्रालय क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के माध्यम से संस्कृति मन्त्रालय
43.	बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिये विशेष अभियान	कल्याण मंत्रालय राज्य सरकारें राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग
44.	अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों के कारीगरों और शिल्पकारों के लिए विशेष रोजगार	कल्याण मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग

1	2	3
46.	उर्दू शिक्षण के लिये सुविधाएं	शिक्षा विभाग
67.	ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सुविधाएं बढ़ाना	ग्रामीण विकास विभाग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन जल संसाधन मंत्रालय, सभी राज्य सरकारें
68.	संघर्ष, खलबली तथा असंतोष ग्रस्त अशांत क्षेत्रों में देश-भक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रचार करना	गृह मंत्रालय राष्ट्रीय एकता परिषद सभी राज्य सरकारें
72.	भारत पर एक कम कीमत वाली पुस्तक	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
73.	स्मारक वर्ष के समापन अवसर पर एक डाक टिकट जारी करना	संचार मंत्रालय
74.	स्वतंत्रता की चालीसवीं वर्ष-गांठ पर एक स्मारक सिक्का	वित्त मंत्रालय
75.	ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना	कृषि मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग सभी राज्य सरकारें
76.	ग्रामीण प्रबन्ध में गहन प्रशिक्षण	कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग
77.	विपत्ति के समय ग्रामीण कारीगरों के लिये विशेष सहायता	कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग
79.	जवाहर लाल नेहरू के नाम से शिक्षा-वृत्तियां और पुरस्कार आरंभ करना	विकास और प्रौद्योगिकी विभाग
80.	विज्ञान/मानविकी के क्षेत्रों में विशिष्ट व्यक्तियों के लिये 5 वर्षीय/10 वर्षीय/जीवन पर्यन्त जवाहर लाल नेहरू प्रोफेसरशिप प्रारम्भ करना	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
81.	(18—25) आयु वर्ग के अति युवा वैज्ञानिकों द्वारा आरम्भ की गई वैज्ञानिक परियोजना को मान्यता प्रदान करने हेतु उनके लिये नेहरू प्रतिभा पुरस्कार आरंभ करना	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

1	2	3
84.	विज्ञान के विषयों पर श्रेष्ठ पुस्तकें तैयार करना और उन्हें यथोचित मूल्यों पर आम जनता को उपलब्ध कराना	राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
91.	युवा किसान विज्ञान क्लबों की स्थापना करना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग
92.	"वैज्ञानिक मानविकी" के लिए देश के पांच केन्द्रों में पीठों तथा प्रोफेसर के पदों की स्थापना करना	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
93.	अनुभवी खिलाड़ियों के लिए प्रदर्शन मैचों का आयोजन करना	भारतीय खेल प्राधिकरण
95.	युवकों द्वारा पड़ौसी जिलों/राज्यों के बारे में पता लगाने के लिये साइकिल अभियान	नेहरू युवक केन्द्रों के माध्यम से युवा कार्य विभाग
97.	नेहरू शताब्दी वर्ष में पड़ौसी देशों के स्कूली बच्चों के लिये खेल महोत्सव का आयोजन (अनन्तिम तारीख 14-11-1982)	भारतीय खेल प्राधिकरण/ खेल विभाग/कार्यान्वयन समिति/भारतीय स्कूल खेल संघ
98.	देश भर में स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दौड़ों का आयोजन	भारतीय खेल प्राधिकरण/ राज्य सरकारें
99.	युवकों के लिए विशिष्ट प्रेरणादायक शिविरों का आयोजन और महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष राष्ट्रीय सेवा अभियान शुरू करना	युवा कार्य विभाग, नेहरू युवक केन्द्र
100.	जिला स्तर पर बच्चों के लिये निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन (स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जिले की भूमिका)	नेहरू युवक केन्द्र
101.	हिमालय अथवा नीलगिरी जैसे क्षेत्रों की खोज-यात्रा के लिए एक परियोजना आरंभ करना	युवा कार्य विभाग, नेहरू युवक केन्द्र
102.	युद्ध कला और स्वदेशी खेलों के संग्रह का प्रकाशन	भारतीय खेल प्राधिकरण

1	2	3
103.	हमारे देश के छात्रों और युवकों को राष्ट्रीय गीत सही तरीके से तथा सम्मानपूर्वक गाने का प्रशिक्षण देना	युवा कार्य विभाग/दूरदर्शन/आकाशवाणी/कार्यान्वयन समिति
109.	स्वतन्त्रता सेनानियों का सम्मान	गृह मंत्रालय

विशेष श्रेणी वाले राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग

4073. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए सड़कों का चयन करते समय संसद सदस्यों के विचारों पर ध्यान दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना के दौरान किन मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने पर संसद सदस्य जोर दे रहे हैं और उनके अनुरोधों पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया; और

(ग) क्या विशेष श्रेणी वाले राज्यों में ऐसे राजमार्गों के विकास के लिए प्राथमिकता देने और उदार दृष्टिकोण अपनाने का विचार है, जहां रेल/जल परिवहन जैसी मूलभूत परिवहन सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं और जिनके पास राज्य के राजमार्गों के विकास के लिए सभी संसाधनों की कमी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की शर्त पर निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाता है :—

1. जो सड़कें देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती हैं,
2. पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें,
3. राज्य की राजधानियों को जोड़ने वाली सड़कें,
4. महापत्तनों और महत्वपूर्ण औद्योगिक या पर्यटक केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कें,
5. काफी महत्वपूर्ण सामरिक जरूरतें पूरी करने वाली सड़कें,
6. काफी लम्बी दूरी तक भारी ट्रैफिक वाली सड़कें, और
7. जिन सड़कों से सफर की दूरी में काफी कमी आये और जिससे काफी बचत हो।

नागपुर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलना

4074. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नागपुर नगर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यह कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार का विचार नागपुर में एक पासपोर्ट सम्पर्क कार्यालय खोलने का है जिसका दर्जा बाद में बढ़ाकर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का दिया जा सकता है। तथापि, महाराष्ट्र सरकार ने सुझाव दिया है कि भारत सरकार को नागपुर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलना चाहिए।

योग को मान्यता

4075. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने योग को एक स्वदेशी खेल के रूप में मान्यता दी है;

(ख) इन राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने योग फेडरेशन को मान्यता दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या भारतीय खेल प्राधिकरण का योग को एक राष्ट्रीय खेल के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव है तथा इसके विकास के लिए सहायता देने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

मैसूर में पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण के लिए सरकारी मुद्रणालय

4076. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में कोई सरकारी पाठ्यपुस्तक मुद्रणालय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या इस मुद्रणालय को कर्नाटक सरकार के नियंत्रण में सौंपने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) और (ख) जी, हां। शहरी विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस प्रेस के लिए संयंत्र तथा मशीनरी जर्मन संघीय गणतंत्र द्वारा उपहार में दी गई थी। इसने वर्ष 1977-78 में किसी समय काम करना आरम्भ किया था।

(ग) और (घ) शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक राज्य सरकार ने इस प्रेस को अपने अधिकार में लेने के लिए अभिरुचि दर्शाई है और इसे राज्य सरकार को स्थानान्तरण करने के लिए रूपात्मकताएं तैयार की जा रही हैं।

बंगलौर और मैसूर के बीच "एक्सप्रेस हाइवे"

4077. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलौर और मैसूर के बीच "एक्सप्रेस हाइवे" के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार का वर्ष 1989-90 के दौरान उपर्युक्त कार्य को प्रारम्भ करने हेतु कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) भारत सरकार मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए ही जिम्मेदार है। बंगलूर से मैसूर तक की सड़क राज्य के सड़क नेटवर्क का एक अंग है और भारत सरकार के समक्ष इस क्षेत्र में एक्सप्रेस वे बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (इस्को) एककों में प्रशिक्षु

4078. **श्री नारायण चौबे :**

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के "कुल्टी वर्क्स" एकक में कितने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया और कितनों को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद नौकरी में खपाया गया;

(ख) कितने प्रशिक्षुओं को नौकरी में नहीं खपाया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) "इस्को" के रामनगर स्थित कैलियरी से कितने श्रमिकों को "कुल्टी वर्क्स" में स्थानांतरित किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) कुल्टी कारखाने में 1984 से किसी प्रशिक्षु को प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1987 में रामनगर स्थित कैलियरी से कुल्टी कारखाने में 59 श्रमिकों को स्थानांतरित किया गया था।

कर्नाटक में सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

4079. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार राज्य की कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के बारे में वर्ष 1972 से अनुरोध करती रही है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है और उनमें से किन-किन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है; और

(ग) यदि कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार समय-समय पर कुछ राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में शामिल किए जाने की आवश्यकता बताती रही है लेकिन मुख्यत: निधियों के अभाव में तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण उनमें से किसी सड़क को उक्त कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका। अभी भी यही स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार द्वारा जिन सड़कों की सिफारिश की गई है, उनकी एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य सड़क का नाम	लम्बाई (कि० मी० में)
1	2	3
1.	बंगलौर-मैसूर-मरकारा-मंगलूर (एन० एच०-17 से जोड़ने के लिए)	385
2.	आंध्र प्रदेश में एन० एच० 7 पर गूटी गुन्टाकल बेलारी-होसपेट-कोप्पल-गडग-हुबली-कारवार (एन० एच०-17 से जोड़ने के लिए)	422
3.	बेलगाम-बीजापुर-गुलबर्गा-हुमनाबाद (एन० एच०-9 से जोड़ने के लिए)	364
4.	आंध्र प्रदेश में बेलगाम-बागलकोट-रायचूर-महबूब नगर	336
5.	तुमकुर-अरासीकेर-शीमोगा-सागर-होन्नावर (एन० एच०-17 से जोड़ने के लिए)	332
6.	मैसूर-नंजनगुड-गुंडलूपेट-ऊटी-कोयम्बटूर (तमिलनाडु में एन० एच० 47 से जोड़ने के लिए)	80

1	2	3
7.	चित्रदुर्ग-होलालकेर-होसादुर्ग-चिकमगलूर-मुडीगेर-बेलतानगड़ी-बान्तवाल-मंगलूर (एन० एच० 17 से जोड़ने के लिए)	283
8.	मैसूर-श्रीरंगपाटना-नागारमुंगला-चिकनमक नयका नहल्ली-हुलीयूर-बेलारी-शाहपुर-गुलबर्गा-हुमनाबाद (एन० एच० 9 से जोड़ने के लिए)	678
9.	धारवार-लोंडा-अहमोद पणजी (एन० एच० 17 से जोड़ने के लिए)	95
10.	पुदुबिडरी कारकाला-श्रृंगेरी-तीर्थाहल्ली-शिकारीपुर-शिरालकोपा-हुबली-बगलकोट-हुंगुन्द	550
11.	सीरा (एन० एच० 4 पर बंगलोर-पूना रोड पर) मधुगिरि-गौरीबीदानूर-चिकबालपुर-चिंतामणि-श्रीनिवासपुर-मुलबागल (एन० एच० 4 पर बंगलोर-मद्रास रोड पर)	160
	कुल जोड़ :	3,685

बीज सम्बन्धी नई आयात नीति

4080. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बीज की नई आयात नीति के बारे में भारत में अनेक कृषि वैज्ञानिकों तथा सदस्य-विज्ञानियों द्वारा की गई आलोचना की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने आयात नीति के संबंध में मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन भेजा है; और

(घ) क्या मंत्रालय का सरकार द्वारा घोषित बीज आयात नीति में संशोधन करने के लिए सुझाव देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कृषि और सहकारिता विभाग ने नीति के कार्यान्वयन की प्रगति का प्रवोधन करने

तथा जहां कहीं आवश्यक हो, उपयुक्त परिवर्तन करने पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा समिति की स्थापना की है।

देश में साक्षरता का स्तर

4081. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय, मैट्रिक अथवा हाई सैकेंडरी गैर-तकनीकी डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट, जो डिग्री के समकक्ष नहीं है, स्नातक तथा इससे अधिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त पुरुषों और महिलाओं की लाखों में संख्या कितनी-कितनी हैं तथा कुल जनसंख्या की तुलना में इन शिक्षित पुरुषों और महिलाओं की प्रतिशतता कितनी-कितनी है; और

(ख) नवीनतम अनुमान के अनुसार उन साक्षरों की संख्या कितनी है जिन्होंने औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(आंकड़े लाखों में)

1981

शैक्षिक स्तर	पुरुष	महिलाएं
1	2	3
बिना किसी औपचारिक शिक्षा के साक्षर	33 (1.0)	14 (0.4)
प्राइमरी स्कूल शिक्षा	468 (13.6)	261 (8.12)
मिडिल स्कूल शिक्षा	289 (8.40)	133 (4.14)
मैट्रिक अथवा उच्चतर माध्यमिक स्तर*	278 (8.08)	99 (3.08)
गैर-तकनीकी डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र जो डिग्री के समकक्ष नहीं।	1.1 (0.03)	0.7 (0.02)

1	2	3
स्नातक और इससे ऊपर	70.4	23.2
	(2.05)	(0.72)

*इसमें इन्टरमिडिएट तथा पूर्व विश्वविद्यालय भी शामिल है।

टिप्पणी :—कोष्ठक में उल्लिखित आंकड़े कुल जनसंख्या की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

स्रोत : भारत में जनगणना-1981 शृंखला-1—भारत—भाग—IV—क सामाजिक तथा सांस्कृतिक सारणियां।

—इसमें असम शामिल नहीं है, जहां जनगणना आयोजित नहीं की जा सकी।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा पर खर्च

4082. **श्री के०पी० उन्नीकृष्णन :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) उपरोक्त परिव्यय में से हाईस्कूल और कालेज विश्वविद्यालय शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई और इस हेतु 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान खर्च की गई राशि कुल परिव्यय का कितने-कितने प्रतिशत थी; और

(ग) उपरोक्त वर्षों के दौरान केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस०पी० आही) : (क) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा शिक्षा पर किया गया खर्च दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ख) शिक्षा पर कुल खर्च की प्रतिशतता सहित (1) माध्यमिक शिक्षा (2) कालेज/विश्वविद्यालय शिक्षा और (3) तकनीकी शिक्षा पर योजनागत और योजनेतर खर्च दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

(ग) वर्ष 1985-86 से 1988-89 तक संघ और राज्य सरकारों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा पर किया गया खर्च निम्नलिखित है :—

वर्ष	खर्च (योजनागत और योजनेतर राजस्व लेखा) (करोड़ रुपयों में)
1985-86	84.26
1986-87	97.94
1987-88 (संशोधित प्राक्कलन)	148.81
1988-99 (बजट प्राक्कलन)	160.24

विवरण-1

केन्द्रों और राज्यों के शिक्षा विभागों द्वारा (राजस्व लेखा) शिक्षा पर योजनागत एवं योजनेतर खर्च

(करोड़ों में रुपये)

वर्ष	केन्द्र	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल
1985-86	540.17	6939.52	7479.69
1986-87	650.40	7699.77	8350.17
1987-88	1205.25	9066.18 (स०आ)	10271.43
1988-89 (फरवरी 1989 तक)	1031.09	9843.20 (बजट प्रा०)	10874.29

विवरण-2

शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों (राजस्व लेखा) पर खर्च योजनागत और योजनेतर

(करोड़ों में रुपये)

वर्ष	माध्यमिक शिक्षा		विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा		तकनीकी शिक्षा	
	खर्च	शिक्षा पर कुल खर्च की प्रतिशतता	खर्च	कुल खर्च की प्रतिशतता	खर्च	कुल खर्च की प्रतिशतता
1985-86	2296.22	30.7	1047.38	14.0	342.26	4.6
1986-87	2661.36	31.9	1184.27	14.2	380.39	4.5
1987-88	3279.31	31.9	1392.79	13.5	523.36	5.1

खेती में मशीनों के प्रयोग में प्रगति

4083. **श्री के०पी० उन्नीकृष्णन :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दशक के दौरान देश में ट्रैक्टरों, फसल काटने की मशीनों (हार्वेस्टर) पावर टिलरों, आयल इंजिनों, विद्युत पंप सेटों के प्रयोग को देखते हुए खेती में मशीनों के प्रयोग में कितनी प्रगति हुई है और प्रति हैक्टेयर सकल फसली क्षेत्र में विद्युत की कितनी खपत हुई;

(ख) क्या इन आंकड़ों के अनुसार खेती में मशीनों का प्रयोग और कृषि क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली विद्युत की अधिक खपत केवल कुछ ही जिलों, क्षेत्रों तथा फसलों तक सीमित रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न राज्यों में वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान ट्रैक्टरों, फसल काटने की मशीनों, पावर टिलरों, आयल इंजिनों, विद्युत पम्प सेटों की कितनी बिक्री हुई और एक लाख हैक्टेयर सकल फसली क्षेत्र में इन यंत्रों के प्रयोग का ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान विभिन्न राज्यों में प्रति हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र में विद्युत की कितनी खपत हुई; और

(च) वर्ष 2000 तक देश में खेती में मशीनों का प्रयोग आरम्भ करने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) गत दशक के दौरान ट्रैक्टरों, कम्बाइन हारवेस्टरों, पावर टिलरों, तेल के इंजनों और बिजली के पम्पसेटों के उपयोग और विद्युत की खपत में वृद्धि हुई है ।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया है ।

(घ) इस सम्बन्ध में वार्षिक आधार पर राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, 1985-86, 1986-87 और 1987-88 वर्ष के लिए ट्रैक्टरों, पावर टिलरों, कम्बाइन हारवेस्टरों की अखिल भारतीय बिक्री निम्न प्रकार है :—

मद	अखिल भारतीय बिक्री (संख्या)		
	1985-86	1986-87	1987-88
ट्रैक्टर	76,886	80,168	93,157
पावर टिलर	3,754	3,209	3,097
कम्बाइन हारवेस्टर	163	57	144

(ङ) विद्युत की खपत सम्बन्धी जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(च) सरकार ने वर्ष 2000 तक खेती में मशीनों का प्रयोग आरम्भ करने के लिये कोई लक्ष्य

निर्धारित नहीं किये हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में स्टाफ क्वार्टर

4084. **श्री शांतिलाल पटेल :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में पिछले दो वर्षों के दौरान बनाए गये स्टाफ-क्वार्टरों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनके निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) और (ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे एकत्र किया जा रहा है।

केन्द्रीय विद्यालयों में योग की शिक्षा

4085. **श्री शांतिलाल पटेल :**

डा० सुधीर राय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में पिछले तीन वर्षों से किन-किन कक्षाओं में योग की शिक्षा दी जा रही है; और

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में फरवरी, 1989 तक नियुक्त योग शिक्षकों की संख्या कितनी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने जुलाई, 1986 में इस आशय की हिदायतें जारी की कि योगा को छठी से 12वीं तक की कक्षाओं में आरम्भ किया जाना चाहिए। पहले योगा कक्षा पांचवीं से पढ़ाया जाता था।

(ख) इस योजना को आरम्भ करने से अब तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन में 354 योगा अध्यापकों को नियुक्त किया गया है।

पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) में तांबे का भण्डार

[हिन्दी]

4086. **श्री हरीश रावत :**

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में तांबे के भंडारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी मात्रा के भंडार का पता चला है;

(ग) क्या सरकार का इन भंडारों का उपयोग करने के लिये कोई योजना तैयार करने का

विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी हां, पिथौरागढ़ जिले की दी हाट तहसील के अस्कोट क्षेत्र में तांबा, सीसा व जस्ता अयस्क का एक छोटा निक्षेप पाया गया है।

(ख) अब तक के अनुमानों से लगभग 1.57 मिलियन टन भंडार होने के संकेत हैं, जिनमें सम्मिलित रूप से 10% से अधिक तांबा-सीसा-जस्ता होगा।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि एक साध्यता रिपोर्ट तैयार की गई है।

साक्षरता मिशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर किया गया व्यय

4087. श्री हरीश रावत :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता मिशन पर प्रत्येक वर्ष व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस राज्य में इस मिशन पर प्रत्येक वर्ष निश्चित धनराशि व्यय करने का विचार था;

(ग) यदि हां, तो क्या इस राज्य ने गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित सीमा के अन्तर्गत धन-राशि व्यय की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और निरक्षरता समाप्त करने संबंधी उक्त कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० चाही) : (क) से (घ) अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की तरह उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय प्रायोजित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिये निधियां वर्ष दर-वर्ष आधार पर संस्वीकृत की जाती हैं। इसके लिए राज्य सरकार का निष्पादन प्रशंसनीय रहा है जैसाकि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :—

(रुपए लाखों में)

वर्ष	दी गई राशि	खर्च की गई राशि	उपयोगिता प्रतिशतता
1985-86	753.41	646.83	85.85
1986-87	708.89	707.14	99.75
1987-88	725.41	720.08	99.26

बरेली पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट के लिए आवेदन पत्र

4088. **श्री हरीश रावत :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान बरेली पासपोर्ट कार्यालय को पासपोर्ट के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उपरोक्त अवधि में कितने पासपोर्ट जारी किए गए और कितने आवेदन पत्रों को रद्द किया गया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) 63,052

(ख) 1988 में 53,678 पासपोर्ट जारी किए गए थे और 5 आवेदन नामंजूर किए गए थे।

धान उत्पादन के लिए राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

[अनुवाद]

4089. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए केरल में कई राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये थे;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान केरल में ऐसे कितने कार्यक्रम आयोजित किए गये हैं; और

(ग) इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से कितने किसानों को लाभ मिला है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री इक्बाल लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि मंत्रालय ने गत तीन वर्षों के दौरान केरल में धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए आठ राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

(ग) राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम विस्तार कार्यकर्त्ताओं के लिए आयोजित किए गए। इन विस्तार कार्यकर्त्ताओं ने जिला और क्षेत्र स्तरों पर आगे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

प्रवक्ताओं की भर्ती

4090. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सारे देश में विभिन्न कालेजों और विश्वविद्यालयों के लिए प्रवक्ताओं के पदों हेतु सामान्य भर्ती की एक प्रणाली आरंभ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की परीक्षाएं अखिल भारतीय आधार पर आयोजित किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या ये परीक्षाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सीधे ली जायेंगी अथवा किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से ली जायेंगी; और

(ङ) इस नई प्रणाली को कब से लागू किए जाने की आशा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) से (ङ) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन योजना तथा उच्च शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के अन्य उपाय, जो राज्य सरकारों को 22-7-88 को सूचित कर दिए गए थे, में प्राध्यापकों की नियुक्ति और भर्ती हेतु शर्तें अर्हताएं निर्धारित की गई हैं।

योजना में यह भी प्रावधान है कि केवल वही उम्मीदवार जो लेक्चरर पद के लिए प्रस्तावित न्यूनतम शैक्षिक योग्यतापूर्ण करने के अलावा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए आयोजित व्यापक परीक्षा भी उत्तीर्ण करते हैं, लेक्चरर के रूप में नियुक्ति हेतु योग्य होंगे। परीक्षा आयोजित करने के लिए विस्तृत योजना, जिसमें इसकी डिजाइन, परीक्षाएं आयोजित करने के लिए नियुक्त की जाने वाली एजेंसियां तथा विषय वस्तु संचालन आदि शामिल हैं, सभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार किए जायेंगे। वि०अ०आ० राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करके इस प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए रूपरेखा तैयार कर रहा है।

इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रमों का संचालन

4091. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में निकट भविष्य में कौन-कौन से पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विचार है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिये इतने अधिक लोगों ने आवेदन किया है, कि विश्वविद्यालय को छात्रों की संख्या को प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से सीमित करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या और अधिक छात्रों को शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस०पी० शाही) : (क) भविष्य में आरम्भ किए जाने वाले प्रस्तावित पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. पुस्तकालय सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री।

2. बी०एस०सी० कार्यक्रम।

3. दूरस्थ शिक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम ।

4. (1) प्रबन्ध (2 मापदण्ड) (2) ग्रामीण विकास (3) भोजन तथा पोषण (4) शिशु सुरक्षा (5) हिन्दी में सृजनात्मक लेखन तथा (6) उच्च शिक्षा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

5. (1) संगणक अनुप्रयोग

(2) जल संसाधन प्रबन्ध

(3) ऊर्जा संरक्षण और प्रबन्ध में प्रमाण पत्र का कार्यक्रम

(ख) इसके प्रबन्ध डिप्लोमा में अत्यधिक प्रयुत्तर के कारण विश्वविद्यालय उम्मीदवारों की संख्या उस सीमा तक कम करने के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है जिन्हें अध्ययन केन्द्रों के विद्यमान नेटवर्क और परामर्शी सेवाओं का प्रभावपूर्ण समर्थन मिल सके।

विश्वविद्यालय उन उम्मीदवारों की अध्ययन क्षमता को निर्धारित करने के लिए भी एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है, जो उम्मीदवार स्नातक डिग्री और सृजन लेखन के डिप्लोमा में प्रवेश लेना चाहते हैं परन्तु उनके पास औपचारिक योग्यता नहीं है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय ने जनवरी, 1987 में पाठ्यक्रम आरम्भ किए तथा नामांकन करीब 50,000 है। विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को सहायता सेवायें प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न भागों में 12 क्षेत्रीय केन्द्र और 118 अध्ययन केन्द्र स्थापित किए हैं। अधिक नामांकन के लिए इस प्रकार के केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है।

खिलाड़ियों के प्रशिक्षण आदि हेतु परियोजना

4092. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए पूरे देश में खिलाड़ियों के समुचित प्रशिक्षण आदि के लिए सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग) जी नहीं। चुने हुए खिलाड़ियों को पहले ही प्रशिक्षण शिविरों में, भारतीय और जहां आवश्यक हो, विदेशी प्रशिक्षकों और खेल विज्ञान विशेषज्ञों के पर्यवेक्षण में गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन खिलाड़ियों के कार्यनिष्पादन की नियमित रूप से देख रेख की जा रही है और उन्हें जहां तक सम्भव है अच्छे खेल उपस्कर, पौष्टिक आहार और उच्च कोटि की प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

टी० वी० सीरीज के लिए अमरीका की 'वर्ल्ड एजुकेशनल फाउंडेशन' के साथ समझौता

4093. श्री मनोरंजन शांती :

श्री कमल नाथ :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने टी०वी० सीरीज (दूरदर्शन धारावाहिक) के लिए अमरीका के वर्ल्ड एजुकेशन फाउंडेशन के साथ सहनिर्माण समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्माण किये जाने वाले धारावाहिकों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डब्ल्यू० जी० बी० एच० शैक्षिक प्रतिष्ठान, बोस्टन (यू० एस० ए०) के साथ मिलकर 'स्टेट आफ दि वर्ल्ड' शीर्षक से दस भागों में एक दूरदर्शन शृंखला बनाने का समझौता किया है। इस शृंखला का उद्देश्य वन कटाई से लेकर जनसंख्या दबाव तक, भूमि कटाव से लेकर प्राकृतिक अपशेषों के निपटान जैसे अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण विषयों के मानवीय आयामों का पता लगाना होगा। शृंखलाओं में आने वाले प्रस्तावित विषय इस प्रकार हैं—(1) विकास का युग, (2) जनसंख्या, (3) आहार और भूमि, (4) जल, (5) वन, (6) मछली पालन, (7) जलवायु, (8) ऊर्जा, (9) अपशेष समस्या और (10) [illegible] के उपाय। समझौते की शर्तों के अनुसार आयोग 300,000 अमरीकन डालर के समतुल्य अंशदान प्रदान करेगा जिनमें 200,000 अमरीकन डालर के समतुल्य सेवा के रूप में तथा 100,000 अमरीकन डालर विदेशी मुद्रा के रूप में दिए जाएंगे तथा भुगतान परियोजना के पूरा होने के विभिन्न चरणों में 25000-25000 की अमरीकन डालर की चार किश्तों में किया जाएगा। आयोग का योगदान कुल अनुमानत: उत्पादन लागत के 10% से कम है। शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केन्द्र, गुजरात विश्वविद्यालय परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय एजेंसी है। दूरदर्शन शृंखला का कार्य आरम्भ हो चुका है।

ग्रामीण किसानों के लिए आर्थिक समुत्थान कार्यक्रम

4094. श्री पी० पेंचालैया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ग्रामीण किसानों के लिए आर्थिक समुत्थान कार्यक्रम आरम्भ कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) सरकार ने कृषक समुदाय की आर्थिक स्थितियों में सुधार करने की दृष्टि से कई अभिवृद्धि कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत विशेष ध्यान छोटे और मार्जिनल किसानों की ओर दिया गया है।

इनमें पूर्वी राज्यों में चावल उत्पादन, दालों, तिलहनों का विकास, मिनिकिटों का वितरण, वर्षा सिंचित कृषि के लिए जल विभाजक विकास, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमांत किसानों को सहायता आदि शामिल है।

उर्वरकों, बीजों और पौध रक्षण रसायनों आदि जैसे आदानों की उचित मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में यथा समय पर सप्लाई सुनिश्चित की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण सम्बन्धी सहायता को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया गया है। आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से डेरी के विकास से दुग्ध उत्पादकों को लाभ हुआ है, जिनमें से अधिकतर छोटे तथा मार्जिनल किसानों और भूमिहीन श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं। कुक्कुट और पशुधन विकास, मात्स्यिकी विकास जैसे अन्य कार्यक्रमों ने कृषक समुदाय के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन भी किया है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी किया है।

पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न कृषि वस्तुओं के समर्थन मूल्यों में वृद्धि हुई है और इनसे किसानों को प्रोत्साहन मिला है।

गांवों में जीवन-पद्धति में सुधार करने के लिए कई ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे गरीबी दूर करने के प्रमुख कार्यक्रमों से ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों को लाभ हुआ है।

दिल्ली में साक्षरता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कृतिक बल

4095. श्री शरद दिघे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में साक्षरता संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय कृतिक बल (आई० टी० एफ० एल०) स्थापित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यों इत्यादि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष को सफल बनाने के प्रयास में साक्षरता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कार्य बल की स्थापना 100,000 गैर-सरकारी संगठनों के लिए एक छत्र (अम्बरेला) दल के रूप में की गई है। इसे यूनेस्को की गैर-सरकारी संगठनों की स्थायी समिति द्वारा दिसम्बर, 1988 में मान्यता दी गई है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद, आई० टी० एफ० एल० के लिए सचिवालय के रूप में कार्य कर रही है। आई० टी० एफ० एल० का समन्वयन कार्यालय टोरन्टो में है तथा इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह कार्य बल भारत सरकार ने स्थापित नहीं किया है।

नई दिल्ली में आई० टी० एफ० एल० के निम्नलिखित कार्य हैं :—

(1) भारत तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चल रहे साक्षरता प्रोन्नत प्रयासों को शक्ति प्रदान करना।

(2) साक्षरता कार्यों के लिये सम्भावनाओं के साथ नये क्षेत्रों तक पहुंचना।

(3) राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर विचारों और नीतियों के विनिमय के लिए एक मंच प्रदत्त करना।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के लिए सूचना संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना।

राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ यात्रियों के लिए जन सुविधाएं

4096. डा० ए० के० पटेल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1986 में तैयार की गई सरकार की योजना के अन्तर्गत भारी यातायात वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ यात्रियों के लिए जन सुविधाओं के विकास हेतु चुने गये स्थानों का राज्यवार ब्यौर क्या है;

(ख) ऐसे स्थानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जहां पर सरकार ने इन सुविधाओं के प्रोमोटर्स को आवश्यक भूखण्ड, टेलीफोन, बिजली, पेट्रोल पम्प और ऋण आदि देने की पेशकश की है;

(ग) किन-किन प्रोमोटर्स ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है और उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो राजमार्ग के साथ-साथ यात्रियों के लिए जन सुविधाओं का किस रूप में विकास करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) इस समय सरकार के वित्त पोषण के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ यात्री उन्मुखी मार्गस्थ सुविधाओं के विकास के लिए 13 स्थानों (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा राज्यों में से प्रत्येक में एक-एक) को चुना गया है।

(ख) से (घ) प्राइवेट सेक्टर वित्त पोषण के तहत प्रारम्भिक रूप से पांच स्थलों को चुना गया है और आशय पत्र जारी कर दिये गये हैं। इनमें से तीन स्थान उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र मे एक-एक स्थान हैं। चुने गये उद्यमियों और स्थानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। प्राइवेट उद्यमियों को स्वयं भूमि की व्यवस्था और अपने संसाधनों से सुविधाएं विकसित करनी है। सरकारी सहायता सिर्फ पेट्रोल आउटलेट आबंटित करने तक ही सीमित है जो जल-भूतल परिवहन मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट मानदण्डों की पूर्ति पर निर्भर है। अन्तिम चयन पेट्रोल पम्प के लिए स्थल के औचित्य और उद्यमियों की पात्रता पर निर्भर होगा।

विवरण

जिन प्राइवेट उद्यमियों को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ यात्री उन्मुखी मार्गस्थ सुविधाओं का प्रावधान करने के लिए आशय पत्र जारी किये गये हैं, उनके ब्यौरे

क्र० सं०	नाम और पता	राष्ट्रीय राजमार्ग	प्रस्तावित स्थान	राज्य
1.	पी० नरेन्द्र देव 5-122 रोया नगर गन्नावरम-521101 कृष्णा जिला (आंध्र प्रदेश)	5	विजयवाड़ा और विशाखा-पत्तनम के बीच तलाप्रालु गांव के निकट 33/3 कि० मी० (विजयवाड़ा से लगभग 34 कि० मी०)	आन्ध्र प्रदेश
2.	ले० कर्नल सी० डी० शर्मा 72 बीनस एपार्टमेंट 40 कफ परेड, कोलाबा बम्बई-400005	17	महाराष्ट्र में हाथखंभा में/के निकट (रत्नगिरि से 17 कि० मी०)	महाराष्ट्र
3.	मैसस बीनू कपूर, 604, कटरा नील, चांदनी चौक, दिल्ली-110006	24	गजरौला की ओर गढ़-मुक्तेश्वर से 5 मि० मी० (यह स्थान गांव काकाधार तहसील हसनपुर के इंटर सेक्शन पर है)	उ० प्र०
4.	श्री के० एन० केदार, सुप्रीम सर्विस स्टेशन (डीलर्स : इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड) केदार फार्म, गढ़ रोड, हापुड़	24	दिल्ली-गढ़ रोड पर मौजूदा पेट्रोल पम्प (57.3 कि० मी०)	उ० प्र०
5.	श्री अनिल दत्त कौशिक, प्रगति इंटर प्राइजेज, सी बी-166, नारायणा, रिंग रोड, नई दिल्ली-110026	24	गढ़मुक्तेश्वर और मुरादाबाद के बीच (गढ़ से 36 कि० मी० और मुरादाबाद से 30 कि० मी०)	उ० प्र०

कलकत्ता विश्वविद्यालय के "सेंटर आफ एडवांस्ड स्टडी इन एप्लाइड मैथमेटिक्स" को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान

4697. डा० ए० के० पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के "सेन्टर आफ एडवांस्ड स्टडी इन एप्लाइड मैथमेटिक्स" को वर्ष 1975 से अनुदान देना बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी० शाही) : (क) और (ख) कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रयुक्त गणित विभाग, को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1963-64 में प्रयुक्त गणित में प्रथम उच्च अध्ययन केन्द्र के रूप में निर्धारित किया था। केन्द्र को आयोग से 10 वर्ष तक सहायता प्राप्त हुई। केन्द्र की प्रगति का मूल्यांकन 1974 में एक समिति द्वारा किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :—

(1) प्रो० के० आर० रामानाथन, टी० आई० एफ० आर० बम्बई।

(2) प्रो० बी० अथरेया, प्रयुक्त गणित विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।

(3) डा० डी० शंकर नारायन, अपर सचिव, वि० अ० आ०।

केन्द्र के कार्य को "औसत" के रूप में मूल्यांकित किया गया था तथा मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के अनुसार आयोग ने 1-4-1974 से केन्द्र की मान्यता वापिस ले ली। तथापि प्रयुक्त गणित विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय के निष्पादन के आधार पर वि० अ० आ० के गणित पैनल ने 1987 में विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता हेतु इस विभाग को फिर मान्यता दी। आयोग की एक विशेषज्ञ समिति ने 10-2-1987 को विभाग का दौरा किया और समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रयुक्त गणित विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय को फिर से आयोग के विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया तथा वि० अ० आ० द्वारा सितम्बर, 1987 में उच्च अध्ययन केन्द्र के रूप में घोषित किया गया था।

गणित में शोध

4098. डा० ए० के० पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में उच्च गणित में शोध कार्य की उपेक्षा की जा रही है।

(ख) क्या सरकार का उच्च गणित में शोध कार्य को बढ़ावा देने हेतु विश्वविद्यालय/संस्थाओं आदि में कार्यरत रिसर्च एसोसिएटों को, उनके द्वारा प्रकाशित कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, सीधे वरिष्ठ पदों पर खपाने के लिए कोई ठोस योजना तैयार करने और आरम्भ करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने विशेष सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से उच्चतर गणित में अनुसंधान सहित शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता को प्रोन्नत करने के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करता रहा है। आयोग चार उच्च अध्ययन केन्द्रों, छः विशेष सहायता विभागों तथा गणित और प्रयुक्त गणित में दो विभागीय अनुसंधान परियोजनाओं को सहयोग प्रदान कर रहा है।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विज्ञान, इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी तथा मानविकी में उच्चकोटि के अनुसंधान को प्रोन्नत करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान वैज्ञानिकों का एक काडर तैयार करने की एक योजना शुरू की है। वे व्यक्ति जिनके पास पी०एच०डी० डिग्री और पी० एच० डी० प्राप्त करने के बाद कम से कम दो वर्ष/पांच वर्ष/दस वर्ष (क्रमश: 'क', 'ख', तथा 'ग' श्रेणियों के लिए) के अनुसंधान अनुभव सहित एक उत्कृष्ट शैक्षिक/अनुसंधान आजीविका है, अनुसंधान वैज्ञानिक के पद के लिए पात्र हैं। अनुसंधान वैज्ञानिकों की उपर्युक्त श्रेणियों का वेतन-मान लेक्चररों, रीडरों तथा प्रोफेसरों के वेतनमान के अनुरूप होगा। यह संविदा आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिए है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में सड़कों की घोषणा

4099. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

क्या अल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान राज्य की जिन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाएगा, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

अल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) फरवरी, 1989 में लगभग 1474 कि० मी० राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में और वृद्धि करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपज—उपरान्त प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में उन्नत अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

4100. **श्री एस० बी सिदनाल :**

श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राज्य सरकारों से बागवानी के लिए उपज-उपरान्त प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में उन्नत अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने ऐसे केन्द्रों की स्थापना हेतु कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी, नहीं ?

(ख) महाराष्ट्र में अकोला तथा राहुरी, हिमाचल प्रदेश में सोलन और कर्नाटक में बंगलौर स्थित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से बागवानी से सम्बन्धित फसल की कटाई के बाद की टेक्नोलोजी के अग्रिम अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रारम्भिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

मछली पकड़ने के स्रोतों का कम होना

4101. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मछली पकड़ने के स्रोत कम होते जा रहे हैं और इसके कारण मछुआरों के लिए एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो मछली पकड़ने के स्रोतों में तेजी से कमी आने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या समुद्री जल का प्रदूषित होना इसका एक मुख्य कारण है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने समुद्री जल के प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ङ) पारम्परिक मछुआरों की सहायता के लिए अन्य क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जल (प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 19 के अन्तर्गत तटवर्ती राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने किनारे से 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया है। तदनुसार, तट पर छोड़े जाने वाले गंदे पानी के लिए जल (प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों को पूरा करना अपेक्षित है।

(ङ) पारम्परिक मछुआरों की मदद करने और सीमांतर्गत जल क्षेत्र में मात्स्यिकी संसाधनों को संरक्षित करने के लिए उठाये गये अन्य कदमों में समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम का अधिनियमन/गुजरात और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी समुद्र तटीय राज्यों में कार्यकारी आदेश जारी किया जाना शामिल है। गुजरात और पश्चिम बंगाल में पारम्परिक जलयानों, यंत्रीकृत नौकाओं और गहरे समुद्र में मत्स्यन करने वाले जलयानों के प्रचालन के लिए एक मात्र क्षेत्रों की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

भू-जल को पेयजल के रूप में उपयोग न करना

4102. **श्री शांति चारीवाल :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों ने भू-जल को पेय जल के रूप में सप्लाई न करने का निर्णय लिया है।

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जो भू-जल को पेय-जल के लिए सप्लाई कर रहे हैं और इस बारे में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि भविष्य में पेय जल योजनाओं को मंजूरी देते समय राज्य सरकारों के विचार और सहमति भी प्राप्त की जाए ताकि विदेशी सहायता का समुचित उपयोग हो सके; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने भू जल का उपयोग न करने के बारे में राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एकाधिपत्य वाली खानों का अधिग्रहण

4103. श्री शांति धारीवाल :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एकाधिपत्य वाली खानों का अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो देश में इनका इस समय राज्य-वार और खान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खानों का कब तक अधिग्रहण किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) एकाधिकारी खानों का अर्थ "किसी एक खनिज की ऐसी सभी खानों से है, जो एक ही पट्टाधारी द्वारा पूर्णत: धारित और परिचालित होती है।" इस दृष्टि से इस समय राजस्थान में एक ही पार्टी द्वारा खनित बोल स्टोनाइट खानों को छोड़कर, देश में किसी एक खनिज के सभी खनन पट्टे किसी एक प्राइवेट फर्म या संगठन द्वारा धारित नहीं हैं।

(ग) वोलस्टोनाइट खनन के अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

न्हावा शेवा पत्तन में माल की ढुलाई के लिए कम्प्यूटरीकृत मशीनें

[अनुवाद]

4104. श्री हुसैन दलवाई :

क्या पोत-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्हावा शेवा पत्तन पर माल की ढुलाई के लिए कम्प्यूटरीकृत मशीनें लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन अत्याधुनिक मशीनों की सप्लाई किस देश और एजेंसी द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त मशीनों की खरीद पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

मशीनरी का नाम	सप्लायर का नाम और वह किस देश का है	निहित लागत
निम्न के लिए हार्डवेयर और साफ्टवेयर कम्प्यूटर		
(1) बल्क हैंडलिंग प्रणाली	निर्माता मैसर्स ए०एस०ई०ए० ब्राउन बोवेरी लि० बडेन, स्वीटजरलैंड-9 के माध्यम से मैसर्स क्लोकनर इंडस्ट्रीज अंलाजेन, जी०एम०बी०एच०, पश्चिम जर्मनी	एस०एफ०आर० 7524530 +64155 अमरीकी डालर +92,46,918 रु०
(2) कंटेनर फ्रेट स्टेशन समेत कन्टेनर हैंडलिंग प्रणाली	निर्माता मैसर्स डिजिटल कारपोरेशन (डी० ई० सी०) लि० के माध्यम से मैसर्स कम्प्यूटर मेन्टीनेंस कारपोरेशन लि० (सी० एम० सी०) लि०।	2,409,957 अमरीकी डालर +12,500 यू०के० स्टर्लिंग +7,02,03,598 रु०

न्हावा शेवा पत्तन के विकास में लगी एजेंसियां

4105. **श्री हुसैन दलवाई :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्हावा शेवा पत्तन को विकसित करने के कार्य करने में विदेशी एजेंसियों सहित कौन-सी एजेंसियां लगी हैं;

(ख) क्या इन एजेंसियों का चयन पूरे विश्व से प्राप्त निविदाओं के आधार पर किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी एजेंसियो को सौंपे गए कार्य पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) न्हावा शेवा पत्तन के विकास में लगे विदेशी ठेकेदारों सहित ठेकेदारों के नाम संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) विश्व भर से मंगाये गये टेंडरों के माध्यम से जिन ठेकदारों का चयन किया गयाहै उनके नाम संलग्न विवरण-I के क्रम संख्या 1 से 8 में दिये गये हैं।

(ग) विदेशी एजेंसियों को दिये गये ठेकों का काम दिये जाने के समय के मूल्य संलग्न विवरण-2 में दिये गये हैं।

विवरण-I

न्हावा शेवा पत्तन के विकास में लगे ठेकेदारों से सम्बन्धित ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	काम का विवरण	ठेकेदार का नाम
1	2	3
1.	मुख्य सिविल निर्माण कार्य	मितसू एण्ड कम्पनी लिमिटेड जापान
2.	बल्क हैंडलिंग सुविधा	क्लोकनर इन्ड एनलागन जी० एम० बी० एच० पश्चिम जर्मनी
3.	कन्टेनर हैंडलिंग उपस्कर	समतुंग कम्पनी लिमिटेड, दक्षिण कोरिया
4.	मोबाइल उपस्कर	ओ० वाई० एस० आई० एस० यू० फिनलैंड
5.	पोर्ट क्राफ्ट	हिउंडई कार्पोरेशन, दक्षिण कोरिया
6.	पावर वितरण प्रणाली	सीमेन्स इंडिया
7.	कम्प्यूटर प्रणाली	सी० एम० सी० लिमिटेड, इंडिया
8.	मोबाइल बल्क हैंडलिंग उपस्कर	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
9.	सी-VI ड्रेजिंग	जैनन वर्सटोप नीदरलैंड
10.	कंटेनर फ्रेट स्टेशन	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड (ई० पी० आई० एल०)
11.	पत्तन भवन, कार्यशाला आदि	बी० ई० निल्सीमोरिया एण्ड कम्पनी इंडिया
	टाउनशिप	
12.	(क) पाइल फाउंडेशन एवं ग्रेड बीम्स	एफ० कान्स इंडिया
	(ख) आवासीय भवन	ई० पी० आई० एल०
	(ग) सार्वजनिक भवन	ई० पी० आई० एल०
	(घ) बाह्य सेवाएं	ई० पी० आई० एल०
	(ङ) बाह्य विद्युत कार्य	जी० एस० सी० सी० एल० इंडिया

1	2	3
13.	फिलिंग कार्य	जी० एस० सी० सी० एल० इंडिया
14.	टेलीकॉम भवन	सैम कांसट्रक्शन्स इंडिया
15.	बाउंडरी दीवार और पिलर्स	कुमार कांसट्रक्शन
16.	नेवीगेशनल एड्स और ट्रांजिट प्रणाली	अन्ना नेविड्स
17.	लैंडिंग जेटी	एफकान्स
18.	पोर्ट साइट कार्यालय, आवास सब स्टेशन आदि	वी० ई० बिल्लीमोरिया
19.	पोर्ट अतिथि गृह और सर्वेंट क्वार्टर्स	क्वालिटी कांसट्रक्शन
20.	अतिरिक्त सोयल इन्वेस्टीगेशन	एफ कॉन्स
21.	पर्यावरणीय बेस लाइन	एसोसिएटेड कन्सल्टेंट्स
22.	सी० आई० एस० एफ० बैरकें (फेज I)	सैम कान्सट्रक्शन
23.	सी० आई० एफ० एफ० बैरकें (फेज II)	के० एस० कुमार कान्सट्रक्शन
24.	सड़कें और बाह्य निर्माण कार्य	अजन्ता टाइल्स
25.	सोयल इन्वेस्टीगेशन	एफ कॉन्स
26.	सर्वेक्षण	भारतीय सर्वेक्षण
27.	एस० आर० पी० के लिए अस्थायी बैरकें	सैम कान्सट्रक्शन
28.	वी० एच० एफ० संचार प्रणाली	मैसट्रान
29.	यू० एच० एफ० संचार प्रणाली	पी० एण्ड टी० विभाग
30.	विद्युत सब स्टेशन	रियूनियन इंजीनियरिंग
31.	पोर्ट प्रयोक्ता भवन	वी० ई० विल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी
32.	कन्सल्टेंसी (इंजीनियरिंग)	होव इंडिया (प्रा०) लिमिटेड
33.	कन्सल्टेंसी (ओ०एम०एफ०)	ए० एफ० फरगूसन एण्ड कम्पनी
34.	ट्राफिक पूर्वानुमान सुधारने के लिए सर्वेक्षण	आर० आई० टी० ई० एस०

1	2	3
35.	जल आपूर्ति	एम० डब्ल्यू० एस० एस० बी०
36.	रेल अवस्थापना आर० ए० सी०	सेंट्रल रेलवे
37.	स्थायी जल आपूर्ति	एम० डब्ल्यू० एस० एस० बी०
38.	पावर आपूर्ति	एम० एस० ई० बी०
39.	विविध सिविल और मेकेनिकल निर्माण कार्य	मैसर्स थ्री सर्कल्स
40.	ट्रेनिंग एक्शन प्लान	मैसर्स पोर्टरेन

विवरण-2

क्र०सं०	ठेके का नाम	विदेशी ठेकेदार का नाम	काम दिए जाने के समय ठेके का मूल्य
1	2	3	4
1.	मुख्य सिविल निर्माण कार्य	मित सुई एण्ड कम्पनी लिमि० जापान	110.00 करोड़ रुपये (1267,49,69, 647 येन के विदेशी मुद्रा संघटक सहित)
2.	बल्क हैंडलिंग सुविधाएं	क्लोकनर इण्डस एनलागेन जी०एम०बी०एच० पश्चिम जर्मनी	182.55 करोड़ रु० (विदेशी मुद्रा संघटक सहित) डी० एम० 103,321,143 एस० एफ० आर० 7,935,267 यू० एस० डालर 27,011,249
3.	कन्टेनर हैंडलिंग उपस्कर	सैम सुंग कम्पनी लिमि० दक्षिण कोरिया	28.35 करोड़ रु० (विदेशी मुद्रा संघटक सहित) यू० एस० डालर 13,987,102
4.	मोबाइल उपस्कर	ओ० वाई० एस० आई० एस० यू० फिन लैंड	9.13 करोड़ रु० विदेशी मुद्रा संघटक सहित एफ० आई० एम० 1,37,61,598
5.	पोर्ट क्राफ्ट	हिउंडई कार्पोरेशन, दक्षिण कोरिया	12.31 करोड़ रु० विदेशी मुद्रा संघटक सहित यू० एस० डालर 9,336,232,45

1	2	3	4
6.	सी-VI ड्रेजिंग	जैनेन वर्सटाक्प	38.39 करोड़ रु० विदेशी मुद्रा संघटक सहित डी०एफ० 60,547 मिलियन
7.	ट्रेनिंग एक्शन प्लान	पोर्टरेन	5.60 लाख रु० + 65,500 पाउंड

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारत में मानव अधिकारों के उल्लंघन का कथित आरोप

4106. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी :**

श्री शरद दिघे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश विभाग द्वारा मानव अधिकार संबंधी कांग्रेस को प्रस्तुत उस रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें वर्ष 1988 के दौरान भारत में मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में उल्लेख किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो०के०के० तिवारी) : (क) और (ख) सरकार ने अमरीका के विदेश मंत्रालय की मानवाधिकारों से सम्बद्ध रिपोर्ट का भारत से संबंधित अंश देखा है। हालांकि रिपोर्ट में कतिपय संदर्भों में भारत की आलोचना की गई है, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि : "भारत में मूल रूप से लोकतांत्रिक शासन है जिसमें हर व्यक्ति के लिए सुदृढ़ और कानूनी रूप से स्वीकृत रक्षा उपायों की व्यवस्था है तथा मजबूत स्वतन्त्र प्रेस की व्यवस्था है।" इस रिपोर्ट को तैयार करने से पहले कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया था; तथा सरकार इन सभी निष्कर्षों की यथातथ्यता को स्वीकार नहीं करती है।

प्राथमिक शिक्षा के लिए आवेदन

4107. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना में प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 1471 करोड़ रुपये आवंटित किए थे लेकिन अब तक केवल 850 करोड़ रुपये दिये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो कम धनराशि देने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस०पी० शाही) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए 1963.70 करोड़ रुपये की राशि (वर्ष 1985—89 की अवधि के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत 233.25 करोड़ रुपये

और राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत 1730.45 करोड़ रुपये) आबंटित की गई है। प्राइमरी शिक्षा के लिए कोई अलग से आबंटन नहीं किया गया था। योजना आयोग के अनुसार इसने योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान, प्रारम्भिक शिक्षा के लिए, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए 1471 करोड़ रुपये और केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 575.04 करोड़ रुपये अनुमोदित किए थे।

वर्ष 1989-90 के लिए लिए परिव्यय अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है। योजना आयोग का अनुमान है कि प्रथम चार वर्षों में 2045 करोड़ रुपये का खर्च किये जाने की सम्भावना है।

पेप्सिको सौदे पर पुनर्विचार

4108. **डा० टी० कल्पना देवी :**

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 दिसम्बर, 1988 को "फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में फार्म साइंटिस्ट्स फार रिव्यू आफ पेप्सिको डील" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों तथा अन्य व्यावसायिक विशेषज्ञों ने सरकार से पेप्सिको सौदे पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है और कैफीन, फास्फोरिक एसिड तथा कृत्रिम मीठे पदार्थयुक्त पेप्सिकोला के सेवन से इस पेय की लत पड़ने और कैंसर जैसे स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न खतरे की ओर संकेत किया है;

(ग) क्या कोला पेय पदार्थों से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी की शिकायत पैदा होती है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) यह सही है कि दिनांक 23 दिसम्बर, 1988 के फाइनेंसियल एक्सप्रेस में "फार्म साइंटिस्ट्स फार रिव्यू आफ पेप्सिको डील" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ था।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करना

4109. **प्रो० मधु दंडवते :**

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े इस्पात संयंत्रों, जिनमें अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है की तुलना में लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना को अधिक मान्यता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना को अधिमान्यता देगी; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे लघु इस्पात संयंत्र किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) सरकार सभी इस्पात संयंत्रों और एकीकृत इस्पात संयंत्रों में से लघु इस्पात संयंत्रों को अधिमान्यता नहीं देती । इस्पात निर्माण में दोनों की ही अपनी-अपनी भूमिकाएं हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसियों में भारत का योगदान

4110. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी विभिन्न विशिष्ट एजेंसियों में वर्ष 1988 में संगठन-वार भारत द्वारा किए गए योगदान का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1 जनवरी, 1989 को किन-किन प्रमुख संगठनों में भारत सदस्य चुना गया।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

संयुक्त राष्ट्र के उन निकायों की सूची जिनका भारत इस समय सदस्य है।

1. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्
2. मानवाधिकार आयोग
3. भेदभाव निवारण और अल्पसंख्यक संरक्षण उप आयोग
4. नशीली दवाइयों से सम्बद्ध आयोग
5. मानवीय मसलों के समाधान से सम्बद्ध आयोग
6. कार्यक्रम एवं समन्वय समिति
7. पारराष्ट्रिक निगम समिति
8. विकास आयोजना समिति
9. लेखा तथा रिपोर्टिंग के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से सम्बद्ध अन्तर सरकारी विशेषज्ञ कार्य दल
10. संयुक्त राष्ट्र शिशु निधि कार्यकारी बोर्ड
11. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी परिषद्
12. विश्व खाद्य कार्यक्रम से सम्बद्ध खाद्य सहायता नीति समिति

13. विश्व खाद्य परिषद्

14. अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग

15. यू० एन० ई० पी० की शासी परिषद्

16. निरस्त्रीकरण सम्मेलन

विशिष्ट एजेंसियां

1. खाद्य एवं कृषि संगठन परिषद्

2. अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आ० सी० ए० ओ०)

3. अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद् (आई० एम० ओ०)

4. अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की प्रशासी परिषद् (आई० टी० यू०)

5. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) का कार्यकारी बोर्ड

6. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) का औद्योगिक विकास बोर्ड

7. यूनिडो की कार्यक्रम और बजट समिति

8. सार्वभौम डाक संघ (यू० पी० यू०) की कार्यकारी परिषद्

9. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू० एच० ओ०) का कार्यकारी बोर्ड

10. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन शासी निकाय

11. आई० ए० ई० ए० के० गवर्नरों का बोर्ड

मिहीरोक बांध (चैक डेम्स) के निर्माण के लिए धनराशि का आवंटन

4111. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का आंध्र प्रदेश के सूखा प्रवण क्षेत्रों में मिहीरोक बांध (चैक डेम्स), अन्तःस्रवण तालाबों के निर्माण और "ब्रेओचेर टैंक्स" की मरम्मत के लिए धनराशि आवंटित करने का विचार है; और

(ख) मिहीरोक बांध (चैक डेम्स) और तालाबों के निर्माण करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य के सूखा प्रवण जिलों में मिट्टी रोक बांध (चैक डेम्स), अन्तः स्रवण तालाबों का निर्माण करने तथा मृदा संरक्षण उपाय करने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के तहत धनराशि आवंटित की गई है। जहां राज्य सरकार का कृषि विभाग चैक डेम्स के निर्माण का कार्य देखता है, वहां लघु सिंचाई विभाग तालाबों के निर्माण/मरम्मत का कार्य देखता है।

आन्ध्र प्रदेश में रामगिरी स्वर्ण खानों को घाटा

4112. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :**

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में स्थित रामगिरी स्वर्ण खानों को अत्यधिक घाटा हो रहा है;

(ख) इन पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और खानों से कुल कितनी मात्रा में स्वर्ण अयस्क निकाले गये हैं: और

(ग) इन स्वर्ण खानों में घाटा कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) रामगिरि गोल्ड फील्ड की येप्पामाना खान को 1987-88 के अन्त तक 435.55 लाख रु० का सकल घाटा हुआ था। परन्तु अब इसने घाटा पूरा कर लिया है और 1988-89 के दौरान इसे लाभ होने की आशा है।

(ख) 1987-88 के अन्त तक की पूंजी लागत 753.84 लाख रुपये थी। फरवरी, 1989 के अन्त तक 1,53,084 टन अयस्क निकाला गया, जिससे 1363.50 लाख रुपये मूल्य का 393.5 किलोग्राम स्वर्ण प्राप्त हुआ।

(ग) स्वर्ण का उत्पादन बढ़ाने हेतु, स्वर्ण निकासी की आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने और अयस्क की खनन पद्धति में सुधार लाने जैसे अनेक उपाय किये गये हैं। साथ ही, जुलाई, 1988 से स्वर्ण के लिए भारतीय बाजार मूल्य की मंजूरी से इस यूनिट को वित्तीय निष्पादन सुधारने में मदद मिलेगी। रामगिरि शाफ्ट आदि पुन: चालू करके रामगिरि के आस-पास उपलब्ध अतिरिक्त भण्डारों का गवेषण करने जैसे उपाय भी किये जा रहे हैं। बिजली की अनियमित पूर्ति से बचाव के लिए डीजल जेनरेटिंग सैट भी लगाये गये हैं।

पटसन की खेती के विकास के लिए विशेष सुविधाएं

4113. **श्री विजय एन० पाटिल :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री द्वारा सितम्बर, 1986 में घोषित पटसन की खेती के विकास के लिए विशेष सुविधाएं देने की प्रगति के बारे में कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में अब तक कितनी प्रगति हुई;

(ग) भारतीय पटसन निगम ने पटसन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या भूमिका निभाई है; और

(घ) सरकार ने पटसन की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) विशेष पटसन विकास कार्यक्रम ने पश्चिम बंगाल के 5 जिलों में 40 खंड कवर किये।

यह कार्यक्रम शुरू करने के प्रथम दो वर्षों के दौरान (1987-88 और 1988-89) 61.37 लाख रु० खर्च करके 3.32 लाख हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया था।

(ग) भारतीय पटसन निगम को कच्चे पटसन की खरीद के लिए समर्थन मूल्य कार्य शुरू करने और यह राज्य सहकारिताओं, केन्द्रीय भण्डारण निगम तथा राज्य भण्डारण निगमों आदि के द्वारा कच्चे पटसन के भण्डारण के लिए गोदामों के निर्माण करने वाली एक नोडल एजेंसी भी है।

(घ) भारत सरकार ने पटसन की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 1987-88 से 1989-90 तक शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से केन्द्रीय रूप से प्रायोजित विशेष पटसन विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं।

फलों और सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि

4114. श्री बद्रि चन्द्र जैन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान फलों और सब्जियों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मूल्यों में कमी करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) वर्ष 1986 में फलों और सब्जियों का संयुक्त थोक मूल्य सूचकांक 418.4 था जो क्रमिक रूप से बढ़कर वर्ष 1988 में 443.3 हो गया (आधार : 1970-71)।

(ख) मूल्यों के अधिक होने के मुख्य कारण बढ़ती हुई आबादी के साथ सूखे की स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उत्पादन में कमी आना, माल की ढुलाई के प्रभारों में वृद्धि, मालवाहकों की यूनियनों द्वारा हड़ताल किए जाने से माल की ढुलाई में अड़चन आना आदि हैं।

(ग) भारत सरकार ने देश में फलों तथा सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने और मूल्यों को कम करने के लिए निम्नलिखित नीति अपनाई है :—

(1) फलों के वृक्षों की अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री और सब्जियों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उत्पादन और वितरण।

(2) सब्जियों के उत्कृष्ट गुण वाले और अधिक उपज देने वाली किस्मों के वृक्षों के तहत क्षेत्र विस्तार करना।

(3) खेती की उन्नत तकनीकें अपनाने के लिए किसानों को शिक्षित करना।

(4) उर्वरकों के उपयोग को लोकप्रिय बनाना और पौध रक्षण उपायों को अपनाया जाना।

फलों तथा सब्जियों के मूल्यों को कम करने के लिए उपर्युक्त कार्यक्रम के अलावा राज्य सरकारों द्वारा बहुत से अन्य कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

राजस्थान को सूखा राहत सहायता

[हिन्दी]

4115. श्री बुद्धि चन्द्र जैन :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के कौन-कौन से जिले सूखे से प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य वार ब्यौरा क्या है ?

(घ) केन्द्रीय सरकार ने रिपोर्ट के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार राजस्थान में सूखे की स्थिति का मूल्यांकन करने के उपरान्त वास्तव में किस तारीख तक सहायता उपलब्ध करा देगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने 1988 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अपर्याप्त वर्षा के कारण प्रभावित क्षेत्रों में सूखा राहत के लिए 168.41 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए एक ज्ञापन भेजा है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि निम्नलिखित जिले विभिन्न स्तरों की अभाव की परिस्थितियों से प्रभावित थे :—

(1) बाड़मेर, (2) जैसलमेर, (3) जोधपुर, (4) जालौर, (5) पाली, (6) सिरोही, (7) बीकानेर, (8) डूंगरपुर, (9) चुरू, (10) चित्तौड़, (11) उदयपुर, (12) अजमेर, (13) भीलवाड़ा, (14) नागौर, (15) टोंक, (16) जयपुर, (17) बूंदी।

(घ) और (ङ) स्थापित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार के अनुरोध पर कार्यवाही की जा रही है।

राजस्थान में राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करना

[अनुवाद]

4116. श्री बुद्धि चन्द्र जैन :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार यातायात में वृद्धि को देखते हुए इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का है ?

थल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित पांच सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में शामिल करने के लिए प्रायोजित किया है, अर्थात् :—

1. ब्यावर-पाली-सिरोही-कांडला पोर्ट,
2. बीकानेर-नागौर-अजमेर-कोटा-शिवपुरी,
3. अजमेर-भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़-रतलाम-इन्दौर,
4. गुड़गांव-अलवर-सरिस्का-दौसा-सवाई माधोपुर-ग्वालियर और
5. दौसा से मनोहरपुरा तक की सम्पर्क सड़क।

इन पांच सड़कों में से (1) और (5) पर उल्लिखित दो सड़कों को हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है और इस समय और बढ़ोतरी किए जाने की कोई परिकल्पना नहीं है।

दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अध्यापकों के आरक्षित रिक्त पद

[हिन्दी]

4117. श्री आर० पी० सुमन :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न संवर्गों में अध्यापकों के कितने आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, विभिन्न ग्रेडों में अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए आरक्षित शिक्षकों के 1383 पद दिल्ली प्रशासन के अधीन स्कूलों में रिक्त पड़े हुए हैं।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन पदों को भरने के लिए कदम उठाए हैं, जो समय खपाने वाली प्रक्रिया है। इन 11 वर्षों के शिक्षकों की भर्ती, केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल से पूर्व उच्चतम न्यायालय में पड़े एक मामले के कारण भी, 1984-85 से रुकी हुई है। दिल्ली प्रशासन आरक्षित वर्गों में पदों को तत्परता से भरने के लिए प्रयास कर रहा है।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में आग लगना

[अनुवाद]

4118. डा० गौरी शंकर राजहंस :

श्री काली प्रसाद पांडेय :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में हाल ही में लगी भयंकर आग के कारणों का जांच द्वारा पता लगाया गया है;

(ख) इस आग दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा प्रभावित परिवारों को दिये गये मुआवजे की राशि कितनी है; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटना दुबारा घटित होने से रोकने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० में दिनांक 3 मार्च, 1989 को हुए अग्निकांड की बिहार सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) इस अग्निकांड में 10 लोगों की मत्यु हुई। मैसर्स टिस्को ने मृत व्यक्तियों के परिवारों तथा घायलों को आश्वासन दिया है कि संबंधित परिवारों को (पूरी तरह से) पुनर्स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता सहित हर तरह की सहायता दी जाएगी। जांच आदि का कार्य चल रहा है, इसलिए इस स्थिति में मुआवजे की राशि के बारे में बताना सम्भव नहीं है।

(ग) दुर्घटना के कारणों सहित जांच-रिपोर्ट उपलब्ध होने पर ही इस तरह की दुर्घटनाओं को दुबारा घटित होने से रोकने के लिए कदम उठाए जा सकेंगे।

पंजाब में व्यावसायिक शिक्षा संस्थान/प्रशिक्षण केन्द्र

4119. **श्री कमल चौधरी :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों/केन्द्रों की स्थापना की है अथवा स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नवीनतम ब्यौरा क्या है तथा ऐसे प्रत्येक संस्थान/प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जाता है अथवा शिक्षा-प्रशिक्षण दिया जाता है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) और (ख) वर्ष 1987-88 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 67 स्कूलों में +2 स्तर पर 201 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए अनुमोदन कर दिया है। पंजाब में भारत सरकार की सहायता से अलग से व्यावसायिक शिक्षा संस्था खोलने का कोई प्रस्ताव या कार्यक्रम नहीं है।

पंजाब को चिकनाई रहित दुग्ध चूर्ण की सप्लाई

4120. **श्री कमल चौधरी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने चिकनाई रहित दुग्ध चूर्ण की सप्लाई के लिए कोई मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पृथक आयुर्विज्ञान और इंजीनियरी विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव

4121. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों के समान पृथक आयुर्विज्ञान और इंजीनियरी विश्वविद्यालय स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) कृषि विश्वविद्यालयों की पद्धति के आधार पर प्रत्येक राज्य में पृथक चिकित्सा और इंजीनियरी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय प्रधानाचार्य मंच

4122. श्री हेतराम :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में एक मान्यता प्राप्त केन्द्रीय विद्यालय प्रधानाचार्य मंच है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि इस मंच द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) इसका गठन 8-6-79 को किया गया था और केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 31-8-87 को इसे कानूनी मान्यता दी गई थी। 19-3-87 तक की स्थिति के अनुसार सदस्यों की कुल संख्या 180 थी।

(ग) मांग पत्र सम्बन्धी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

प्रधानाचार्य फोरम के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत मांगों/सुझावों के ब्यौरे

1. प्रशासनिक अधिकारियों के पदों और क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा परीक्षा स्कंधों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदों को भरने के बजाय केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों की पदोन्नति।

2. प्रधानाचार्यों के सम्मेलनों के समय आयुक्त से विचार-विमर्श का मौका।

3. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) के अधिकारियों के कर्तव्यों को प्रधानाचार्यों को सूचित करना।

4. प्रधानाचार्यों के लिए पदोन्नति के अवसर।

5. उप-प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों और प्रधान लिपिकों के कर्तव्यों को परिभाषित करना।

6. प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाचार्यों के लिए अवस्थापना पाठ्यक्रम।

7. केन्द्रीय विद्यालय के कार्यालय कर्मचारियों के पदनाम में परिवर्तन और उनकी परिलब्धियों में वृद्धि।

8. अधिकांश स्कूलों में क्रय पद्धति।

9. स्कूल कोष जनकोष के अन्तर्गत प्रधानाचार्यों के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि।

10. प्रधानाचार्य के लिए वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक के पद का सृजन।

11. स्कूल समय के बाद क्रीडा गतिविधियां चलाने के लिए अतिरिक्त समय के लिए खेल अध्यापक।

12. प्रधानाचार्यों के पद के लिए भर्ती सम्बन्धी नियमों का संशोधन।

13. गत सेवा की गणना।

14. प्रधानाचार्यों को भी चट्टोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट के अन्तर्गत लाना।

15. प्रधानाचार्यों की स्थानान्तरण नीति-सहानुभूति के आधार पर विचार।

16. के०मा०शि०बो० द्वारा यथा परिकल्पित त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन की समस्या।

17. के०मा०शि०बो० द्वारा परीक्षा केन्द्रों के परिवर्तन में समस्या।

18. टी०जी०टी० स्तर तक के कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रधानाचार्यों को अधिकार।

19. प्रधानाचार्यों को वाहन भत्ता या वाहन।

20. प्रधानाचार्यों को अतिरिक्त वित्तीय अधिकार और पी०एफ० तथा एस०एफ० के विद्यमान नियमों की संस्वीकृति।

21. सहोदय परिसर का निर्माण तथा शैक्षिक संगोष्ठियों का आयोजन।

22. केन्द्रीय विद्यालय संगठन को दिये जाने वाले सेवाकालीन पाठ्यक्रम और सहायता।

कोणार्क में सूर्य मन्दिर का परिरक्षण

4123. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोणार्क में सूर्य मंदिर के परिरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस विश्व प्रसिद्ध स्मारक के परिरक्षण के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, नहीं। मन्दिर की परिरक्षण स्थिति अच्छी है और क्योंकि यह विश्व विरासत सूची में सम्मिलित स्मारक है इसलिए यह सदा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की प्राथमिकता सूची में रहता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में बूचड़खानों को अन्यत्र ले जाना

4124. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बूचड़खानों को उनके वर्तमान स्थान से अन्यत्र ले जाने का विचार है;

(ख) प्रस्तावित स्थानांतरण का क्या औचित्य है;

(ग) बूचड़खानों की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(घ) बूचड़खानों का वर्तमान उपयोगिता स्तर कितना है; और

(ङ) बूचड़खानों के आधुनिकीकरण और इन्हें अन्यत्र ले जाने पर कितना व्यय करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) इस समय बूचड़खाना "आवासीय उपयोग के क्षेत्र" में स्थित है। इस बूचड़खाने को वर्तमान स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव है। बूचड़खाना और उससे सम्बद्ध इकाइयों के लिए दिल्ली के "मास्टर प्लान" में रोहतक रोड और बाहरी रिंग रोड के चौराहे के पास स्थान निर्धारित किया गया है। वर्तमान बूचड़खाने को इस स्थान से नये प्रस्तावित स्थान पर लगाया जाना सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि निर्धारित स्थान के आसपास बसने वाले लोगों ने इस क्षेत्र को बूचड़-खाना उद्योग के लिए उपयोग किए जाने पर आपत्ति की है।

(ग) प्रत्येक दिन औसतन 8000 भेड़ और बकरियों तथा 2000 भैंसों का वध किया जाता है।

(घ) बूचड़खाने का उपयोग उसकी क्षमता से अधिक किया जा रहा है।

(ङ) इस परियोजना के लिए 1983 के मूल्य पर तैयार की गई अनुमानित लागत लगभग 33.71 करोड़ रुपए थी।

त्रिवेन्द्रम उप-मार्ग

4125. **श्री टी० बशीर :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर त्रिवेन्द्रम उप-मार्ग की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) अब तक कितनी राशि प्रदान की गई है और कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) उप-मार्ग को यातायात के लिए कब तक खोल दिया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) लगभग 43 कि० मी०।

(ख) से (घ) निर्माण कार्य को दो चरणों में हाथ में लिया जा रहा है। चरण-I में लगभग 1.18 कि० मी० की छोटी दूरी का निर्माण पूरा हो गया है और उसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। चरण-I के दो अन्य खण्डों (5 कि० मी०) में निर्माण कार्य चल रहा है। चरण-I को दूसरे 4 कि० मी० खण्ड के निर्माण के लिए हाल ही में अनुमान को संस्वीकृत किया गया है।

राज्यों को एक मुस्त धनराशियां रिलीज की जाती हैं न कि परियोजनावार। अब तक 6.69 करोड़ रुपये खर्च हो गए हैं।

परियोजना का चरण-II अभी योजना स्तर पर है और अभी इसके समापन के समय शिड्यूल तथा परियोजना की कुल लागत के बारे में अभी बता पाना सम्भव नहीं है।

मेवों की खेती

4126. **श्री प्रतापराव बी० भोसले :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र मेवों की खेती के लिए उपयुक्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस क्षेत्र में मेवों की खेती के लिए एक कार्यकारी योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

अन्तरदेशीय जल परिवहन के विकास हेतु सातवीं योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति

4127. श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्देशीय जल परिवहन, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल पोतों और देश के जलमार्गों के आधुनिकीकरण तथा सम्पदाओं के उत्पादन में सुधार लाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जी, हां। आई० डब्ल्यू० टी० सेक्टर के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में नियत उद्देश्यों की उपलब्धियों को क्रियान्वित की जा रही स्कीमों में प्रतिबिंबित किया गया है, जो निम्नलिखित है :—

(1) राष्ट्रीय जलमार्ग (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली) पर बंडालिंग, ब्रेंजिंग, नौचालन उपकरणों और चैनल मार्किंग जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

(2) अपेक्षित अध्ययन पूरा करने के बाद धुबरी से सैदिया तक ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया है।

(3) गोदावरी, कृष्णा, सुन्दरवन, पश्चिम तट केनाल जैसी नदियों में जलीय सर्वेक्षण और तकनीकी आर्थिक अध्ययन हाथ में लिया गया है। पश्चिम तट केनाल और सुन्दरवन के संबंध में अध्ययन पूरे हो गए हैं।

(4) सी० आई० डब्ल्यू० टी० सी० पुराने जहाजों के स्थान पर आधुनिक जहाज लाने के लिए 63 नये जहाज खरीदने हेतु 63.80 करोड़ रुपये की लागत से एक स्कीम संस्वीकृत की गई है। विभिन्न यार्डों में आर्डर दिए गए हैं जहां निर्माण कार्य चल रहा है। इससे बेड़े को आधुनिक बनाने के अलावा सी० आई० डब्ल्यू० टी० सी० की ढुलाई क्षमता सातवीं योजना अवधि के अन्त तक 5 लाख एम० टी० से बढ़कर 10.75 लाख एम० टी० हो जाएगी।

(5) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के अधीन राजाबागान डाकयार्ड को इसकी फैब्रिकेशन क्षमता 1200 एम० टी० से बढ़ाकर 2700 एम० टी० करने के लिए 66.09 करोड़ रुपये की पूंजी लागत से आधुनिक बनाया जा रहा है।

(6) ब्याज सबसिडी की स्कीम को क्रियान्वित किया जा रहा है जिसके तहत आई०डब्ल्यू०टी० प्रचालक जहाजों की खरीद और देशी क्राफ्टों के मशीनीकरण के लिए $5\frac{1}{2}\%$ की दर पर ऋण का लाभ उठाने के पात्र हैं। लगभग 30 आई० डब्ल्यू० टी० उद्यमी इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं।

दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में व्यावसायिक विषयों का पढ़ाया जाना

4128. श्रीमती डी० के० भण्डारी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में कुछ व्यावसायिक विषय पढ़ाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का अगले शिक्षा सत्र में कुछ और ऐसे विषय शामिल करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत आने वाले स्कूलों में निम्न-लिखित व्यावसायिक विषय पढ़ाए जाते हैं :—

1. संगणक प्रौद्योगिकी
2. इलेक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी
3. विद्युत प्रौद्योगिकी
4. वातानुकूलन तथा प्रशीतन प्रौद्योगिकी
5. अटोमोबाइल प्रौद्योगिकी
6. संरचना तथा निर्माण
7. आशुलिपि
8. कार्यालय प्रबंध तथा सचिवालय व्यवहार
9. विपणन तथा विक्रय कला
10. लेखा शास्त्र तथा लेखा परीक्षा
11. बैंकिंग
12. सामान्य बीमा
13. टेक्सटाइल तथा डिजाइन
14. आहार तथा खाद्य आयोजन
15. ड्रेस डिजाईनिंग तथा मेकिंग
16. स्वास्थ्य देखभाल तथा सौन्दर्य कला

17. पर्यटन तथा प्रबन्ध प्रौद्योगिकी

18. पुस्तकालय विज्ञान

19. उद्यान विज्ञान

20. नेत्र तकनीक

(ग) और (घ) जी, हां। डेरी उद्योग, सहायक उपचर्या और प्रसूति विद्या तथा जीवन बीमा जैसे विषयों को आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालयों में व्यावसायिक विषय

4129. श्रीमती डी० के० भंडारी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में कुछ व्यावसायिक विषय पढ़ाए जा रहे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी शैक्षिक सत्र में कुछ और विषय शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) तीन केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा 12वीं में 1988-89 में सामान्य बीमा को व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में आरम्भ किया गया है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में और कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में टेन्टों में चल रहे केन्द्रीय विद्यालय

4130. श्रीमती डी० के० भंडारी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनेक केन्द्रीय विद्यालय टेन्टों में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विद्यालयों के लिए पक्के भवनों के निर्माण हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) दिल्ली में छः केन्द्रीय विद्यालय तम्बुओं में चल रहे हैं और अन्य छः आंशिक रूप से तम्बुओं में चल रहे हैं।

(ग) छः केन्द्रीय विद्यालयों के लिए पक्के भवन निर्माणाधीन हैं। पांच और केन्द्रीय विद्यालयों के लिए पक्के भवन योजना स्तर पर हैं। बकाया केन्द्रीय विद्यालय के लिए भूखंड अभी केन्द्रीय विद्यालय संगठन को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सौंपा जाना है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कालेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम

4131. श्रीमती डी० के० भंडारी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कालेजों में कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी पढ़ाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्या प्रक्रिया है;

(ग) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय का अगले शिक्षा सत्र के दौरान कुछ और पाठ्यक्रम शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के पास अगले शैक्षिक वर्ष के दौरान नये व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

विवरण

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा उनके लिए प्रवेश की कार्य पद्धति से संबंधित ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश
1. प्रौद्योगिकी	
1. अवर स्नातक	प्रवेश योग्यता के आधार पर दिए जाते हैं।
(1) बी० ई० सिविल इंजीनियरी	
(2) बी० ई० इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी	
(3) बी० ई० इलेक्ट्रानिकी तथा संचार इंजीनियरी	
(4) बी० ई० मेकेनीकल इंजीनियरी	

(5) बी० ई० उत्पादन और औद्योगिक इंजीनियरी	
(6) बी० ई० संगणक इंजीनियरी	
2. स्नातकोत्तर	
इलेक्ट्रीकल/मेकेनिकल/सिविल में एम० ई०	प्रवेश इंजीनियरी में स्नातक अभिरुचि परीक्षा के आधार पर दिए जाते हैं।
2. चिकित्सा विज्ञान	
(1) एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस०	प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिए जाते हैं।
(2) एम०डी०/एम०एस०	—वही—
3. फार्मेसी स्नातक	प्रवेश योग्यता के आधार पर दिए जाते हैं।
4. फार्मेसी में मास्टर डिग्री	(1) इंजीनियरी में स्नातक अभिरुचि परीक्षा द्वारा दिए गए प्रतिशतता अंक को प्रमुखता की जाएगी—70%
	(2) अर्हक परीक्षा में प्रमुखता—30%
5. बी०ए०एम०एस०/बी०यू०एम०एस०	अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिए जाते हैं।
6. शिक्षा स्नातक	लिखित परीक्षाओं तथा साक्षात्कार परीक्षाओं के आधार पर प्रवेश दिये जाते हैं।
7. शिक्षा में मास्टर डिग्री	—वही—
8. एल० एल० बी०	प्रवेश योग्यता के आधार पर दिये जाते हैं।
9. एल० एल० एम०	प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिये जाते हैं।
10. बी० एस० सी० नर्सिंग	चयन परीक्षा के आधार पर प्राप्त योग्यता आधार पर प्रवेश दिये जाते हैं।
11. नर्सिंग में मास्टर डिग्री	(1) इस पाठ्यक्रम में 50% स्थान उन उम्मीदवारों द्वारा भरे जाते हैं जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से 65% अथवा इससे अधिक अंक लेकर बी० एस० सी० नर्सिंग परीक्षा उत्तीर्ण की है।
	(2) 50% स्थान छात्रों को जांच परीक्षा तथा अन्तिम अर्हक परीक्षा में निष्पादन के आधार पर प्रदान किये जाते हैं।
12. व्यापार प्रशासन में मास्टर डिग्री	प्रवेश लिखित परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर दिए जाते हैं।

आप्रेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालय

4132. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री "40 परसेंट स्कूल्स हैव नो ब्लैक बोर्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के बारे में 2 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1244 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1987-88 और 1988-89 (दिसम्बर, 1988 तक) के दौरान राज्य संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे प्राथमिक विद्यालयों की संख्या क्या है जिसमें आप्रेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत न्यूनतम सुविधाओं का प्रावधान है;

(ख) 1987-88 और 1988-89 (दिसम्बर, 1988 तक) राज्यवार, इस कार्यक्रम पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) जनवरी, 1989 को राज्यवार प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या क्या थी; और अनुमानित औसतन कितनी जनसंख्या के पीछे प्रत्येक विद्यालय है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ग) अद्यतन उपलब्ध सूचना वही है जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा 30 सितम्बर, 1986 की सदर्भ तारीख के रूप में आयोजित पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण ने दी है और यह संलग्न विवरण-2 में देखी जा सकती है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	वर्ष 1987-88 में प्रदान की गई निधियों द्वारा शामिल किए गये प्राइमरी स्कूलों की वास्तविक संख्या	वर्ष 1988-89 में प्रदान की गई निधियों द्वारा शामिल किए गए प्राइमरी स्कूलों की वास्तविक संख्या (31-12-88 तक)	राज्य/संघ शासित प्रशासनों द्वारा उपयोग की गई राशि (निर्दिष्ट तारीख तक) (लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	6352	—	304.34 (31 दिस०, 88)
2.	असम	7014	—	142.50 (3 दिस०, 88)
3.	बिहार	13270	—	956.22 (30 सित०, 88)
4.	गुजरात	4769	—	496.95 (30 सित०, 88)
5.	हरियाणा	959	—	28.52 (30 सित०, 88)
6.	हिमाचल प्रदेश	1984	—	147.79 (31 दिस०, 88)
7.	जम्मू और काश्मीर	1320	—	89.29 (31 दिस०, 88)

1	2	3	4	5
8.	कर्नाटक	2473	—	79.15 (31 दिस०, 88)
9.	केरल	1467	—	50.00 (31 दिस०, 88)
10.	मध्य प्रदेश	13926	—	46.58 (30 दिस०, 88
11.	महाराष्ट्र	6723	—	78.84 (31 दिस०, 88)
12.	मणिपुर	541	—	शून्य
13.	मेघालय	766	—	शून्य
14.	नागालैंड	311	—	24.[illegible]1 (31 दिस०, 88)
15.	उड़ीसा	7377	—	443.29 (30 दिस०, 88)
16.	पंजाब	4737	—	333.88 (31 दिस०, 88)
17.	राजस्थान	12187	—	944.3[illegible] (30 दिस०, 88)
18.	सिक्किम	509	—	12.00 (31 दिस०, 88)
19.	तमिलनाडु	5995	6098	267.12 (31 दिस०, 88)
20.	त्रिपुरा	421	—	शून्य
21.	उत्तर प्रदेश	18924	—	361.24 (31 दिस०, 88)

1	2	3	4	5
22.	अरुणाचल प्रदेश	353	—	56.92 (31 दिस०, 88)
23.	दादर नगर हवेली	17	—	शून्य
24.	दिल्ली	668	—	शून्य
25.	गोवा	169	—	3.:0 (31 दिस०, 88)
26.	लक्षद्वीप	19	—	0.22 (31 दिस०, 88)
27.	मिजोरम	166	—	10.53 (31 दिस०, 88)
28.	पांडिचेरी	—	32	शून्य
29.	दमन और द्वीव	—	—	शून्य
30.	पश्चिम बंगाल	—	11139	शून्य

विवरण-2

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	प्राइमरी स्कूलों की संख्या (30-9-86 को)	प्रति स्कूल औसत जनसंख्या (30-9-86 को)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	45008	1297
2.	अरुणाचल प्रदेश	952	780
3.	असम	25837	840
4.	बिहार	51377	1541
5.	गोवा	993	1142
6.	गुजरात	12709	3115
7.	हरियाणा	4849	3111
8.	हिमाचल प्रदेश	6904	711
9.	जम्मू एवं कश्मीर	7466	911
10.	कर्नाटक	23023	1838
11.	केरल	6096	4581
12.	मध्य प्रदेश	64089	919
13.	महाराष्ट्र	38094	2155
14.	मणिपुर	2757	596
15.	मेघालय	3692	477
16.	मिजोरम	1005	595
17.	नागालैंड	1131	859
18.	उड़ीसा	34178	858
19.	पंजाब	12838	1478
20.	राजस्थान	28103	1417
21.	सिक्किम	468	800
22.	तमिलनाडु	29268	1813
23.	त्रिपुरा	1927	1319

1	2	3	4
24.	उत्तर प्रदेश	75:64	1653
25.	पश्चिम बंगाल	48456	1272
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	177	1425
27.	चंडीगढ़	44	13685
28.	दादरा और नागर हवेली	124	961
29.	दमन और द्वीव	32	2811
30.	दिल्ली	1838	4282
31.	लक्षद्वीप	18	2406
32.	पांडिचेरी	339	2059
	समस्त भारत	529392	1481

रखरखाव अनुदान की मंजूरी न पाने वाले विश्वविद्यालय

4133. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्यवार कौन-कौन से विश्वविद्यालयों को रख-रखाव अथवा विकास सहायता मंजूर नहीं की गई;

(ख) प्रत्येक मामले में मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस०पी० शाही) : (क) से (घ) वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 12-ख के अनुसार 17 जून, 1972 के बाद स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय को, केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्रीय सरकार से राशि प्राप्त कर रही किसी अन्य संस्था द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा, जब तक कि आयोग, यथा निर्धारित ऐसे मामलों में अपने आप को संतुष्ट करने के बाद ऐसे विश्वविद्यालयों को ये अनुदान प्राप्त करने के उपयुक्त घोषित नहीं करता। वि० अ० आ० अधिनियम की धारा-12 ख के अन्तर्गत, जो विश्वविद्यालय उपयुक्त घोषित किए जा चुके हैं, उन्हें उनके सामान्य विकास के लिए वित्तीय सहायता और विशिष्ट योजनाओं के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाती है। राज्य विश्वविद्यालयों को रखरखाव अनुदान संबंधित राज्यों द्वारा प्रदान किया जाता है न कि आयोग द्वारा। सात राज्य विश्वविद्यालयों को अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त करने के उपयुक्त घोषित किया जाना है। नौ विश्वविद्यालयों को संस्थानिक विकास अनुदानों को छोड़कर सहायता के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है। विश्वविद्यालयों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये

हैं। आयोग ने संबंधित राज्य सरकारों से यह मामला उठाया है, ताकि वि०अ०आ० अधिनियम की धारा-12 ख के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में दी गई शर्तों को पूरा किया जा सके और विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सहायता के लिए उपयुक्त घोषित किया जा सके।

विवरण

वि०अ०आ० अधिनियम की धारा-12 ख के अन्तर्गत जो विश्वविद्यालय सहायता के लिए उपयुक्त घोषित किए जाने है

सात राज्य विश्वविद्यालय अभी भी वि०अ०आ० द्वारा उपयुक्त घोषित किए जाने बाकी हैं। ये इस प्रकार हैं :—

आंध्र प्रदेश

(1) तेलुगु विश्वविद्यालय, हैदराबाद (1986)

अरुणाचल प्रदेश

(2) अरुणाचल विश्वविद्यालय, ईटानगर (1985)

गुजरात

(3) उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय पाटन (1986)

महाराष्ट्र

(4) अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती (1983)

राजस्थान

(5) अजमेर विश्वविद्यालय (1987)

उत्तर प्रदेश

(6) पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर (1987)

पश्चिम बंगाल

(7) विद्या सागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर (1981)

विश्वविद्यालय जो उपयुक्त घोषित किए जा चुके हैं परन्तु जिन्हें अभी विकास अनुदान संस्वीकृत नहीं हुए हैं।

निम्नलिखित 9 विश्वविद्यालयों को वि०अ०आ० द्वारा उपयुक्त घोषित किया जा चुका है, परन्तु उन्हें इस समय कोई संस्थानिक विकास अनुदान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा दिया गया आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

कर्नाटक

(1) कुवेमपुर विश्वविद्यालय, बी०आर० परियोजना, शिमोगा (1987)

उड़ीसा

(2) श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (1981)

राजस्थान

(3) कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा (1987)

मध्य प्रदेश

(4) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (1983)

तमिलनाडु

(5) मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाई कनाल (1984)

उत्तर प्रदेश

(6) अवध विश्वविद्याल, फैजाबाद (1975)

(7) बुन्देलखन्ड विश्वविद्यालयय, झांसी (1975)

(8) रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली (1975)

त्रिपुरा

(9) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला

पंजाब को बाढ़ राहत सहायता

4134. **श्री रेणुपद दास :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार द्वारा राज्य में हाल ही में बाढ़ से प्रभावित लोगों को कितनी धन-राशि वितरित की गई; और

(ख) पंजाब में बाढ़ राहत के लिए सामान्य जनता से कितना धन प्राप्त हुआ ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मदर डेयरी द्वारा सब्जियों तथा फलों की खरीद

4135. **श्री पी०आर० कुमारमंगलम :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेयरी दिल्ली द्वारा सब्जियों और फलों की पचास प्रतिशत खरीद सीधे किसानों अथवा उनकी सहकारी समितियों से की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और गत वर्ष उनकी तथा अन्य गैर-कृषक सप्लायरों

को कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या इस परियोजना के अन्तर्गत कृषक सहकारी समितियों को स्थापित किया जाना था और यदि हां, तो स्थापित की गई सहकारी समितियों का ब्यौरा क्या है और उत्पादक सदस्यों की संख्या कितनी है;

(घ) गत एक वर्ष के दौरान मदर डेयरी के बूथों के माध्यम से सब्जियों और फलों की वास्तविक रूप में कितनी बिक्री की गई;

(ङ) क्या यह पता लगाने के लिए कोई स्वतंत्र निगरानी की व्यवस्था की गई है-कि मदर डेयरी ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादकों और दिल्ली के उपभोक्ताओं की कीमत पर एक बिचौलिया न बन जाये; और

(च) क्या इसमें प्रतिस्पर्धा हेतु फल और सब्जियों के बूथों को उपभोक्ता सहकारी समितियों को सौंपने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) मदर डेरी ने कृषक तथा गैर-कृषक सप्लायरों से पिछले एक वर्ष के दौरान 710 लाख रुपए की राशि का भुगतान करके लगभग 29,500 मीटरी टन फलों तथा सब्जियों की खरीद की थी।

(ग) कृषक सहकारी समितियां गठित नहीं की गई थीं इसलिए इनकी सदस्यों की संख्या का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) मदर डेरी ने पिछले वर्ष के दौरान लगभग 20,000 मीटरी टन फल तथा सब्जियां बेची हैं।

(ङ) जी, नहीं, क्योंकि इस परियोजना से उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों को ही लाभ होगा।

(च) जी, नहीं।

मदर डेरी और दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दुग्ध उत्पादों का प्रयोग

4136. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेयरी और दिल्ली दुग्ध योजना राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा दिये गये उपहार/वाणिज्यिक/फूल्ड दुग्ध उत्पादों का सर्दी के मौसम में भी भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान महीना-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी दोनों द्वारा वर्षवार कुल कितनी मात्रा में दूध की खरीद की गई ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, सर्दी माहों में मदर डेयरी और दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा उपयोग में लाए गए स्किम मिल्क पाउडर, बटर आयल तथा व्हाइट बटर की मात्राओं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, मदर डेयरी, दिल्ली और दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा खरीदी गई दूध की वर्षवार कुल मात्रा इस प्रकार है :—

	1986	1987	1988
		(मी० टन में)	
मदर डेयरी	1,34,807	93,942	63,099
दिल्ली दुग्ध योजना	81,001	71,048	72,719

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान सर्दी माहों में मदर डेयरी और दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा उपयोग में लाए गए स्किम मिल्क पाउडर, बटर आयल और व्हाइट बटर की मात्रा इस प्रकार है :—

माह और वर्ष	मदर डेयरी			दिल्ली दुग्ध योजना		
	स्किम मिल्क पाउडर	बटर आयल	व्हाइट बटर	स्किम मिल्क पाउडर	बटर आयल	व्हाइट बटर
	(मी० टन में)			(मी० टन में)		
नवम्बर, 86	636	104	38	320	8	11
दिसम्बर, 86	386	74	29	223	—	—
जनवरी, 87	184	43	—	209	—	—
फरवरी, 87	271	78	7	272	—	—
नवम्बर, 87	866	143	51	348	14	—
दिसम्बर, 87	924	200	—	347	23	—
जनवरी, 88	805	138	—	299	—	—
फरवरी, 88	1099	300	—	464	12	—
नवम्बर, 88	1376	348	122	632	108	—
दिसम्बर, 88	1012	224	21	314	2	—
जनवरी, 89	338	16	7	213	—	—
फरवरी, 89	367	27	7	348	15	—

मसालों का वार्षिक उत्पादन

4137. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मसालों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले देश के पहले तीन राज्य कौन-कौन से हैं;

(ख) इन तीन राज्यों में विभिन्न मसालों के वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार केरल में काली मिर्च की खेती में सुधार और इसमें वृद्धि करने का; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) देश में मसालों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले पहले तीन राज्य आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल हैं।

(ख) 1987-88 के दौरान इन तीन राज्यों में विभिन्न मसालों के उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

राज्य	वस्तु	उत्पादन
		(हजार मीटरी टन)
आन्ध्र प्रदेश	मिर्च	261.00
	हल्दी	115.20
	अदरक	8.57
तमिलनाडु	हल्दी	91.70
	मिर्च	23.90
	अदरक	0.81
	इलायची	0.53
	काली मिर्च	0.24
केरल	काली मिर्च	48.28
	इलायची	2.83
	अदरक	42.98
	हल्दी	6.20

(ग) और (घ) मसालों, विशेषकर काली मिर्च के विकास का एक समेकित कार्यक्रम सातवीं योजना के दौरान केरल राज्य में 350 लाख रुपए की लागत से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस

कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गए उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) काली मिर्च की अधिक उपज देने वाली किस्मों की 129 लाख जड़ कलमों का उत्पादन और वितरण।

(2) काली मिर्च की अधिक उपज देने वाली किस्मों के 21.5 हैक्टेयर माडल उद्यानों और संतति उद्यानों की स्थापना और इनका अनुरक्षण।

(3) 1.5 लाख आदान किटों का वितरण जिनमें प्रत्येक में 20 लताओं के लिए अपेक्षित मात्रा में उर्वरक और पौध रक्षण रसायन हों।

(4) 500 स्प्रेयरों का वितरण करना।

(5) 2·000 हैक्टेयर वाले मौजूदा काली मिर्च के उद्यानों की फिर से स्थापना करना।

(6) काली मिर्च का वैज्ञानिक तरीकों से प्रोसेसिंग करने के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए 400 प्रदर्शन आयोजित करना।

कोको की खेती

4138. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कोको की खेती के विकास हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988 के दौरान केरल में कोको का कुल कितना उत्पादन हुआ तथा वर्ष 1989 के दौरान कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(ग) अन्य किन-किन राज्यों में कोको की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) केरल राज्य में वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों के खेतों में प्रदर्शन भू-खंडों की स्थापना करने, कृन्तक कीटों के नियंत्रण के सम्बन्ध में कृषकों को प्रशिक्षण देने और सहकारी क्षेत्र में शुष्क करने वाले यंत्रों की स्थापना द्वारा कोको की फलियों के सामुदायिक स्तर पर परिसंस्करण को प्रोत्साहित करने का एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) 1988 और 1989 के दौरान कोको के उत्पादन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 1986-87 के दौरान केरल में कोको का उत्पादन 6036 मीटरी टन था। यह आशा की जाती है कि उत्पादन का वह स्तर बनाए रखा गया है।

(ग) बड़े पैमाने पर कोको उगाने वाले अन्य राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं।

एक परिवार एक रोजगार

4139. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

श्री वी० कृष्णराव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार सुनिश्चित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) पिछड़ेपन और बेरोजगारी की स्थिति के आधार पर चुने गये देश के 120 जिलों में -4-1989 से जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना नामक एक नया गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। योजना के लिए 1989-90 के दौरान 500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जा रहे हैं। योजना के अन्तर्गत निधियां विद्यमान मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों के अलावा होंगी। यह अनुमान लगाया गया है कि पुराने तथा नए कार्यक्रमों के अन्तर्गत सृजित कुल मजदूरी रोजगार इतना होगा कि चुने हुए जिलों में एक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य की लगभग सभी मजदूरी रोजगार आवश्यकताओं को पूरा कर लिया जायेगा।

बंगलादेश में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करना

4140. **श्री समर कुमार मंडल :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश सरकार ने अपने देश में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत से प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का क्या निर्णय है;

(घ) क्या सरकार को ओमान से भी देश में यूरिया संयंत्र स्थापित करने के बारे में ऐसा ही प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में, उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) से (ग) बंगलादेश की मैसर्स कर्णफुली फर्टिलाइजर कम्पनी (केफको) ने 1987 में गैस पर आधारित अमोनिया/यूरिया परियोजना में एक भारतीय कम्पनी की सहभागिता का प्रस्ताव किया था। प्रस्ताव को आकर्षक नहीं पाया गया। कुछ संशोधनों के साथ प्रस्ताव हाल ही में पुनः किया गया है। केफको के संशोधित प्रस्ताव

पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) और (ङ) मस्कट के एक व्यापारी घराने ने ओमन में उर्वरक परियोजना स्थापित करने के लिए भारतीय पक्षकारों के साथ सहभागिता में उत्सुकता दर्शायी है व्यापारिक घराने ने हमारे दूतावास से उन शर्तों के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं जिनके अन्तर्गत संयुक्त उद्यम परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा सकता है

अफगानिस्तान को भारत की सहायता

4141. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत काबुल, अफगानिस्तान को कोई सहायता, मानवीय अथवा तकनीकी दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) कोई नई तकनीकी सहायता तो विचाराधीन नहीं है किन्तु भारत सरकार अफगान सरकार की अपील पर मानवीय सहायता के रूप में कुछ राहत सामग्री भेज रही है जिसमें अफगान लोगों के लिए दवाइयां और खाद्य सामग्री है।

फास्फेटिक उर्वरकों के मूल्य निर्धारण के लिए मानदंड

4142. **श्री के० एस० राव :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फास्फेटिक उर्वरकों के मूल्य निर्धारण मानदंडों का संशोधित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मूल्यों में वृद्धि, विशेषरूप से जब पुराने संयंत्रों पर लागू होती है उनके कार्य पर दुष्प्रभाव पड़ने की सम्भावना रहती है, जिससे उनका अस्तित्व संकट में पड़ जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख) जी, हां। यह निर्णय लिया गया है कि 10 वर्ष पुराने फास्फोरिक एसिड संयंत्रों के क्षमता उपयोग के मानदंड 1-4-1988 से 75 प्रतिशत पर और 10 वर्षों से अधिक पुराने संयंत्रों की क्षमता उपयोगिता के मानदण्ड 70 प्रतिशत पर निर्धारित किए जाएं। इसी प्रकार बाह्य फास्फोरिक एसिड पर आधारित कम्पलैक्स उर्वरक संयंत्रों के स्ट्रीम घंटे 10 वर्ष तक प्रति ट्रेन प्रतिवर्ष 6300 घंटे और 10वें वर्ष के बाद प्रति ट्रेन प्रति वर्ष 6000 घंटे होंगे।

(ग) और (घ) पुराने संयंत्रों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा क्योंकि 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं। संयंत्रों के मानदण्डों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

विश्व बैंक की सहायता से बागवानी विकास परियोजना

4143. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली कोई बागवानी फसल विकास परियोजना कार्यान्वियनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को अब तक किन-किन राज्यों में कार्यान्वित किया गया है;

(ग) क्या विश्व बैंक की सहायता से कर्नाटक में भी इसी प्रकार की कोई परियोजना कार्यान्वित की जा रही है;

(घ) विश्व बैंक द्वारा इन परियोजनाओं के लिए अब तक कितनी सहायता दी गई है; और

(ङ) इन राज्यों में विभिन्न फलों की खेती अब तक किन-किन क्षेत्रों में की जाती है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि तथा सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) विश्व बैंक की सहायता से केवल एक परियोजना, अर्थात्—"कन्डी पनधारा तथा क्षेत्र विकास परियोजना" क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें बागवानी का विकास करना भी शामिल है।

(ख) पंजाब।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विश्व बैंक द्वारा 31 मार्च, 1988 तक 42 लाख रुपये की सहायता दी गई है।

(ङ) प्रथम चरण के दौरान, 1987-88 तक फलों की विभिन्न फसलों के तहत 2,269 हैक्टेयर क्षेत्र लाया गया।

मध्य प्रदेश में सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव

[हिन्दी]

4144. **श्री मानकूराम सोढी :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने जगदलपुर-कोटा और जगदलपुर-बीजापुर-कोटापल्ली सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ (I) जगदलपुर-

कोंटा और (II) जगदलपुर-बीजापुर-भोपाल पटनम-निर्मल सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में शामिल करने की आवश्यकता को प्रक्षेपण किया है जिसमें संयोगवश मध्य प्रदेश में बीजापुर से कोटापल्ली तक का सड़क खण्ड नहीं आता है। तथापि, जगदलपुर-बीजापुर-निजामाबाद सड़क जो मध्य प्रदेश में लगभग 210 कि० मी० लम्बी है, को हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। इस समय राज्य में नये राष्ट्रीय राजमार्गों में और बढ़ोतरी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

"टर्न-की" आधार पर चीनी मिल परियोजना प्रारम्भ करने के लिए पंजीकरण

[अनुवाद]

4145. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण टर्न-की चीनी मिल परियोजनाओं के लिए सप्लाई करने अथवा इस संबंध में समय-समय पर निविदायें भरने हेतु ठेकेदारों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास पंजीकरण के बारे में कई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) टर्न-की चीनी मिल परियोजनाओं हेतु ठेकेदारों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा करवाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा गठित अपनी-अपनी राज्य सरकारों/राज्य स्तर को सलाहकार समितियों द्वारा टर्न की आधार पर परिपूर्ण चीनी संयंत्रों को सप्लाई हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं तथा इन्हें अन्तिम रूप से दिया जाता है। तथापि, टर्न की संयंत्रों के सप्लायरों के पंजीकरण के प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर को इस स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी चीनी मिलों के लिए टर्न की सप्लायरों की सूची तैयार करता है। टर्न की चीनी संयंत्रों की आपूर्ति के लिए स्वीकृत सप्लायरों के बीच पहले ही स्पर्धा है इसलिए इस स्थायी समिति द्वारा पंजीकरण हेतु गुणों के आधार पर नये आवेदनों पर विचार किया गया है।

समेकित बाल विकास योजना

4146. **श्री वी० तुलसीराम :**

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों के लिए एक समेकित बाल विकास योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को किन-किन राज्यों में शुरू किए

जाने की सम्भावना है;

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान इसके लिए राज्यों को राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है;

(घ) क्या इस योजना में बाल श्रमिकों की समस्याएं भी शामिल हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) योजना कहा जाता है, 1975-76 से चल रही है।

(ख) इस योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :—

(1) 0—6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पोषाहार एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना।

(2) बच्चों के समुचित मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास का आधार तैयार करना।

(3) शिशु मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और पढ़ाई से हट जाने वाले बच्चों की दर संख्या में कमी करना।

(4) बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों में कारगर ढंग से नीति का समन्वय और कार्यान्वयन करना।

(5) बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषाहारीय आवश्यकताओं की देखभाल के लिए समुचित पोषाहारीय और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से मां की क्षमता बढ़ाना।

ये उद्देश्य, 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं के लिए स्वास्थ्य, पोषाहारीय और शिक्षा सेवाओं के माध्यम से प्राप्त किए जाने होते हैं।

1975-76 में 33 आई० सी० डी० एस० परियोजनाएं शुरू की गई थीं और ऐसी परियोजनाओं की संख्या अब 1952 तक पहुंच गई है जिनमें 216 परियोजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं। ये परियोजनाएं सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में चल रही हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 1989-90 के लिए 181.00 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की गई है। राज्यों को, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर और केन्द्रीय बजट में प्रावधान को ध्यान में रखते हुए फंड दिया जाता है। इस राशि का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ) जैसा कि उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है योजना के कुछ सुपरिभाषित उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों में बाल श्रमिकों की समस्याएं शामिल नहीं हैं।

विवरण

देश में अब तक स्वीकृत समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) परियोजनाओं की राज्यवार संख्या

क्रम संख्या	राज्य का नाम	समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं की संख्या		
		केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं	राज्य क्षेत्र की परियोजनाएं	कुल परियोजनाएं
1	2		3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	103	9	112
2.	अरुणाचल प्रदेश	25	—	25
3.	असम	52	—	52
4.	बिहार	168	—	168
5.	गोवा	11	—	11
6.	गुजरात	82	16	98
7.	हरियाणा	37	68	105
8.	हिमाचल प्रदेश	23	—	23
9.	जम्मू एवं कश्मीर	25	23	48
10.	कर्नाटक	78	30	108
11.	केरल	54	24	78
12.	मध्य प्रदेश	161	—	161
13.	महाराष्ट्र	122	—	122
14.	मणिपुर	19	—	19
15.	मेघालय	20	—	20
16.	मिजोरम	16	3	19
17.	नागालैंड	21	—	21
18.	उड़ीसा	105	—	105
19.	पंजाब	48	—	48
20.	राजस्थान	83	17	100

1	2	3	4	5
21.	सिक्किम	4	—	4
22.	तमिलनाडु	78	—	78
23.	त्रिपुरा	14	—	14
24.	उत्तर प्रदेश	222	8	230
25.	पश्चिमी बंगाल	128	16	144
	कुल (राज्यों के लिए) :	1699	214	1913

क्र० सं०	संघ शासित क्षेत्र	समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं की संख्या		
		केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं	राज्य क्षेत्र की परियोजनाएं	कुल परियोजनाएं
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान एवं निकोबार	4	—	4
2.	चण्डीगढ़	2	—	2
3.	दादरा और नगर हवेली	1		1
4.	दमन और दीव	2	—	2
5.	दिल्ली	22	2	24
6.	लक्षद्वीप	1	—	1
7.	पांडिचेरी	5	—	5
	संघ शासित क्षेत्रों का जोड़	37	2	39
	कुल जोड़	1736	216	1952

मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

4147. **श्री जी० एस० वासवराजू :**

श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला प्रशासन के एक नये प्रजातांत्रिक ढांचे को कार्यरूप देने के सम्बन्ध में गत दो वर्षों से किए जा रहे प्रयास को अन्तिम रूप देने के लिए विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो यह सम्मेलन कब हुआ था;

(ग) सम्मेलन में कितने मुख्य मंत्रियों ने भाग लिया; और

(घ) सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया और किन-किन विषयों पर चर्चा की गई ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) कृषि क्षेत्र के लिए मंत्रियों की समन्वय समिति की एक बैठक 7 अगस्त, 1987 को नई दिल्ली में बुलाई गई थी। उक्त बैठक में राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था। कार्य सूची मदों में से एक मद पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने से संबंधित थी।

(ग) गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया।

(घ) प्रजातंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के बारे में डा० एल० एम० सिंघवी की रिपोर्ट की विभिन्न सिफारिशों पर मुख्य मंत्रियों से परामर्श किया गया था। जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया, उनमें शामिल थे— पंचायती राज ढांचे को महत्व प्रदान करने के लिए संवैधानिक संशोधन करना, संसाधनों का आवंटन करने और कराधान की शक्तियां देने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करना और पंचायती राज की ढांचा सम्बन्धी पद्धति में परिवर्तन लाना। बैठक में भाग लेने वालों की यह आम राय थी कि पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ और अधिक सक्षम बनाया जाना चाहिए।

आयोजना प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण हेतु संविधानिक संशोधन

4148. डा० दत्ता सामन्त :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार योजना प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण हेतु सांविधानिक संशोधन विधेयक लाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस विधेयक का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने का विषय जिसमें आयोजना प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण भी शामिल है, सरकार के विचाराधीन है। ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, कल भारी संख्या में युवा कांग्रेस

(आई) के कार्यकर्ता आंध्र प्रदेश विधान सभा में जबरदस्ती घुस गए।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्यों का विषय है। इस पर कार्यवाही नहीं होगी। मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री पलास बर्मन : (बलूरघाट) : महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों सिफारिश कर रहे है, मैं अपने आप सुन लूंगा। आपका पत्र मुझे मिल गया था।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही कर रहा हूं। मैं करूंगा।

[हिन्दी]

मैं कर लूंगा।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : वह दिल्ली में नहीं था। यद्यपि वह अनुपस्थित था फिर भी उसे निलम्बित कर दिया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सब सुन लिया मैंने। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं।

[अनुवाद]

नियमों के अनुसार, मैं उसमे सुधार करूंगा।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : वह अस्पताल में थे न कि सभा में। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप 50 आदमी क्यों एक साथ बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया। फैसला भी मैं ही करूंगा न। और क्या कर सकता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव : महोदय कल भारी संख्या में युवा कांग्रेस (आई) कार्यकर्ता आंध्र प्रदेश विधान सभा में जबरदस्ती घुस गए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट सब्जेक्ट है, मेरे बस की बात नहीं है। कल भी बात हो रही थी। आज भी वही कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव : आप कांग्रेस (आई) सत्तारूढ़ दल को निदेश दें कि वे ऐसे गैर-कानूनी और गलत काम न करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, आप जानते हैं कि मैं राज्यों से सम्बन्धित विषय नहीं ले सकता।

श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव : आप उन्हें निदेश दीजिए। उन्होंने दुर्व्यवहार किया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्यों अन-नैसेसरी बात करते हो। कल इनको कह रहे थे, आज आप कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव : इस देश में कांग्रेस (आई) पार्टी का शासन है। उन्होंने इस प्रकार दुर्व्यवहार किया है। आप उन्हें ऐसा न करने का निदेश दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह मेरा काम नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं। अनुमति नहीं दी जाती।

(व्यवधान)*

श्री एस० अप्पाल रेड्डी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं कार्यवाही कर रहा हूं।

[हिन्दी]

आप बैठिये। मैंने देख लिया है।

[अनुवाद]

महानुभाव, प्रस्ताव प्राप्त होने पर, उस पर कार्यवाही की जाती है। अत: मैं कार्यवाही करूंगा और अपना विनिर्णय दूंगा। आपने प्रस्ताव मुझे दे दिया है। इस समय और अधिक मैं क्या कर सकता हूं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : वह बंगाल में था। उसकी अनुपस्थिति में सभा में दुर्व्यवहार के लिए उसे निलम्बित कर दिया गया।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है। हो सकता है कहीं कुछ गलती हो गई हो। मैं देखूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सुन लिया, अब हो गई बात, खत्म हो गई बात।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और नाजुक मुद्दा उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : समस्या क्या है।

श्री शांताराम नायक : पामेला सिंह ब्रिटेन में हाहाकार मचा रही है। विदेश मंत्री को उसकी गतिविधियों के बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बस छोड़िए, अब आप इसे।

[अनुवाद]

संसार में ऐसी हजारों हैं। आप चिंता न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब क्यों बिला वजह टाइम जाया कर रहे हो आप।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इनको भेज देते हैं पता करने के लिए।

[अनुवाद]

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि आप सभा को ठक्कर आयोग की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बारे में कब बताएंगे ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बता तो दिया न, कल सब बताया आपको। मैं पता करके ही कुछ बता-ऊंगा न।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वी० किशोरचन्द्र एस० देव : क्या कोई समय···

अध्यक्ष महोदय : मामले की जांच किए बिना, मैं नहीं कर सकता। मैंने कल आपको बताया था कि मैं भरसक प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको आश्वासन दे चुका हूं कि जो कुछ मैं कर सकता हूं, करूंगा।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : कब ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत करिए।

[अनुवाद]

श्री वी० किशोरचन्द्र एस० देव : यह विशेषाधिकार का हनन है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : किशोर चन्द्र जी अब आप बिना मतलब की बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

कृपया ऐसा न करें।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : सभा की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें। मैंने अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं सभा के इतिहास का एक दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या समस्या है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह यह है कि 63 सदस्यों को एक ऐसी मांग के लिए सभा से निलम्बित कर दिया गया है जिसे बाद में सरकार ने सही माना है···

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शिव शंकर

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्यवहार पर अचम्भा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या शर्म नहीं आती, आपको ऐसा करते हुए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्यवहार से शर्मिन्दा हूं। यह अनावश्यक है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, ये क्या करते हैं, इनको थोड़ा समझाया करो न आप। फिजूल की बातों में समय जाया करते हैं।

12.03 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों के राज्य मंत्री (श्री एस०पी० आहो) : श्री पी० शिवशंकर की ओर से मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[मंत्रालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—7614/89]

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण तथा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी, परिसंघ लिमिटेड, आनन्द और राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी परिसंघ, लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०—7615/89]

(3) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी परिसंघ लिमिटेड, आनन्द के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी परिसंघ लिमिटेड, आनन्द के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7616/89]

(4) (एक) राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7617/89]

(5) (एक) राष्ट्रीय शहरी विकास सहकारी बैंक तथा ऋण सोसाइटी परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक तथा ऋण सोसाइटी परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक तथा ऋण सोसाइटी परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7618/89]

(6) (एक) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के

[श्री भजन लाल]

दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7619/89]

अदरक श्रेणीकरण और चिन्हांकन (संशोधन) नियम, 1988

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : श्री जनार्दन पुजारी की ओर से मैं कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अदरक श्रेणीकरण और चिन्हांकन (संशोधन) नियम, 1988, जो 7 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 8 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—7620/89]

कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, सूरथकल, मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, जयपुर और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष, 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सूरथकल के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सूरथकल के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7621/89]

(2) (एक) मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7622/89]

(3) (एक) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7623/89]

(5) (एक) गांधी स्मृति तथा दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गांधी स्मृति तथा दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7624/89]

(7) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7625/89]

(9) (एक) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7626/89]

(11) (एक) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7627/89]

(13) (एक) योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7628/89]

(15) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फाउन्ड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—7629/89]

(17) (एक) राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7630/89]

(19) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7631/89]

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं; इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली और सेन्ट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० नामल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (सुरक्षा अभिसमय प्रमाण-पत्र) संशोधन नियम, 1988, जो 14 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 25 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (भारतीय मत्स्य-नौकाओं का पंजीकरण) नियम, 1988, जो 5 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 866 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—7632/89]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 952 (अ) जो 27 सितम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विशाखापतनम पत्तन न्यास (जलयान करस्थम या बन्दी बनाना और विक्रय) विनियम, 1988 का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—7633/89]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—7634/89]

(ख) (एक) सेन्ट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष

[श्री पी० नामग्याल]

1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—7635/89]

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7634/89 तथा 7635/89]

(5) (एक) नहावा-शेवा पत्तन न्यास, बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नहावा-शेवा पत्तन न्यास, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी०—7636/89]

(7) (एक) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय मे रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7637/89]

(9) (एक) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7638/89]

(11) (एक) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—7639/89]

(13) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखे, तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7640/89]

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—7641/89]

(तीन) नहावा-शेवा पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—7642/89]

(14) (एक) कोचीन पत्तन न्यास, (दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास और (तीन) नहावा-सेवा पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के लेखाओं पर सरकार द्वारा 3 समीक्षाओं की एक-एक प्रति।

(15) उपर्युक्त (13) और (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—7640—42/89]

(16) पेप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7643/89]

(17) पेप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7644/89]

श्रम मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : मैं श्रम मंत्रालय के वर्ष 1989-90 के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी

[श्री राधा किशन मालवीय]

तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[पंचालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—7645/89]

12.04 म० प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है : –

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) विधेयक, 1989 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 17 मार्च, 1989 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1989 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 17 मार्च, 1989 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

12.05 म० प०

प्राक्कलन समिति

66वां और 67वां प्रतिवेदन

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का 66वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(दो) नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन विभाग)—प्रमुख बौद्ध तीर्थ यात्रा केन्द्रों के विकास के संबंध में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के 63वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 67वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

12.05½ म० प०

कार्य मन्त्रणा समिति

68वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 29 मार्च, 1989 को सभा मे प्रस्तुत किए गए अड़सठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 29 मार्च, 1989 को सभा में प्रस्तुत किए गए अड़सठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.06 म० प०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

15वां प्रतिवेदन

श्री अनूप चन्द्र शाह (बम्बई उत्तर) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

श्री हरीश रावत।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जयपाल जी, मैं समझता हूं कि थोड़ी-बहुत शराफत होनी चाहिए। थोड़ी-बहुत तो डीसेंसी रखिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, ये क्या कर रहे हैं। कुछ तो समझाइए इनको।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हर बात की सीमा होती है। आप तो सभी सीमाएं पार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : मैंने इस विषय पर एक प्रस्ताव दिया था जो लम्बित है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत गलत और गम्भीर बात है।

[हिन्दी]

बिला वजह हाऊस का टाइम जाया कर रहे हैं। आपको ये शोभा देता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यही तो कह रहा हूं। मैंने कार्यवाही की है। और अधिक क्या किया जा सकता है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जयपाल जी, इसके लिए मैं आज आपका नाम पुकार सकता हूं। क्या आप चाहते हैं कि आज ऐसा किया जाए ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय, क्या ?

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम लेने के लिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : नहीं महोदय।

अध्यक्ष महोदय : फिर बैठ जाइए। बस यही काफी है।

[हिन्दी]

प्रोफेसर साहब, समझाइए इनको।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत श्री हरीश रावत के वक्तव्य के सिवाय किसी भी अन्य बात को कार्यवाही वृत्तान्त मे सम्मिलित किये जाने की अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं केवल हानि के लिए मुआवजे की मांग कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल आपका नाम ले सकता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं माननीय मंत्री महोदया श्रीमती शीला दीक्षित से औपचारिक क्षमा चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वे तो आपकी बात वैसे ही मान जायेंगी, अगर आप शराफत से करें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

तम्पन थामस : मैंने आपको एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस बैठ जाइये। बस यह काफी है। बहुत हो चुका है।

[हिन्दी]

आपको क्या हो गया है।

[अनुवाद]

आपको अच्छा व्यक्ति समझा जाता है।

(व्यवधान)

12.08 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों को पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध कराये जाने हेतु भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले तीन माह से सस्ते गल्ले की दुकानों पर गेहूं बिलकुल भी उपलब्ध नहीं है। इन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन नाम मात्र का होता है। स्थानीय जनता गेहूं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर ही निर्भर करती है। ऐसी स्थिति में गेहूं का उपलब्ध न होना न केवल दुख व चिन्ता का विषय है, बल्कि लोगों में आक्रोश का कारण भी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि एफ० सी० आई० द्वारा पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध न करवाए जाने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है।

अतः मेरा केन्द्रीय खाद्य मंत्री से आग्रह है कि एफ० सी० आई० से कहकर उत्तर प्रदेश को अधिक मात्रा में गेहूं उपलब्ध करवाया जाए तथा अभाव की स्थिति को दूर किया जाए।

(दो) युवाओं को रोजगार प्रदान किए जाने हेतु मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता

श्री कम्मोदी लाल जाटव (मुरैना) : अध्यक्ष महोदय, भारत में क्षेत्रफल को देखते हुए मध्य प्रदेश अभी भी काफी पिछड़ा हुआ प्रदेश है। यहां पर सभी सम्भाग, चाहे बस्तर हो, चाहे जबलपुर हो, रीवा हो चाहे झाबुआ हो, चाहे चम्बल सम्भाग हो, पहाड़ों से घिरे है। दूसरी तरफ इतनी नदियां बह रही हैं कि इनके बहाव से लाखों हेक्टेयर जमीन कटाव में आ गई है। इसी कारण से किसानों को जमीन जोतने के लिए कम मात्रा में है जबकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वन सम्पदा काफी मात्रा में पाई जाती है। जैसे सीमेंट बनाने का पत्थर, चूना बनाने के लिए पत्थर तथा कोयले के अपार भण्डार हैं। इसके अलावा कई अन्य कच्ची सम्पदाएं हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि हर एक जिले में उद्योग

[श्री कम्मोदी लाल जाटव]

स्थापित करें ताकि यहां की बेरोजगारी समाप्त हो।

(तीन) भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड का प्रबन्ध-ग्रहण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती बसवराजेश्वरी (बेल्लारी) : विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड एक सरकारी कम्पनी है जिसके 45 करोड़ रुपये के पूंजी शेयर जारी किए गये थे, इसके 60 प्रतिशत शेयर कर्नाटक सरकार के पास है और बाकी शेयर भारत सरकार के पास हैं।

विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड का भारत के उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान है। यह कारखाना अपनी लघु मंद/नरम इस्पात उत्पादन योजना के विस्तार के माध्यम से एक अपमिश्रक और विशेष इस्पात उत्पादक कारखाना नहीं बन पाया है।

विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड में भारी हानि हो रही है तथा राज्य सरकार इस हानि को वहन करने में सक्षम नहीं है। राज्य सरकार इसके आधुनिकीकरण के लिए निवेश करने की स्थिति में भी नहीं है जोकि इसे आर्थिक दृष्टिकोण से चलाने के लिए आवश्यक है। इसलिए विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड ने भारत सरकार से यह आग्रह किया है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा इसका प्रबन्ध ग्रहण किया जाये। राज्य सरकार ऊर्जा की सप्लाई तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति द्वारा फालतू कर्मचारियों को कम करने के बारे में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सभी शर्तों को मानने को राजी हो गई है।

मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करती हूं कि इस परियोजना को भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा अपने हाथ में लिए जाने के लिए अन्तिम निर्णय लेने में और अधिक विलम्ब न किया जाये।

(चार) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की एक खंडपीठ कलकत्ता में स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मण्डल (जयनगर) : महोदय, एक समय कलकत्ता देश के सभी प्रमुख उद्योगों अर्थात पटसन, वस्त्र, लोहा और इस्पात, कोयला आदि का केन्द्र और बहुत से अन्य उद्योगों का परिचारक था, जिसमें इंजीनियरिंग भी सम्मिलित है। यह एक दुर्भाग्य की बात है कि आजकल सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल राज्य विशेष रूप से कलकत्ता महानगर गम्भीर औद्योगिक रुग्णता की चपेट में आया हुआ है और वह बड़ी कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है। उद्योगों के बन्द होने और तालाबन्दी आदि के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गये हैं।

सरकार ने औद्योगिक रुग्णता को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय करने हेतु रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1985 के अन्तर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की है।

इस बोर्ड का मुख्यालय बम्बई में है। पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की एक खण्ड पीठ कलकत्ता में स्थापित की जाये, ताकि बोर्ड को भेजे गये बन्द पड़े और रुग्ण उद्योगों के मामलों की सुनवाई और निपटाने का कार्य शीघ्रता से किया जा सके। इस बोर्ड का मुख्यालय बम्बई में होने के कारण रुग्ण इकाइयों के प्रबन्धकों

और ट्रेड यूनियनों को अपने मामले की सुनवाई के लिए इतनी दूरी पर बार-बार जाने में कठिनाई होती है। अत: औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की एक पीठ कलकत्ता में स्थापित करना आवश्यक हो गया है। इस समय लगभग 90 रुग्ण औद्योगिक इकाइयों, जिनमें कुछ पटसन मिलों और इन्जीनियरिंग उद्योग भी सम्मिलित हैं, के मामलों को बोर्ड के पास भेजा गया है।

अत: महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करूंगा कि बोर्ड के पास लम्बित पड़े मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए कलकत्ता में बोर्ड की एक पीठ स्थापित करने के बारे में शीघ्रता से कार्यवाही की जाये। बोर्ड की और अधिक खंडपीठ बनाने के लिए उद्योग ने भी मामला तैयार किया है।

12.14 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(पांच) राजस्थान में सरकारी अभिकरणों के माध्यम से सरसों और तोरिया तिलहनों की खरीद लाभप्रद मूल्यों पर किये जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : राजस्थान राज्य में सरसों और तारामिरा के मूल्य कृषि उपज विपणन समितियों में इन वस्तुओं के निर्धारित समर्थन मूल्य से भी नीचे गिर गये हैं। न तो राजस्थान सरकार ने और न ही भारत सरकार ने राजस्थान की मंडियों में इनकी खरीद शुरू की है। किसानों को मजबूरन इन वस्तुओं को खुले बाजार में बेचना पड़ रहा है। किसानों को खुले बाजार में अपनी वस्तुओं के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राजस्थान राज्य में खुले बाजार में सरसों और तारामिरा की खरीद शुरू की जाये। यह कार्य नफेड अथवा डेयरी विकास निगम को सौंपा जा सकता है ताकि किसानों को इन वस्तुओं की मजबूरन बिक्री न करनी पड़े।

(छः) बच्चों की दशा में सुधार किए जाने हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता

बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला (अनन्तनाग) : इस समय बच्चों पर जितना ध्यान दिया जा रहा है उन पर उससे बहुत अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारी सामाजिक-राजनैतिक प्रणाली में ऐसी अनेक कमियां हैं जिनके कारण हमारे अधिकांश बच्चों पर कम ध्यान दिया जाता है। बच्चे बड़ी संख्या में उपेक्षा और अभाव का शिकार होते हैं। ऐसी स्थिति में एक ओर तो उनका बहुत सा मूल्यवान समय बेकार चला जाता है और वे अनपढ़ रह जाते हैं और जब उन्हें रोजगार मिलता है तो उन्हें गुजारे लायक वेतन भी नहीं मिलता।

अब यह बात भी प्रकाश में आई है कि हजारों बच्चे भारत के विभिन्न राज्यों की जेलों में दुख पा रहे हैं। सरकार को बाल अपराधियों की अत्यन्त दुखद स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और बाल अपराध न्याय अधिनियम 1986 के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए।

मैं केन्द्रीय सरकार से यह आग्रह करूंगी कि विभिन्न राज्यों की जेलों में बन्द बच्चों की संख्या के बारे में एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण तुरन्त ही कराया जाये, और बाल अपराध न्याय अधिनियम जिसमें उपेक्षित अथवा बाल अपराधियों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था की गई है, के कार्यान्वयन की प्रतिपुष्टि की जाये।

(सात) कुटरू राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में रहने वाले ग्रामवासियों द्वारा तेंदू के पत्ते तोड़े जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाये जाने के लिये मध्य प्रदेश सरकार को निदेश दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मानकू राम सोढ़ी (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, कुटरू नेशनल पार्क के आसपास 56 गांव हैं जिनमें हरिजन आदिवासी रहते हैं। पुश्त-दर-पुश्त से उनका जीवन जंगल की उपज के सहारे से चलता था जो प्रकृति के भरोसे से मौसमवार मिला करता है। उनके निर्वाह के लिए खेती की पैदावार एक आंशिक सहायक के रूप में है लेकिन जिस समय से इनके गांव नेशनल पार्क क्षेत्र में लिए गए हैं तभी से वन की उपज लेने में प्रतिबन्ध लगाने लगे हैं। खासकर तेन्दू पत्ता तोड़ने को एकदम मना किया गया है। प्रति वर्ष एक खास मौसम में इनके पत्ते तोड़े जाते हैं, जिससे हर परिवार अपनी मेहनत से कुछ निश्चित मजदूरी कमा लेता है और उनकी आय का यह मुख्य स्रोत है।

अत: केन्द्र शासन से अनुरोध है कि इन्हें प्रकृति से जो मौलिक अधिकार प्राप्त है उसे उनके जीवन का आर्थिक स्रोत मानते हुए उस आय को प्राप्त करने से न रोका जाये। तत्काल राज्य शासन को ऐसा निर्देश दिया जाये।

(आठ) नई दिल्ली में किसी प्रमुख स्थान पर स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र की प्रतिमा लगाये जाने तथा किसी सड़क का नाम उनके नाम पर रखे जाने की आवश्यकता

डा० गोरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर बड़ी रेलवे लाइन का उद्घाटन करते समय भूतपूर्व रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र की जनवरी 1975 में समस्तीपुर में हत्या कर दी गई थी। स्वतंत्र भारत में श्रीमती इन्दिरा गांधी के अलावा वही ऐसे अकेले केन्द्रीय मंत्री हैं जिनकी हत्या सरकारी कर्तव्य का निर्वाह करते हुए की गई। अनुरोध है कि राष्ट्र के प्रति की गई उनकी सेवाओं के सम्मान में श्री ललित नारायण मिश्र की एक प्रतिमा नई दिल्ली के एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित की जाए, तथा एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाए ताकि भावी पीढ़ी राष्ट्र के प्रति उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं को याद रख सके।

12.20 म०प०

केन्द्र-राज्य सम्बन्ध आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा केन्द्र-राज्य सम्बन्ध आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करती है।"

न्यायमूर्ति आर०एस० सरकारिया की अध्यक्षता में तथा श्री बी० शिवारमन और श्री एस०आर० सेन की सदस्यता के अन्तर्गत जून, 1983 में एक केन्द्र-राज्य संबंध आयोग की स्थापना की गई जिसका मुख्य उद्देश्य केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच व्याप्त व्यवस्था का पुनर्विलोकन तथा जांच कर उसके शक्ति, कार्य और उत्तरदायित्व को दर्शाने तथा इस दिशा में उपयुक्त उपाय सुझाना है। देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा

सावधानी-पूर्वक बनाए गये संविधान की योजना तथा संरचना तथा सामाजिक और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए आयोग को अपनी कार्यवाही करनी है।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट 27 अक्तूबर, 1987 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट दो भागों में है। रिपोर्ट के प्रथम भाग में आयोग के विचार और सिफारिशें शामिल हैं जबकि इसके दूसरे भाग में राज्य सरकारों, राजनैतिक दलों और दूसरों द्वारा पेश किए गए पत्र, घोषणा-पत्र, दस्तावेज इत्यादि संग्रहीत हैं। इसके प्रथम भाग में 247 सिफारिशें हैं। आयोग की रिपोर्ट में केन्द्र और राज्य सरकार के सम्बन्ध का सम्पूर्ण ब्यौरा शामिल है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जिन्हें इस रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है वे हैं :—वैधानिक सम्बन्ध, प्रशासनिक सम्बन्ध, राज्यपाल की भूमिका, राष्ट्रपति की सहमति के लिए राज्यपाल द्वारा विधेयक का आरक्षण, आपातकालीन प्रबन्ध, संघीय सशस्त्र सेना को राज्यों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए भेजना, अखिल भारतीय सेवाएं, अन्तर-राज्य परिषद्, वित्तीय विनियम, आर्थिक और सामाजिक योजन उद्योग, कृषि, खान और खनिज, वन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, अन्तर-राज्य जल विवाद, वाणिज्य और व्यापार, प्रचार माध्यम इत्यादि।

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को अनुवाद के बाद छपवाया गया। सरकार ने इस रिपोर्ट को प्रारम्भिक तौर पर जांच करने के बाद इसे जनता के लिए प्रकाशित करने का निर्णय लिया। तदनुसार इस आयोग की सिफारिशों को बल देते हुए 30-1-1988 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। रिपोर्ट की प्रति भी साथ-साथ संसद के ग्रंथालय में सदस्यों के उपयोग के लिए रखी गयी। 5 फरवरी, 1988 को गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की एक बैठक में आयोग की सिफारिशों के सारांश की प्रति और प्रेस विज्ञप्ति भी सरकार द्वारा, कमेटी के सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई गई।

रिपोर्ट की प्रति राजनैतिक दल के नेताओं और संसद के सदस्यों को लोक सभा, राज्य सभा सचिवालय द्वारा भेजी जा चुकी है। रिपोर्ट की प्रतियां मुख्य मंत्रियों और सभी राज्य सरकारों के पास इस आग्रह के साथ भेजी गई हैं कि वे इस पर अपनी टिप्पणी भेजें। रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को भी आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए भेजी गई हैं। सभी राज्यों के राज्यपालों को भी रिपोर्ट की प्रतियां भेजी जा चुकी हैं। आयोग की सिफारिशों की ध्यानपूर्वक जांच की जा रही है और सरकार सभी बातों का ध्यान रखते हुए तथा संसद सदस्यों और राज्य सरकारों के विचारों को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लेगी। उन्नीस राज्य सरकारों से टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी हैं अन्य राज्य सरकारों की टिप्पणियों का इंतजार है और उनको इस पर जल्द अमल करने के लिए पुनः याद दिलाया गया है।

इस रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समितियों द्वारा विस्तृत रूप से विचार किया जा चुका है। समिति ने इस रिपोर्ट के लिए चार बैठकें की हैं। मैं समिति के माननीय सदस्यों द्वारा दी गई टिप्पणियों और सुझावों के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।

रिपोर्ट पर राज्य सभा में भी 28, 29 और 30 नवम्बर, 1988 को विचार किया गया। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। सरकार ने राज्य सभा के माननीय सदस्यों के मुद्दे पर विचार करने का निर्णय लिया है।

सरकार आयोग की सिफारिशों के प्रति सचेत है और इस पर राज्य सरकारों तथा संसद के सदस्यों के विचारों को ध्यान में रखने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

महोदय, इसके साथ ही मैं यह आग्रह करता हूं कि केन्द्र-राज्य संबंध आयोग की रिपोर्ट पर

[सरदार बूटा सिंह]

इस गरिमापूर्ण सभा द्वारा विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा केन्द्र-राज्य सम्बन्ध आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करती है।"

श्री अय्यपू रेड्डी।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकारिया आयोग 1983 में नियुक्त किया गया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में चार साल की लम्बी अवधि लगी है। इसकी रिपोर्ट अक्तूबर, 1987 में प्रस्तुत की गयी थी। जब आठवीं लोक सभा संगठित हुई तब हमें ऐसा अनुमान था कि सरकारिया आयोग अपनी रिपोर्ट पहले साल या दूसरे साल में प्रस्तुत कर देगी और इसी लोक सभा में आयोग की सिफारिशों और परिवर्तनों को अंतिम रूप दिया जा सकेगा ताकि केन्द्र और राज्य की कार्यप्रणाली में सामंजस्यपूर्ण संतुलन स्थापित किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया और आठवीं लोक-सभा का सत्र खत्म होने वाला है। अभी तक केन्द्र सरकार कोई विशेष प्रस्ताव लेकर सामने नहीं आ पाई है। माननीय मंत्री महोदय का यह कहना कि हम इसके प्रति सचेत हैं और इस दिशा में वाद-विवाद, और अनेक विभागों तथा संस्थाओं से राय जानने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है इसके बाद भी यह जाहिर है कि आठवीं लोक सभा के सत्र में हम सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर कुछ भी नहीं कर पायेंगे। और न ही कोई सिफारिश कर पायेंगे या इसे अन्तिम रूप दे पायेंगे। फलतः इसको नवीं लोक-सभा में प्रस्तुत करना होगा तथा इस रिपोर्ट पर वाद-विवाद केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण तक ही सीमित होगा और इससे किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। यह जानकर मुझे दुःख होता है कि हमारा यह परिश्रम केवल शैक्षणिक, इस प्रस्ताव पर हमारी विशेषता ही दर्शाएगा बाकी सब व्यर्थ ही होगा।

महोदय, यह रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की गयी थी और 1988 के शुरुआत में ही केन्द्र सरकार किसी प्रारम्भिक नतीजे पर पहुंचकर इन सिफारिशों पर कोई निर्णय ले सकती थी। कुल मिलाकर करीब-करीब 250 सिफारिशें की गई हैं। कुछ सिफारिशें तो विवादास्पद नहीं है। केन्द्र सरकार ऐसी सिफारिशों पर भी कोई निर्णय नहीं ले पाई है। दूसरी ओर, राज्यपाल की नियुक्ति और आपातकालीन योजना लागू करने संबंधी दी गई सिफारिशों का भी उल्लंघन किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति सरकारिया आयोग की सिफारिशों का मजाक उड़ाती है। महोदय, एक मुख्य सिफारिश जोकि विवादास्पद नहीं है वह है धारा 263 के अन्तर्गत अन्तर-राज्य परिषद की स्थापना करना···

सरदार बूटा सिंह : इससे आंध्र प्रदेश की स्थिति नहीं बदल सकती थी।

श्री वी० एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : वह आंध्र प्रदेश से नफरत करते हैं। (व्यवधान)

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वाद-विवाद को विवाद रहित रखना चाहता हूं और मैं इसे राजनीति से अलग रखना चाहता हूं क्योंकि यह एक मुख्य संवैधानिक पहलू है और हमें एक संवैधानिक विचारधारा का विकास करना होगा जिससे कि संविधान में निहित हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर एक सुखी राज्य की कल्पना को साकार कर सकें। इसलिए इस पहलू को हम राजनीति से अलग रखें। हमें जहां तक सम्भव हो सके उद्देश्यपरक होने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यहां हमारा अस्तित्व अस्थायी है लेकिन संविधान को स्थायी होना चाहिए।

महोदय, मेरा अब भी यह सुझाव है कि सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसार केन्द्र सरकार को एक अन्तर्राज्यीय परिषद बनाने दें, जिसय सदस्य प्रधानमंत्री केन्द्रीय मंत्री, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। यह कार्य बजट सत्र की समाप्ति से पहले किया जा सकता है। उस अन्तःराज्यीय परिषद को सरकारिया आयोग की रिपोर्ट तथा राष्ट्रीय सर्वसम्मति से की गई सिफारिशों पर विचार करने दें और जो सिफारिशें सरकार स्वीकार करने जा रही है, उन सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार मई, जून या जुलाई महीने में विशेष प्रस्ताव रखे तथा यदि सरकार कुछ प्रारम्भिक या प्रायोगिक प्रस्ताव रखती है तो सदस्यों के लिए अपने विचार व्यक्त करना बहुत उपयोगी होगा। अब यह समूचा विषय इतना व्यापक है कि इस पर चर्चा तथा वाद-विवाद बहुत अपविस्तृत, भिन्न तथा संभवतः दिशा-हीन होगा तथा इसको राजनैतिक रंग दिया जा सकता है।

महोदय, इतना कहने के बाद, मैं कहूंगा कि संघ और राज्यों के बीच संबंधों की जांच के लिए आयोग बनाने की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई थी ताकि राज्यों और केन्द्र, द्विसोपानों के बीच सांवैधानिक अधिकारों में उत्पन्न वैमनस्य और असंतुलन को दूर किया जाए। यह आवश्यकता 1983 में भी महसूस की गई थी और जो भी तनाव हैं, उन्हें दूर नहीं किया गया है। अपितु तनाव बढ़े हैं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री और केन्द्रीय मंत्री राज्यों में जाकर राज्य सरकारों की आलोचना करते हैं, मैं पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपना रहा हूं, उनकी अकार्यकुशलता और अन्य त्रुटियों के लिए उन्हें दोषी ठहराते हैं, उन्हीं राज्यों में जाकर उन्हीं के यहां कम विकास होने की बात कहते हैं। यह भी दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री खुले आम प्रधानमंत्री और केन्द्रीय मंत्रियों का विरोध तथा उनकी आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राज्य में विकास न होने का कारण केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के प्रति अपनाए जाने वाला रवैया है। जहां तक भारत के नागरिक का संबंध है यह बहुत बुरी बात है। सांवैधानिक संस्थायें खुले आम तनाव पैदा कर रही हैं। एक आम नागरिक के लिए यह सचमुच खेद की बात है कि राज्य सरकारें केन्द्र को दोषी ठहराती हैं और केन्द्र सरकार के मंत्री तथा मुखिया राज्य सरकार को दोषी ठहराते हैं। इससे बचा जाना चाहिए। केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों में नयापन लाया जाना चाहिए। हमें आपसी सहयोग, आपसी सम्मान का एक नया अध्याय लिखना होगा। सरकारिया आयोग ने केन्द्र को अपने रवैये बदलने की आवश्यकता पर ठीक ही बल दिया है। जरूरत केवल इस बात की नहीं है कि संविधान में संशोधन किया जाए अपितु जरूरत इस बात की है कि राष्ट्रीय चरित्र में, देश के संचालकों के राजनैतिक, नैतिक व्यवहार के स्तर को बदला जाए। जब तक केन्द्र की मनोवृत्ति नहीं बदलती, संविधान में संशोधन से वांछनीय परिणाम नहीं मिलेंगे, महोदय, इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि वर्ष 1949 में जब हमारा संविधान बनाया गया उस समय जो शर्तें रखी गई थीं, वे अब विद्यमान नहीं हैं। समूचे विश्व में व्यापक परिवर्तन हो चुके हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार, उद्योग, वाणिज्य और हर क्षेत्र में इतना अधिक परिवर्तन आ चुका है कि आण्विक युग से हमने अन्तरिक्ष युग में कदम रख लिया है। इन व्यापक परिवर्तनों से कुछ प्रभाव पड़ा है और सरकार के कार्यकलापों में इस परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई थी। यह सच है कि इन परिवर्तनों के कारण केन्द्र के हाथों में अधिकारों का तेजी से केन्द्रीयकरण हो रहा है। केन्द्र के हाथ में अधिकार होने का कोई भी विरोध नहीं करेगा बशर्ते कि इससे राष्ट्रीय उद्देश्य अर्थात् कल्याणकारी राज्य बनाने के उद्देश्य की पूर्ति होती हो। अधिकारों के केन्द्र में आने का मात्र यही परिणाम निकला है कि राज्य केन्द्र के हाथों में कठपुतलियां बन गए हैं, उनकी सक्रियता समाप्त हो गई है, वे अपंग हो गए हैं, वे एक संयुक्त परिवार के निष्क्रिय सदस्य बनकर रह गए हैं जहां वे पूर्ण रूप से हर काम के लिए संयुक्त परिवार के प्रबन्धक या मुखिया पर निर्भर हैं। यदि राज्यों ने अपना महत्व खो दिया तो केन्द्र सरकार को स्थिति की समीक्षा करनी होगी। सरकारिया ने जितने सुन्दर ढंग से इसका

[श्री ई० अय्यपू रेड्डी]

वर्णन किया है, मैं उससे अच्छे ढंग से नहीं कह सकता। मैं सरकारिया रिपोर्ट में कहे गए कुछ वाक्यों को उद्धृत करूंगा :—

"शक्ति के विकेन्द्रीकरण का महत्व :

अत: सरकार के उच्च द्विसोपानों, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और उत्तरदायित्वों के न्यागमन के मुद्दे पर एक और सरकार के इन द्विसोपानों और अन्य सोपानों के बीच और दूसरी ओर इनमें से प्रत्येक सोपान के अन्दर कार्यात्मक एजेंसियों के बीच विकेन्द्रीकरण के व्यापक मुद्दे के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है। अधिकांश लोगों के हित और आकांक्षाएं उन्हीं इलाकों में संकेन्द्रित हैं, जिनमें वे रहते हैं और अपने जीवन के व्यवसाय चलाते हैं। सामान्यत: वे उच्चतर निर्वाचित मंचों को चुनने के लिए क्षेत्रीय या राष्ट्रीय महत्व के बृहत् विषयों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले स्थानीय स्वशासी निकायों के स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना चाहेंगे। इन स्थानीय संस्थाओं की वास्तविक शक्तियों के विकेन्द्रीकरण, उपकेन्द्री ताकतों की धमकी को समाप्त करने, सभी क्षेत्रों में सामान्य सहयोग बढ़ाने, हमारी प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के आधार को विस्तृत करने, प्रशासनिक कार्यक्षमता को बढ़ाने और अन्तर्सरकारी संबंधों की पुष्टता और स्थायित्व में सुधार करने में सहायक होगा"।

चूंकि इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिए गए कारणों की वजह से शक्तियों के बृहत् केन्द्रीकरण की सामान्य प्रवृत्ति रही है, अत: भारत जैसे देश में इसे रोकने के लिए हमेशा सचेतन और सप्रयोजन प्रयास की आवश्यकता है। इस कथन में काफी सच्चाई है कि अनुचित केन्द्रीकरण से केन्द्र में रक्त-चाप की स्थिति हो जाती है और आस-पास के राज्यों में अरक्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका अवश्यम्भावी परिणाम है विकृति और अदक्षता। वास्तव में, केन्द्रीकरण लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करता, अपितु उन्हें गम्भीर बना देता है।"

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : राज्य की राजधानी के बारे में आप क्या कहेंगे। क्या यह वहां लागू होता है ?

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : जहां तक साधारण व्यक्ति, साधारण नागरिक का सम्बन्ध है, वह केन्द्र सरकार तक पहुंचने की स्थिति में नहीं होगा। दिल्ली तो अधिक नागरिकों की पहुंच से दूर है। उनका सम्बन्ध सीधे स्थानीय सरकार से है, जैसा कि न्यागाधीश सरकारिया ने ठीक ही कहा है। अत: राज्य सरकार को नागरिकों को फायदा पहुंचाना होगा। राज्य को ही कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी होगी। यहां तक कि राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं भी कार्यान्वित करनी होगी। केन्द्र सरकार ने अधिकांशत: सभी अधिकार हथिया लिए हैं। मैं एक एक करके बताऊंगा कि किस तरह संविधान का उल्लंघन किया गया है, भले ही ऐसा जान-बूझकर नहीं किया गया। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा किसी इरादे से किया गया था। लेकिन संविधान के कार्यकरण में, सभी शक्ति दिल्ली में संकेन्द्रित हो गई है जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को हर बात के लिए केन्द्र सरकार का मुंह ताकना पड़ता है। कोई भी काम राज्य सरकार अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। नौकरशाही कार्यकलाप के इस द्विरावृत्ति इतनी तेजी से हुई है कि हमने नौकरशाही उदासीनता का किला-सा गढ़ लिया है ताकि आम नागरिक दूर-दराज के गांवों में पेय जल योजना ले जाने में भी असहाय हो जाए। दूर-दराज के क्षेत्र में पेय जल योजना को संघ सरकार, राज्य सरकार, जिला परिषद, ब्लाक और पंचायत की स्वीकृति लेनी पड़ती है। सचमुच यह समझना बहुत कठिन है कि इस

जैसी सरल योजना को भी नौकरशाही की कितनी जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा।

वस्तुस्थिति यह है। वर्ष 1949 में जब संविधान तैयार किया गया था, तब सामाजिक ढांचा सर्वथा भिन्न था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था विशुद्ध रूप से कृषि पर आधारित थी। कृषि, भूमि और भू-स्वामियों का महत्व था। जमीदार और जागीरदार महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे। इसलिए इन लोगों पर नियंत्रण एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता था। इसीलिए कृषि का विषय राज्य सूची में रखा गया। स्मरणीय है कि 1946 के चुनाव घोषणा-पत्र में स्वयं कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि सभी अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होनी चाहिए और भारत सरकार अधिनियम, 1935 में, प्रान्तीय सरकारों को स्वायत्तता की पेशकश की गई थी। इस पर व्यापक चर्चा हुई और वास्तव में कांग्रेस इसी शर्त पर चुनाव लड़ने को तैयार हुई कि वायसराय उनके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अतः जब विधायी कार्यों का बंटवारा हुआ और सूचियां 1, 2 और 3 बनाई गईं, कृषि को महत्व दिया गया। उद्योग का व्यावहारिक तौर पर कोई अस्तित्व नहीं था।

अपने मुद्दे के पक्ष में, मैं केन्द्रीय सरकार का वर्ष 1949 का बजट इस सभा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1949 के बजट में, 322.9९ करोड़ रुपये का राजस्व दर्शाया गया था। व्यय 322.53 करोड़ रुपये का था 45 लाख रुपये की बचत दर्शाई गई थी। राजस्व की मदें क्या थीं ?

सामान्य उत्पाद शुल्क	:	50.25 करोड़ रु०
सीमा शुल्क	:	117.25 करोड़ रु०
निगम कर	:	57.25 करोड़ रु०

वर्ष 1949 में निगम कर 57.25 करोड़ रु० था और अब यह 4.755 करोड़ रुपये है।

सीमा शुल्क उस वर्ष 117.25 करोड़ रुपये था और अब 17,879.95 करोड़ रुपये है।

उत्पाद शुल्क जो उस समय 50.25 करोड़ रु० था, अब 22,318.19 करोड़ रु० है। उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से प्राप्त होने वाला राजस्व 50 करोड़ रु० से बढ़कर लगभग 22,000 करोड़ रु०हो गया है।

यह इस बात का द्योतक है कि एक कृषि प्रधान देश, जिसकी पृष्ठभूमि और अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी उसकी अर्थव्यवस्था उद्योग पर आधारित हो गई है। मैं केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच अन्तर से सम्बन्धित अपने मुद्दे को स्पष्ट करना चाहूंगा। उदाहरण के तौर पर, वर्ष 1949 में दो भाइयों का बंटवारा हुआ। एक भाई ने नई दिल्ली में दो प्लाट और दो दुकानें बना लीं। छोटे भाई को लखनऊ, उत्तर प्रदेश के किसी दूर-दराज के गांव में 80 एकड़ जमीन मिली। जिस भाई ने नई दिल्ली में सम्पत्ति ली थी, हालांकि वह उन दिनों में 80 एकड़ या 9९ एकड़ के बराबर थी, आज वह करोड़पति बन चुका है। दूसरा भाई कृषि ऋण के बोझ से दबा पड़ा है। यही राज्यों और केन्द्र की स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहने की कोशिश कीजिए।

(व्यवधान)

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : अभी तो मैं असली विषय पर पहुंचा भी नहीं हूं। अब मैं अपनी बात पर आता हूं। इसका कारण तेजी से हुआ औद्योगीकरण और अन्य परिवर्तन हैं। (व्यवधान)

[श्री ई० अय्यपू रेड्डी]

हमें पंजाब पर गर्व है और हमारे कुछ अत्यन्त मेहनती किसान बहुत परिश्रम कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस संवैधानिक विभाजन तथा अन्य उपबन्धों के बावजूद, वे सही कार्य कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा करते हैं। (व्यवधान)

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : तीन सूचियां हैं। वास्तव में संघ सूची में 97 मदें हैं। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि संघ सूची में दो और मदें अर्थात् सं० 92-क और 92-ख जोड़ी गई हैं। ये अन्तर्राज्यीय लेन-देन पर कर लगाने और बिक्री कर आदि के बारे में हैं और संघ सरकार राज्यों के अधिकारों को हड़प रही है। राज्य सूची का क्या हुआ ? अधिकांश मुद्दों को लगभग हटा ही दिया गया है। राज्य सूची में लगभग 66 मदें थीं। परन्तु अब मद संख्या 17 को हटा सकते हैं क्योंकि यह सूची-एक के अध्याधीन है। अत्यन्त महत्वपूर्ण मदें 23 और 24 हैं। मद संख्या 24 उद्योग के बारे में है परन्तु यह प्रविष्टि संख्या 7 के उपबन्धों के अध्याधीन है। आपने उद्योग का पूरा विषय ही ले लिया है। मद सं० 24 का कोई अस्तित्व नहीं है। जहां तक राज्य सूची का संबंध है, इसमें यह नाम मात्र को ही है। यदि आप पश्चिम बंगाल सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए ज्ञापनों को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि उन्होंने इसके बारे में शिकायत की है। माचिस, साबुन, प्रसाधनों, फल और फलों का रस तैयार करने के लिए भी औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, द्वारा उनकी शक्तियां छीन ली गई हैं। अब सभी कुछ केन्द्रीय सरकार के ही क्षेत्राधिकार में आ गया है। मद सं० 23 खान और खनिजों के सम्बन्ध में है। खान और खनिज विकास अधिनियम ने यह अधिकार भी ले लिया है। मद संख्या 23 भी समाप्त हो चुकी है। जहां तक व्यापार और वाणिज्य से सम्बन्धित मद का सम्बन्ध है, वह भी आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा और भी बहुत से कानूनों के कारण समाप्त हो गई है। जहां तक समवर्ती सूची का सम्बन्ध है, यह केवल नाम मात्र के लिए ही रह गई है। अब इसके सारे मद संघ सूची में ही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह समवर्ती सूची का कोई ऐसा मद बताएं जिसमें राज्य सरकारें अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की स्थिति में हैं। यदि उन्हें इस्तेमाल करने की अनुमति भी दी जाती है तो, वह आपकी कृपा और अनुमति से ही सम्भव है। यदि वे कोई कानून बनाते हैं और यदि उससे संघ सरकार द्वारा बनाए गए कानून से विरोधाभास होता है तो इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अपेक्षित है। संघ सरकार की स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिलेगी। अतः सूची तीन अर्थात समवर्ती सूची पूर्णतया संघ सूची ही है। और आप राज्य सूची से अधिकांश मद निकाल ही चुके हैं। यह सब संवैधानिक तरीके से किया गया है। तत्पश्चात् क्या हुआ। तत्पश्चात्, आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अब समस्त बैंकिंग प्रणाली पूर्णतया आपके अधीन आ चुकी है। यहां तक कि राज्य में की गई बचत और जमा की गई पूंजी का इस्तेमाल राज्य के कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि समूची बैंकिंग प्रणाली, ऋण नीति, निवेश नीति सभी कुछ संघ सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। समूची बैंकिंग प्रणाली पर आपका वर्चस्व है।

एकरूपता लाने के नाम से आपने अनेकानेक कानून बना दिए हैं। जहां तक कृषि उत्पादों का सम्बन्ध है, कृषि मूल्य आयोग और आवश्यक वस्तु अधिनियम द्वारा राज्य सरकारों के सामान्य अधिकार भी छिन गए हैं। संघ सरकार के उपक्रम ही उभरे हैं। कोयला, इस्पात, तेल आदि क्षेत्रों में करोड़ों रुपये निवेश किए गए हैं और नियंत्रित मूल्य भी सरकार ही तय करती है। सरकारी उपक्रमों पर आपका नियंत्रण है। कुछ सरकारी उपक्रमों का बजट राज्यों के बजट से भी अधिक होता है। यदि आप हिमाचल प्रदेश के बजट की तुलना दिल्ली परिवहन निगम के बजट से करें, तो आप देखेंगे कि दिल्ली परिवहन निगम का बजट हिमाचल प्रदेश राज्य के बजट से अधिक है। कुछ सरकारी उपक्रमों के घाटे

कुछ राज्य सरकारों के बजट से बहुत अधिक हैं। क्या हुआ है ? आपने बीमा, बैंकिंग आदि का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। ये अधिकांश मद, सरकारी उपक्रमों सहित, संघ सरकार के अधीन आ गई हैं। सभी कुछ संघ सरकार के अधीन आ गया है। अतः आज राज्य स्थायी ऋणी हो गए हैं। क्या आप किसी ऐसे राज्य का नाम बता सकते हैं जिस पर ऋण न हो ? स्थिति यह है कि उन्हें दिए जाने वाले स्वःनिर्णयगत अनुदान और सांविधिक आवंटन से उनका ऋण और ब्याज चुकता हो जाएगा। ओवर-ड्राफ्ट की सुविधा उनसे छीन ली गई है। ऐसा नहीं है कि मैं राज्यों की वकालत कर रहा हूं। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि इस संविधान के लागू करने में कुछ विपणन और विरोधाभास हुआ है। इसका परिणाम यह रहा है कि अधिकांश राज्य अपने दायित्वों को पूरा करने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं।

आपने शिक्षा और वन को समवर्ती सूची में रखा है। यहां तक कि अधीनस्थ न्यायपालिका को भी समवर्ती सूची में रखा गया है। उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायपालिका का नियंत्रण पूर्णतया आपके हाथ में है। जजों की नियुक्ति आपके हाथ में है। मुख्य मंत्री को सिफारिशों की उपेक्षा की जा सकती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जजों की नियुक्ति के अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है अथवा इसकी ईमानदारी पर तो बहुत से बुद्धिजीवी शक करते ही हैं। परिणामतः राज्य सरकारें अपने बुनियादी दायित्वों को पूरा करने की भी स्थिति में नहीं हैं।

अब निदेशक सिद्धान्तों को लीजिए। दुर्भाग्य से संविधान ने इन नीति निदेशक सिद्धान्तों को विभाजित नहीं किया है। नीति निदेशक सिद्धान्त कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हैं। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि दस वर्ष के भीतर 14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 45 में वर्णित इस दायित्व को पूरा करने के लिए किन संसाधनों की जरूरत होगी।

अभी परसों ही जब हम आयरलैंड के प्रतिनिधि-मंडल के सदस्यों से मिले थे तो उन्होंने भारत के संसद सदस्यों से एक प्रश्न पूछा था कि भारत में इतनी अधिक निरक्षरता होने के बावजूद भी लोकतंत्र किस प्रकार चल रहा है। जब उन्होंने हमारे से यह सवाल पूछा तो मुझे इसका उत्तर देना पड़ा। मैंने कहा कि हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है जिसके अन्तर्गत यह अनिवार्य है और राज्य सरकारें शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों की 30 प्रतिशत से अधिक राशि खर्च कर रही हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा कैसा विभाजन किया गया है ? एक विशेष पद यह है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के उत्तरदायित्वों का भी विभाजन होना चाहिए। ठीक है सारे संसाधन ले लो। हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि केन्द्र सरकार सारी शक्तियां ले ले। यह एक एकात्मक राज्य बन सकता है। किन्तु, कम से कम हमें एकात्मक राज्य का फायदा तो मिलना चाहिए। आज शक्ति का संकेन्द्रण हो रहा है किन्तु हमें एकात्मक राज्य के लाभ नहीं मिल रहे हैं। नागरिकों को हर बात के लिए राज्य सरकारों का मुंह ताकना पड़ता है राज्य सरकारें अपना गैर-योजना व्यय भी मुश्किल से पूरा कर पाती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया अब अफसरशाही तंत्र में भारी वृद्धि हुई है। हर चीज दोहरी हो गई है। आपके यहां शिक्षा विभाग है और राज्य सरकार का भी शिक्षा विभाग है। इसी प्रकार वन विभाग और वन विभाग; कृषि विभाग और कृषि विभाग; उद्योग विभाग और उद्योग विभाग आदि हैं। इस प्रकार से बहुत अधिक दोहरापन है और निचले स्तर पर लोग यह सब करने के लिए पहल नहीं करते और इन चीजों को लाने के प्रयोजनार्थ प्रयास करते हैं।

इसलिए, परिवर्तन करना नितांत आवश्यक है। सरकारिया आयोग की एक सिफारिश यह है

[श्री ई० अय्यपू रेड्डी]

कि कराधान से संबंधित शेष शक्तियां केन्द्र सरकार के पास होनी चाहिएं और विधायी शक्तियां समवर्ती सूची में होनी चाहिएं मुझे इसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता एक मद जो पहली, दूसरी या तीसरी सूची में नहीं है वह आपकी घाटे की अर्थव्यवस्था है। क्योंकि केन्द्र सरकार के पास सिक्का निर्माण की मद है अतः उसके पास नासिक में नोट छापने की प्रैस है। इसलिए यह प्रति वर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपये के नोट घाटे की अर्थव्यवस्था के लिए छाप रही है। यह सब संविधान की किस मद के अन्तर्गत आता है? यह कोई कर संसाधन नहीं है किन्तु फिर भी पूरे देश और सभी राज्यों की घाटे की इस अर्थव्यवस्था का बोझ वहन करना पड़ता है। यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले चार या पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार का घाटे का बजट सभी राज्य सरकारों के कुल ओवर ड्राफ्ट का पांच गुणा बैठता है। इसलिए जब केन्द्र सरकार के पास घाटे के बजट को पूरा करने के लिए करेंसी नोट छापने की शक्ति है, तो राज्यों के पास कम से कम कराधान की शेष शक्तियां तो होनी चाहिए। मैं इस बात को दोहराता हूं कि कराधान के लिए शेष शक्तियां राज्यों के पास अवश्य होनी चाहिए।

यह कहा गया है कि राज्य सरकारें कराधान साधनों का पूरा उपयोग नहीं कर रही हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सरकारिया आयोग को दिए गए ज्ञापन में एक बात यह कही है कि राज्य सरकारें कृषि आय पर आयकर लगाने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रही हैं। कांग्रेस (आई) शासित राज्यों में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया है यह बताया गया है कि केरल राज्य सरकार के अलावा किसी भी राज्य सरकार ने कृषि आय पर कर नहीं लगाया। वे अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर रही है।

1.00 म० प०

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सरकारिया आयोग को दिए गए ज्ञापन में यह आपत्ति उठाई थी। यह पाया गया है कि कृषि आय पर कर लगाना व्यवहारिक नहीं है। इससे कर की वसूली पर होने वाला खर्च भी प्राप्त नहीं होगा इसलिए अधिकांश बातें अव्यवहारिक पाई गई हैं। सभी राज्यों को यह मद संघ सूची में अन्तरित करने में कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि आप सीमा शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 15 प्रतिशत उन्हें दें।

इसलिए, राज्य सरकारों के कार्यनिष्पादन की अकारण आलोचना करने की बजाए वास्तविक दृष्टिकोण अपनाना बेहतर होगा ताकि राज्यों को पर्याप्त साधन प्राप्त हो सकें। सरकारिया आयोग ने वित्तीय संबंधों के बारे में कई सिफारिशें की हैं। उनमें से अधिकांश बातें अहानिकार हैं। उन्हें तुरन्त स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि निगमित कर विभाज्य पूल में होना चाहिए तथा आयकर पर अधिभार नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 269 का पूरी तरह से पालन होना चाहिए ताकि राज्यों को रेल यात्री कर के समान मुआवजा दिया जाए। ये सभी बातें सीधे स्वीकार और क्रियान्वित की जा सकती हैं।

अन्य बातों, अर्थात, प्रशासनिक संबंधों के बारे में मैं यह कहूंगा कि अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा से किसी को भी एतराज नहीं है किन्तु हो यह रहा है कि इन अधिकारियों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उनका अन्ततोगत्वा नियोक्ता केन्द्रीय सरकार है न कि राज्य सरकार। मुझे अच्छी तरह से याद है कि केन्द्रीय मंत्री आंध्र प्रदेश आकर अधिकारियों से कहते हैं, "देखिए, यदि आप ऐसी कोई बात करेंगे तो आपको परिणाम भुगतना होगा।" उन्होंने यह खुले रूप से कहा। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार को उन्हें निलम्बित करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जैसे ही उन्हें निलम्बित किया जाता है केन्द्रीय सरकार को अपील कर दी जाती है। यह सुझाव है कि एक न्याया-

धिकरण बनाया जाए। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को यह महसूस कराया जाना चाहिए कि जब उन्हें एक बार किसी राज्य सरकार को आवंटित कर दिया जाता है तो वे पूर्णतः उसी राज्य सरकार के अनुशासनात्मत नियंत्रण में रहते हैं और वे राज्य सरकार द्वारा की गई किसी कार्यवाही के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को अपील नहीं कर सकते बल्कि किसी निष्पक्ष न्यायाधिकरण को अपील कर सकते हैं।

जिन वैधानिक परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है वे बेशक राज्य सरकारों के विरुद्ध और केन्द्रीय सरकार के पक्ष में हैं। अधिकांश सिफारिशें केन्द्रीय सरकार के हक में हैं। सरकारिया आयोग की कम से कम यह सिफारिश कि टी० वी० और रेडियो पर विज्ञापन से होने वाली आय विभाज्य पूल में होनी चाहिए, मान ली जानी चाहिए। यह बात बहुत ही विचित्र है कि बहुत से छोटे-छोटे देशों के जो आकार में हमारे राज्यों के एक चौथाई भी नहीं हैं, अपने प्रसारण और टेलीविजन हैं। मुझे बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 153 देशों में से 135 देशों की आबादी हमारे राज्य के बराबर भी नहीं है। यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि इतनी अधिक जनसंख्या वाली राज्य सरकारों के पास अपनी करेंसी की तो बात ही क्या, अपने प्रचार साधन या बैंक भी नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : जहां तक राज्यपालों की नियुक्ति का संबंध है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हता अनुच्छेद 157 के अन्तर्गत निर्धारित है। वह इस प्रकार है : वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कोई अन्य अर्हता नहीं रखी गई है। किसी सिद्धदोष व्यक्ति को भी राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जहां तक कि किसी ऐसे व्यक्ति को भी जिसे चुनाव में हराया जा चुका हो, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए उचित पाया गया है। (व्यवधान) इसलिए, सरकारिया आयोग ने ठीक ही कुछ योग्यताओं का सुझाव दिया है। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने जीवन के किसी क्षेत्र में महारथ हासिल की हो। यह दुर्भाग्य की बात ही है कि हमने पिछले 40 वर्षों के दौरान, राज्यपाल के पद के लिए किसी विद्वान व्यक्ति को नहीं चुना है। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : यह एक अशोभनीय वक्तव्य है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि पिछले सभी राज्यपाल विद्वान नहीं थे ? मैं आपको सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों और विद्वानों की सूची दे सकता हूं।

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह विद्वान नहीं थे। वे विद्वान हो सकते हैं किन्तु राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी योग्यता से शायद उनकी साहित्यिक योग्यता दब गई। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आपके पास विख्यात शिक्षाविद, वैज्ञानिक और कलाकार हैं किन्तु उनमें से किसी को भी···मैं इस मामले को राजनैतिक मोड़ नहीं देना चाहता। (व्यवधान)

मेरा यह सुझाव है कि अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ इसे आरक्षित रखने की राज्यपाल की शक्ति को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा विरोधाभास होता है कि एक ऐसा व्यक्ति, जो चुनाव हार चुका हो, एक निर्वाचित विधान पालिका के निर्णय को रद्द कर सकता है।

कुछ स्वस्थ परम्पराएं स्थापित करके इन विषमताओं को दूर करना होगा। इन सभी बातों के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक नहीं है लेकिन स्वस्थ संवैधानिक परम्पराओं का होना आवश्यक है।

[श्री ई० अय्यपू रेड्डी]

अतः मैं यही कह सकता हूं कि यह विषय बहुत व्यापक और विस्तृत है और इतने कम समय में जो मुझे नियत किया गया है मैं कोई न्याय नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं कहता हूं कि यह जरूरी है कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर अभी से कुछ कार्यवाही प्रारम्भ की जाए। कृपया तुरन्त एक अंतःराज्यीय परिषद का गठन करें और इस रिपोर्ट पर कार्यवाही प्रारम्भ करें। सर्वोपरि बात यह है कि हमें अपना रवैया बदलना चाहिए, विरोध करना छोड़ देना चाहिए और सहयोग देना चाहिए। हमें स्वस्थ सांवैधानिक परंपराएं स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए और ये परंपराएं हमें लिखित संविधान की अपेक्षा अधिक बोझ देंगी।

श्री वीरेन्द्र पाटिल (गुलबर्गा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय श्री अय्यपू रेड्डी द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को बड़े ध्यान से सुना है। निःसंदेह उनके विचार रचनात्मक थे और उनका दृष्टिकोण भी रचनात्मक था। लेकिन उनके भाषण में मुझे एक बात पसन्द नहीं आई। वह यह थी कि जहां तक केन्द्र राज्य संबंधों का संबंध है, उन्होंने हर बार केन्द्र सरकार पर आरोप लगाने का प्रयत्न किया।

1.12 म०प०

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

यदि राज्य और केन्द्र के बीच संबंध बिगड़ रहे हैं, तो मेरे विचार से इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को लेनी चाहिए। जब उन्होंने यह कहना शुरू किया कि केन्द्र और राज्यों के बीच संबंधों का विषय आज एक बहुत संकटमय और ज्वलंत विषय है, तो मुझे सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। यह स्वभाविक ही है कि पूरे देश और इस महान देश के सभी नागरिकों को केन्द्र-राज्य संबंधों में दिलचस्पी है और वे इस बारे में चिंतित हैं। मैं श्री अय्यपू रेड्डी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इस विषय पर दलगत विचारों से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाना चाहिए। मैं उनके इस विचार से सहमत हूं।

सर्वप्रथम मैं इस सम्माननीय सभा को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं एक विशेष राजनैतिक दल से संबद्ध होने के नाते नहीं अपितु इस महान देश का एक नागरिक होने के नाते बोलना तथा अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। यह बहुत बड़ा देश है और हमें इस बात पर गर्व है कि यह देश समूचे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए। यह देश इतना बड़ा है कि इसमें भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां, प्रथाएं आदि भी भिन्न-भिन्न हैं। किन्तु फिर भी हमें इस तथ्य पर गर्व है कि यहां विविधता में एकता है। इतने बड़े आकार वाले देश में कोई भी एकात्मक सरकार होने की अपेक्षा नहीं कर सकता और यह व्यवहार्य भी नहीं है। इसीलिए हमारे नेताओं ने संविधान बनाते समय इस पर विचार किया था और उन्होंने संघात्मक ढांचे को ही वरीयता दी थी। हमें एक प्रसिद्ध कवि की के पंक्तियां हमेशा ध्यान में रहती हैं---

सारे जहां से अच्छा हिन्दोसतां हमारा,
हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा।

उन्होंने हमारे देश को भिन्न-भिन्न फूलों से सुसज्जित बगीचों की व्याख्या दी। एक बगीचा सही अर्थों में तभी बगीचा है जब वहां सभी जातियों व सभी किस्मों के फूल खिलते हों, एक ही किस्म के नहीं। ऐसे बगीचे में सभी प्रकार के फूल खिलने की पर्याप्त गुंजाइश रहती है। इसी तरह इस महान

देश में सभी राजनैतिक दलों के पनपने की पर्याप्त गुंजाइश है। जब इस देश में इतने अधिक राजनैतिक दल हैं तो मेरे विचार से हमारे लिए हर समय केन्द्र और राज्यों में एक दलीय सरकार की अपेक्षा करना एक बहुत बड़ी बात है। हमारा विचार यह नहीं है कि केन्द्र और सभी राज्यों में हमेशा एक ही दल का शासन होगा। जैसा कि आज हम देख रहे हैं लगभग 50 प्रतिशत राज्यों में विपक्षी दलों का शासन है। हमें इससे कोई रंज नहीं है; हमें इससे कोई शिकायत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, इस देश में सभी राजनैतिक दलों के पनपने की काफी गुंजाइश होनी चाहिए। केवल तभी लोकतंत्र चल सकता है। हम लोकतंत्र को समाप्त नहीं करना चाहते। इस समय 50 प्रतिशत राज्यों में विपक्षी सरकार सत्ता में है और कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि अगले आम चुनावों के बाद क्या स्थिति होगी। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जबकि हम यहां केन्द्र-राज्य संबंधों जैसी महत्वपूर्ण समस्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हमें ऐसी चर्चा करनी चाहिए, ऐसे मानदंड बनाने चाहिए, ऐसी परम्पराएं अपनानी चाहिए कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें आगामी कई शतकों तक मजबूत बनी रहें। अतः इसके लिए कम से कम हमें फिलहाल तो राजनैतिक संबंधों से दूर रहना होगा।

मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इस महान देश की एकता और अखंडता के लिए राज्यों और केन्द्र के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध होना आवश्यक है और राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा। अन्यथा राज्यों का अस्तित्व नहीं बना रह सकता। मैंने अभी माननीय सदस्य श्री अय्यपू रेड्डी द्वारा व्यक्त किये विचार सुने हैं। मेरे विचार से उन्होंने उन अनुभवों का उल्लेख किया है जो उनके राज्य में उनकी पार्टी या सरकार को हो रहे हैं या जिनका उन्हें सामना करना पड़ रहा है। किन्तु मैं उन्हें विनम्रता पूर्वक यह बताना चाहता हूं कि राज्यों का अस्तित्व तभी होगा जब राष्ट्र होगा। अतः राष्ट्र का हित पहले और राज्यों का हित बाद में आता है। मैं इससे इसलिए सहमत हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसे कई तर्क दिये गये हैं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिये केन्द्र का मजबूत होना जरूरी है। मेरा विचार है कि देश की अखंडता और एकता के लिये न केवल केन्द्र ही अपितु राज्यों का मजबूत होना भी आवश्यक है। यदि राज्य कमजोर हैं और केन्द्र मजबूत है और यदि राज्य मजबूत हैं और केन्द्र कमजोर है तो मैं नहीं समझता कि यह इस महान राष्ट्र के हित में होगा। अतः केन्द्र तथा राज्य दोनों ही को मजबूत होना चाहिये। भारत न केवल केन्द्र अपितु राज्य भी है। राज्यों और केन्द्र से मिलकर ही संघ बनता है।

केन्द्र और राज्य परस्पर परिवार के सदस्य है। जहां तक केन्द्र का संबंध है यह बड़े भाई अथवा परिवार के मुखिया के समान है। परिवार के अन्य सदस्य भी उसी के बराबर हैं, वे उसके अधीनस्थ सदस्य नहीं हैं। किन्तु लोगों के मन में यह भावना है कि केन्द्र सर्वोपरि है और राज्य उसके अधीनस्थ हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि राज्य तो नगरपालिका या निगमों की भांति हैं क्योंकि सभी शक्तियां तो केन्द्र सरकार के पास संकेन्द्रित हैं। यह तर्क भी दिया गया है किन्तु हम इसका अनुमोदन नहीं करते; न ही इस पक्ष का कोई सदस्य इसे मानेगा। जैसा कि मैंने कहा केन्द्र और राज्य दोनों अपने-अपने कार्य क्षेत्र में मजबूत है। अतः मैं सरकारिया आयोग की सिफारिशों से पूर्णतः सहमत हूं। उन्होंने ठीक ही कहा है कि संघवाद परस्पर मिलकर कार्य के लिये स्थिर संस्थागत धारणा की अपेक्षा कार्यकारी-व्यवस्था अधिक है। मैं उनकी इन टिप्पणियों से पूर्णतः सहमत हूं। साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि कोई भी इस तथ्य से इंकार नहीं कर सकता कि केन्द्र तक जनता की पहुंच नहीं है क्योंकि हम दिल्ली में है और राज्य जनता के लिये अगला पड़ोसी है। इसलिये हम देखते हैं कि योजना आयोग या केन्द्र द्वारा बनाई गई योजनाएं और सभा के दोनों सदनों द्वारा बनाये जा रहे कानून, अधिकांश मामलों में इसके कार्यान्वयन का अधिकार केवल राज्य सरकारों को होता है। हम अनेक योजनाएं बना सकते हैं हम

[श्री वीरेन्द्र पाटिल]

धन का प्रावधान कर सकते हैं किन्तु वे धनराशि राज्य सरकार को स्थानांतरित करनी होती है क्योंकि राज्य सरकार जनता के अधिक करीब है और जनता के कल्याण के लिये बनाई गई सभी योजनाएं राज्य सरकार लागू करती है। केन्द्र सरकार अपनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये एक समानांतर ढांचा नहीं बना सकती।

जहां तक 20 सूत्रीय कार्यक्रम का संबंध है, मैंने उद्धरण इसलिये दिये हैं क्योंकि मैं कुछ समय तक श्रम मंत्रालय से संबद्ध रहा हूं। मैं श्रम मंत्री था किन्तु रेलवे, बैंकों, न्यायालयों के कर्मचारियों की श्रम समस्याओं को छोड़कर, सभी अन्य समस्याओं का निपटारा राज्य सरकार द्वारा किया गया था। इसी तरह जहां तक 20 सूत्रीय कार्यक्रम का संबंध है, यद्यपि यह कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा बनाया जाता है और इसके लिये धन भी केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है, योजनाएं तथा धन राज्य सरकार को सौंप दिये जाते हैं और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। मैं इस मुद्दे पर इसलिये जोर दे रहा हूं क्योंकि जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, चाहे वे राज्य स्तर पर बनाई जाएं अथवा केन्द्रीय स्तर पर, जब उनका कार्यान्वयन केवल राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है तो हम राज्य सरकार का विरोध नहीं कर सकते। हम राज्य सरकार के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध नहीं रख सकते और यदि संबंध शत्रुतापूर्ण हों तो हम योजनाओं के सही कार्यकरण और सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसीलिये केन्द्र और राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिये।

लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है? मैं इस बात से सहमत हूं कि जहां तक केन्द्र और राज्यों के आपसी संबंधों का संबंध है, वे बिल्कुल भी अच्छे, मधुर और सौहार्दपूर्ण नहीं हैं। आपसी विश्वास कम होता जा रहा है। लेकिन हम यहां इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं कि इसके लिये जिम्मेदार कौन है, क्या इसके लिये राज्य सरकारें अथवा केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है। हम इसमें रुचि नहीं रखते हैं। हम सभी, नागरिकों के रूप में यह देखने में रुचि रखते हैं कि जैसे भी हो इसे रोका जाये और यह देखने के लिये कि यह बढ़ने न पाये हमें सभी प्रभावी कदम उठाने चाहिये क्योंकि उससे हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा है। अतः यह देखना हम प्रत्येक के हित में है कि राज्यों, केन्द्रीय और सभी स्तरों पर प्रभावी कदम उठाये जाएं।

ऐसे भी राज्य हैं जो प्रायः यह कहते रहे हैं कि केन्द्र अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है, जैसाकि श्री अय्यपू रेड्डी ने अभी अभी कहा है कि केन्द्र ने धन को रोक रखा है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : मैंने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही है। मैंने केवल इतना कहा है कि इस प्रकार के दूर-नियंत्रण और विभाग की द्विरावृत्ति और अफसरशाही के बढ़ने से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि बजट में आवंटित प्रत्येक 1 रुपये में से केवल 50 पैसे ही लोगों के पास पहुंचते हैं। शेष पैसे बीच में ही खर्च हो जाते हैं। यह प्रणाली है जो आपने विकसित की है। वर्तमान प्रणाली में कुछ-न-कुछ बुनियादी तौर पर गलत है जिसे आपको बदलना होगा। केवल यह कहना कि योजनाएं यहां पर बनाई जाती हैं और उन्हें वहां पर कार्यान्वित किया जाता है और उनके कार्यान्वयन में मनमुटाव इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि वे स्वयं योजनाएं नहीं बना रहे हैं, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। यही तो कठिनाई है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं इस बात से सहमत हूं कि स्वयं प्रधान मंत्री ने यह टिप्पणी की है कि जिन लोगों के लिए पैसा रखा जाता है 10 रुपये में से केवल 1 रुपये उन तक पहुंच रहा है। लेकिन

दिल्ली से उनके लिए 10 रुपये दिये जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या राज्य की राजधानी पहुंचने से पहले ही 9 रुपये कहां खर्च हो जाते हैं। इस बात का पता लगाना होगा कि वे 9 रुपये जा कहां रहे हैं ?

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : मैं इस बात में रुचि रखता हूं कि आप उसका पता लगाएं और उसे रोकें।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इसी वजह से मैंने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि जहां तक विभिन्न स्कीमों, योजनाओं, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का सम्बन्ध है, कुल मिलाकर यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार यह अवश्य देखे कि जो धनराशि उन्हें पहले से ही खर्च किए जाने के लिए दी गई है उसके अलावा जो भी धनराशि उन्हें दी जाती है, उसका सही उपयोग किया जाए और उसका दुरुपयोग और गबन न किया जाए। यह देखना राज्य सरकार का कर्त्तव्य है कि जो भी दिल्ली में बैठा व्यक्ति हर काम की निगरानी नहीं रख सकता और एक अधिकारी से इतनी निगरानी रखी जाने की आशा भी नहीं की जा सकती कि जितना भी रुपया आन्ध्र प्रदेश अथवा हैदराबाद भेजा जाता है कि वह पूरा-पूरा हैदराबाद पहुंचेगा और हैदराबाद से शत-प्रतिशत आन्ध्र प्रदेश के दूर-दराज के गांव में पहुंचेगा। दिल्ली में बैठा कोई भी व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर सकता। इसी वजह से मैंने जो कहा है जहां तक राज्यों और केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है वह सामान्य आलोचना है। सामान्य आलोचना यह है कि केन्द्र के पास अधिक अधिकार है, केन्द्र के पास अधिक धनराशि है और वह राज्यों को अपने हाथों की कठपुतली बना रहा है, वह उनको अपने बराबर नहीं मानता। ये ही आरोप हैं जोकि सामान्यत: केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध लगाए जाते हैं। और केन्द्र यह कहता है कि राज्य सरकारें धन के लिए हमेशा केन्द्र के पास आती हैं। मुझे भी इस बात का अनुभव है और मैं कुछ हद तक इस बात से सहमत हूं कि जहां तक संसाधनों की स्थिति का सम्बन्ध है। केन्द्र राज्यों की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में है। लेकिन किसी भी बात के लिए और हर बात के लिए केन्द्र के पास जाना और सभी योजनाओं को केन्द्रीय सरकार के पास भेजने से क्या यह पता नहीं चलता कि राज्य सरकारें अपनी स्थिति को नगरपालिका अथवा नगर निगम जैसी बना रही हैं। केन्द्रीय स्तर पर संसाधन जुटाने का जो भी काम किया जा रहा है, इस सम्बन्ध में संविधान में यह बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि यह किस प्रकार किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए संगठन बनाए जा रहे हैं। इस मामले को देखने के लिए वित्त आयोग बनाया गया है। जहां तक योजनागत सहायता का सम्बन्ध है, योजना आयोग इन सभी बातों को देखता है। हर वर्ष अधिकारी और मुख्य मंत्री तथा अन्य सम्बन्धित मंत्री दिल्ली आते हैं और सम्पूर्ण योजना पर चर्चा करते हैं और आपसी विचार-विमर्श से हर बात का निर्णय किया जा रहा है। हो यह रहा है कि वे अधिक से अधिक धन के लिए केन्द्रीय सरकार के पास आ रहे हैं और यदि उन्हें धन नहीं मिलता है तो वे वापस अपने-अपने राज्यों को जाते हैं और केन्द्रीय सरकार को गाली देते हैं कि वे उन्हें धन नहीं दे रहा है अन्यथा वे इससे भी बेहतर परिणाम दिखा सकते थे। अत: मैंने तस्वीर के दोनों पक्ष बताए हैं कि किस प्रकार राज्य सरकारें केन्द्र की आलोचना कर रही हैं और केन्द्र किस तरह राज्य सरकारों की आलोचना कर रहा है। केन्द्र का यह कहना है कि यद्यपि उन्होंने राज्यों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि जैसे विशिष्ट कार्यक्रमों के अन्तर्गत काफी धनराशि दी है, फिर भी इन धनराशियों का सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। मेरे विचार में, श्री रेड्डी मेरी बात से सहमत होंगे कि ऐसे कुछ राज्य हैं, जहां इन धनराशियों का दुरुपयोग और गबन किया गया है। मैं उदाहरण नहीं देना चाहता लेकिन ऐसे उदाहरण हैं। कोई भी इस बात से इन्कार

[श्री वीरेन्द्र पाटिल]

नहीं कर सकता कि राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध आरोप लगाए हैं और केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं। आज हमारे देश में आपसी सन्देह का वातावरण है। कोई भी इस तथ्य से इंकार नहीं कर सकता है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि हर बात सही है और इससे चिन्ता की कोई बात नहीं है। यदि केन्द्र-राज्य सम्बन्ध ठीक और स्वस्थ होते तो इसके लिए इस आयोग के गठन की आवश्यकता न होती। और सरकारिया आयोग की जो सिफारिशें हमारे सामने हैं उन पर इस सदन को चर्चा करने की आवश्यकता न होती।

मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं इस महान सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। कई अन्य सदस्य भी इस चर्चा में भाग लेने के लिए उतनी ही रुचि रखते हैं। मैं परस्पर विरोध के दो अथवा तीन क्षेत्रों तक ही अपनी बात को सीमित रखूंगा। सरकारिया आयोग ने परस्पर-विरोध या टकराव के कुछ क्षेत्रों का पता लगाया है और उसने बहुत सी सिफारिशें की हैं। उनमें से बहुत सी बहुत ही उपयोगी और विचारणीय है। आयोग की रिपोर्ट हर तरह से सही अथवा पूरी नहीं हो सकती लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि लगभग सभी सिफारिशें विचार किए जाने और कार्यान्वित किए जाने योग्य है। हमें सरकारिया आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करके इसकी शुरूआत करनी चाहिए। हम पहले ही इस मामले में पीछे है और सम्पूर्ण देश में अच्छा वातावरण पैदा करने के लिए अधिक समय नहीं गंवाना चाहिए।

मैंने अभी-अभी कहा है कि मैं स्वयं को परस्पर-विरोध के केवल दो क्षेत्रों तक ही सीमित रखूंगा—उनमें से एक राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में है और दूसरा वित्तीय और वित्तीय मामलों के बारे में है।

बहुत समय पहले, पंडित जी के समय के दौरान, संहिताएं और परम्पराएं बनाई गई थीं और उनका कड़ाई से पालन किया जाता था। वे बहुत ही स्वस्थ परम्पराएं थीं। मैं पूरी ईमानदारी से यह सुझाव देता हूं कि वे स्वस्थ परम्पराएं और संहिताएं जो स्वर्गीय पंडित नेहरू द्वारा स्थापित की गई थी उनका सम्मान किया जाना चाहिए और उनका पालन किया जाना चाहिए। उनसे हटना नहीं चाहिए और न ही उन्हें सहज रूप में लिया जाना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि उन परम्पराओं की उपेक्षा देश के हित में नहीं है।

मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। कुछ समय पहले मैंने एक प्रसिद्ध पत्रकार का एक लेख पढ़ा था और मैंने यह घटना उस लेख में पढ़ी थी। यदि आप मुझ से पूछें कि क्या मुझे यकीन है कि यह वास्तव में सच है अथवा नहीं, तो मैं आपको इसका उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि पंडित जी और आचार्य कृपलानी दोनों यहां हमारे बीच नहीं है। हर कोई यह जानता है कि आचार्य कृपलानी पंडित जी की बहुत ही आलोचना किया करते थे क्योंकि वह उनकी नीतियों को पसन्द नहीं करते थे। आचार्य कृपलानी और पंडित जी के बीच सैद्धान्तिक मतभेद था। लेकिन इसके बावजूद भी पंडित जी ने आचार्य कृपलानी को किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के बारे में सोचा था। उन्होंने सोचा कि आचार्य कृपलानी एक बहुत ही भद्र पुरुष है और एक महान स्वतंत्रता सैनानी है जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ बलिदान किया था। वे स्वतंत्रता संघर्ष की अवधि के दौरान उच्च पद पर भी रहे थे। अतः पंडित जी ने सोचा कि उन्हें कम से कम राज्यपाल तो बनाया ही जाना चाहिए। उस प्रसिद्ध पत्रकार के अनुसार, जब पंडित जी ने मुख्य मंत्री को इसके बारे में बताया, तो उन्होंने इसमें कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई और इसलिए पंडित जी को वह प्रस्ताव

त्यागना पड़ा। मैं केवल यह उदाहरण इस बात को स्पष्ट करने के लिए दे रहा हूं कि पण्डित जी के समय में किस प्रकार महान प्रथाएं और परम्पराएं बनाई गई थीं।

मैं सरकारिया आयोग द्वारा राज्यपाल के लिए निर्धारित अर्हताओं के बारे में और राज्यपाल की नियुक्ति किये जाने आदि की प्रक्रिया आदि के बारे में की गई सिफारिशों से पूरी तरह सहमत हूं। मुझे आशा है कि सरकार, सरकारिया आयोग द्वारा सिफारिश की गई प्रक्रिया का पालन करेगी और केवल उन लोगों को नियुक्त करेगी जोकि निर्धारित अर्हताओं को पूरा करते होंगे। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि राज्यपाल राज्य और केन्द्र के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्हें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। विशेष रूप से उनकी जिम्मेवारी उस समय बहुत बड़ी बहुत ही व्यवहार कुशल और अत्यधिक निर्णायक हो जाती है, जब वह ऐसे राज्य का राज्यपाल होता है, जो विपक्ष द्वारा शासित हो। यदि मैं यह कहूं कि अतीत में हमारे कुछ राज्यपालों, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, ने गलतियां की हैं, तो गलत नहीं होगा, जिसके लिए केन्द्र में शासन कर रही पार्टी और केन्द्र सरकार दोनों को ही भारी नुकसान उठाना पड़ा है। किसी राज्यपाल का नाम न लेकर मैं उदाहरण के लिए आपको यह बताऊंगा।

एक सुबह एक राज्यपाल ने यह कहकर एक निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया कि वह इस बात से संतुष्ट है कि निर्वाचित सरकार को सदन और बहुमत का विश्वास प्राप्त नहीं है। इसके बाद उन्होंने किसी 'क' को मुख्य मंत्री पद पर बिठा दिया। मैं यह नहीं कहता हूं कि उन्होंने यह कार्य केन्द्र सरकार या केन्द्र में शासन कर रही पार्टी के हित में किया। दूसरी ओर उन्होंने केन्द्र में बैठी पार्टी को अधिक से अधिक हानि पहुंचाई। उस समय जो महाशय मुख्य मंत्री थे वे अपने ही बोझ से दबते जा रहे थे और ढह जाने की स्थिति में थे। किन्तु राज्यपाल के इस उपहार की बदौलत उसे एक नया जीवन मिल गया और अब उनके मजे हो गए। मैं इस उदाहरण को यह दर्शाने के लिए उद्धृत कर रहा हूं कि केन्द्र सरकार की जानकारी के बिना भी जब कोई चूक की जाती है तो भी मैं जिम्मेवारी की भावना से कहता हूं, केन्द्र को नुकसान उठाना पड़ता है। उस राज्यपाल के व्यवहार के कारण केन्द्र सरकार की छवि धूमिल हुई। उस स्थिति का लाभ उठाने के लिए वहां दूसरी पार्टी मौजूद थी। उस पार्टी के मुख्य मंत्री ने अपनी पार्टी के हित के लिए उस स्थिति का लाभ उठाया।

ऐसी ही एक दूसरी घटना भी है जहां राज्यपाल ने किसी पार्टी विशेष का हित साधने के लिए उस पार्टी के नेता को बुलाया और उसे मुख्य मंत्री बना दिया गया। दूसरी पार्टी ने उच्च न्यायालय में इस निर्णय को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने सारे मामले की जांच की और राज्यपाल की कटु आलोचना की। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अतीत में कुछ राज्यपालों ने गलती की है जिसके लिए हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। हमें भारी हर्जाना देना पड़ा है। इसलिए आयोग ने यह सुझाव दिया है कि हमें राज्यपाल का चुनाव करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मैं सरकारिया आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और सुझावों से पूर्णतः सहमत हूं।

जहां तक आर्थिक और वित्तीय मामलों का संबंध है इसमें भी शिकायत है। इन शिकायतों में कुछ तथ्य हैं इसलिए राज्य सरकारें शिकायतें कर रही हैं। जैसा कि श्री अय्यपू रेड्डी ने कहा है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की हमेशा ओवर ड्राफ्ट के मामले में खिंचाई करती रहती है और साथ ही केन्द्र सरकार स्वयं बड़े मजे से घाटे की अर्थ व्यवस्था को स्वीकार करती है तथा नोट छापकर और अन्य ऐसे ही कार्य करके मुद्रा स्फीति को भी बढ़ाती है। मेरे विचार में इसमें भी कुछ सार है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ सार नहीं है और वे अस्पष्ट आरोप लगा रहे हैं। मेरा तात्पर्य यह नहीं है और साथ ही जहां तक बाजार उधार का संबंध है इसमें केन्द्र सरकार का एकाधिकार है। मैं यह जानता हूं। मुझे

[श्री वीरेन्द्र पाटिल]

बहुत से राज्यों के बारे में पता है। मे अपने राज्य नेरे भी केन्द्र सरकार को यह कहा कि उनकी सिंचाई संबंधी क्षमता बहुत कम है और उन्हें सिंचाई संबंधी कार्यों के लिए बहुत अधिक मात्रा में धनराशि की आवश्यकता है। और इसलिए वे सिंचाई बाण्ड जारी करना चाहते हैं और वे इसके लिए केन्द्र सरकार के पास गये। मुझे नहीं पता कि केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया उनके पक्ष में रही या नहीं। इसलिए, वे अब यह कहकर मेरे राज्य में अभियान चला रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वे बाण्ड जारी कर रहे हैं जिससे बाजार ऋण में उन्हें कोई कठिनाई न हो। किन्तु जब हम अपने उद्देश्यों, अपने विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए बाजार में धन एकत्र करना चाहते हैं तो भारत सरकार हमें इसकी अनुमति नहीं देती है। ऐसा एक तरह से जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र का होने के कारण मैं उस क्षेत्र की भावना जानता हूं, वे यह कह रहे है कि जब केन्द्र सरकार बाण्ड जारी कर रही है और संसाधनों को बढ़ा रही है किन्तु यही सुविधा राज्य सरकारों को नहीं दी जाती है या देने से इकार कर दिया जाता है। एक बात तो मैं कहूंगा— चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो—यदि वे अधिक से अधिक शक्तियां हथियाना चाहते हैं तो जनता की ओर से प्रतिरोध होगा। यदि वे आवश्यकता से अधिक शक्तियां चाहते हैं तो जनता इसे पसन्द नहीं करेगी। मेरे विचार में आज देश मे क्षेत्रवाद के बढ़ने का एक कारण यह भी हो सकता है। लोगों की इस भावना का यह कहकर लाभ उठाना बहुत ही सरल कार्य है कि "हर बात के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता है, हम में आत्मसम्मान है, हम दिल्ली क्यों जाएं, और हम पर दिल्ली ही शासन क्यों करे आदि आदि ?" यह बहुत ही संवेदनात्मक और साथ ही नाजुक मामला है जिससे बहुत ही सावधानीपूर्वक निपटना चाहिए। अन्यथा ऐसी पार्टियां है, ऐसे लोग है, ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो स्थिति का लाभ उठाने के लिए मौके की तलाश में हैं और वे इस क्षेत्रीयतावाद तथा अन्य विचारों को भड़काने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सी विघटनकारी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं और देश में बहुत अधिक शक्तियां सिर उठा रही हैं। हमें इस संबंध में भी सावधान रहना होगा।

अत: अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं सरकार को कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं ताकि वे इन सुझावों पर कार्य कर सकें जोकि केन्द्र और राज्यों के बीच सद्भावनापूर्ण और मैत्री से परिपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। संक्षेप में मैं यह कहना चाहता हूं। मैं समय के अभाव के कारण सुझावों को विस्तार में नहीं बताना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया जाना चाहिए और बिना विलम्ब किये उन्हें लागू किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी कहा, सिफारिशें अपने आप में पूर्ण नहीं हैं। कुछ लोग कुछ सिफारिशों से सहमत हो सकते हैं और कुछ इन सभी सिफारिशों से असहमत भी हो सकते हैं। यह एक अलग मामला है। किन्तु हमें अब इसकी शुरूआत कर देनी चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता के 42 वर्ष बाद पहली बार हम केन्द्र-राज्य संबंधों के प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। इसलिए, शुरूआत की जानी चाहिए और सरकारिया आयोग की सिफारिशों को भली-भांति लागू किया जाना चाहिए जोकि हम कर सकते हैं और यह देखना केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी है कि सिफारिशें यथासंभव शीघ्र ही लागू की जाएं। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकारिया आयोग द्वारा जिन योग्यताओं को निर्धारित किया गया हो उनका उसी भावना से अनुसरण किया जाना चाहिए जिस भावना से वे दी गई हैं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक समय-समय पर होती रहनी चाहिए। प्रधान मंत्री के अध्यक्ष और सभी मुख्य मंत्रियों के इस परिषद का सदस्य होने के नाते यह सर्वोच्च नीति निर्धारण परिषद है। वे मार्गदर्शन करते हैं। वे नीति गत निर्णय लेते हैं जो योजना आयोग तथा योजना बनाने आदि के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त होते हैं। इसलिए वित्तीय और आर्थिक विषयों पर चर्चा करने के लिए

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक समय-समय पर होनी चाहिए क्योंकि आज हम जो अधिकांश मन-मुटाव पाते हैं वे सब इन्हीं के कारण होते हैं। राज्य सरकारें सभी प्रकार के अनुरोध करती रहती हैं। मान लीजिए कहीं सूखा पड़ा है तो मुख्य मंत्री सहित हर व्यक्ति आएगा। वे एक ज्ञापन तैयार करेंगे यद्यपि उन्हें 100 करोड़ रुपये या 150 करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता नहीं होती, तथापि वे 1050 करोड़ रुपये या 1500 करोड़ रुपये का कार्यक्रम तैयार करेंगे। कार्यक्रम तैयार करते समय उनका कहना होता है कि यदि वे 1500 करोड़ रुपये की मांग करेंगे तो तब कहीं जाकर उन्हें केवल 150 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह बात भी है। मैं उन्हें इसके लिए दोषी नहीं मानता। किन्तु चाहे कुछ भी मामले हों, इन सारे वित्तीय मामलों, आर्थिक मामलों और अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर, यदि फोरम हो तो चर्चा की जा सकती है। किन्तु हो यह रहा है कि इस फोरम की आवश्यकता अनुसार समय-समय पर बैठक हो रही है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होती रहनी चाहिए और मुख्य मंत्रियों के विचारों पर, चाहे वे इस पार्टी के हों या उस पार्टी के हों, दलगत भावना से ऊपर उठकर, विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि वे लोग ही जनता के अधिक समीप हैं, उन्हीं लोगों के पास सभी तंत्र हैं, जिनके पास सारा आधारभूत ढांचा है जिन्हें उन सभी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना है जो यहां योजना आयोग के और केन्द्रीय सरकार के स्तर पर प्रतिपादित किये जाते हैं और तैयार किए जाते हैं। अतः यह देश की एकता के हित में अत्यन्त आवश्यक है कि मुख्य मंत्रियों का विश्वास प्राप्त किया जाए चाहे वे किसी भी दल के हों और फिर काम निर्बाध रूप से हो सकता है।

मैं श्री अय्यपू रेड्डी की इस बात से सहमत हूं कि अन्तर्राज्यीय परिषदों का गठन किया जाए क्योंकि अनेक अन्तर्राज्यीय विवाद हैं। मेरे विचार से मेरे मित्र माननीय गृह मंत्री मुझसे सहमत होंगे कि अनेक समस्याएं हैं। शायद उनके पास अनेक ऐसे विवाद आते हैं। जब कभी मुख्य मंत्री दिल्ली आते हैं तो वे प्रायः गृह मंत्री से मिलते हैं अथवा जब वह किसी राज्य में जाते है तो वे आकर उनके आगे बहुत सी समस्याएं रखते हैं जो अन्तर-राज्यीय समस्याएं हे जिनका समाधान राज्यों के बीच होना है। दो पक्षकारों के बीच मतभेद सुलझाने के लिए कोई तीसरा मध्यस्थ के रूप में होना चाहिए। यदि मतभेद केन्द्र और राज्य के बीच है तो यह अलग बात है। यह एक अलग मामला है। किन्तु उन विवादों के अतिरिक्त और भी अनेक मतभेद हैं जो अन्तर-राज्यीय स्वरूप के हैं। अतः अन्तर-राज्यीय विवाद सुलझाने तथा अन्य कई समस्याओं पर चर्चा करने के लिए जिनका संबंध केवल किसी विशेष राज्य से न हो किन्तु एक से अधिक राज्य से हो, एक अन्तर-राज्यीय परिषद् जैसे मंच की अत्यन्त आवश्यकता है। मेरे विचार से संविधान में पहले से ही इसका उपबन्ध किया गया है; केवल इनकी रचना ही नहीं की गई। सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसार इनकी रचना शीघ्र ही की जानी चाहिए और इसका सक्रिय रूप से पालन किया जाना चाहिए।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : दुर्भाग्यवश अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का ज्ञापन अन्तर-राज्यीय परिषद की रचना से सहमत नहीं है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अन्तर-राज्यीय परिषद् के लिए केवल···

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : अनुच्छेद 263 के सम्बन्ध में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने एक हास्यास्पद तर्क प्रस्तुत किया है। मैं नहीं जानता कि यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है, किन्तु एक बहुत ही हास्यास्पद तर्क प्रस्तुत किया गया है कि किसी अन्तर-राज्यीय परिषद् में मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री का विरोध कर सकते हैं। अतः कोई अन्तर-राज्यीय परिषद नहीं बनाई गई है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : आपने स्वयं अभी कहा है कि प्रत्येक अन्तर-राज्यीय परिषद् की अध्यक्षता

[श्री वीरेन्द्र पाटिल]

प्रधान मंत्री को करनी चाहिए।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : चूंकि गाडगिल जी उपस्थित हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने अपने आपन में कहा है कि कोई अन्तर-राज्यीय परिषद नहीं बनाया जाना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मेरे विचार से श्री अय्यपू रेड्डी ने सुझाव दिया है कि अन्तर-राज्यीय परिषद् की अध्यक्षता प्रधान मंत्री द्वारा की जानी चाहिए। किन्तु मेरा सुझाव है कि अंतर-राज्यीय परिषदों की अध्यक्षता क्षेत्रीय परिषदों की भांति गृह मंत्री द्वारा की जानी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। गृह मंत्री भी तो केन्द्रीय सरकार का ही प्रतिनिधि हैं और वह प्रधान मंत्री की सलाह पर काम करेंगे, और वह समय-समय पर यह काम करेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि प्रधान मंत्री को काफी समय मिले तब तो और भी अच्छा है। मान लीजिए, यदि प्रधान मंत्री को पर्याप्त समय नहीं मिलता तो गृह मंत्री से अन्तर-राज्यीय परिषदों की अध्यक्षता करने के लिए कहने में कोई बुराई नहीं है।

किन्तु मैं विशेष रूप से यह चाहता हूं कि इस प्रकार का मंच अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि अनेक समस्याएं बहुत समय से चली आ रही हैं और प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। एक ऐसा मंच होना चाहिए जहां अन्तर-राज्यीय स्वरूप के इन विवादों को मैत्रीपूर्ण चर्चा के द्वारा निपटाया जा सके।

अन्त में मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसी अनेक वित्तीय संस्थाएं है और ऐसे अनेक राज्य भी हैं जिनकी उचित शिकायत यह है कि यद्यपि उनके राज्यों में काफी धन एकत्र किया जाता है परन्तु उसे उन राज्यों में उपयोग में नहीं लाया जाता बल्कि उसे कहीं और ले जाया जाता है और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली जैसी जगहों में खर्च किया जाता है। मेरे विचार से ऐसी शिकायत की जाती है। मैं समझता हूं कि इनकी यह शिकायत उचित है। इसको दूर करने के लिए और ऐसी शिकायतों की सम्भावना को कम से कम करने के लिए मैं यह सुझाव देता हूं कि सभी राज्य एक साथ नहीं परन्तु राज्यों के प्रतिनिधि बारी बारी से एक निकाय बनाएं। और मेरा विचार है कि यदि सभी राज्य एक साथ उसमें होंगे तो उसमें 25 या 30 सदस्य होंगे और 30 सदस्यों से यह एक बहुत बड़ा निकाय बन जायगा और वे काम भी नहीं कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि उन्हें आपस में चर्चा करनी होगी कि प्रत्येक निकाय में हर वर्ष किस राज्य का प्रतिनिधित्व हो, आदि। अतः जहां तक राज्यों के प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है, मेरा सुझाव यह है कि राज्यों को जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आई०सी०आई०सी०आई० में अन्य वित्तीय संस्थाओं की भांति प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

अतः अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र और राज्यों दोनों को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि उन्हें एक दूसरे पर गर्व हो न कि ईर्ष्या हो।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उन्हें कुल मिलाकर राष्ट्र पर गर्व होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जी हां, उन्हें राष्ट्र पर गर्व होना चाहिए। आखिर में, जैसा मैंने अभी कहा, यदि राष्ट्र नहीं है, तो राज्य कहां है ? अतः उन्हें समृद्धि और चहुमुखी विकास तथा गरीबी, बेरोजगारी और शोषण को दूर करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर चलना चाहिए। मेरे विचार से देश को उच्च शिखर पर ले जाने वाला यही एकमात्र रास्ता है और इस देश में सहयोगी संघवाद के विकास

यही एकमात्र रास्ता है।

श्री वी० एन० गाडगिल (पुणे) : महोदय, अपने भाषण के आरम्भ में मैं न्यायमूर्ति सरकारिया को एक सुविचारित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देना चाहूंगा। मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर एक राष्ट्रीय चर्चा का प्रस्ताव रखने के लिए सरकार को भी बधाई देना चाहूंगा। मैं सरकार को यह उल्लेख करने के लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि जहां तक मेरे दल का सम्बन्ध है, इस विषय के बारे में कोई दलगत बातें नहीं हैं प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से निडर होकर अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो दलगत बातों से ऊपर है।

मैं यह नहीं जानता कि मुझे कितना समय दिया गया है।···(व्यवधान)

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : मुझे इस बात की खुशी है कि आपने यह उल्लेख किया है कि इस बारे में आपकी कोई दलगत बातें नहीं हैं। मैं हमेशा यही समझता रहा था कि आप ए०आई०सी०सी० के ज्ञापन से बंधे हुए हैं···(व्यवधान)

श्री वी०एन० गाडगिल : हमारी कोई दलगत बातें नहीं हैं। अन्य दलों के विपरीत हम लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करते हैं···((व्यवधान)

मैं चार पहलुओं के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। पहला पहलू केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि है; दूसरा पहलू यह है कि अन्य देशों का अनुभव क्या है और क्या हम उनके अनुभव से कुछ सीख सकते हैं; तीसरा यह है कि गत 40 वर्षों से हमारे देश में क्या हो रहा है और चौथा पहलू यह है कि इस बारे में आगे क्या संभावनायें हैं···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे कल अवसर मिलेगा···(व्यवधान)

श्री वी० एन० गाडगिल : आपके भाषण के विपरीत मैं प्रत्येक मुद्दे पर संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

महोदय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है कि जब संविधान-निर्माताओं ने केन्द्र राज्य सम्बन्ध के बारे में विचार किया था तो देश में एक विचित्र और असामान्य स्थिति थी और इसलिए केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में संवैधानिक ढांचे का अध्ययन उस पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में किया जाना चाहिए। उस समय देश के विभाजन के बारे में बातचीत की जा रही थी उस समय ऐसा आभास होता था कि देश में कुछ ऐसी शक्तियां विद्यमान हैं जो देश को विखण्डित कर सकती हैं और इसलिए सारा जोर इस बात पर लगाया गया कि देश की एकता और अखण्डता को कैसे सुरक्षित रखा जाये। यदि आप उन चर्चाओं की जांच करें तो उदाहरणतया आपको यह पता लगेगा कि सरदार पटेल ने यह कहा है :

"लोगों की प्रभुसत्ता की मूल अवधारणा पर आधारित भारतीय लोगों का एक वास्तविक संघ"

श्री के० एम० मुंशी ने यहां तक कहा है :

"ऐसी कोई प्रान्तीय स्वायत्ता नहीं है, प्रांत अपने आप में कोई परिसंघ नहीं है, इस बारे में कोई निश्चित शब्द नहीं है।"

कैबिनेट मिशन प्लान इसकी पृष्ठभूमि में थी और 'यूनियन पावर्स कमेटी' ने मूलत: एक कमजोर केन्द्र का सुझाव दिया था। जब कैबिनेट मिशन योजना का प्रभाव समाप्त हो गया तो संविधान

[श्री वी० एन० गाडगिल]

सभा का विचार बदल गया और जैसाकि मैंने कहा है एक मजबूत केन्द्रीय सरकार पर सम्पूर्ण बल दिया गया ताकि भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखा जा सके। जैसाकि एक लेखक ने कहा है, 'यूनियन पावर्स कमेटी' की रिपोर्ट को ग्रन्थालय के कूड़ेदान में डाल दिया गया और एक पूर्णतः नई अवधारणा सामने आई। एक अवधारणा का उल्लेख डा० अम्बेडकर द्वारा किया गया। केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्ध के बारे में वे कहते हैं :

> "संविधान में केन्द्र और राज्य के रूप में दोहरी व्यवस्था स्थापित की गई है और जिसमें से प्रत्येक को संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार स्वतंत्र रूप से अपनी-अपनी शक्तियों का उपयोग करना पड़ता है। संघ एक ऐसा 'लीग आफ स्टेट्स' नहीं है जिसका सम्बन्ध शिथिल हो तथा न ही कोई राज्य केन्द्र के अधीन है। संघ और राज्य दोनों की स्थापना संविधान द्वारा की गई है तथा दोनों को ही अपनी-अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त है। एक दूसरे के अधीन नहीं है। एक दूसरे की शक्तियों के आपस में समन्वय रहता है।"

यह मूल अवधारणा थी। परन्तु बाद में उन्होंने स्वयं यह चेतावनी दी की हमें संघीय ढांचे से बचना चाहिए और वे इस निर्णय पर भी पहुंचे कि हमें उन परिस्थितियों में एक मजबूत केन्द्र की आवश्यकता है। अतः सम्पूर्ण संविधान में राज्यों के कुछ अधिकारों सहित एक मजबूत केन्द्र की व्यवस्था की गई है।

बहुत से लोगों का यह विचार है कि एक मजबूत केन्द्र हमारे देश के लिए आवश्यक है। मुझे याद है कि उस समय के एक महान नेता ने, जोकि संविधान सभा के सदस्य थे अपनी एक टिप्पणी भेजी थी कि अनुच्छेद 188 के मूल प्रारूप अनुच्छेद को एक अन्य सशक्त अनुच्छेद द्वारा विस्थापित किया जाना चाहिए, जिसे उन्होंने प्रस्तावित किया था। उनका सुझाव दिया गया अनुच्छेद इस प्रकार है :

> "यदि गणतन्त्र के किसी भी भाग में जनता की सुरक्षा और व्यवस्था अत्यधिक खराब हो तथा सम्बद्ध राज्य सरकार उस व्यवस्था को कायम रखने में असफल रहती है, तो संघ के राष्ट्रपति जन सुरक्षा और व्यवस्था कायम करने के लिए सशस्त्र सेनाओं की सहायता ले सकते हैं।"

उनका एक अन्य सुझाव भी इतना ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने यह भी कहा है कि संघ का कार्यकारी अधिकारी संविधान के भाषण की स्वतन्त्रता संगठन बनाने की स्वतन्त्रता और संघीय कानून द्वारा निर्धारित सीमा तथा ढंग से एकत्रित होने की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित उपबन्धों को स्थगित भी कर सकता है। यह महान नेता और देश भक्त कौन था? वह नेता श्री जयप्रकाश नारायण थे। श्री जयप्रकाश नारायण ने ही इन सशक्त व्यवस्थाओं का सुझाव दिया था क्योंकि वे एक मजबूत केन्द्र चाहते थे और वे देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना चाहते थे। अतः यह बिलकुल उचित बात है कि संविधान निर्माताओं की इच्छाओं के अनुरूप हमारे यहां एक मजबूत केन्द्रीय सरकार होनी चाहिए क्योंकि इस देश के हजारों वर्ष का दुखद इतिहास यह दर्शाता है कि कमजोर केन्द्रीय सरकार विदेशी दबाव और विदेशी हस्तक्षेप के लिए एक बुलावा है। अतः सरकारिया आयोग ने इस अवधारणा को लगातार ध्यान में रखा है। अतः मुझे इस बात की खुशी है कि सरकारिया आयोग ने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है जिससे केन्द्रीय सरकार कमजोर हो।

दूसरा पहलू यह है कि यदि आप आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं तो इसके लिए केन्द्रीय आयोजन आवश्यक है। परन्तु जब तक केन्द्रीय सरकार के पास दिशा-निर्देश देने के लिए वित्तीय शक्तियां नहीं होंगी तब तक केन्द्रीय आयोजन नहीं हो सकता। इस बारे में अन्य देशों का अनुभव क्या रहा है क्योंकि केन्द्र द्वारा वित्तीय शक्तियां हथियाने आदि के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं एक उत्कृष्ट पुस्तक जोकि एक प्रतिष्ठित पुस्तक बन चुकी है, से थोड़ा सा अंश उद्धृत करना चाहूंगा। अपनी पुस्तक "फैडरल गवर्नमेन्ट" में प्रो० वेयरे ने उल्लेख किया है :

> "आस्ट्रेलिया और अमरीका में बहुत से व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि इस बारे में पर्याप्त अनुकूलन नहीं हुआ है, और संविधान में अब भी अप्रचलित शक्ति-विभाजन का उल्लेख है।"

2.00 म० प०

चार अथवा पांच प्रकार की संघीय सरकारों का अध्ययन करने के बाद वे पुनः लिखते हैं :

> "सभी चारों संघों में केन्द्रीय सरकारें अधिक शक्तिशाली बन गई हैं—इसका अभिप्राय सभी मामलों में यह नहीं है कि केन्द्रीय सरकारों ने संविधान लागू होने के समय उन्हें मूलतः प्रदान की गई शक्तियों के अलावा नये क्षेत्राधिकार प्राप्त कर लिये हैं।"

यह हुआ है कि उन्होंने अपनी उन शक्तियों का अधिक प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल करना आरम्भ कर दिया है, जो उन्हें मूलतः प्रदत्त की गई थीं। मेरे विचार से भारत में भी यही स्थिति उत्पन्न हुई है। इस बारे में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। हुआ यह है कि केन्द्रीय सरकार ने संविधान के अन्तर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों को अधिक कारगर और प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल करना आरम्भ कर दिया है।

फिर, महोदय वित्तीय क्षेत्र में अन्य देशों में ऐसा घटित हुआ है कि इन सभी देशों में केन्द्रीय सरकारें वित्तीय क्षेत्र में अपने अधिपत्य के लिए संविधान में दिये गये मूल वित्तीय उपबन्धों की आभारी हैं। यह बात स्पष्ट है कि वित्तीय क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारों ने राज्य सरकारों की कीमत पर लगातार अपनी शक्तियों में वृद्धि की है और यह कहा जा सकता है कि शक्तियों में यह वृद्धि और उनकी वर्तमान प्रमुख स्थिति मुख्यतः उन्हें अपने संविधान के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का उपयोग करने से प्राप्त हुई है। यहां भी ठीक ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो रही है।

फिर यहां जो कुछ घटित हुआ है वैसा ही वहां पर भी घटित हुआ है—केन्द्रीय सरकार की ओर से भारी मात्रा में वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रान्त और राज्य अपने कार्यों हेतु अनुदानों और राजसहायता की मांग करते समय अपने अधिकार क्षेत्र छोड़ने को तैयार नहीं होते। अधिकार क्षेत्र के अनेक हाथों में होने में संघीय सरकार के लक्षणों को संभवतः वित्तीय एकीकरण के कुछ उपायों के साथ जोड़ना पड़ेगा। सर्वेक्षण के बाद उनका निष्कर्ष यह है : "ऐसा सम्मिश्रण वित्त और क्षेत्राधिकार में पूर्ण स्वतंत्रता की बजाय अधिक कारगर और बेहतर सरकार देने में समर्थ हो सकता है।" फिर जो यहां घटित हुआ है, वहां भी हुआ है—राज्यों ने विरोध किया है। उन देशों में यह हुआ है : क्षेत्रीय सरकारों की स्वाग्रही होने और उनके आत्म-चेतन में महत्व की भावना में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह सामान्य सरकारों के महत्व में वृद्धि के साथ हुआ है और इसे इसके द्वारा बल ही मिला है।" "फिर असली मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण है : उन्हें महसूस हुआ कि उनकी स्थिति खतरे में है; वे सामान्य सरकारों अर्थात संघीय सरकार के ऊपर अधिक निर्भर हो गये हैं।" इस प्रकार यह भावना इस देश में असामान्य नहीं है ऐसा सभी संघीय देशों में हुआ है। अब इन देशों का अनुभव बताता है कि यदि आप देश को किसी विशेष दिशा में ले जाना चाहते हैं तो केन्द्र सरकार में पहले से निहित वित्तीय शक्तियों

[श्री वी० एन० गाडगिल]

का उपयोग करने की जरूरत है। हमारे देश में क्या हुआ है ? मेरे मित्र चाहते है कि मैं अधिक समय न लूं, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब आपने भाषण शुरू किया था तब मैं सोच रहा था कि आप पांच घंटे लेंगे।

श्री वी० एन० गाडगिल : आप जानते है कि अदालत में भी मैंने कभी भी पांच घंटे नहीं लिये। अन्य संघीय देशों में यह हुआ है कि आधुनिक राज्य के पेचीदा होने से सामाजिक-आर्थिक तबदीली योजना तथा अन्य बदलाव लाने की इच्छा आवश्यक हो गई है जिसके फलस्वरूप कुछ केन्द्रीय निर्देश और मार्गदर्शन आवश्यक हो जाते हैं। केन्द्र की राज्य सरकारों की शक्तियां ले लेने की मंशा नहीं होती है लेकिन इन मुद्दों की अनिवार्यता के कारण केन्द्र सरकार को अपनी शक्तियां अधिक कुशलता और प्रभावी रूप से इस्तेमाल करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। दुर्भाग्य से इसका परिणाम यह हुआ है कि कुछ राज्य महसूस करते हैं कि उनकी शक्तियों का अतिक्रमण किया जा रहा है। भारत में पिछले चार वर्षों में क्या हुआ है ? मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस की सरकारों और अन्य सरकारों में कोई अन्तर नहीं है। तीन बातें हुई हैं। एक तो यह है कि अब यह फैशन हो गया है कि हर कार्य के लिए केन्द्र सरकार पर दोष लगाया जाये। मैं नहीं जानता कि इतिहास हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है क्योंकि मैंने देखा है कि अनेक बार राज्यों में सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता ऐतिहासिक तुलना करते हैं और एक ऐतिहासिक नाटक में नायक की तरह कहते है: "मैं दिल्ली के सम्मुख नहीं झुकूंगा," जैसे कि दिल्ली पर किसी विदेशी शक्ति का शासन है। अब दुर्भाग्य से और अनावश्यक ही इस प्रकार की भावना पनप रही है जैसे कि उनपर कोई बाहरी शक्तियां आधिपत्य जमा रही हैं। इस प्रकार कुछ राज्यों में तो यह हुआ कि अयोग्यता को ढांपने के लिए केन्द्र पर दोष मढ़ दिया गया है। मुझे याद है कि एक बार पूर्व वित्त मंत्री ने कुछ राज्यों के आंकड़े दिये थे कि जो आवंटित किया गया था उसका उपयोग नहीं हुआ : फिर भी वे ज्यादा से ज्यादा मांग करते रहते हैं। महोदय आप जॉन और मैरी की कहानी जानते हैं। जॉन ने मैरी से कहा, "यदि तुम मैरी नहीं होती तो क्या बनना पसन्द करती ?" उसने कहा—गुलाब। उसने पूछा : गुलाब क्यों ? उसने कहा कि यह सुन्दरता का प्रतीक है। फिर उसने उससे कहा, "यदि तुम जॉन नहीं होते तो क्या बनना पसन्द करते ? उसने कहा : अष्टभुज उसने पूछा : अष्टभुज क्यों ? तब वह बोला, "यदि मैं अष्टभुज होता तो मैं अपनी हजार भुजाओं से तुम्हारा आलिंगन करता।" मैरी ने कहा : तुम कितने बेवकूफ हो, जब तुम अपने दो हाथों का ही उपयोग नहीं कर रहे हो तो हजार हाथ क्यों चाहते हो। यही आपके राज्य में हो रहा है। जो आवंटित होता है उसका पूरा उपयोग नहीं होता है लेकिन फिर भी वे और अधिक की मांग करते रहते हैं।

महोदय, मुझे याद है कि अपने स्कूल के दिनों में हम अन्तःस्कूल क्रिकेट मैच खेला करते थे और जब मैच शुरू होता था तो लड़के एक बड़ा पत्थर रख लेते थे और जब भी उनका बल्लेबाज आउट हो जाता था तो वे पत्थर को चप्पलों आदि से पीटते थे। वे अपने बल्लेबाज की कमजोरी को नहीं स्वीकारते थे और दोष पत्थर पर यह कहते हुए लगाया जाता था कि यह पत्थर अशुभ था और इसलिए ऐसा हुआ। इस प्रकार महोदय ऐसा ही हमारे कुछ राज्य के साथ हुआ है। उनके बल्लेबाज कमजोर हैं, वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वे केन्द्र पर आरोप लगाते रहेंगे क्योंकि आरोप लगाना ही उनके लिए उपयुक्त है। इस प्रकार व्यवहार में भारत में यह होता है कि कुछ राज्यों की अयोग्यता को ढकने के लिए केन्द्र को दोषी ठहराते रहो। हमने हर तरह के संघवाद को विकसित किया है। मैंने सहकारी संघवाद तथा अन्य संघवाद देखे हैं। भारत में हमारे यहां सौदेबाजी का संघवाद है। हर राज्य केन्द्र से

सौदा करना चाहता है ताकि वह लोगों को कहे कि "हमने यह आपके लिए किया।" एक लोकतांत्रिक देश में वे चुनावों में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब हम राष्ट्रीय हित की सोचें तो हमें आश्चर्य होता है कि क्या यह उचित तरीका है। इस प्रकार अन्य देशों और स्वयं हमारे देश का अनुभव एक विशिष्ट कार्यशैली दर्शाता है। महोदय, जहां तक प्रतिवेदन का संबंध है, मैं इसकी दो या तीन सिफारिशों से सहमत नहीं हूं।

महोदय पहली तो यह सिफारिश कि यदि एक राज्यपाल हटाया जाए तो उसे अवसर दिया जाए, उसे कारण बताया जाए, लेकिन मुझे यह स्वीकार्य नहीं है। महोदय, यह सरकार का कर्मचारी नहीं है। यहां यह नहीं है कि उनके लिए अनुच्छेद 311 लागू होगा अर्थात सरकारी कर्मचारियों के संबंध में यदि एक सरकारी कर्मचारी हटाया जाए तो उसे अवसर दिया जाए और नैसर्गिक न्याय के नियमों का अनुसरण किया जाए। अन्ततः राज्यपाल का पद एक उच्च राजनैतिक पद है, वह सरकार के एक कर्मचारी नहीं हैं कि आप उन्हें यह कहते हुए नोटिस दें कि "हम आपको बर्खास्त कर रहे है। इसके ये कारण है।" फिर वह उत्तर दें। और फिर सारे मामले पर विचार हो। महोदय, यह पूर्णतया गलत है। इससे राज्यपाल के पद की गरिमा कम हो जाएगी। ऐसे राजनैतिक कारण हो सकते हैं जिनके कारण यह अनिवार्य हो जाता है कि वह अब पद पर न रहें, मैं पार्टी के विचारों के बारे में नहीं बल्कि राजनैतिक कारणों का उल्लेख कर रहा हूं, और यह राष्ट्रपति पर छोड़ दिया जाये और उन्हें नोटिस देने या अवसर देने का प्रश्न ही नहीं होना चाहिए।

2.09 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

मुझे खेद है कि मैं दूसरी सिफारिश अन्तःराज्यीय परिषद के मुद्दे पर भी सहमत नहीं हूं। महोदय, अनेक प्रयोग किए गए है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि अमरीका में गवर्नरों का एक वार्षिक सम्मेलन होता है। आस्ट्रेलिया में प्रिमियर सम्मेलन होता है, कनाडा में एक ऋण परिषद है। विभिन्न संस्थाओं को आजमाया गया लेकिन ये सभी सफल नहीं रही हैं। अमरीका का अनुभव यह है कि गवर्नरों के सम्मेलन में यह होता है, मैं यह एक पुस्तक से उद्धृत कर रहा हूं, गवर्नरों के इन सम्मेलनों की विशेषता यह है कि गवर्नरों का समय अच्छा बीतता है। राज्य उनका हर तरह से उनके सत्कार के लिए उत्सुक रहता है। कोई सकारात्मक चर्चा नहीं होती और यह एक प्रकार का मजमा होता है और फिर सम्मेलन समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसे सम्मेलनों में अधिक सफलता यह मिलती है कि विभिन्न विभागों के प्रभारी मंत्री, राज्य तथा केन्द्र के एक जगह एकत्र होकर अपने-अपने विषयों पर चर्चा का प्रयास करते हैं ताकि राज्य तथा केन्द्र के हितों को सन्तुलित करने के लिए कोई उपाय ढूंढा जा सके। उदाहरण के लिए हमारे यहां क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग और योजना आयोग है। मैं नहीं समझता कि एक और मंच बनाने से कोई सार्थक उद्देश्य हल होगा। वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है। हर पांच वर्ष में यह विभिन्न मुद्दों पर विचार करता है। वे संसाधनों के गाडगिल फार्मूले को लागू कर सकते है।

एक माननीय सदस्य : क्या यह आप ही हैं ?

श्री वी० एन० गाडगिल : नहीं, मैं नहीं बल्कि योजना आयोग के भूतपूर्व उपाध्यक्ष डा० डी० आर० गाडगिल। गाडगिल फार्मूला आय के स्रोतों, जनसंख्या, पिछड़ेपन से सम्बन्धित है। विभिन्न राज्य इसे लागू करते हैं और कुछ आवंटन का सुझाव देते हैं। यहां मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। योजना आयोग विभिन्न चरणों से गुजर रहा है। एक बार तो यह समानांतर मंत्रिमण्डल बन गया था,

[श्री वी० एन० गाडगिल]

फिर मंत्रिमण्डल से भी ऊपर हो गया और बाद में एक सलाहकार संस्था बन गया और एक बार तो इसकी स्थिति में इतनी इतनी गिरावट आई कि यह एक शैक्षिक संस्था बनकर रह गया। अब मैं कहता हूं कि अन्त:राज्य संबंधों में योजना आयोग की भूमिका यह है कि यह एक अग्रणी, पथ-प्रदर्शक, सूचनाओं को देने, सम्पूर्ण योजनाकार और जांचकर्ता का कार्य करे। योजना आयोग का यह कार्य होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा है ऐतिहासिक तौर पर इसकी विभिन्न भूमिकाएं बदली जो देश के लिए अच्छा नहीं रहा। केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में उचित भूमिका यह होनी चाहिए कि यह एक अग्रणी, मूल्यांकनकर्ता और मार्गदर्शक का कार्य करे। महोदय, इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि जब आपके पास ऐसी अनेक संस्थाएं हैं तो एक और संस्था खोलना आवश्यक है चाहे इसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री ही क्यों न करें। मेरे विचार से यह सब अप्रासंगिक हो जाता है क्योंकि बेहतर केन्द्र-राज्य संबंधों के लिए ऐसे किसी आयोग या परिषद की आवश्यकता नहीं है।

अन्त में मैं यह कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। महोदय, यह कहा गया है कि एक संघ वकीलों की एक स्थायी उत्पत्ति नहीं है जो कि उनके द्वारा ही नियंत्रित रहेगी हालांकि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर एक प्रकार की व्यापक मुहर आवश्यक है। इस प्रकार एक संघीय व्यवस्था तीन अलग-अलग घटकों के अच्छे मिश्रण से नहीं पहचानी जाती है। इसके लिए तो और अधिक वास्तविक प्रतीक संगमरमर का एक टुकड़ा है। जब आप इसे काटते हैं तो क्या पाते हैं? काटने पर पता लगता है कि विभिन्न रंगों और खनिजों का अविभाज्य मिश्रण है। वहां कोई साफ समतल वर्गीकरण नहीं है। शीर्ष और विकर्ण रेखा समतल रेखा को छिपा देती हैं और कुछ जगहों पर तो अप्रत्याशित चक्कर और रंगों का अप्रत्यक्ष रूप से विलीन होने के कारण यह कहना कठिन होता है कि कहां एक खत्म होता है और दूसरा शुरू। इसलिए इस बारे में उचित दृष्टिकोण होना चाहिए। यह उचित नहीं होगा कि आप इस सम्बन्ध में एक निश्चित रेखा खींचें — और कहें कि यह केन्द्र और राज्य सम्बन्ध हैं। हम सभी एक राष्ट्र के हैं और साथ ही काम करते हैं। मैं अपने आपको बहुत खुशनसीब समझूंगा जब लोग इस बात से आश्चर्यचकित हों कि मेरे विचार और दूसरे के विचार उदाहरण के लिए, सोमनाथ चटर्जी के विचार एक हों। अगर हमें ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तभी हम सच्ची एकता और अखंडता प्राप्त कर सकते हैं। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इसके लिए किसी प्रकार का सामना करना पड़े या किसी प्रकार की शत्रुता करनी पड़े जिससे कि मैं और आप अलग-अलग सिद्ध हों। मैं सोचता हूं कि इस तरह के विचार को खत्म करना चाहिए।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि केन्द्र और राज्य का सम्बन्ध भविष्य में कैसा होना चाहिए, तो यह मूलत: सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर निर्भर करता है, चाहे वे केन्द्र के हों या फिर राज्य के और अगर हम मिल-जुलकर काम करते हैं तो हम सच्ची एकता और अखंडता प्राप्त कर सकते हैं, न कि कानून द्वारा या फिर संवैधानिक उपबन्धों द्वारा। अगर हमारे बीच एकत्व की भावना है, तो ही हम केन्द्र-राज्य के सम्बन्धों को अच्छा कर सकते हैं। यह पूर्णतया न तो संवैधानिक उपबन्ध का भाग है न ही इसे कानून के द्वारा ही लागू किया जा सकता है। आखिरकार लोग ही हैं जो इस व्यवस्था को कायम रख सकते हैं, उनका दृष्टिकोण तथा केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों के बारे में उनके विचारों पर ही केन्द्र और राज्य सम्बन्धों की सफलता निर्भर करती है।

इस सम्बन्ध के बारे में मैं ज्यादा से ज्यादा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं जिसे मैं उपयुक्त समझता हूं :

"अपकेन्द्री और अभिकेन्द्री बल का संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए ताकि न

तो सुखी राज्य अन्तरिक्ष में उड़े और न ही केन्द्र सरकार का सूरज उसे अपनी लपटों में ले सके।"

आने वाले समय में केन्द्र और राज्य के सम्बन्ध का यही चित्रण और कल्पना होनी चाहिए।

सभापति महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी आप कितना वक्त लेंगे ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : 50 मिनट।

सभापति महोदय : आपके दल को केवल 12 मिनट का समय मिला है।

श्री सोमनाथ चटर्जी] : सभी लोग ज्यादा समय ले रहे हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

सभापति महोदय, मैं अनुभव करता हूं कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर केवल सैद्धांतिक पहलू या हठधर्मिता से विचार नहीं किया जा सकता। जब आयोग का गठन हुआ, तब हमें स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक करीब 30-35 सालों से केन्द्र और राज्य के सम्बन्ध का अनुभव प्राप्त हो चुका था। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार संविधान का प्रारूप तैयार कर रहे हैं कि केन्द्र मजबूत होना चाहिए या राज्य मजबूत हो।

केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों की कार्य प्रणाली का अनुभव इन वर्षों में हमारे सामने था, खासकर पिछले दो दशक से, जो कि मतभेद और मनमुटाव से भरपूर रहे। इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि देश का विकास असामान्य रूप से हुआ है। असमानता न केवल लोगों के बीच ही रही बल्कि राज्य और राज्यों के बीच, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच भी रही है जिसका देश में केन्द्र और राज्य के संबंधों से कोई तर्कसंगत विश्लेषण नहीं किया जा सकता है।

हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के लिए संघीय स्वरूप की कल्पना की है जिसका मतलब है कि केन्द्र और राज्यों के बीच शक्ति और उत्तरदायित्व का बंटवारा करना। लेकिन महोदय, इस बात को नकारा नहीं जा सकता और मैं आश्वस्त हूं तथा आप भी मुझसे सहमत होंगे कि हमारे संविधान के अन्तर्गत ज्यादातर विकास कार्य राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। लोग राज्य सरकारों से ही कार्यनिष्पादन, अपनी शिकायतें दूर करने तथा अपने उचित हितों की अपेक्षा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्य सरकारें अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निभाने के लिए पूर्ण रूपेण आर्थिक और संवैधानिक तथा कानूनी शक्तियों से सम्पन्न हैं जिससे कि वह अपने उत्तरदायित्व और लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकें ? हमें इस पर अपने अनुभवों से विचार करना होगा। सच तो यह है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आयोग की महत्ता को समझकर ही इसको गठित किया था क्योंकि देश के ज्यादातर उद्देश्यों की पूर्ति न होकर वहां विकृति, अपूर्णता और हीनता व्याप्त थी।

हम अपने इस संकल्प से कभी पीछे नहीं हटेंगे कि हमारा राष्ट्र एक हो तथा मजबूत हो। लेकिन प्रश्न यह है कि हम अपने एक राष्ट्र की महत्ता को तथा अपनी शक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे। यही वह चीज है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों के पुनरावलोकन और पुनर्संरचना करने की कोई मांग ही नहीं उठती, अगर लोग या राज्य सरकारें जिसमें कांग्रेस की सरकारें भी शामिल हैं, यह अनुभव करते कि यथास्थिति से उन्हें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिली है और देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन, व्याप्त अभाव, असामान्य सुविधाएं और असामान्य बर्ताव ने लोगों को केन्द्र और राज्य सम्बन्धों का पुनरावलोकन और पुर्नसंरचना के लिए बाध्य किया।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

सरकारिया आयोग को स्थिति का पुनर्विलोकन करने और इस व्यवस्था के पुर्नसंरचना के लिए सुझाव देने का अवसर प्राप्त हुआ।

हम ऐसा विश्वास करते हैं कि राष्ट्र की शक्ति के लिये राज्यों का विकास और मजबूत होना आवश्यक है जो कि एक मजबूत केन्द्र और इसके फलस्वरूप एक मजबूत राष्ट्र बनाने में सहयोगी होता है और जिसकी हम कल्पना भी करते हैं।

अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि सरकारिया आयोग ने उन अनेक विभूतियों का वर्णन किया है जो कि हमारे राजनैतिक जीवन में समा गई हैं। केन्द्र और राज्य सम्बन्धों के बहुत से मामले में, इस समय विद्यमान कई प्रथाओं की इसने सही रूप में आलोचना की है। राज्य सरकारों तथा राजनैतिक दलों द्वारा उठाई गई अनेक आपत्तियों का इसने जिक्र किया है तथा कई आपत्तियों को उचित ठहराया है लेकिन, दुर्भाग्यवश इस संबंध में यथापूर्व स्थिति जिसे इसने अन्ततः स्वीकार किया है के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

वास्तविकता यह है कि अगर कोई रिपोर्ट और इस द्वारा की गई सिफारिशों को पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि आयोग ने यथास्थिति को ही न्यायसंगत ठहराया है और इसमें किसी प्रकार का संवैधानिक बदलाव की आवश्यकता न समझते हुए इसे समाप्त कर दिया है। यह एक विचित्र और अनुचित बात है कि आयोग यह विश्वास करता है कि भविष्य में केन्द्र उचित व्यवहार करेगा और सब ठीक हो जाएगा। इसलिए, हम इन बातों को उन पर छोड़कर कुछ कमियों का उल्लेख कर सकते हैं।

यह खेदजनक है कि सरकारिया आयोग ने इतिहास से कोई लाभ नहीं उठाया। इसने स्थिति का पुनर्विलोकन तो किया पर इस पुनर्विलोकन से कोई लाभ नहीं प्राप्त कर पाया। आयोग के पास अपने जाँच से एक बड़ा सुअवसर था जिसके द्वारा इसे पता लगी खामियों को दूर किया। लेकिन, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि आयोग ने केवल मंगल कामना और सुखद भविष्य की कल्पना की है न कि इसके तर्कसंगत सुझावों को अपनाने और विसंगतियो को दूर करने की बात की है। इस तरह, हम सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को एक निराशाजनक रिपोर्ट कह सकते हैं। आयोग के प्रतिवेदन की मूल भ्रान्ति है इसकी कल्पना कि मात्र केन्द्र को सशक्त बनाकर राष्ट्र को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। श्री गाडगिल ने अभी-अभी कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि राज्य शक्तिशाली हों। यह एक बुनियादी भ्रान्ति है। इस बात की अवहेलना की गई है कि स्वतंत्रता के पश्चात 40 वर्षों में केन्द्र द्वारा शक्ति एवं बल की अधिक अभिवृद्धि से देश के सम्पूर्ण समान विकास में कोई मदद नहीं मिली है। इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा हुआ है। इससे हमारी राजनीति के निर्विघ्न कार्यकलाप को नुकसान हुआ है। ब्रिटिश साम्राज्यवादी जिन्होंने हमारे यहां सदियों तक राज किया स्वाभाविकतः उन्होंने अपनी एकछत्रता स्थापित करने के लिए साम्राज्यवादी इरादे के लिए ऐसा किया और इस देश में जब कभी भी उन्होंने प्रान्त बनाकर संघीय ढांचे को लाने की सोची और वहां पर चुनावी प्रणाली प्रदान करने की कोशिश की तब उन्होंने क्या किया। उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया, उसका उद्देश्य था सुदृढ़ केन्द्रीय प्रशासन जिसके अन्तर्गत केन्द्र को बहुत से अधिकार प्राप्त थे तथा प्रान्तों के अधिकार बहुत सीमित कर दिये गये थे यह मेरे शब्द नहीं हैं यह तो कांग्रेस पार्टी संकल्पों में कहा गया था। जब श्री गाडगिल बोल रहे थे वह ऐसे बोल रहे थे जैसे कि यह वर्ष 1947 था न कि 1989। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कहा है कि यदि केन्द्र सुदृढ़ नहीं हुआ तो बहुत ही ज्यादा अव्यवस्था होगी। अन्यथा हमारे देश में हुए बंटवारे एवं विध्वंस के पश्चात देश के टुकड़े-टुकड़े हो

जाते। परन्तु यही रवैया 1985, 1986 तथा 1987 में सरकारिया आयोग द्वारा अपनाया गया कि अव्यवस्था की स्थिति होगी। क्यों ? ऐसा इसलिए है यदि हम देखें कि यदि 1947 में मजबूत (सुदृढ़) केन्द्र नहीं होता तो स्थिति क्या होती। जैसा कि मैंने कहा इसकी सिफारिशें करते हुए ऐतिहासिक प्रक्रिया एवं पिछले 40 वर्षों के अनुभव को दृष्टिगत नहीं रखा गया है। मैं यहां उपस्थित माननीय सदस्यों एवं देश से पूछता हूं क्या सुव्यवस्थित विकास, केन्द्र में शक्ति का पिछले चालीस वर्षों से अधिक विकेन्द्रीकरण करने से देश के विभिन्न प्रदेशों में जन समुदाय में असंतोष व्याप्त नहीं हुआ है। क्या इससे देश में विखंडता की प्रवृत्तियों अथवा बलों को मदद नहीं मिल रही है। क्या इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिला है ? क्या इससे देश को पूर्णतम सशक्त बनने मे मदद मिली है ?

महोदय, श्री वीरेन्द्र पाटिल ने इस देश के विकास की महान धारणा न सिर्फ महान धारणा अपितु महान सच, अर्थात् विविधता में एकता का उल्लेख किया है। यह अभी भी विद्यमान है। आधारभूत एकता विविधता में है परन्तु विविधता में एकता की यह धारणा हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कांग्रेस पार्टी के विभिन्न सम्मेलनो में पारित संकल्पों में अपनाई गई थी। संकल्प विशेषतः संघीय राष्ट्र के रूप में स्वतंत्रता पश्चात के भारत के विकास को बताते हैं। समय-समय पर इसको दोहराया गया था। कोई भी इससे इन्कार नहीं करेगा—जैसाकि उन संकल्पों में कहा गया था कि विदेश रक्षा, संचार, करेन्सी आदि आवश्यक विषय केन्द्र के साथ निहित होने चाहियें तथा राज्यों को इस तरह के अधिकार केन्द्र को देने चाहिये। इसमें संदेह नहीं है। लेकिन अवशिष्ट शक्ति राज्यों के पास ही रहेगी जैसाकि श्री अय्यपू रेड्डी ने ठीक ही कहा है और कांग्रेस पार्टी के 1946 के चुनाव घोषणा पत्र में इस बात पर ही बल दिया था। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया है कि समूचे देश के उचित विकास के लिए राज्यों को बाकी के अधिकार दिए जायेंगे। लेकिन ये अनुभव या ये संकल्प···(व्यवधान)

सभापति महोदय : दो मिनट का समय और है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, यह कैसे हो सकता है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : फिर मुझे नहीं बोलना है।

सभापति महोदय : आपने पन्द्रह मिनट के लिये कहा था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने पचास मिनट के लिये कहा था।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। आपकी पार्टी को केवल बारह मिनट का समय मिला है। कार्यमंत्रणा समिति ने इसकी सिफारिश की थी। आपको अधिक समय देने के लिये कार्यमंत्रणा समिति से कहना चाहिये था।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : यह आपत्तिजनक है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन कुछ व्यक्ति एक घंटे से अधिक समय तक बोले हैं।

सभापति महोदय : उन्हें अधिक समय मिला है और आपको केवल दस मिनट मिले हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इनका समय बढ़ा दीजिये। (व्यवधान)

सभापति महोदय : अगर आप चाहते हो तो मैं आपको पांच मिनट दे सकता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : फिर हम सदन से बाहर जा रहे हैं।

2.32 म०प०

तत्पश्चात् श्री सैफुद्दीन चौधरी, श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

श्री एम० वी० एन० सोबू (मद्रास उत्तर) : उन्हें कुछ समय और दे दीजिये।

सभापति महोदय : मैंने उन्हें बताया था। लेकिन वे बात नहीं करना चाहते हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : पीठासीन ने उन्हें बोलने से नहीं रोका था।

सभापति महोदय : वह बोलना नहीं चाहते है। मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

श्री एम० वी० एन० सोबू : यह एक महासागर है। इसे छोटा कैसे किया जा सकता है ? (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह केवल राजनीतिक रंग देने के लिये है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने उन्हें बोलने से मना नहीं किया था। लेकिन वह बोलना ही नहीं चाहते।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह राजनीतिक रंग देना है।

सभापति महोदय : श्री श्रीपति मिश्र को बोलना है।

[हिन्दी]

श्री श्रीपति मिश्र (मछलीशहर) : सदन में केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध में बहुत सी बातें आवश्यक और जरूरी कही गई हैं। मैं उस बुनियादी प्रश्न को आपके सामने रखना चाहता हूं कि आखिर क्यों सरकारिया कमीशन अप्वाइंट करने की जरूरत महसूस की गई, किन हालात में सरकारिया कमीशन मुकर्रर किया गया और आज उसकी फाइन्डिंग्स पर बहस करने की क्यों जरूरत पड़ी। इतिहास में कुछ संदेश हैं, जिन्हें हमें अच्छी तरह समझना होगा। संविधान बनाने वालों ने संविधान बनाते वक्त कुछ कल्पनाएं की थीं और उन्हीं को संविधान में निहित किया गया था कि हमारे देश में एक ऐसा केन्द्र बने जो सारे देश को इकट्ठा रख सके। यदि आप देखें तो पुराने समय से लेकर आज तक इतना बड़ा भारत पहले कभी नहीं रहा है, जितने बड़े रूप में वह आज अवस्थित है। भारत के इस रूप को उसी तरह बनाये रखने के लिए ही यह अवधारणा की गई थी कि हमारा केन्द्र ऐसी मजबूत शक्ति हो जिससे कि भारत का जो रूप उभर कर आया है, वह रूप स्थिर रहे, बिखरने न पाये। आज, यहां जितने सुझाव दिए गये हैं, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के बारे में जो कुछ कहा गया है उस तरफ से, मैं यहां उस बुनियादी प्रश्न को नहीं छू रहा हूं, जिससे कि उन सुझावों को कार्यान्वित किया

जा सके। राजनैतिक दृष्टिकोण से देखें तो हम भारतवर्ष में जब ऐसे दलों को बनने देंगे, जो किसी क्षेत्र के नाम पर, किसी जाति के नाम पर या किसी धर्म के नाम पर बने हैं तो क्या यह सम्भव है कि यह देश राष्ट्रीय कल्पना के साथ जुड़ सकता है और राष्ट्रीय विचारधारा को इस देश में बढ़ाया जा सकता है। एक दल, एक थोड़े से हिस्से को, भारत के थोड़े से हिस्से को वह अपना दल बनाकर उसी आधार पर अगर कायम करते हैं, तो क्या वह देश की बुनियादी ताकत से, देश की राष्ट्रीय कल्पना से जुड़ सकते हैं, लेकिन यह बना और बनता चला गया और जब ये बनते चले आये, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, दक्षिण से लेकर पूर्वान्चल तक और पश्चिम तक ऐसे दलों का निर्माण हुआ और जब ऐसे दलों का निर्माण हुआ, तो उनका लक्ष्य, उनके विचार, भारतवर्ष से सिमट कर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास से सिमट कर एक छोटे से क्षेत्र, एक खास छोटी सी राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में आ गये और अगर हम इनको नहीं रोकते हैं, अगर हम इस तरह के दलों का बढ़ना नहीं रोकते हैं, तो रिलेशन कभी ठीक नहीं रह सकते हैं चाहे जिस तरह से वे कार्यान्वित किए जाएं। यहां फायनेंस कमीशन है, यहां प्लानिंग आयोग है, इसके साथ-साथ कुछ और सुविधाएं, कुछ और चीजें इस देश में और कांस्टीट्यूशन में निहित हैं, उनका उपयोग करने के लिए एक पार्टी, एक दल, एक तरह की सरकारें जहां होंगी, अगर वह इस विचार से सोचेंगी, सारी व्यवस्थाएं हमारी अपनी स्टेट में या अपने स्थान में आएं, तो निश्चित रूप से वह केन्द्र के समन्वय से दूर होंगी, केन्द्र के समन्वय के नजदीक नहीं होंगी और उनको लाभ कब होगा, क्षेत्रीय दलों को लाभ कब होगा, जब वे सारे भारतवर्ष की आवश्यकता की चीजों को भी केवल अपने क्षेत्र में निहित कर लें, तो इस भावना के साथ काम करने से ये स्टेट के और केन्द्र के रिलेशन इम्प्रूव नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं सबसे पहला और सबसे मूल्यवान बिन्दु अपनी समझ से आपके सामने रखना चाहता हूं, वह यह है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इसमें यह बदलाव आना चाहिए कि पार्टियां आगे आए और इस तरह के दलों को आने से रोकें, इसके लिए प्रावधान निश्चित करें।

जो लोग आज सेंटर और राज्यों के सम्बन्धों के बारे में तरह-तरह की बातें करते और यह चाहते हैं कि राज्य ज्यादा मजबूत हों, वे यह महसूस करते, अगर उनके दल, राष्ट्रीय स्तर पर होते, राष्ट्रीय स्तर की उनकी कार्य-प्रणाली होती, अगर राष्ट्रीय स्तर पर वे सोचते, तो वे यह महसूस करते कि कल अगर हमें यहां बैठकर फैसला करना होगा, तो हम किस तरह से केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों को निभायेंगे, लेकिन इतने छोटे-छोटे दल उनके साथ, उनको यह विश्वास भी नहीं होता कि यहां बैठकर किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा और समस्याओं के समाधान के लिए निराकरण निकालना पड़ेगा। मात्र यह कारण है कि छोटी सोचें, संकीर्ण विचार हैं, उनकी वजह से इस रिलेशनशिप में कमी आई है।

मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि आज जो हम बहुत गर्व से यह कहते हैं कि सत्ता दल जो अपने को यह कहता है कि 100 वर्षों से ऊपर का जीवनकाल हो चुका है, उसको आज इस दिशा में, जो वे कदम उठाने चाहिए, इस दिशा में उन बातों को मापदण्ड बनाकर सामने रखना चाहिए जिस से देश की मजबूती के सम्बन्ध में, देश की एकता के सम्बन्ध में, ये रिलेशनशिप जो खराब हो रही है, वे ठीक हों। एक राष्ट्रीय पार्टी की अवधारणा के साथ, एक राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ एक सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, सैकड़ों वर्षों से सत्ता में है, उस पर यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है, कि वह इस तरह की जड़ों के जमने देने के जो कारण हैं, उनको दूर करने की कोशिश करें।

अब मैं कुछ उन बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जैसे अभी रेड्डी साहब ने प्रारम्भ किया है, उन्होंने बहुत ही केजुअल ढंग में यह कह दिया कि कोई भी लिटरेचर का आदमी, कोई

[श्री श्रीपति मिश्र]

भी विद्वान आदमी गवर्नर या राज्यपाल मुकर्रर नहीं किया गया। वे किस को विद्वान समझते हैं, उनकी परिभाषा को तो मैं नहीं कर सकता हूं कि किस को वे विद्वान समझते हैं। लेकिन कुछ नाम मैं आपके सामने जरूर पेश करूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या वह विद्वान नहीं थे ? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुन्शी, डा० सम्पूर्णानन्द, डा० जाकिर हुसैन साहब सभी गवर्नर हुए, मेरा ख्याल है कि ये सब देश के जाने-माने चोटी के विद्वान थे। तो इस तरह की कैजुअल रिमार्क की बात नहीं करनी चाहिए।

मैं गाडगिल साहब की इस बात से बिल्कुल असहमत हूं कि गवर्नर को हटाने के सम्बन्ध में यह कारण दिया जाए कि वह क्यों हटाये गये। इसका कोई मतलब नहीं है। गवर्नर की पोस्ट ऐसी है, जिसमें कारण देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

कांकरेन्ट लिस्ट में एक सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकारें जो भी कानून बनाना चाहती हैं, जो प्रावधान वह करना चाहती हैं, उन कानूनों को भी केन्द्र में लाना पड़ता है और उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत होने आवश्यक होते हैं। ऐसे अनेक किस्से हैं, अनेक मौके आए हैं कि जब वहां के पास हुए कानून और कायदे यहां पर आए और उनमें यहां पर इतना अधिक समय लगा कि जिस कार्य के लिए वह बनाए जा रहे थे, उस कार्य की पूर्ति होना असंभव हो गया। इस तरह के नमूने यहां हैं कि वहां से कानून आने पर भी उनको स्वीकृति, उनको मान्यता प्रदान नहीं की जाती है, उसमें देर होती है। यह केन्द्र की जिम्मेदारी है, केन्द्र को चाहिए कि राज्य के जो भी कानून यहां आएं, उनके लिये एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित की जाये कि उसमें उनको स्वीकृति या अस्वीकृति जो भी देना चाहें, वह देने की कोशिश करें।

जुडिशियरी के सम्बन्ध में मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं। इसमें आज पूरे देश के वातावरण में एक हंगामा है और उसमें एक उदंडता की भावना है। उसमें जो कार्यकारिणी के कर्तव्य हैं, वह पूरे करने के बावजूद भी लोगों में विश्वास नहीं हो पाता है। आज एक-एक न्यायालय में, हाईकोर्टों में हजारों की तादाद में मुकदमे पड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में तो लाखों की तादाद में मुकदमे पड़े हुए हैं। उनका पड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो झगड़े सामने आ रहे हैं, उनके बारे में लोगों में यह विश्वास होता है कि उनका निपटारा तो होगा ही नहीं। जब उनका निपटारा न्यायालय में नहीं होगा तो फिर निपटारा सड़क पर होगा। जब सड़क पर निपटारा होगा तो हंगामा बढ़ेगा। लेकिन हमारा ध्यान केन्द्र पर जाना चाहिए जिसको निर्णय लेने का अधिकार है। आज की परिस्थिति में इस देश में करीब 90 हाईकोर्ट के जज मुकर्रर नहीं हुए हैं। जब ऐसी स्थिति है तो निश्चित रूप से अपनी समस्या के समाधान के लिये लोगों को न्यायालय में जाने के बजाए सड़क पर जाना पड़ता है जोकि देश के लिए खतरनाक बात पैदा करता है।

मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक जगह का हवाला देना चाहता हूं। एक जगह के चीफ जस्टिस का उनके कन्फर्मेशन का फैसला हो चुका, मगर इस ब्यूरोक्रेटिक सैट-अप में उस पर अन्तिम हस्ताक्षर नहीं हुए और उसकी टर्म 9 महीने से घटते-घटते जब एक दो महीने रह गई तो शायद उसकी सूचना अब जाए।

कान्करेन्ट लिस्ट में जो अधिकार दिये गये हैं, उनका उपयोग आप इस तरह करें जैसे आपके ऊपर दूसरे राज्यों का काम निर्भर करता है। उसमें आप देर न करें। मामूली इंडस्ट्री के लिए, मामूली

बातों में कोई भी लाइसेंस के लिए यहां आता है, किसी अधिग्रहण के लिए कोई फैसला होता है, वह केन्द्र में आता है और वह यहां हर दफ्तर से दफ्तर में पड़ा रहता है। मैं नमूने के तौर पर कहना चाहता हूं, इससे सम्बन्ध बिगड़ते हैं। इसमें विरोधी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के राज्य की बात नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राज्य और केन्द्र की बात बताना चाहता हूं। शूगर मिलों के अधिग्रहण का फैसला हुआ। राज्यों ने इस बारे में फैसला भी किया और आर्डिनेंस बना दिया लेकिन वह स्वीकृति के लिये यहां आया तो पूरा का पूरा सीजन बीत गया और आर्डिनेंस पर यहां से दस्तखत नहीं आ सके। नतीजा यह हुआ कि उस एरिया के पूरे किसान, पूरे मजदूर और उस एरिया की आम पब्लिक परेशान होकर रह गई। इससे सरकार के खिलाफ एक विद्वेष भी पैदा हुआ। अगर यही बात उस स्टेट की होती जहां दूसरी पार्टी की सरकार होती तो यह बात और बड़े पैमाने पर उठायी जाती और उसे दूसरा कलर दिया जाता। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो काम आपको करना है और जिससे राज्य का सम्बन्ध है, उसके निराकरण के लिए कम से कम अपना काम चाहे थोड़ी देर में करें लेकिन जिन कार्यों से राज्यों का सम्बन्ध है उसको इतनी जल्दी निपटाने की कोशिश कीजिए जिससे राज्यों को उंगली उठाने का मौका न मिले।

जिस बात की तरफ श्री रेड्डी साहब ने जिक्र किया उसकी तरफ मैं अभी इशारा करना चाहता हूं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी जब प्रांतों में जाते हैं तो वह राज्यों के अधिकारियों को अपना अधिकारी न मान कर यह समझते हैं कि हम केन्द्र के है। यह बात बहुत हद तक सही है। ऐसी हालत में स्वाभावतः जो राज्य के अधिकारी हैं वे यह महसूस करने लगे हैं कि जो प्लान या बातें केन्द्र की भी कार्यान्वित करने की राज्य के अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, उसका ठीक से पालन न कराया जाये। अगर वह इस तरह से फैसला करेंगे तो समन्वय स्थापित नहीं हो सकता है। हालांकि यह एक झगड़े की बात है लेकिन इसके नमूने बताये जा सकते है। कश्मीर के चुनावों में जब अलग-अलग पार्टियां लड़ी थीं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश सेंटर के अधिकारी पालन करवाते थे और राज्य के अधिकारी राज्य की गवर्नमेंट का आदेश पालन करवाते थे। इससे हमें बीच में संघर्ष देखने को मिला। इस तरह की घटना पिछले जम्मू कश्मीर के चुनाव में घटीं। जो अधिकारी जिस किसी राज्य में किसी भी कैडर का हो उसकी तरफ केन्द्र को ध्यान देना चाहिये। इसके लिए अगर कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो उसमें परिवर्तन भी करनी चाहिये ताकि राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी है वह उन अधिकारियों के ऊपर अपना कंट्रोल रख सके और ठीक ढंग से अपने काबू में रख कर उनसे कार्य ले सके। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे तो यह बातें वास्तव में घटेंगी।

एक अन्तिम बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। कुछ बाडीज—जैसे कार्यकारिणी, न्यायपालिका व अन्य जो बाडीज हैं—इलेक्शन कमिशन, प्लानिंग कमिशन, फाइनांस कमिशन यह सारी की सारी जैसा कि गाडगिल साहब ने भी जिक्र किया कि सारी की सारी पायोनीअर की तरह और डायरेक्शन देने वाली पार्टी के रूप में काम करें और इनकी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। अगर इनकी स्वतंत्रता पूरी तरह सुरक्षित होगी तो निश्चित रूप से राज्य और केन्द्र के जो संबंध हैं, उनमें अच्छाई आयेगी।

दूसरी बात यह है कि हम संविधान और कभी-कभी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी बदलने का अधिकार पार्लियामेंट में रखते है। हमने इनको बदला भी है लेकिन हम ऐसा एक रास्ता दिखलाते हैं जिस रास्ते को देखकर दूसरी ऐसी घटनायें फिर उठने और उभरने लगती हैं जिससे उनकी मान्यता घट जाती है। उन संस्थाओं की मान्यताओं को हमें घटाने की जरूरत नहीं है बल्कि उनको मान्यता देने की जरूरत है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुमारी ममता बनर्जी ।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय···

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, सदन में बहुत अप्रिय स्थिति है। हमें समाधान ढूंढने दीजिए।

सभापति महोदय : कोई अप्रिय स्थिति नहीं थी।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप माननीय अध्यक्ष महोदय को सूचित कर सकते हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय को सदस्य से बात करने दीजिये।

सभापति महोदय : ऐसा नहीं किया जाता।

(व्यवधान)

श्री तम्पन थामस (मवेलिक्करा) : महोदय, आपको उन्हें बोलने का अवसर देना चाहिए।

सभापति महोदय : मैंने उन्हें भाषण रोकने के लिए नहीं कहा था। आप यहां थे। क्या मैंने उन्हें भाषण देने से मना किया था ? लेकिन अगर वह बोलना नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने उन्हें भाषण देने से नहीं रोका था। मैंने उन्हें उनकी पार्टी के लिए दिया गया समय याद करवाया था। यह बताया गया था कि मार्क्सवादी पार्टी को बारह मिनट मिले हैं। मैंने केवल उनकी पार्टी को दिया गया समय याद करवाया था। मैंने उन्हें भाषण देने से नहीं रोका था। आप यहां थे। मैंने घंटी नहीं बजाई थी। मैंने उन्हें बोलने से नहीं रोका था। मैंने केवल समय याद करवाया था। तत्काल ही उन्होंने बोलना बन्द कर दिया और सदन से बाहर चले गये। मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन्हें अपना भाषण जारी रखने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह बहुत असामान्य है। जो कोई बोल रहा हो, पीठासीन को उसे समय बताने का विशेषाधिकार होता है। और अधिक कुछ नहीं हुआ। जब याद करवाया तो उन्होंने बोलना बन्द कर दिया और सदन से बाहर चले गये। क्या यह तरीका है ? उन्हें पीठासीन द्वारा वापिस नहीं बुलाया जा सकता। वह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। उन्हें केवल समय याद करवाया था।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (बंकुरा) : अगर आवश्यकता हो तो इस चर्चा के लिए समय बढ़ाया जा सकता है।

सभापति महोदय : सदन इस पर एक सप्ताह चर्चा करे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह निर्णय कार्य मंत्रणा समिति और सदन को लेना है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने उन्हें बोलने से नहीं रोका है। मैं क्षमा याचना क्यों करूं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको निष्पक्ष होना चाहिए। मैंने केवल उन्हें उनके समय के बारे में याद दिलाया है। और कुछ नहीं हुआ। मैंने उन्हें रुकने के लिए नहीं कहा। वे रुक गये और चले गये। मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : वे जाकर उन्हें बुला क्यों नहीं सकते ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप भी यहीं थे। क्या मैंने उन्हें रोका था ?

श्री तम्पन थामस : आपने ऐसा नहीं किया। किन्तु अन्य वक्ताओं ने काफी समय लिया है। वे और समय चाहते थे। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको समझना चाहिए। दुर्भाग्यवश, इस चर्चा के लिए निर्धारित समय पांच घंटे का है। कांग्रेस दल को साढ़े तीन घंटे का समय मिल गया है और मार्क्सवादी दल को 12 मिनट मिले हैं। मैंने केवल उन्हें उनके समय के बारे में याद दिलाया है। मैंने उन्हें रोका नहीं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : विभिन्न चर्चाओं के लिए समय दो-तीन बार बढ़ाया जा चुका है। यह इतनी महत्वपूर्ण चर्चा है।

सभापति महोदय : मुझे इसके लिए भी समय बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस बात को मुद्दा मत बनाइए (व्यवधान)

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : हम इस बात को मुद्दा नहीं बना रहे।

सभापति महोदय : इस सभा के समक्ष कोई समस्या नहीं है। मैंने उन्हें नहीं रोका। वे स्वयं रुक गये और चले गये। मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री तम्पन थामस : कृपया उन्हें बुलाइए··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं उन्हें क्यों बुलाऊं ?

(व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : हम उस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : चेयरमैन सर, मैं आपकी आभारी हूं कि सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया।··· (व्यवधान) ···अपोजीशन पार्टीज के मेम्बरों को अगर बोलना है, तो वे बोल सकते हैं लेकिन श्री सोमनाथ चटर्जी खुद उठकर चले गये। अब उनकी पार्टी का

[कुमारी ममता बनर्जी]

कोई मेम्बर बोलना चाहे, तो कोई रोक नहीं है लेकिन इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। सेन्ट्रल स्टेट रिलेशन्स बहुत इम्पोर्टेन्ट सबजेक्ट है।···(व्यवधान)···सेन्ट्रल स्टेट रिलेशन्स का जो सवाल है, वह बहुत इम्पोर्टेन्ट सवाल है और अपोजीशन के लोग जो ऐसा काम करते हैं, वह ठीक नहीं है। वे हाऊस को डिस्टर्ब करते हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी को निकाला नहीं गया है लेकिन जब आप ने यह बोला कि उनकी पार्टी के लिए 12 मिनट हैं, तो वे उठ कर चले गये। उनकी पार्टी का अगर कोई मेम्बर बोलना चाहे, तो उसको आप टाइम दीजिए।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने खुद ही अपना भाषण समाप्त कर दिया और चले गये मैंने उन्हें केवल उनके समय के बारे में बताया था। नियमों के अनुसार किसी भी सदस्य को एक प्रस्ताव पर एक बार से अधिक बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। यदि वे दोबारा भाषण देना चाहते हैं तो उन्हें अध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी। अतः उन्हें अध्यक्ष से अनुमति लेकर बोलने दिया जाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : सभापति महोदय, अवश्य ही कोई गलतफहमी हो गई है जिसके कारण माननीय सदस्य चले गये।

श्री भोलानाथ सेन (कलकत्ता दक्षिण) : सभा का समय बर्बाद हो रहा है। हम इसकी अनुमति नहीं देंगे।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : जो आपने कहा है, मैं उसे चुनौती नहीं दे रहा। आपने ठीक ही कहा है कि एक सदस्य एक बार से अधिक भाषण नहीं दे सकता। किन्तु इस मामले में किसी भी अन्य सदस्य ने अभी बोलना शुरू नहीं किया है।

सभापति महोदय : एक सदस्य ने अपना भाषण समाप्त कर दिया है और दूसरे तैयार है। मैं कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सोमू, आप भी यहीं थे। पीठासीन का कोई दोष नहीं है। मैंने उन्हें नहीं रोका। उन्होंने अपना भाषण रोक दिया और चले गये। अब केवल एक ही विकल्प है। यदि वे दोबारा भाषण देना चाहते हैं तो उन्हें अध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी। उन्हें अनुमति लेने दीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

3.00 म०प०

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : अध्यक्ष का अर्थ है पीठासीन अधिकारी। महोदय, आप उन्हें अनुमति दे सकते हैं। (व्यवधान)

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : आप उनकी वकालत क्यों कर रहे हैं? वे स्वयं अपने तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। वे कहां हैं? पहले उन्हें आने के लिए कहिए। (व्यवधान)

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्या बोलने के लिए खड़ी हैं। कृपया उन्हें भाषण जारी रखने की अनुमति दीजिए। (**व्यवधान**)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : क्या आप उन्हें अपना भाषण जारी रखने की अनुमति देंगे ?

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्ष महोदय से बात करिए। मैंने अपना निर्णय दे दिया है। महोदया, आप जारी रखिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, यह अनुचित है।

3 01 म० प०

तत्पश्चात श्री सैफुद्दीन चौधरी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

[**हिन्दी**]

कुमारी ममता बनर्जी : सर, सरकारिया आयोग कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्कशन इम्पोर्टेण्ट एक बहुतसब्जेक्ट है जो कि इस हाउस में डिस्कस हो रहा है। यह बहुत दुःख और शर्म की बात है कि जब सोमनाथ चटर्जी भाषण दे रहे थे तो उस समय बहुत सारे अपोजीशन के मेम्बर अपोजीशन बेंचिज पर नहीं थे। उस वक्त नहीं थे जब आपने उनसे कहा था कि आपकी पार्टी को 12 मिनट का टाइम दिया गया है, आप कितना टाइम लेंगे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि 50 मिनट लूंगा। 50 मिनट के बदले 30 मिनट भी हो सकता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अपोजीशन के लिए ही यह कोई इम्पार्टेन्ट सब्जेक्ट नहीं है, हमारे लिए भी इम्पार्टेन्ट सब्जेक्ट है। सर, सोमनाथ चटर्जी खुद रिफ्यूज करके चले गये।

[**अनुवाद**]

श्रीमती गीता मुखर्जी : जी नहीं, महोदय। संसदीय भाषा में इसे 'असत्य' कहते हैं।

[**हिन्दी**]

कुमारी ममता बनर्जी : सर, ऐसा इम्पार्टेन्ट सब्जेक्ट पर बोलने का हमें भी पूरा मौका दिया जाए। यह बात ठीक है कि कोई अपोजीशन का मेम्बर बोलना चाहे तो उसे भी बोलने का मौका दिया जाए। क्योंकि यह बहुत इम्पार्टेन्ट सब्जेक्ट है। (**व्यवधान**)

सर, सरकारिया कमीशन 1983 में सेट अप हुआ था। उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे सेट अप किया था। सरकारिया कमीशन ने 4,900 पेजिज में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। उसने 247 रिकमण्डेशन्ज की हैं। (**व्यवधान**)

सर, सरकारिया कमीशन ने अपनी 247 रिकमण्डेशंस जो दी हैं उनमें

[**अनुवाद**]

अन्तर्राज्यीय समन्वय, राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन उपबंध, संघीय सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति, देश का सामाजिक-आर्थिक विकास, वित्तीय सम्बन्ध, वन तथा जन संचार, अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य।

[कुमारी ममता बनर्जी]

[हिन्दी]

के बारे में बहुत सारी इम्पार्टेन्ट रिकमण्डेशंज की हैं सरकारिया कमीशन ने जो फाइनेंशल रिकमण्डेशंज की हैं उनमें फ्रेट इक्विलाइजेशन के बारे में भी रिकमण्डेशन होनी चाहिए थी कि स्टेट का कोई भी रीजन में गवर्नमेंट की फ्रेट इक्विलाइजेशन के बारे में क्या पालिसी होनी चाहिए।

फ्रेट इक्वेलाइजेशन पालिसी यूनीफार्म नहीं है, जिसकी वजह से ईस्टर्न रीजन को बिहार, उड़ीसा, आसाम, बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के विकास में, औद्योगिक विकास में, व्यापारिक विकास में काफी पीछे रहना पड़ रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि फ्रेट इक्वेलाइजेशन पालिसी यूनीफार्म होनी चाहिए। चिदम्बरम जी यहां बैठे हैं। कंसल्टेटिव कमेटी में भी मैंने यह बात कही थी, इसकी तरफ अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। यह बहुत पुरानी मांग है, इसको मान लेने से केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में काफी सुधार होगा।

सरकारिया कमीशन ने स्मूथ रनिंग के लिए कहा है। नेशनल इंटेग्रिटी, यूनिटी, हार्मोनियस सिचुएशन के लिए सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए, स्टेट को भी फाइनांशल इंप्लीकेशंस होने चाहिए, लेकिन आज कहीं-कहीं केन्द्र-राज्य संबंध इतने खराब हो रहे हैं कि उनकी तरफ केंद्र ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि उनको वहां से पूरा सहयोग भी नहीं मिलता और वहां पर कहा जाता है कि केन्द्र हमको सहायता नहीं देता, इस तरह के संबंध कई राज्यों से केन्द्र के हो रहे हैं इसलिए सरकारिया कमीशन की इस सिफारिश को काफी गम्भीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन इसको राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए ताकि कोई कंट्रोवर्सी पैदा न हो, कोई कंफ्यूजन पैदा न हो, इसलिए इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। फेडरल सैट अप में केन्द्र और राज्य दोनों को ताकतवर होना चाहिए, राज्यों को फाइनांशल पावर्स दी जानी चाहिए और राज्यों की तरक्की की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। प्लानिंग कमीशन में राज्य की सिफारिशें नहीं मांगी जातीं, प्लानिंग कमीशन क्या योजना उस राज्य के लिए बना रहा है, यह उस राज्य को मालूम नहीं होता। इसका प्रावधान भी करना चाहिए। इसी तरह से राज्य अभी फाइनांशल इंस्टीट्यूशंस से लोन आदि की मांग नहीं कर सकते, इसका प्रावधान भी किया जाना चाहिए, लेकिन किसी चीज को राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए। आज कुछ राज्य सरकारें कहती रहती हैं कि केन्द्र हमको सहायता नहीं करता, इसलिए लड़ो। आज लड़ते-लड़ते ही खालिस्तान की बात आ गई, आसाम में बोडो आंदोलन शुरू हो गया, जे० एन० एल० एफ० शुरू हो गया, इसलिए केन्द्र और राज्य के संबंध जितने निर्मल होने चाहिए, वैसे बनाने चाहिए, ताकि इस तरह के आंदोलनों को बल न मिले। सरकारिया कमीशन ने बहुत कांस्ट्रक्टिव सिफारिशें की हैं, उनको मानना बहुत जरूरी है।

इसी तरह से मास-मीडिया के बारे में सरकारिया कमीशन ने कहा है कि मास-मीडिया, टेलीविजन, ब्राडकास्टिंग सिस्टम सेंटर के हाथ में रहना चाहिए। इस बात का मैं समर्थन करती हूं। सेकण्ड चैनल अगर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया तो फस्ट चैनल की तरह यह भी सी० पी० एम० के हाथ में चला जाएगा। इसलिए मास-मीडिया सेंटर के हाथ में ही रहना चाहिए। आज हमारे यहां सारे डायरेक्टर, आफिसर्स सी० पी० एम० पार्टी के लोग हैं, उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है, इसलिए मास-मीडिया को राजनीतिक रूप देने से बचाना चाहिए। राज्य सरकार के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं, इस बारे में उनसे बातचीत करके प्रोजेक्ट्स क्लियर करने चाहिए। केन्द्रीय प्रोजेक्ट्स क्लियर नहीं होने से काफी प्राबलम हो जाती है। राज्य सरकार के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं वे पोलिटिकल व्यू से नहीं बल्कि डवलपमेंट व्यू को ध्यान में रखकर क्लियर होने चाहिए। हमारे स्टेट में हल्दिया पेट्रो कैमिकल

प्रोजेक्ट बहुत समय से पेंडिंग है। इन्डस्ट्री मिनिस्टर ने कल रिप्लाई दिया कि क्लियर कर दिया है लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री में बहुत दिनों से पेंडींग है। मुझे मालूम नहीं कि क्यों यह प्रोजेक्ट इतने दिनों से पेंडिंग है। एक बात और आपको बताना चाहती हूं। कुछ राज्यों में कांस्टीच्युशनल ब्रेक डाउन हो गया है। आन्ध्रा, तमिलनाडु और बंगाल की स्टेट लेजिस्लेचर में जैसा फंक्शन होता वह आप जानते हैं। स्टेट सबजेक्ट होने की वजह से हम यहां डिसकस नहीं कर सकते। ऐसा फंक्शन नहीं होना चाहिए जिसमें डेमोक्रेटिक इंस्टीच्युशंस की रिसपेक्ट न हो। सरकारिया कमीशन ने गवर्नर के रोल के बारे में सब बात की है। ऐसी बात नहीं कही कि स्टेट लेजिस्लेचर में अपोजीशन की सिक्योरिटी और रिसपेक्ट नहीं हो। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर के साथ बात करके अपोजीशन मैम्बर्स को सिक्योरिटी दे सकता है। तमिलनाडु में जयललिता को जबसे मारा है, तबसे वह हाउस में जाने से डरती हैं। हमारे स्टेट की असेम्बली में एक बार अपोजीशन मैम्बर्स हाउस में नहीं जा सके। यह बहुत दुख की बात है। हमारे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तीन एम० एल० एज० ने नोटिस दिया, उसके बाद स्पीकर ने तीनों एम०एल०एज० को सस्पेंड कर दिया। यह क्या तरीका है। सोमनाथ चटर्जी को आपने पन्द्रह मिनट बोलने का मौका दिया है, आप उनको बोलने दीजिए है। मेरा ख्याल है अपोजीशन को बोलना चाहिए। ओपन डिसकशन होना चाहिए जिससे फ्रूटफुल डिसीजन हो सके। आन्ध्रा, बंगाल, त्रिपुरा और तमिलनाडु में सेन्टर की मनी का मिसयूज हुआ है। यह कांस्टीच्युशन के खिलाफ है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के खिलाफ बात नहीं करती है बल्कि केन्द्र सरकार के खिलाफ राज्य सरकार पार्टी की ओर से बोल सकती है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे वातावरण खराब हो जाए। इस पर ध्यान देना जरूरी है। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट पांच हजार पेजेस में है और बहुत अच्छी रिपोर्ट है। लेकिन इसकी सिफारिशों पर बोलने के लिए बहुत समय चाहिए। फ्रेट इक्वेलाइजेशन पालिसी के बारे में सरकार को यूनिफार्म होना चाहिए। स्ट्रांग सेन्टर के साथ स्टेट भी स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा फैडरल सेट-अप है। अगर कोई एक आदमी वीक हो जायेगा तो हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा। देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए होना चाहिए, कोई पोलिटिकल प्यू से नहीं होना चाहिए। सेन्टर का स्टेट्स के साथ रिलेशन्स होना बहुत जरूरी है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अपोजीशन को बोलने का मौका दीजिए। हम लोग उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। जो उनके कंस्ट्रक्टीव सजेशन्स हैं, वे भी सुनने चाहिए। मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री भोला नाथ सेन (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय, सरकारिया आयोग द्वारा लिखित दो खण्डों में न्यायपालिका सहित केन्द्र-राज्य संबंधों के अनेक पहलू अन्तर्विष्ट हैं। मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि संविधान में कोई बुनियादी दोष नहीं है। अनुभव के आधार पर अनेक परम्परायें स्थापित हुई हैं और पिछले चालीस वर्षों से यह सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे जैसे स्वतंत्र देश के संविधान के लिये मैं कोई बन्धा सुनना नहीं चाहता। फिर भी हमारे सामने कुछ समस्याएं हैं। वे क्या हैं ? जनता गरीब है। उसके लिए बीस-सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है। परन्तु बीस-सूत्री कार्यक्रम पर खर्च हो रही अधिकांश राशि गांवों में लोगों तक नहीं पहुंचती।

सरकारिया आयोग ने सिफारिश की है कि राज्य सूची की प्रविष्टि-पांच में कुछ संशोधन किया जाना चाहिए। राज्य सूची की प्रविष्टि-पांच पंचायतों, नगर-पालिकाओं और इसी प्रकार के अन्य संगठनों के विषय में है। मेरा निवेदन है कि योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए ताकि जिला विकास बोर्डों का गठन किया जाये। जिला विकास बोर्डों को पंचायतों के विचारों को ध्यान में रखना

[श्री मोलानाथ सेन]

चाहिए और देश के विकास, सेवाओं और लोगों का जीवन सुधारने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला विकास बोर्ड को धनराशि आबंटित की जानी चाहिए। हमारा ध्यान उन्हीं लोगों पर जाना चाहिए।

इसमें कुछ बातें कही गई है। जैसे चुनाव प्रत्येक तीन वर्षों बाद या पांच वर्षों बाद या नियमित अवधि के बाद किये जाने चाहिएं। परन्तु इसके बाद कुछ नहीं कहा गया है। आज समस्या यह है कि गांवों में रहने वाले लोग, जो लाभ प्राप्त करने के लिये न्यायालय का द्वार नहीं खटखटा सकते, अपने लिए निर्धारित राशि प्राप्त करने में असमर्थ हैं। जैसा कि हम जानते हैं, 80 प्रतिशत धनराशि निर्धारित प्रयोजनों से हट कर दूसरे प्रयोजनों के लिए खर्च की जाती है और ग्रामीणों को बीस-सूत्री कार्यक्रम के लिए आबंटित राशि का बीस प्रतिशत से भी कम भाग मिलता है। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे एक रुपये में से यदि अधिक नहीं तो कम से कम 80 पैसे तो गांवों की जनता को मिलें। अन्यथा अरबों रुपयों का दुरुपयोग होगा जैसा कि राज्य में सत्तारूढ़ दल के लिए हो रहा है। एक बात नोट की जानी चाहिए। जब श्री मोरारजी प्रधान मंत्री बने, उस समय कोई समस्या नहीं थी और जो लोग उन्हें समर्थन दे रहे थे, उन्हें भी केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में कोई परेशानी नहीं थी। जब श्रीमती गांधी दोबारा सत्ता में आईं तब केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में समस्या पैदा हुई और आयोग गठित किया गया। आयोग ने बहुत से लोगों की राय ली। कुछ सुझावों में कठोर उपबन्धों की बात कही गई है और 80 या 90 करोड़ जनसंख्या वाले देश का संविधान कठोर नहीं होना चाहिए। संविधान ऐसा होना चाहिए जिससे कामकाज सुचारू रूप से चल सके। इंगलैंड का संविधान अलिखित है फिर भी वहां लोकतंत्र चल रहा है। स्काटलैंड है, आयरलैंड है। वहां भी कार्य चल रहा है। हमारे मामले में मैं किसी कठोर सुझाव या स्थायी उपाय का विरोध करता हूं जो प्राधिकारियों ने किये है।

आज प्रशासन को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। राज्यों में या केन्द्र में सभी समस्याओं के लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं। वे कार्य नहीं करते। मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं जिनमें राज्यों या केन्द्र के प्रशासकों के कारण कोई काम नहीं होता। प्रशासन की निष्क्रियता के कारण समस्याएं सामने आ रही हैं। जिन मुद्दों पर थोड़े समय में निर्णय लिया जा सकता था, उन पर वर्षों तक निर्णय नहीं लिया जा सका। इससे कांग्रेस के विरोधी दलों को या कांग्रेस के विरुद्ध संघर्षरत दलों को यह कहने का मौका मिल जाता है —"केन्द्र को दीजिए। केन्द्र हमारे प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान नहीं करता।" इस विषय में कुछ किया जाना चाहिए। लालफीताशाही पर कैसे अंकुश लगाया जाए। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है न्यायपालिका के सम्बन्ध में, उन्होंने कहा है कि स्थानांतरण नहीं होंगे। अच्छी और स्वस्थ परम्पराएं सहमति से ही स्थापित होती हैं। परन्तु नियुक्तियां क्यों नहीं की जा रही हैं, पदों को खाली क्यों रखा जा रहा है? उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। परन्तु न्यायपालिका को कठिनाई हो रही है। मंत्री महोदय यहां उपस्थित है। मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार के विभिन्न विभागों के बारे में विभिन्न शहरों में प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाये गये हैं। हम देखते हैं कि वहां भी न्यायाधीशों की सही समय पर नियुक्ति नहीं की जाती। पद रिक्त पड़े हैं। चाहे कुछ भी हो। निर्णय लेने के बाद सरकार अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में जा सकती है। उन्हें खर्च की कोई चिन्ता नहीं है। परन्तु गरीब व्यक्ति के साथ क्या होता है? यदि किसी गलत निर्णय से उसे हानि हो रही है तो वह उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकता। ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अपनी और शाखाएं खोलें जिससे जनता को निकट ही न्याय मिल सके जैसा कि उच्चतम न्यायालय समय-समय पर कहता रहा है, ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

कठिनाई यह है कि अखिल भारतीय सेवाओं का अत्यन्त महत्व है जिनका लाभ क्षेत्रीय दल उठाते हैं। अनुशासन, स्थानान्तरण और यदि पूरी तरह नहीं तो कुछ हद तक पदोन्नति भी उनके हाथ में है। परन्तु सरकार की मंजूरी के बिना उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। क्षेत्रीय दल अपना स्थायी वर्चस्व बनाये रखने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम दुखी हैं। इसी प्रकार भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, स्थानान्तरण और निलम्बन आदि के भय से सरकार को खुश करने के लिए अन्याय करते हैं और सरकार कानून के अनुसार काम करने का प्रयास नहीं करती।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक इस देश का सम्बन्ध है, केन्द्र शक्तिशाली होना चाहिए। हमारे लिए शक्तिशाली केन्द्र का होना आवश्यक है। हमें आज ही नहीं परन्तु विगत में भी हमने खतरे का सामना किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, हमने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की आजादी के समय खतरे का सामना किया। आज भी हमें बाहर के देशों या ताकतों से खतरा है। भारत को भीतर से भी और बाहर से भी खतरा है। यदि केन्द्र कमजोर हो गया तो उसे कौन रोकेगा? संघीय ढांचे वाली कोई बात नहीं रह जाती। केन्द्र और राज्य अपनी ही तरह के एक ही संगठन के हिस्से हैं। इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। जब कभी भी केन्द्र कमजोर हुआ है, देश को नुकसान ही पहुंचा है। मौर्य काल से ही उन्होंने क्षेत्र को इकट्ठा करना शुरू किया था। तत्पश्चात् कुछ विभाजन हुआ। मुगल काल में क्या हुआ? उन्होंने एक केन्द्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया। परन्तु जैसे ही उन्होंने केन्द्रीय नियंत्रण खत्म करना शुरू किया और कुछ लोगों अर्थात् कुछ जागीरदारों को शक्ति दे दी देश में कठिनाई पैदा हो गई। यदि अब केन्द्र मजबूत नहीं होगा तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? संविधान सुचारू रूप से चलता रहा है। कोई यह नहीं कह रहा कि राज्यों को कमजोर करो। यदि राज्य अपना कार्य सुचारू रूप से चलाता है तो राज्य कमजोर क्यों होगा। करोड़ों रुपये राज्यों को आवंटित किए गए हैं और कई राज्यों को अधिक धन इसलिये नहीं मिला क्योंकि अन्य राज्यों को भी दिया जाना था। परन्तु क्या हुआ? धनराशि खर्च नहीं की जा सकी और केन्द्र को दोषी ठहराया गया। काफी समय बीत चुका है। जब मोरारजी भाई प्रधान मंत्री बने, किसी ने भी शिकायत नहीं की। कम से कम हमने नहीं कहा कि केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों में हमें कोई शिकायत है। परन्तु यदि आप देखें तो उनके पास समाचार पत्र हैं, प्रेस है और जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अन्य माध्यम है परन्तु केवल केन्द्र-विरोधी आरोप ही लगाए जा रहे हैं। कई मामलों में इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए लोगों को केन्द्रीय सरकार के उद्देश्यों उसके कार्यक्रमों तथा वह इस देश के नागरिकों के लिए क्या करना चाहती है, इन सब बातों को स्पष्ट करने के लिए रेडियो और टेलीविजन का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: और राज्य सरकारों के नहीं।

श्री भोलानाथ सेन: राज्य सरकारों के पास समाचार पत्र हैं। इसलिये, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यहां भारत के राष्ट्रपति ने कहा कि नवोदय विद्यालयों में 40 प्रतिशत छात्र गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से आते हैं और 80 प्रतिशत छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। लगभग उसी समय एक मुख्य मंत्री ने कहा कि यह नवोदय विद्यालय अमीर लोगों के लिए हैं।

श्री पी० चिदम्बरम: यह सत्य नहीं है।

श्री भोलानाथ सेन: यही कहा गया था।

यह खबर समाचार पत्रों में छपी थी। इसलिये देश भर में इस बात का प्रचार करना आवश्यक

[श्री भोलानाथ सेन]

है कि नवोदय विद्यालय क्या कर रहे हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम का इस्तेमाल किन कामों के लिए हो रहा है। जैसे गुजरात में 20 सूत्री कार्यक्रम का सही उपयोग किया जा रहा है, महाराष्ट्र में भी इसका सही इस्तेमाल हो रहा है। यह बात लोगों की जानकारी में लाई जानी चाहिए। लोग आज यह जाने बिना वोट डालते हैं कि देश में क्या हो रहा है। लोकतंत्र तभी जिन्दा रह सकता है जब लोगों को जानकारी हो और वह उससे सहमत हों। सहमति द्वारा अनुशासन ही लोकतंत्र है। एक व्यक्ति को जब मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है तो वह अपनी सहमति कैसे दे सकता है? इस अज्ञानता का लाभ उठाकर कई बातें कही जा रही हैं। जिसके परिणामस्वरूप राज्य, केन्द्र के विरुद्ध शिकायतों का गढ़ बन जाते हैं। आप किसी भी राज्य में जाएं, वह कहेंगे, "नहीं मैं नहीं कर सकता क्योंकि केन्द्र नहीं करता।" हम लोगों को उनके घर तक यह बताने नहीं जाते कि केन्द्र क्या कर रहा है और उसके क्या अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। क्या कोई यह बात जानता है? बहुत ही कम लोग जानते हैं। हम टी०वी० पर इतने कार्यक्रम देखते हैं किन्तु वह कार्यक्रम कहां हैं। टी०वी० का इस्तेमाल लोगों को राजनैतिक रूप से जागरूक बनाने के लिए किया जाना चाहिए। रेडियो का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। यह किसका कसूर है? क्या यह प्रशासकों की गलती है? अब प्रशासकों को देश की प्रगति के लिये उचित भूमिका निभानी होगी। किसी भी नागरिक को धन व सत्य प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उसे जानने का अधिकार है। उसे जबरदस्ती गलत बातें नहीं बताई जा सकती। पूर्वोत्तर में नागालैंड से लेकर पश्चिमी भाग में सौराष्ट्र तक फैला हमारा देश एक विशाल देश है। हमारे देश की जनसंख्या सोवियत संघ की जनसंख्या से अधिक है। सोवियत संघ का क्षेत्र हमारे क्षेत्र से चार गुणा है। किन्तु सोवियत संघ की जनसंख्या हमारे देश की जनसंख्या का एक चौथाई है। महोदय, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे देश को गरीबी से, बेरोजगारी से मुक्ति मिले और देश प्रगति करे। मुझे श्री एम०सी० सीतलवाड़ द्वारा कलकत्ता में टैगोर ला सैन्टर के संबंध मे दिए गये भाषण की याद है। उन्होंने कहा था कि संविधान में कोई दोष नहीं है, दोष इसे चलाने वालों में है। वही मशीन अच्छा काम करती है और वही मशीन खराब काम करती है, यह सब चलाने वाले पर निर्भर करता है। मैं जानना चाहता हूं कि गुजरात किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, महाराष्ट्र किस प्रकार प्रगति कर रहा है? किन्तु पश्चिम बंगाल क्यों पिछड़ा है? क्या यह दो राज्य संविधान से बाहर काम कर रहे हैं? वही संविधान वहां पर है। वही सिद्धांत इन दो राज्यों सहित सभी राज्यों पर लागू होता है। तो भी हम पश्चिम बंगाल में पिछड़े हुए हैं। आज हम अपनी तुलना अन्य पिछड़े राज्यों से करते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात से नहीं करते हैं। हमारे देश में कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश आदि जैसे राज्य भी हैं। हमें उनके बारे में सोचना है। हमें एक ऐसी नीति तैयार करनी है जो लालफीता शाही को समाप्त कर सके, जो हमारी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले की सतह में जाए और यह देखे कि इस लालफीता शाही को कैसे समाप्त किया जा सकता है और धन को विशेष कर ग्रामीण लोगों के लाभ के लिये कैसे खर्च किया जाये। महोदय, मेरा यही अनुरोध है।

श्री तम्पन थामस (भवेलिकरा) : महोदय, हम जिस विषय पर विचार कर रहे हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा यह अनुरोध है कि हमें इस विषय के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। प्रभावी बहस के लिए यह आवश्यक है। महोदय, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट, जो इस सभा पटल पर रखी गई है, पर विचार किया गया है। कुछ सुझाव दिए गए हैं, अर्थात यह राजनीति से परे होनी चाहिए, यह निष्पक्ष होनी चाहिए और चर्चा के दौरान हमारे कुछ सहयोगियों ने कुछ सुझाव दिये हैं। यह सत्य है कि वह सुझाव वैध हैं। किन्तु जब हम अपने पिछले 40 वर्षों के अनुभव के आधार पर दूसरी जांच

करते हैं तो पाते हैं कि वह राजनैतिक प्रश्नों से भी जुड़े हुए हैं।

महोदय, हमारे कुछ मित्रों के भाषण सुनने के पश्चात वर्तमान स्थिति या प्रवृत्ति यह है कि कोई केन्द्र का पक्ष ले रहा है और कोई राज्यों के हक के लिए लड़ रहा है। सदस्यों द्वारा अलग-अलग विचार प्रकट किये गए हैं। इससे मुझे हैरानी होती है। वास्तव में, यदि वास्तविक अर्थों में बहस करनी है तो वह दूसरे प्रकार से करनी होगी। अब मैं देखता हूं कि राज्य के विरुद्ध कोई आरोप है या एक राज्य केन्द्र के विरुद्ध शिकायत कर रहा है और केन्द्र का बचाव किया जा रहा है। आप संविधान देखें। संविधान निर्माण के समय इसके निर्माताओं का क्या उद्देश्य था? संविधान में संघवाद पर बल दिया गया है और संघवाद की एकता उसकी अनेकता में होती है। और अब आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसके परिणामस्वरूप सहकारी संघवाद आएगा और सहकारी संघवाद के लिए यह सुझाव दिया गया है कि इसमें टकराव नहीं होना चाहिए बल्कि आपसी सूझबूझ होनी चाहिए किन्तु महोदय, दुर्भाग्य से आयोग स्वयं एक निष्कर्ष पर पहुंचा है। हमने अपने अनुभव से यह सीखा है कि प्रभुत्व और निर्भर का जो संबंध उत्पन्न हुआ है वह हमारे परीक्षण के परिणामस्वरूप हुआ है। हम इस समस्या को निष्पक्ष रूप से देखते हैं? क्या यह स्वामित्व और निर्भर के सम्बन्धों के बारे में सच नहीं है? क्या संविधान निर्माताओं के दिमाग में संविधान निर्माण के समय यह विचार था कि कोई ऊपर रहे और कोई नीचे, कोई आज्ञा दे और कोई उसका पालन करे? इसके बजाय आयोग द्वारा किए गए माध्यम से पता चलता है कि राज्य को जो सम्मान दिया जाना है, वह उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि वह भाग नहीं अपनाया गया है, इसलिये आलोचना हुई है और वह आलोचना शायद असहनीय हो गई है। न केवल आलोचना बल्कि यह कहूंगा कि जो परीक्षण हम करते आ रहे हैं उनके कारण यह और बढ़ गया है। यदि आप एक बाहरी व्यक्ति के रूप में समस्याओं पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि देश के विभिन्न भागों में क्या हो रहा है? क्षेत्रीयतावाद, प्रांतीयतावाद तथा हर प्रकार प्रकार की विघटनकारी शक्तियां सिर उठा रही हैं और अपने पैर जमा रही हैं। पंजाब, असम या अन्य कहीं भी आप नजर डालें आप देखेंगे कि यह सब हो रहा है। यह सब क्यों हो रहा है? क्या यह इसलिए नहीं कि कोई शक्तिशाली केन्द्र चाहता है ताकि वहां से शासन किया जा सके? स्वाभाविक है कि निचले स्तर से आने वाला आक्रोश गूंज रहा है? यह एक सच्चाई है और इस पर कैसे काबू पाया जाये, शासक और शासित के सम्बन्ध को किस सीमा तक तोड़ा जाये और संघीय ढांचा जिसकी अनेकता में एकता हो, एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बहस होनी चाहिए। इस संदर्भ में हम पाते हैं कि आयोग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जांच की गई और उस बारे में सिफारिशें की गई हैं और मेरे विचार से श्री गाडगिल जैसा व्यक्ति उससे सहमत नहीं हो सकता। राज्यपाल की भूमिका की समीक्षा की गई है और जब हम इसे देखते हैं तो पाते हैं कि राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केन्द्र में राष्ट्रपति की जो एक ऐसा पद है जो सेफ्टीवाल्व का काम करता है। किन्तु आप राज्यपालों की वर्तमान समस्याओं पर नजर डालिए। राज्यपाल अपने क्षेत्राधिकार से हटकर राजनीति में आ जाते हैं।

3.39 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

क्या ऐसा केवल उन राज्यों में है जहां कांग्रेस (आई) सत्ता में नहीं है? नहीं, कांग्रेस (आई) शासित राज्यों में भी ऐसा हो रहा है। दल में गुटबंदी होने के कारण, एक गुट राज्यपाल को दूसरे गुट के विरुद्ध भड़काता है। ऐसा हो रहा है और आज यही स्थिति है।

अपने राज्य के बारे में मैं अपने अनुभव से एक बात कह सकता हूं। मुझे एक बहुत बढ़िया

[श्री तम्पन थामस]

अनुभव हुआ था। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर रहा था। मैं कायानकुलम में एक बैठक को संबोधित कर रहा था। बैठक के बाद जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि कुछ युवा कांग्रेस (आई) कार्यकर्त्ता इकट्ठे होकर नारे लगा रहे थे। उनके नारे थे—"तम्पन थामस निर्वाचन क्षेत्र से वापिस जाओ; राम दुलारी सिन्हा जिन्दाबाद।" श्रीमती राम दुलारी सिन्हा केरल की राज्यपाल हैं। जब मैं बैठक से बाहर आया तो युवा कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ता हाथ में काले झंडे लिए हुए मेरे विरुद्ध इस तरह के नारे लगा रहे थे। मुझे सचमुच बहुत हैरानी हुई। इसका कारण जानने पर मुझे पता चला कि केरल में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय कुलपति की हैसियत से राज्य सरकार की सलाह के विरुद्ध अथवा उसके परामर्श के बिना कार्य किया है।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : आपको केरल के राज्यपाल पर आक्षेप नहीं लगाने चाहिए।

श्री तम्पन थामस : मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। यह आक्षेप लगाना नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : राज्यपाल पर लगाए गए किसी आक्षेप को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा।

श्री पी० चिदम्बरम : आप आक्षेप नहीं लगा रहे हैं। आप केवल कानून की गलत व्याख्या कर रहे हैं। उच्च न्यायालयों ने यह माना है कि कुलपति स्वतंत्र रूप से कार्य करता है न कि मंत्री परिषद की सहायता अथवा सलाह से।

श्री तम्पन थामस : कुलपति स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। लेकिन दुर्भाग्य से केरल उच्च न्यायालय ने इस विषय में यह निर्णय दिया है कि कुलपति ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य किया है। वह कुलपति हो सकती हैं। लेकिन यह हास्यास्पद स्थिति देखिए कि वे किस तरह कार्य करते हैं। कृपया इस मामले को देखिए। हमने निष्पक्ष रूप से इस विषय पर चर्चा की है। मैं एक ऐसे मामले के बारे में बता रहा हूं जिसमें राज्यपाल ने कुलपति की हैसियत से कार्यवाही की···**···

श्री पी० चिदम्बरम : यह केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में नहीं है।

श्री तम्पन थामस : निश्चय ही, यह केन्द्र-राज्य संबंधों की बात है। यह केन्द्र-राज्य संबंध के अन्तर्गत आता है क्योंकि केरल सरकार एक गैर-कांग्रेस (आई) सरकार है। वहां आपने कांग्रेसी कार्यकर्त्ता को राज्यपाल बनाकर भेजा है और वह राज्यपाल अब राज्य सरकार की उपेक्षा करके विश्वविद्यालय में कांग्रेस दल के सदस्यों को नामजद कर रहा है। यही केन्द्र-राज्य संबंध हैं। वास्तव में, मैं तो कहूंगा कि राज्यपाल वहां दिल्ली में कांग्रेस सरकार के परामर्श के अनुसार कार्य कर रहे हैं। मैं यही बात कह रहा हूं। यही केन्द्र-राज्य सम्बन्ध हैं और मेरे राज्य का यही अनुभव रहा है।

केरल विधान सभा ने कुछ कानून पारित किये थे। स्वाभाविक है कि सांविधानिक उपबंधों के अनुसार यह अनिवार्य है कि राज्यपाल को इस पर अपनी सहमति व्यक्त करनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार को मुश्किल में डालने के लिए राज्यपाल ने कई विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं दी है और वे लम्बित पड़े हैं। यह मामला अब राष्ट्रपति के समक्ष लम्बित पड़ा है। मुख्य मंत्री और संसद सदस्यों

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

द्वारा ज्ञापन दिये गये हैं। चूंकि संविधान में इस मामले में कुछ उपबंध बनाये गये हैं, सांविधानिक स्थिति का उपयोग करते हुए, कठिनाई पैदा की जाती है और पार्टी के हितों को बढ़ावा दिया जाता है। मेरे विचार से श्री चिदम्बरम को अब स्थिति स्पष्ट हो गई होगी कि आप अपने राज्यपालों के साथ मिलकर कैसे कार्य करते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं केवल कुलपति का जिक्र किये जाने पर आपत्ति कर रहा था।

श्री तम्पन थामस : मैंने जो कुछ कहा है उससे यह सिद्ध हो जाता है कि वे किस तरह कार्य करते हैं। ऐसा हो रहा है। कर्नाटक में क्या हुआ ? कर्नाटक में भी, राज्यपाल ने एक निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ।

श्री पी० चिदम्बरम : वह राज्यपाल आजकल कहां है ?

श्री तम्पन थामस : वह अब वहां नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा किया। हम राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा कर रहे हैं कि पिछले 40 वर्षों में उन्होंने कैसे कार्य किया और हमें संविधान में किस तरह सुधार करना होगा तथा अपने अनुभव के आधार पर संविधान में संशोधन करने होंगे। यह प्रश्न कि वह जनता दल में है या किसी अन्य दल में, मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि उन्होंने केन्द्र के एजेंट के रूप में किस तरह काम किया। यहां तक कि यदि किसी ने यह आलोचना भी की कि मोरारजी देसाई के शासन के दौरान यह सब हुआ तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम ऐसी बातों के विरुद्ध हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चर्चा शुरू होने से पूर्व जब श्री बूटा सिंह ने प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने इस सभा में कहा कि हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। इसलिए इस पर खुले दिमाग से विचार करें। यह प्रश्न कि वह जनता दल के साथ है या सी० पी० एम० के साथ—यह कोई समस्या नहीं है, समस्या यह है कि क्या उन्होंने उस तरह काम किया या नहीं। उसके लिए, आप क्या सांविधानिक संशोधन प्रस्तुत करेंगे ? राज्यपालों की नियुक्ति के मामले में आप क्या मार्गनिर्देश देने जा रहे हैं ? राज्यपालों की नियुक्ति के मामले में, क्या आप आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने जा रहे हैं या इस स्थिति में आप कुछ और करने जा रहे हैं ? यह एक बहुत सीधा सा प्रश्न है। इससे इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है। राज्यपाल जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के विरुद्ध इस तरह कार्य कर करके जनता के विचारों पर प्रहार करते हैं। राज्यपाल को देश के लोकतंत्र की रक्षा करनी है। यदि राज्यपाल, जो कि देश का सांविधानिक मुखिया है, लोकतांत्रिक हितों के विरुद्ध कार्य करता है, तो इससे कैसे बचा जाए ? यह बहुत सीधा सा प्रश्न है। आयोग ने इस मामले पर भी विचार किया और कुछ सिफारिशें की है। मैंने देखा कि यदि आयोग की कोई रिपोर्ट केवल यह है कि गैर कांग्रेस आई शासित राज्यों में सक्रिय राजनेताओं को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए, तो यह मात्र संक्षेप में है। राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में वह नियम पर्याप्त नहीं है। मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की जानी चाहिए, मुख्य मंत्री की स्वीकृति ली जानी चाहिए क्योंकि उसे राज्य के हित में मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करना होता है और ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री के साथ परामर्श करना चाहिए तथा राज्य को स्वीकार्य राज्यपाल ही भेजा जाना चाहिए। यदि कोई राज्य सरकार किसी विशेष व्यक्ति को राज्यपाल नहीं चाहती और यदि उसकी नियुक्ति जनता की इच्छा और हितों के विरुद्ध की जाती है और यदि जनता उसे नहीं चाहती तो बिना हिचक के उसे वहां से हटा लेना चाहिए। जो लोग कांग्रेस-आई के कार्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिवों के रूप में या किसी अन्य हैसियत से कार्य कर रहे हैं, उन्हें हमारे राज्यों में तुरन्त राज्यपाल बनाकर नहीं भेजा जाना चाहिए। ये सब बातें वहां हैं। हमें राज्यपालों की

[श्री तम्पन थामस]

नियुक्ति के मामले में इन मानदण्डों पर तथा आयोग की रिपोर्ट में की गई चर्चाओं तथा राज्यपाल के व्यवहार से अतीत में देश को हुए अनुभवों के प्रकाश में, मुख्य मुद्दे पर विचार करना होगा। मुझे इन मामलों पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अधिक समय ले लिया है।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम्) : वह वकील हैं।

श्री तम्पन थामस : श्री सोमनाथ चटर्जी का दुर्भाग्य कि अपने भाषण के शुरू में उन्हें बाहर जाना पड़ा। मुझे आशा है कि आप वह मानदण्ड नहीं अपनाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे बताइए कि आपको कितना समय चाहिए।

श्री तम्पन थामस : मुझथोड़ा वक्त दीजिए। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी सदस्य को तो एक घंटा चाहिए। आपको कितना समय चाहिए ?

श्री शांताराम नायक : आप उन्हें बताइए कि सिर्फ अय्यपू रेड्डी ने ही कितना समय ले लिया है।

श्री तम्पन थामस : आप इस तथ्य को भूल गये हैं कि मंत्री का विपक्ष नहीं होता। यहां हमने समस्या पर खुले रूप से चर्चा की है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही 15 मिनट ले चुके हैं। आपको कितना समय चाहिए ?

श्री तम्पन थामस : 15 मिनट और।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अगले 10 मिनटों में अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

श्री तम्पन थामस : राज्यपाल के समक्ष विधायकों को ले जाना और राज्यपाल द्वारा विधान सभा में शक्ति परीक्षण कराने की बजाए अपने अधिकारों का प्रयोग करना एक गम्भीर मामला है। इस समय जो लोग केन्द्र में सत्ता में हैं, वे पुलिस, रॉ, खुफिया अधिकारी जैसे सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह वे राजनैतिक दलों के कार्यों में हस्तक्षेप करते है उनमें विभाजन करा देते हैं। वे देखते हैं कि गुट बनजा फिर आएं तरिक गुट बन जाएं और अंततः सरकार तोड़ दी जाती है। तमिलनाडु में क्या हुआ ?

श्री पी० चिदम्बरम : जनता दल तमिलनाडु में ऐसा कर रहा है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपने राजनैतिक लाभ के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। तमिलनाडु में वास्तव में मुख्यमंत्री ने अपने राजनैतिक लाभ के लिए पुलिस का दुरुपयोग किया। आप इस बारे में क्या कहेंगे ?

श्री तम्पन थामस : श्री कुलनदईवेलू की समस्या देखिए। तमिलनाडु में केवल एक ही दल "द्रविडियन मूवमेन्ट" था। अब वहां कितने दल हैं ?

श्री पी० कुलनदईवेलू : जनता दल के विषय में आप क्या कहते हैं ? कृपया आप हमें उसके

बारे में बताइए। (व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : जो कुछ हो रहा है वह केवल कांग्रेस के कारण ही हो रहा है। अब वे मिल हैं। परसों तक वे चुनाव में लड़ रहे थे। उनमें फूट पड़ गई और उन्होंने विधान सभा में तमाशा खड़ा कर दिया। अब वे इकट्ठे हैं। (व्यवधान)

श्री पी० कुलनवेलु : राष्ट्रीय मोर्चे में श्री वी० पी० सिंह और श्री एन० टी० रामाराव एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आप इस विषय में क्या कहते हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थामस कृपया आप अपने मुद्दे पर आइए।

श्री तम्पन थामस : मैं अपने मुद्दे पर आ रहा हूं। केन्द्र के अधिकार का प्रयोग करके दलों के अन्दर राजनीतिक अनबन, गुटबाजी क्षेत्रीय आधार पर फूट पैदा की जाती है। फिर वे इसका लाभ उठाते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : आपको अपनी कमजोरी स्वीकार करनी चाहिए।

श्री तम्पन थामस : मैं अपने लोकतंत्र की कमजोरी स्वीकार करता हूं। मैं यह इसलिए स्वीकार करता हूं क्योंकि केन्द्र के पास बहुत सारे अधिकार हैं। केन्द्र के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। केन्द्र के पास धनशक्ति, जनशक्ति लोगों को डराने के लिए उन्हें जेल भेजने की आपातकालीन शक्ति है। इसके पास आयकर अधिकारी हैं, छापे मारे जाते हैं तथा और बहुत कुछ किया जाता है। सबसे बढ़कर इसके पास दूरदर्शन है। आजकल दूरदर्शन क्या है ? दूरदर्शन तो राजीव दर्शन है। इन सभी बातों के साथ···।

श्री अनिल बसु : इसके अतिरिक्त श्री चिदम्बरम भी तो हैं।

श्री तम्पन थामस : केवल कभी-कभी। इन सभी चीजों का प्रयोग करके जनता को डराया जाता है। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : पर इनका नाम भी तो दूरदर्शन पर आता है। कल भी इनका नाम आया था··· (व्यवधान) मैं नहीं समझता कि वे कैसे इस प्रकार बात कर रहे हैं। यहां तक कि यदि अनेक सदस्य शून्य काल के दौरान मुद्दे उठाते हैं, तो श्री तम्पन थामस का नाम भी दूरदर्शन पर आएगा। (व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : मैं कह रहा हूं कि किस प्रकार एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा है। चूंकि अधिकार तो केन्द्र के पास हैं और केन्द्र के पास यह सब कुछ है, इन सबका उपयोग करके लोकतंत्र को नष्ट किया जा रहा है। पिछले 40 वर्ष में क्या हो रहा है ? न केवल लोकतंत्र परन्तु इसका ढांचा, और संविधान के बनाने वालों के दृष्टिकोण को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। हम कैसे इसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं ? यही मुख्य प्रश्न है।

श्री भोलानाथ सेन : भारत के विभिन्न भागों में ऐसा ही है। वहां क्षेत्रीय दल है। (व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : हां, क्षेत्रीय दल सामने आये हैं। विद्यार्थी के रूप में मैंने अपने आपको राजनीति से जोड़ लिया था। मुझे कुछ बातें मालूम हैं। मेरे राज्य में मुख्यतः कांग्रेस और साम्यवादी दल थे। हम जैसे कुछ समाजवादी भी थे। किन्तु अचानक कांग्रेस टूट गई। फिर केरल कांग्रेस एक दल के रूप में सामने आया। ऐसा कैसे होता ? यह हमारी पद्धति में एक त्रुटि है जिसकी ओर मैं ध्यान

[श्री तम्पन थामस]

दिला रहा हूं। ऐसा इसलिए है कि केन्द्र के पास शक्ति है और वह इसका प्रयोग करके ऐसा कर रहे हैं। यह प्रश्न अब सामने आ रहे है। संविधान के निर्माताओं ने इस चार स्तम्भीय ढांचे का ध्यान रखा। कुछ प्रश्न सामने आते हैं। वास्तविक उपचार चार-स्तम्भीय प्रणाली में है। चार-स्तम्भीय प्रणाली में राज्य, केन्द्र, जिला प्रशासन और पचायत स्तर का ढांचा है। यदि इनके बीच शक्ति का उचित वितरण किया जाता है तो एक प्रणाली स्थापित होती है। किन्तु यहां ऐसा नहीं हो रहा है। इस पद्धति के आधार पर प्रधान मंत्री आंध्र प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बुलाकर इनके साथ सीधे चर्चा कर सकते हैं···।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, बार-बार यही बात कही जा रही है। मुझे इस समय स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को उस वर्कशाप में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया गया था। मैंने मुख्य मंत्री को लिखा। हमने राज्यपाल को लिखा। मुख्य मंत्री प्रधान मत्री के स्वागत के लिए और उन्हें विदा करने के लिए हवाई अड्डे पर उपस्थित थे किन्तु उन्होंने वर्कशाप में भाग नहीं लिया। जहां कहीं भी वर्कशाप का आयोजन किया गया हमने प्रत्येक मुख्य मंत्री को बुलाया—मध्य प्रदेश में, उत्तर-पूर्व में, तमिलनाडु में जब वहां राज्यपाल का शासन था, आंध्र प्रदेश में जहां के मुख्य मंत्री श्री एन० टी० रामाराव हैं और राजस्थान में जहां मुख्य मंत्री श्री माथुर हैं। यदि आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने वर्कशाप में भाग नहीं लिया, तो आप कैसे कहते हैं कि हमने उनकी उपेक्षा करके ऐसा किया। मैंने मुख्य मंत्री को लिखा था। मैं आपको पत्र दिखा सकता हूं। आप मेरे कार्यालय में आइए।

श्री तम्पन थामस : मैं आशा करता हूं कि श्री चिदम्बरम मेरा मुद्दा समझ जाएंगे। मैं जानता हूं वह एक वकील हैं। मैं केवल एक बात का सुझाव देता हूं जिसमें केन्द्र भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए किसी राज्य में नियुक्त करने की सीधी व्यवस्था करता है। यह हमारी पद्धति में अकुशल प्रवृत्ति है।

श्री पी० चिदम्बरम : हमने सरकार को लिखा कि वह अपने मैजिस्ट्रेटों को भेज दें। हमने आंध्र प्रदेश सरकार समेत सभी राज्य सरकारों को लिखा। उन्होंने स्वैच्छा से अपने जिला कलक्टरों को वर्कशाप के लिए मनोनीत किया। तब तो किसी की उपेक्षा करने का प्रश्न ही कहां उठता है? हमने राज्य सरकारों को लिखा। उन्होंने अपने जिला मैजिस्ट्रेट भेजे। पश्चिम बंगाल ने अपना जिला मैजिस्ट्रेट भेज दिया। मुख्य मंत्री को निमंत्रण दिया गया। तब किसी की उपेक्षा करने का प्रश्न कहां से उठता है? (व्यवधान)

श्री अनिल बसु : आपने राष्ट्रीय विकास परिषद में इस पर चर्चा क्यों नहीं की?

श्री पी० चिदम्बरम : हमने इस पर चर्चा की है। दुर्भाग्यवश आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है। हमने जिला मैजिस्ट्रेटों के सम्मेलन में इस पर चर्चा की है, हमने मुख्य सचिवों के सम्मेलन में इस पर चर्चा की है और अब हम मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने जा रहे हैं।

श्री तम्पन थामस : मैं केवल अपनी पद्धति में जो दोष बता रहा हूं। हमारी पद्धति में यह दोष है कि केन्द्र द्वारा राज्य के विषयों में हस्तक्षेप करने से प्रशासन प्रभावित होता है। (व्यवधान)

हम केन्द्र और राज्य के बीच संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं। आपके पास राज्य सरकार द्वारा चलाया गया जिला प्रशासन है। और यदि आप इसका अतिक्रमण करेंगे तो यह एक बुरी मिसाल होगी

जिससे भविष्य में शक्ति का केन्द्रीकरण होगा। इसी के बारे में मैं कह रहा हूं। यही मेरा निवेदन है। ऐसा करके हम उन आशाओं और विचारों का विरोध कर रहे हैं जिस पर संविधान के निर्माताओं ने चर्चा की है। संघीय प्रणाली में हमारे संविधान के दृष्टिकोण को नष्ट किया जा रहा है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के संबंध में मैं एक बात जानता हूं। एक दिन मैंने एक समाचार सुना, हो सकता है यह श्री चिदम्बरम का विचार हो, इन लोगों को प्रशिक्षण के लिए अमरीका भेजा जाएगा। वहां भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वे किस लिए वहां हैं? उन्हें भारत तथा भारतीय ग्रामों का प्रशासन चलाना है? हमने कहां तक इसका निर्माण किया है? ऐसा नहीं हो रहा है। इसका पुन: सुधार करना होगा। (व्यवधान)

मैंने अभी दो मुद्दों के संबंध में कहा है। मैं केवल कुछ मुद्दों का उल्लेख करूंगा।

भारत के ग्रामों को देखिए। चालीस वर्ष के अनुभव से हम यह कह सकते हैं कि देश में अभी भी असंतुलन है। ऐसा कैसे हुआ? आप जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 400 रुपये है जबकि मेरे राज्य में प्रति व्यक्ति आय 136 रुपये है और उड़ीसा तथा अन्य स्थान पर 120 रुपये या 105 रुपये प्रति मास है। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है? यदि इस देश के प्रत्येक नागरिक को अर्थव्यवस्था में से उसका अपना भाग मिल जाता है तो क्या ऐसा हो सकता था? ऐसा इसलिए है कि केन्द्र के पास शक्ति है, दिल्ली एक दिखावे की चीज बन गई है। यहां देश की अन्य राजधानियों की तुलना में सबसे अधिक दिखावा है। वित्त आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए कितनी राशि आबंटित की जाती है? धन खर्च किया जाता है। किन्तु धन कैसे खर्च किया जाता है? (व्यवधान)

श्री भोलानाथ सेन : धन यहां से भेजा जाता है। किन्तु बिचौलिए चुनाव के समय धन हड़प जाते हैं।

श्री तम्पन थामस : बिचौलिए कौन हैं? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थामस, आप मुझे सहयोग नहीं दे रहे हैं।

श्री तम्पन थामस : मैं आपको सहयोग दे रहा हूं।...(व्यवधान)...राज्यों को वित्तीय आबंटन करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि संवैधानिक उपबंधों में भी संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। राज्यों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा दी गई विवेकाधीन अनुदान, जिसे उन्होंने चुनाव के समय में अग्रेषित किया है—क्या यह सदन उसकी जांच-पड़ताल (पूछताछ) कर सकता है? क्या हम अन्य राज्यों को, जहां बाढ़ या सूखा नहीं पड़ा था, उनके न्यायसंगत दावों के अतिरिक्त दिए गए वास्तविक शेयर के बारे में भी पूछताछ कर सकते है? जब चुनावों का समय आता है तो विवेकाधीन अनुदान के अन्तर्गत धन दिया जाता है हालांकि वहां सूखा या आपात-स्थिति जैसी कोई बात नहीं होती है। इसका उदाहरण नागालैंड है।

4.00 म० प०

इसी प्रकार, विवेकाधीन अनुदान के अन्तर्गत प्रधान मंत्री द्वारा राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए धन का उपयोग किया जाता है क्या इसमें परिवर्तन किया जाना अपेक्षित नहीं है? यदि मेरा राज्य लोगों को विदेश भेजकर, कठिन परिश्रम करके, धन कमाता है तो क्या मैं अपने राज्य के शेयर को लेने का हकदार नहीं हूं? मैं यह महसूस करता हूं कि मेरे राज्य को उचित शेयर नहीं दिया जाता है। जबकि मेरे राज्य को जितना शेयर मिलना चाहिए था उसे लेकर संविधान के अधीन अनुशेय

[श्री तम्पन थामस

विवेकाधीन अनुदान का प्रयोग करके अन्य राज्यों को दिया जाता है। मैं जानता हूं कि श्री चिदम्बरम यह तर्क देंगे कि संविधानिक उपबंध के अनुसार ही इसका उपयोग किया गया है।

मेरा निवेदन यह है कि केन्द्र सरकार को ऐसी धनराशि की मंजूरी देने के उद्देश्य से दी जाने वाली ऐसी विवेकाधीन शक्तियों में संशोधन किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य और केन्द्र के साथ वित्तीय संबंधों तथा राजकोषीय संबंधों को समुचित रूप से समन्वित किया जाना चाहिए। ऐसा समन्वय स्थापित नहीं हुआ है। इसलिए आयोग ने अन्तर्राज्यीय परिषद् की सिफारिश की है जिसमें आपके पास मुख्य मंत्री और राज्य के दूसरे प्रतिनिधि होंगे। अन्तर्राज्यीय परिषद् को मिलकर इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए।

न्यायिक प्रणाली केन्द्र-राज्य संबंधों का एक भाग है। आप जानते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के ढंग की आलोचना की जाती है और इसकी लोगों को भी भली-भांति जानकारी है। आज भी यह देश के लिए भारी चिन्ता का विषय है। पद भरे नहीं जाते हैं। संविधानिक प्रावधान हैं। किन्तु क्या ये प्रावधान न्यायपालिका की निष्पक्षता के हितों की पूर्णत: रक्षा कर रहे हैं और न्यायपालिक को इसकी प्रतिष्ठा प्रदान कर रहे हैं? क्या वे स्वतंत्रता के प्रावधान में विचारित तथ्यों की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं और वर्तमान प्रणाली में दिये गये प्रावधानों, जिनका आप पालन कर रहे हैं, की तुलना में न्यायपालिका को प्रतिष्ठित करते हैं? क्या आयोग ने न्यायिक प्रणाली और केन्द्र-राज्य संबंधों को सह-संबंधित करने वाले पक्ष पर विचार किया है। इसकी स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए और देश में निष्पक्ष और न्यायिक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। इसके लिए उपाय किए जाने चाहिएं और वर्तमान प्रणाली को नकारा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करिए।

श्री तम्पन थामस : महोदय, मेरे पास कहने को बहुत कुछ है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास कोई सुझाव हैं तो आप मंत्री को लिखकर दे दें वह उस पर विचार करेंगे। आप पहले ही 35 मिनट बोल चुके है। अब प्रो० कुरियन बोलेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : मेरे मित्र श्री तम्पन थॉमस का भाषण शब्दों का इन्द्रजाल था। किंतु मुझे आश्चर्य है और मुझे यह कहने का दुख भी है कि वह इस तरह बोले जैसे कि हम इस देश की जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य नहीं हैं और जैसा कि भारत के प्रधान मंत्री इस देश की जनता द्वारा नहीं चुने गए हों। उन्होंने कहा, कि प्रधान मंत्री को धन आवंटित करने में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किन्तु मुख्य मंत्री विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में हम अपने विवेकाधिकार का प्रयोग उन लोगों की सहायता करने के लिए करते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जो सूखे से प्रभावित हुए हैं और जो वास्तव में संकट में हैं, जबकि आप अपने विवेकाधिकार का प्रयोग एक वर्ग या दूसरे वर्ग के साथ पक्षपात करने के लिए करते हैं। मैं आपको अपने ही राज्य का उदाहरण दे सकता हूं। इदुक्की जिले में जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है केन्द्र सरकार द्वारा आर० एल० ई० जी० पी०, एन० आर० ई० पी० और कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिए डी० आर० डी० ए० फंड आवंटित किया गया था, जिसे दूसरे कामों में लाया गया। एक करोड़ रु० की राशि कुछ अन्य जिलों को दे दी गई जहां मार्क्सवादी विधायकों का बहुमत है। मेरे राज्य में केरल के मुख्य मंत्री की इस कार्रवाई के विरुद्ध आन्दोलन चल रहा है। मैं इस प्रकार के बहुत से

उदाहरण उद्धृत कर सकता हूं जहां मुख्य मंत्री इस ढंग से व्यवहार कर रहे हैं। श्री तम्मन थामस तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि प्रधान मंत्री को चुनने वाला बहुमत इस देश की जनता द्वारा नहीं चुना गया हो और जो प्रधान मंत्री इतने बड़े बहुमत के साथ हैं, इतने अधिक बहुमत वाला है, लोगों को उनकी आवश्यकता के समय उनकी सहायता करने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते।

महोदय, विपक्ष के कुछ वक्ताओं ने ऐसे कहा जैसे कि यहां दो प्रकार की नागरिकता हो— एक राज्य नागरिकता और दूसरी राष्ट्रीय नागरिकता। महोदय, हमारे यहां केवल एक ही नागरिकता है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा जैसे कि केन्द्र सरकार द्वारा खर्च किया गया धन विदेशों में खर्च किया गया हो। अब धन खर्च कहां किया जाता है। वे कहते हैं कि केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर धन खर्च किया। अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहां हैं। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विभिन्न राज्यों में हैं और उन राज्यों की जनता इन उपक्रमों से लाभान्वित हो रही है। केन्द्र-राज्य संबंधों में भी ऐसे लगता है जैसे कि केन्द्र और राज्यों के बीच कोई झगड़ा हो रहा हो और केन्द्र को रक्षात्मक स्थान पर रखा जा रहा है, मेरे विचार में यह सही दृष्टिकोण नहीं है। आपने स्वयं ही कहा है कि हमें इस मुद्दे को पार्टी-राजनीति से ऊपर का दर्जा देना चाहिए।

महोदय, आजकल केन्द्र-राज्य संबंधों का पुनर्गठन करने की मांग फैशन बन गई है। (व्यवधान)। विपक्षी दल यह मांग कर रहे हैं। वास्तव में यह राजनीतिक मांग है किन्तु इसमें आर्थिक सन्तुष्टी भी निहित है। यदि हम पिछले चालीस वर्षों में देश के विकास को देखें तो हम पाते हैं कि बहुत से परिवर्तन हुए हैं। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्रीय मांगों के साथ सत्ता में आई है और उन क्षेत्रीय पार्टियों को शायद, केन्द्र से टकराव का रुख अपनाने के लिए बाध्य किया जाता है। उनके अपने तर्क हो सकते हैं। मुझे इस केन्द्र राज्य संबंधों के पुनर्गठन की मांग में राजनीतिक मुकाबला नजर आता है। अब केन्द्र और राज्य कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित होते थे तो उनकी समस्याएं पार्टी फोरम में केन्द्र और राज्यों के बीच हल हो जाती थीं, अब जबकि केन्द्र और राज्य भिन्न-भिन्न पार्टियों द्वारा शासित हैं तो वे समस्याएं फोरम में हल नहीं हो सकतीं। इसलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि केन्द्र-राज्य संबंधों में सुधार लाए जाने की आवश्यकता है और इसके उस हद तक पुनर्गठन की भी आवश्यकता है जहां तक हम इसे आवश्यक समझते हैं किन्तु आप इस मामले में भी राजनीति ला रहे हैं। अब तो यह राजनीतिक मांग बन गई है।

वास्तव में यदि केन्द्र मजबूत नहीं है तो राज्य कैसे मजबूत हो सकते है? सरकारिया आयोग ने एक बहुत ही अच्छा निष्कर्ष दिया है। इसने कहा है कि जहां तक संविधान का संबंध है इसमें संरचनात्मक परिवर्तन किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संविधान के उपबंधों में निहित केन्द्र राज्य संबंधों की योजनाएं ठोस हैं। सरकारिया आयोग इस निर्णय पर पहुंचा है कि मजबूत केन्द्र होना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं सहमत हूं कि राज्यों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। वास्तव में, राज्यों को मजबूत बनाया जाना चाहिए लेकिन अगर केन्द्र मजबूत नहीं होगा तो राज्य कैसे मजबूत होंगे? फिर क्या होगा? हमारे समाज में अपकेन्द्री ताकतें कार्य कर रही है। हमारे देश में विविधता है। हम विविधता में समानता की बात करते हैं। विभाजन शक्तियां भी कार्य कर रही है। जब हम पिछले 40 वर्षों के इतिहास को देखते हैं ये ताकतें इसी प्रकार कार्य कर रही हैं वे देश का विभाजन करने का प्रयास कर रही हैं और ये अपकेन्द्री ताकतें इस देश में कार्य कर रही हैं। यदि संतुलन रखने के लिए कोई केन्द्राभिमुखी ताकतें नहीं होंगी तो राष्ट्र की क्या स्थिति होगी। अपकेन्द्री ताकतें राज्यों को केन्द्र से अलग करना चाहती हैं और आपस में राज्यों को भी एक दूसरे से अलग करती हैं। अतः अन्ततः देश में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी कोई राष्ट्र नहीं रहेगा। इसलिए अगर राज्य मजबूत करना,

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

है तो केन्द्र को मजबूत होना चाहिए। अगर केन्द्र मजबूत नहीं है तो राज्यों को निहित शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी। पिछले 40 वर्ष से हमने कई चुनौतियों का सामना किया है। हमने उन चुनौतियों से कैसे निपटा है ? हम इन चुनौतियों से केवल केन्द्र मजबूत होने के कारण ही निपट सके हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि राज्यों को मजबूत नहीं होना चाहिए। मेरा मुद्दा यह है कि राज्यों को तभी मजबूत बनाया जा सकता है जब केन्द्र मजबूत होता है। अत: पहली बात यह है कि केन्द्र मजबूत होना चाहिए और इसे राज्यों को मजबूत बनाना चाहिए तथा उनमें संतुलन रखना चाहिए यह कहते हुए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि राज्यों को अधिक धन नहीं मिलना चाहिए। वित्तीय पहलू के बारे में पूरी तरह सहमत हूं कि राज्यों को उनकी आवश्यकतानुसार अधिक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। क्षेत्रीय असंतुलन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि पिछले 40 वर्षों में हमने काफी प्रगति की है, हम दूसरे देशों जिन्होंने हमारे साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त की थी या एशिया या अफ्रीका के देशों की तुलना में हम काफी आगे हैं। हमने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की है। मुझे आशा है आप मुझ से पूरी तरह सहमत होंगे। कई क्षेत्र और प्रदेश ऐसे हैं जो इतने अधिक विकसित नहीं हैं। अत: इस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन केन्द्र को कमजोर बनाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। केवल कुछ क्षेत्रों का ही विकास क्यों होता है ? अगर कतिपय क्षेत्रों में विकास नहीं होता है तो उनका विकास करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

सरकारिया आयोग ने केन्द्र राज्य के कुछ महत्वपूर्ण सम्बन्धों के बारे में कतिपय सिफारिशें की हैं। हमारी सिफारिश राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में है। पक्ष और विपक्ष के सदस्य भी सरकारिया आयोग की सिफारिशों से सहमत है। लेकिन मैं उस सिफारिश से सहमत नहीं हूं कि राज्यपालों को मुख्य मंत्री की सलाह के पश्चात् नियुक्त किया जाना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत नहीं हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : एक मापदण्ड तो यह है कि वह हारा हुआ उम्मीदवार हो सकता है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : जी नहीं, मैं सरकारिया आयोग द्वारा राज्यपालों के लिए दी गई योग्यताओं से सहमत हूं। मैं केवल नियुक्ति के बारे में सलाह की बात कर रहा हूं अगर सर्वसम्मति नहीं होती तो क्या होगा ? उस राज्यपाल को कैसे नियुक्त किया जा सकता है जिसे मुख्य मंत्री स्वीकार नहीं करता है ? मान लीजिए, विचार विमर्श से समझौता नहीं होता तो परिणाम बहुत बुरा होगा क्योंकि वास्तव में राजनीतिक विवाद पैदा हो जाएंगे। मुख्य मंत्री कह सकते हैं कि राज्यपाल उनकी सिफारिश के बिना आए हैं। वह कह सकते हैं उनकी आपत्ति के बाद भी राज्यपालों को नियुक्त किया गया है। इसलिए मेरे विचार से विचार विमर्श व्यवहार्य नहीं है। इसी तरह, मुख्य मंत्री द्वारा नामों का एक पेनल देने से अन्तत: समस्या हल नहीं होगी। राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेन्ट होते हैं। वह राज्य के प्रमुख होते हैं। केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट नहीं। राज्य में वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं। राष्ट्रपति को नियुक्ति का अधिकार होता है। जिस तरह राष्ट्रपति को केन्द्र में अधिकार है उसी प्रकार राज्यपाल को राज्य में अधिकार होता है। जब आप कहते हैं कि राज्यपाल को केन्द्र का एजेन्ट नहीं होना चाहिए, तो मुझे भी कहना चाहिए कि उसे राज्य सरकार की कठपुतली नहीं बनाया जाना चाहिए। राज्यपाल को केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से परे, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए मेरे विचार से राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में सलाह नहीं ली जानी चाहिए। सम्बन्धित व्यक्ति की सत्यनिष्ठा और योग्यताओं से सहमत होने के बाद राष्ट्रपति को राज्य के राज्य-

पाल के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए···(व्यवधान)

मेरे विचार से किसी ने अभी तक संविधान के अनुच्छेद 356 के बारे में नहीं कहा है। संविधान के अनुच्छेद 356 में, यह कहा गया है कि जब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होती है तो राज्यपाल हस्तक्षेप कर सकता है और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। सरकारिया आयोग ने राज्यपाल की सिफारिशों के लिए कतिपय दिशा निर्देश दिये हैं जैसे कि क्या संवैधानिक व्यवस्था भंग है या नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : ज्यादातर मामलों में, यह सत्ताधारी पक्ष के हित में किया जाता है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : वह आपका विचार हो सकता है। अगर राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग हुई है तो राज्यपाल ही इस सम्बन्ध में स्वयं बेहतर निर्णय ले सकता है। यदि हम राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति को कम करने के लिए नियम और विनियम बना देंगे तथा राष्ट्रपति के काम में रुकावट डालेंगे तो राज्यपाल किसी परिस्थिति विशेष में निर्णय लेने में अपने को असहाय महसूस करेंगे मानवीय प्रवीणता असीम है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है जब राज्यपाल इन नियमों और विनियमों के कारण असहाय होता है और वह संवैधानिक व्यवस्था भंग करने के बारे में एक असहाय मूक दृष्टा होगा जबकि वह व्यक्तिगत रूप से सहमत हो और वह कुछ नहीं कर सकता। मैं इसका अन्दाजा अच्छी तरह लगा सकता हूं। इसलिए राज्यपाल यह सिफारिश करे कि संवैधानिक व्यवस्था भंग हुई है या नहीं इस सम्बन्ध में सरकारिया आयोग के दिशानिर्देशों से असहमत हूं।

सरकारिया आयोग ने 1977 में राज्य सरकारों की अंधाधुन्ध बरखास्तगी के बारे में भी कहा है। वे सब लोग जो 1977 में राज्यों की स्वायत्तता की बात करते थे और जो सत्तारूढ़ थे उन्होंने क्या किया ? क्षण भर में उन्होंने सभी निर्वाचित सरकारों को बरखास्त कर दिया। उन्होंने राज्यों की स्वायत्तता पर जरा भी ध्यान नहीं दिया।

सरदार बूटा सिंह : उन्होंने अगले चालीस वर्षों के लिये अपना कोटा समाप्त कर दिया।

प्रो० पी० जे० कुरियन : कम से कम अगले चालीस वर्षों तक वे बैठे ही रहेंगे। महोदय, इस तरह से वे सत्ता में आये, उन्होंने कार्य किये।

दूसरी बात यह है कि सरकारिया आयोग ने केन्द्र द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में क्या कहा है। आयोग ने कहा है कि इन योजनाओं को कम किया जाना चाहिए। उसमें भी समस्या है।

महोदय, हमारे संविधान में एक कल्याणकारी राज्य की अभिकल्पना की गई है। सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान के लिए कार्यक्रम और योजनाएं बनाई हैं। उनके लिये विशेष कार्यक्रम है। बीस सूत्री कार्यक्रम भी है। देश के लोगों के अन्य विशेष कार्य भी हैं।

इन कार्यक्रमों के लिए धनराशि राज्य सरकारों को दी जा रही है और केन्द्र राज्य सरकारों के माध्यम से इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। परन्तु कुछ राज्य सरकारें इन कार्यक्रमों को उचित रूप से कार्यान्वित नहीं कर रही हैं। वे इन कार्यक्रमों के लिए दी जा रही धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिये कर रही है। मैंने अपने राज्य का उदाहरण दिया है। ऐसी स्थिति में यदि हम यह कहते हैं कि कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को केन्द्र द्वारा प्रायोजित नहीं किया जायेगा और उन्हें कम कर दिया जायेगा तो संविधान में अभिकल्पित कल्याण-

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

कारी राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने में और अधिक विलम्ब होगा। मैं नहीं जानता कि कुछ लोग कैसे इस बारे में सहमत हैं।

मेरा निवेदन यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित ये योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास ही होनी चाहिए और केन्द्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों को दी गई धनराशि का उचित रूप से उपयोग किया जाये। वर्तमान में केन्द्र द्वारा इसकी निगरानी नहीं की जा रही है। मेरा विचार यह है कि इस धनराशि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय सरकार को एक निगरानी व्यवस्था कायम करनी चाहिए। यह व्यवस्था राज्य सरकारों की निगरानी के लिये ही नहीं, अपितु यह सुनिश्चित करने के लिये भी होनी चाहिए कि आबंटित धनराशि का उचित प्रकार से उपयोग किया जाए। आजकल हम इस बारे में राज्य सरकारों द्वारा दिए गए आंकड़ों पर निर्भर करते हैं जो कभी-कभी गलत भी होते हैं। अतः मेरा निवेदन यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं जारी रहनी चाहिए। उन्हें कम नहीं किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी व्यवस्था कायम करनी चाहिए कि क्या इन आबंटित धनराशियों का उचित उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं।

मैं शिक्षा और सूचना माध्यमों के बारे में त्रि-भाषा फार्मूले को और अन्य सिफारिशों का भी स्वागत करता हूं। मैं आयोग की अन्य सभी सिफारिशों का स्वागत करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : विशेष मामले के रूप में मैं श्री सोमनाथ चटर्जी को अपना भाषण जारी रखने के लिए बुलाता हूं परन्तु इसे बाद में एक पूर्वोदाहरण के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता। इस बात को रिकार्ड किया जाना चाहिए कि इसे एक पूर्वोदाहरण के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : ठक्कर आयोग की भांति यह मूल के अलावा है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी का पूर्व भाषण एक सम्पूर्ण भाषण था। अब उनका बाद का पूरक भाषण क्या उनके मूल भाषण का एक भाग होगा अथवा एक अनुपूरक भाषण होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह भाषण उनके पूर्व भाषण के अनुक्रम में है।

सरदार बूटा सिंह : उनके पूर्व भाषण को एक अन्तरिम भाषण के रूप में लिया जाना चाहिए और इस भाषण को एक अन्तिम भाषण के रूप में लिया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : आपको दोनों भाषण सभा पटल पर रखने चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपका और माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं महोदय, समय का कोई प्रश्न नहीं है। मैं अपनी बात संक्षेप में

कहने का प्रयास करूंगा।

मैं यह कह रहा था कि जब ब्रिटिश साम्राज्यवादी अपने शासन को स्थायी बनाने के लिए सत्ता में थे, तो उन्होंने भारत सरकार अधिनियम, 1935 बनाया था। तथाकथित संघ और प्रान्तों में शक्तियों के अत्यधिक केन्द्रीयकरण का आधार यह था कि प्रान्तों को गौण समझा जाता था, और उन्हें केन्द्र की दया पर निर्भर समझा जाता था। दुर्भाग्य से जब हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा इस भारत सरकार अधिनियम को एक माडल के रूप में लिया गया था। अब जो व्याख्या और तर्क दिया गया है वह स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान कांग्रेस द्वारा बार-बार दोहराये गये कथनों के विपरीत है। विचार यह था कि हमारा राजनैतिक और संवैधानिक ढांचा एक ऐसे वास्तविक संघीय ढांचे पर आधारित होना चाहिए जिसमें शेष शक्तियां राज्यों के हाथों में रहेंगी और कुछ चुनी हुई अखिल भारतीय शक्तियां केन्द्र के हाथों में रहेंगी। परन्तु इस बात की उपेक्षा की गई और यह कहा गया कि हमारी स्वतन्त्रता और लोकतान्त्रिक ढांचे के आरम्भिक दिनों मे केन्द्र के पास पर्याप्त शक्तियां होनी चाहिए। इसके फलस्वरूप हमारे विकास में असन्तुलन उत्पन्न हुआ। प्रत्येक माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करता है कि हमारे यहां क्षेत्रीय असन्तुलन है और राज्य सरकारों के पास पर्याप्त धनराशि और शक्तियां नहीं हैं।

इस देश में कोई भी व्यक्ति एक कमजोर केन्द्र नहीं चाहता। माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि वे कमजोर राज्य नहीं चाहते। परन्तु एक मजबूत केन्द्र अथवा एक मजबूत राज्य की अवधारणा क्या है ? मैंने इसी मुद्दे को उठाया था। परन्तु क्या सभी शक्तियों को अपने हाथों में रखने से केन्द्र एक मजबूत केन्द्र बन जाता है ? क्या एक मजबूत केन्द्र का यही अर्थ है ? सम्पूर्ण राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए हमारे केन्द्र और राज्य दोनों को मजबूत होना चाहिए। यही मेरी अवधारणा है। सरकारिया आयोग की नियुक्ति विशेष रूप से इस प्रश्न की जांच करने के लिए की गई थी।

परन्तु अब परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कहता हूं क्योंकि सरकारिया आयोग ने इस अभिधारणा को मान कर कार्यवाही की है कि केवल केन्द्र ही राष्ट्रीय लक्ष्यों, उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के बारे में निर्णय लेने में सक्षम है और राज्य राष्ट्र के सम्पूर्ण हित की धारणा में अपना योगदान देने की स्थिति में नहीं हैं। यह सरकारिया आयोग की रिपोर्ट की एक कमजोरी है। रिपोर्ट की पूर्वधारणा यह है कि राज्य केन्द्र के समकक्ष होने की आकांक्षा नहीं कर सकते। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि यदि देशभक्ति नहीं तो प्रशासनिक कार्यकुशलता पर भी केन्द्र का एकाधिकार है और राज्यों का इससे कोई वास्ता नहीं है।

मेरे अनुसार सरकारिया आयोग की रिपोर्ट की एक अन्य कमजोरी यह धारणा और भावना है कि राज्यों को अतिरिक्त शक्तियों और दायित्वों का हस्तान्तरण होने से केन्द्र कमजोर होगा और उसके फलस्वरूप राष्ट्र कमजोर होगा। आयोग इस बात पर विचार नहीं करता कि वास्तव में ऐसे हस्तान्तरण से आर्थिक और सामाजिक विकास में उन्नति होगी और सम्पूर्ण राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। मैं इस बात से बिलकुल भी सहमत नहीं हूं। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि स्वतन्त्रता के 42 वर्षों के बाद अब भी हमारी आधे से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे क्यों है, इस देश के 64 प्रतिशत लोग अब भी अशिक्षित क्यों हैं और विकास के मामले में क्षेत्रीय असन्तुलन क्यों हैं। देश को इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि केन्द्र में सदैव एक विशेष दल सत्ता में रहेगा। दुर्भाग्य से कुछ सदस्यों द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। इस बारे में कोई दलगत बातें नहीं हैं परन्तु हमारे कुछ माननीय सहयोगी जिन्होंने एक मजबूत केन्द्र के पक्ष में भाषण दिया है ऐसा लगता है कि उनकी यह धारणा है कि केन्द्र में उनका दल सदैव

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

सत्ता में रहेगा। उनका ऐसा दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण यह है कि कैसे एक मिल-जुल कर किये गये प्रयास द्वारा अथवा सरकारिया आयोग के शब्दों में एक सहयोगी संघवाद के द्वारा इस देश के कार्यों की कैसे देख भाल और प्रबन्धन किया जाए ताकि देश के सभी भागों में देश के सभी लोगों का सुव्यवस्थित विकास और प्रगति हो। अतः मैं निवेदन करता हूं कि इस रिपोर्ट में यह कमी बहुत निराशाजनक है। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्रियों के साथ कोई चर्चा नहीं हुई है। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार मुख्यमंत्रियों और विभिन्न राज्य सरकारों से यथा शीघ्र उपलब्ध अवसर पर गहराई से चर्चा करने के बाद इन सिफारिशों को अन्तिम रूप दे। कुछ मामले हैं जिन पर सरकारिया आयोग ने जोरदार टिप्पणियां की हैं उदाहरण के लिए राज्यपालों की नियुक्तियां कैसे की जा रही हैं। मेरा समय बहुत सीमित है इसलिए मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा। उन्होंने विशेष रूप से ऐसे राज्यों में, जहां केन्द्र में शासित पार्टी से अलग पार्टियों का शासन है, राज्यपालों की नियुक्ति के सम्बन्ध में अनुपालनार्थ कुछ मार्गनिर्देशों पर टिप्पणी की है। आयोग की सिफारिशों के प्रति इस सरकार की मंशाओं अथवा रवैये के बारे में हम कुछ सशंक न हो गये हैं। यह इसलिए है कि जो भी मार्गनिर्देश बनाये गये है, राज्यपालों की नियुक्ति या तबादला करते समय यह सरकार उनका अनुसरण नहीं कर रही है। इस प्रकार इसे कार्यान्वित करने में इस सरकार की क्या निष्ठा है ? अनेक अवांछनीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्यपालों का उपयोग किया गया है। सरकारिया आयोग ने इसका उल्लेख किया है। विधेयकों को रोक रखा जा रहा है। राज्य सूची वाले विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए केन्द्र को प्रेषित करके अनावश्यक ही अनुच्छेद 200 और 201 का उपयोग किया जा रहा है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल केन्द्र सरकार के एजेन्ट के रूप में खुले रूप से कैसे कार्य कर रहे हैं ? उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यह सब गलत है। प्रो० कुरियन ने कहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति का एजेन्ट है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। राज्यपाल एक विशेष संवैधानिक पद पर आसीन हैं। वे केन्द्र सरकार के कर्मचारी नहीं हैं।

प्रो० मधु दंडवते : उनका मतलब कांग्रेस अध्यक्ष से था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस सन्दर्भ में वे न तो भारत के राष्ट्रपति के एजेन्ट हैं और न ही कांग्रेस अध्यक्ष के एजेन्ट हैं। आप बिना कारण ही राज्यपालों का तबादला कर देते हैं। इस विचार का प्रचार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श न किया जाये। मैं जानता हूं कि विचार विमर्श का मतलब अनुमति नहीं है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करना होता है। इसका क्या अभिप्राय है ? प्रो० कुरियन के इस मत के अनुसार तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के न्यायाधीश के साथ भी विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। क्या यह तरीका उचित है ? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए राज्यपालों का किस प्रकार से उपयोग किया गया है ? इस बारे में स्वयं सरकारिया आयोग ने विस्तार से कहा है। अनेक अवसरों पर यह कहा गया है कि इस शक्ति का दुरुपयोग हुआ है। यह आयोग ने कहा है। निःसन्देह इससे आप शर्मिन्दगी महसूस नहीं करते है। लेकिन बूटा सिंह जी तो अत्यंत खुश हैं। वे ऐसा एक एक करके करते हैं सब एकदम नहीं, जैसा कि जनता पार्टी ने एक बार किया था। लेकिन तब हमने जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया था। क्योंकि आप यह गुणों और किसी औचित्य के बगैर एक-एक करके कर रहे हैं तो क्या इसका यह मतलब नहीं निकलता कि अनुच्छेद 356 को चुनौती है। लेकिन दुर्भाग्य से सरकारिया आयोग यह नहीं कहता कि इस शक्ति पर अंकुश लगाया जाए। इसने आशा व्यक्त की है कि भविष्य में इसका नियंत्रित उपयोग होगा। मुझे आशा है कि यदि उन्होंने सत्ता पक्ष में माननीय

मित्रों को ध्यान में रखकर ऐसा कहा था तो उन्हें भविष्य में अपनी शक्तियों का उपयोग नियंत्रित रूप में भी करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। महोदय, मैं नहीं जानता कि हमारी शुभ कामनाओं के बावजूद सरदार बूटा सिंह कब तक गृह मंत्री रहेंगे, लेकिन यदि वह गृह मंत्री रहेंगे तो न्यायमूर्ति सरकारिया ने कैसे सोच लिया कि ये लोग नियंत्रित रूप में किसी तरीके से कार्य कर सकते है और ऐसा भी विशेषकर तब, जबकि उनके एकतरफा हित प्रभावित होते हों ?

समवर्ती सूची का मामला ही लीजिए। सम्पूर्ण शक्ति केन्द्र को दी जा रही है। वे समवर्ती सूची में और विषय जोड़ रहे हैं। अब लोग अपने उद्देश्य की पूर्ति तथा अपनी आवश्यकताओं आकांक्षाओं और मांगों की पूर्ति के लिए राज्यों की ओर देख रहे हैं। लेकिन हर कार्य के लिए कानून बनाने की शक्ति केन्द्र के पास है। और समवर्ती सूची के विषय से संबंधित कानून को राष्ट्रपति के पास उनकी अनुमति के लिए भेजा जा सकता है। यह राज्यपालों की आदत बन गई है कि वे इसे दिल्ली भेज देते हैं और मामला अटका रहता है।

अब, जहां तक अन्तर्राज्यीय परिषद का संबंध है, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हम इसका पुरजोर समर्थन करते है।

अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय परिषद गठित करने का प्रावधान है। इस सिफारिश को तत्काल स्वीकार कर लिया जाए हालांकि यह दोषरहित नहीं है। इसकी एक सलाहकार संस्था के रूप में सिफारिश की गई है। हम कहते हैं कि, "नहीं, इसके पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए" और केन्द्र राज्य के मुद्दों पर कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाएं और इसी के लिए अब एक अन्तर्राज्यीय परिषद के रूप में सुझाया जा रहा है। हम कहते हैं कि अन्तर्राज्यीय परिषद राज्यपालों की नियुक्ति पर निर्णय ले। इसे निर्णय करना चाहिए कि क्या राष्ट्रपति की अनुमति की अपेक्षा रखने वाले किसी कानून को यह अनुमति दी जाए या नहीं। इसे केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच मतभेद पर निर्णय करना चाहिये और यह भी निर्णय करना चाहिये कि क्या इसे अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय को भेजा जाए या नहीं। यह वित्त आयोग के गठन तथा निदेश पद संबंधी मुद्दों को सुलझाए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण मामले हैं, जबकि ऐसे अवसर आते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत शक्तियों का उपयोग किया जाता है।

मैं दो या तीन मिनट और लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे और अधिक समय नहीं लेना चाहिये, अब श्री अय्यपू रेड्डी ने ठीक ही कहा कि शीघ्र ही ये अन्तर्राज्यीय परिषदें गठित होंगी जिनमें मुख्यमंत्रियों को प्रतिनिधित्व दिया जाये, केन्द्र में मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री भी इसमें हों और प्रधान मंत्री इनकी अध्यक्षता करें। निःसन्देह हम इसका विरोध करते हैं कि इसकी बैठकें गोपनीय हों। लेकिन इस आयोग के विचारणीय विषयों के बारे में शीघ्र ही निर्णय लिया जाये।

हम चाहते हैं कि योजना आयोग को एक संवैधानिक संस्था बनाया जाना चाहिए था। यह पूर्णतया केन्द्र के हाथ में है हालांकि योजना की प्रक्रिया केवल केन्द्र के लिये ही नहीं है, यह तो सारे देश के लिए है। इसलिये विषयों पर निर्भर रहते हुये योजना आयोग के सदस्यों के चयन के मामले में राज्य सरकारों से कोई परामर्श नहीं किया जाता है, और लोगों के प्रति कोई दायित्व नहीं है। इसमें निर्वाचक नहीं होते हैं। योजना आयोग न तो संवैधानिक संस्था है और न ही वैधानिक संस्था है; यह केवल केन्द्र पर निर्भर है; इसके कर्मचारियों का चयन भी केन्द्र द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय विकास परिषद के स्थान पर राष्ट्रीय आर्थिक और विकास परिषद का प्रावधान किया गया है। लेकिन यह सिर्फ एक दिखावटी या सलाहकार संस्था ही नहीं होनी चाहिये, इसे वित्तीय

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

मामलों पर निर्णय लेने चाहियें। और यह एक प्रभावकारी संस्था होनी चाहिए जिसमें मुख्यमंत्री सिर्फ भाग ही नहीं लेंगे बल्कि कार्यान्वयन के लिये निर्णय लेने की शक्तियां भी रखेंगे।

लेकिन अन्त में, उपलब्ध समय में मैं एक मामले का उल्लेख करना चाहता हूं और यह है राज्य सरकार की सहमति के बिना केन्द्र सरकार द्वारा एक राज्य में सेना भेजना। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि केन्द्र और राज्य के सम्बन्ध खराब कर सकता है। कृपया, राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को अपने अधीन मत समझिये। उनके अपने विचार, अपने सिद्धांत, अपनी नीतियां और कार्यक्रम हैं जिन्हें उस राज्य के लोगों ने स्वीकृति दी है और विशेषकर यदि आप एक ऐसे राज्य में सेना का उपयोग करना चाहते हैं, जहां केन्द्र में शासित पार्टी से भिन्न पार्टी शासन कर रही है, तो आप गंभीर मतभेद उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसा गंभीर अविश्वास जिसके कारण इस देश में संवैधानिक व्यवस्था का कार्य प्रभावित होगा। इस मामले को एकपक्षीय मामला नहीं माना जा सकता है। इस बारे में आयोग ने बहुत जोरदार विचार व्यक्त किये हैं कि राज्य सरकार की, मुख्यमंत्री की सहमति होनी चाहिये और अब देखिये, आपने इस सिफारिश का किस प्रकार सम्मान किया है। आपने त्रिपुरा में वहां के मुख्यमंत्री और त्रिपुरा की राज्य सरकार की सहमति के बगैर ही इसका उपयोग किया है। इसलिए ये सभी अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले हैं। इस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिये। इस बारे में मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं प्रचार सम्बन्धी माध्यम पर नियन्त्रण के बारे में कहूंगा। जहां तक दूरदर्शन के दूसरे चैनल का प्रश्न है बहुत से राज्य इसकी मांग कर रहे हैं। यह उनका अधिकार है। वे लोग देशद्रोही नहीं हैं। राज्य सरकारें उन लोगों से शासित नहीं होती जो कि देश को कमजोर करना चाहते हैं। इससे किसी को भी लाभ नहीं होगा। हम भी राज्य का सर्वोन्मुख विकास चाहते हैं। लेकिन इसके लिये हमें विभिन्न विचारों, विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न भाषाओं को ध्यान में रखना होगा जो दिल्ली से नहीं किया जा सकता है, और यह हो भी नहीं रहा है। इसलिए, दूसरे चैनल की सुविधा राज्यों को प्रदान की जानी चाहिये। यह किसी एक या दो विशेष राज्यों को ही नहीं सम्पूर्ण राज्यों को प्रदान की जानी चाहिए। उनमें सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होने दी जानी चाहिये। उससे स्वास्थ्यवर्धक होने के अलावा विभिन्न राज्यों की संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, आपने मुझे श्री सोमनाथ चटर्जी के तुरन्त बाद बुलाया है। मेरे लिये यह अच्छा होता यदि कोई सदस्य दूसरी ओर से पहले बोलता···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल आपने ही इसके बारे में कहा था। इसलिए मैंने आपको बुलाया।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : सर्वप्रथम मैं यह टिप्पणी करना चाहूंगी कि जो लोग मजबूत केन्द्र के समर्थक हैं उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि आम चुनाव में केवल 9 महीने रह गये हैं। उसके बाद बहुत से लोग सदन के सदस्य नहीं रहेंगे और कुछ इसके सदस्य होंगे। मैं समझती हूं कि उस समय उनकी परिकल्पना में बहुत अन्तर होगा। (व्यवधान)

मैं उन दलों की सदस्या नहीं हूं जो इस समय केन्द्र में शक्ति प्राप्त करने की होड़ में लगी हुई

है। इसलिए इस विषयनिष्ठता पर मेरा भी कुछ देय है। महोदय, इसी विषयनिष्ठता को देखते हुए मैं पहले यह कहना चाहूंगी कि केन्द्र-राज्य का सम्बन्ध आज देश की वर्तमान राजनैतिक स्थिति से संबंधित है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह तो कार्यशक्ति के बंटवारे का प्रश्न है। शक्ति का मतलब है राजनीति। किसी चीज का राजनीतिकरण करना एक बात और राजनीति दूसरी बात है। इस समय हमारे देश के अन्दर की सही स्थिति क्या है? भारत एक बहु-राष्ट्रीय और एक बहु-सांस्कृतिक देश है। महोदय, 42 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद हम देख रहे हैं कि शायद हमारा देश बहु-राष्ट्रीय और बहु-संरचनात्मक देश है···(व्यवधान)

वृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : बहु-राष्ट्रीय नहीं···(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : वह मेरा विचार है। यह मेरी जानकारी है। चाहे आप मुझसे सहमत न हों। कृपया आप मेरी बात सुनें···(व्यवधान)। भारत एक ऐसा देश है जहां एकत्व की भावना व्याप्त है···(व्यवधान)···भारत एक राष्ट्र है लेकिन यह विभिन्न राष्ट्रिकताओं के द्वारा बना है··· (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : आप पुनः उसी बात पर जा रही हैं···(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह हमारे देश की विशेषताएं हैं—अनेकता में एकता—(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, इन टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। ये सब राष्ट्र विरोधी हैं···(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : मुझे माननीय महिला सदस्या को सहायता करने दीजिए। यहां केवल एक ही राष्ट्र है। राष्ट्रीयता एक है। हमारी संस्कृतियां, जातियां और जनजातियां हैं। परन्तु संविधान के अनुसार हमारा एक राष्ट्र, एक राष्ट्रीयता और एक नागरिकता है···(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे खेद है। हो सकता है मैं अंग्रेजी में कुशल न हूं। लेकिन कुछ हद तक मैं अंग्रेजी जानती हूं। मैं अंग्रेजी की खराब विद्यार्थिनी नहीं हूं। अंग्रेजी में दो शब्द हैं :—एक राष्ट्र और दूसरा राष्ट्रीयता—मेरे विचार से भारत एक राष्ट्र कहला सकता है किन्तु एक राष्ट्रीयता नहीं। यहां पर सवाल एकता में अनेकता का है। इसमें एकत्व, एकता और विविधता है। और यह एकता, अनेकता को स्वीकृति और न्याय प्रदान करने के बाद ही प्राप्त की जा सकती है। यह भारतीय स्थिति की विशेषता है जिसका सीधा सम्बन्ध केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों से है। हम क्या देख रहे हैं। अनेक नई और पुरानी राष्ट्रीयतायें भाषायी, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास क्षेत्रों में अपनी पहचान प्राप्त करने। यहां पर विभिन्न जाति समूह के लिए अधिक चेतना प्राप्त कर रही हैं। अपनी पहचान प्राप्त करने के लिए अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ये सभी अनेकतायें हैं। ये उनकी इच्छा है कि उनकी अलग पहचान और विकास की स्वीकृति मिले। इसका मतलब यह नहीं कि हम अंधदेशभक्ति के आगे आत्मसमर्पण कर दें। अंधदेशभक्ति का, चाहे वह स्थानीय हो या धार्मिक या फिर किसी और तरीके की, मुकाबला किया जाना चाहिए। लेकिन इसका मुकाबला वर्तमान सच्चाई और विभिन्न राष्ट्रीयता के विकास को नकार कर नहीं किया जा सकता है। वह उसे दिया जाना चाहिए। यहीं पर केन्द्र और राज्य के विशेष सम्बन्ध का सवाल आता है। हम लोग विखंडनशील प्रवृत्ति के खिलाफ हैं। हम लोग भारत के विभाजन के भी खिलाफ हैं। पंजाब में हमने इसको अपने खून से सिद्ध किया है और अभी भी दिखा रहे हैं। इसी तरह, मैं यह भी जानती हूं कि हमारे भारतीय लोगों में अच्छी चेतना शक्ति है। वे भारत के विभाजन के खिलाफ अंत समय तक मुकाबला करेंगे और भारत को एक रखेंगे। लेकिन

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

लोगों की वैधानिक इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होनी चाहिये। इस विचार से, केन्द्र और राज्य दोनों ही मजबूत होने चाहिये। लेकिन अगर पुरानी और नई विचारधाराओं को साथ रखकर देखा जाय तो मैं यह विश्वास करती हूं कि लोग सहज ही इस बात से सहमत होंगे कि उन्हें संरचनात्मक, राष्ट्रीयतावादी और जाति संबंधी की ज्यादा शक्तियां मिलनी चाहिये। लेकिन वास्तव में क्या हुआ? संविधान में लगभग 62 संशोधन हो चुके हैं। मेरी एक गणना के अनुसार 40 संशोधन राज्यों को कम शक्ति प्रदान करने के लिये की गई थीं। क्या आप किसी एक विषय का नाम ले सकते हैं जिसे सूची 1 से सूची 2 में ले जाया गया है? अभी तक तो नहीं। लेकिन दूसरी ओर कितने विषम राज्यों से लेकर समवर्ती सूची में रखे गये हैं? कुछ थोड़े से। सबसे गम्भीर चीज तो यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि सम्पूर्ण सूची में अवशिष्ट शक्तियां सबसे ज्यादा मजबूत होगी। क्या ऐसा नहीं है? क्या यह ठीक नहीं कि अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग राज्यों के स्वायत्व को कम करने के लिए उनके विरुद्ध किया जा रहा है? विस्तार में जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं इसके ऊपर पूरा महाभारत बखान कर सकती हूं लेकिन आप मुझे समय नहीं देंगे। लेकिन यह सच है···(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : गीता महाभारत का एक हिस्सा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं उतना ही कह सकती हूं—केवल उसका एक छोटा सा हिस्सा।

अब, मैं कुछ ऐसे सवाल पर आती हूं जिसका आज महत्व है। जहां तक राज्यों को ज्यादा शक्तियां प्रदान करने की बात है, मेरा विचार है कि उससे केन्द्र कमजोर नहीं बनेगा। अगर इसे नकारा गया तो विखंडनशील प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। इसी कारण सरकारिया आयोग ने बहुत सी बातों पर विचार किया था। चूंकि मुझे ज्यादा समय नहीं मिल पाया, इसलिए, मैं उन सभी सवालों पर नहीं जा सकती जिन पर सरकारिया आयोग ने अध्ययन किया और अपना निर्णय दिया। उनमें से कुछ पर तो हमारे मित्रों ने विचार व्यक्त कर दिये हैं। लेकिन इस दिशा में एक ही बात कहना चाहती हूं कि जहां तक राज्यों को ज्यादा शक्तियां देने का प्रश्न है जो कि आज आवश्यक है—मैं यह नहीं समझती कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पूर्ण है। फिर भी मैं सरकारिया आयोग की उन सिफारिशों का स्वागत करती हूं जिसमें राज्यों को ज्यादा शक्तियां प्रदान करने की बात कही गई है। मैं चुनौती देती हूं कि जो आज सरकारिया आयोग के आढे में बातें करते हैं, उनमें से कोई भी सरकारिया आयोग की सिफारिशों के बारे में गम्भीर नहीं हैं। आप मुझे राज्यपालों के बारे में बतायें। सरकारिया आयोग की यह सिफारिश थी कि किसी भी राज्यपाल को अपनी पांच साल की अवधि पूर्ण किये बिना नहीं हटाया जाना चाहिये। आप मुझे बताएं कि माननीय नूरुल हसन को ढाई साल बाद ही पश्चिम बंगाल से क्यों हटा दिया गया जबकि वह एक विद्वान व्यक्ति थे···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उनके केडर का अकेला विद्वान व्यक्ति।

श्रीमती गीता मुखर्जी : नहीं, और लोग भी हैं। किन्तु मेरा सवाल यह है कि उन्हें हटा क्यों दिया गया और उनके स्थान पर एक ऐसे व्यक्ति को क्यों नियुक्त किया गया जो आसूचना ब्यूरो के प्रभारी थे जिससे उस राज्य सरकार के साथ सहयोग की सम्भावनाएं कम हो गईं जिसमें उस दल की सरकार नहीं है जो केन्द्र मे हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मुझे कुछ समय और दें। मैं जितनी जल्दी समाप्त कर सकती

हूं, करूंगी। आप मुझे बताएं कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। उस समय तक सिफारिशें की जा चुकी थी, ऐसा नहीं कि सिफारिशें न की गई हों···(व्यवधान)। इसीलिए मैं, यह कह रही हूं कि जिन बातों की सरकारिया आयोग द्वारा सिफारिश की गई हैं, केन्द्र में पार्टी द्वारा उन्हें भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति है।

अनुच्छेद 356 के बारे में मैं यह अनुभव करती हूं कि इस उपबन्ध से हमारे देश को किसी भी मौके पर कोई लाभ नहीं हुआ है। 1987 में जब पश्चिम बंगाल सरकार हटाई गई तो वे ही वस अधिक बहुमत के साथ सत्ता में वापस आए थे। तेलुगु देशम पार्टी के साथ भी यही हुआ। इस प्रकार के उपबंध को रखने का क्या लाभ है जो वास्तविक जीवन में कभी भी लाभकारी सिद्ध नहीं हुआ है? यह उपबन्ध हटा दिया जाना चाहिये।

अन्तर्राज्यीय परिषद के संबंध में मुझे खुशी है कि सरकारिया आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं। मुझे और भी खुशी होती यदि राष्ट्रपति के लिए इस प्रकार की परिषद का गठन अनिवार्य कर दिया जाता। आयोग ने इसकी सिफारिश नहीं की है। मैं चाहती हूं कि यह किया जाए।

मैं यह भी चाहती हूं कि एक राज्यपाल का चुनाव करते समय राज्य सरकार या राज्य के विधान मंडल से एक पैनल लिया जाना चाहिए और राज्यपाल को नियुक्त करने की जिम्मेदारी संसद की होनी चाहिए, न कि राष्ट्रपति की, जो इस कार्य में केन्द्रीय सरकार का ही पर्याय है।

महोदय, मैं दो बातें और कहना चाहती हूं। एक, विधेयकों पर अनुमति रोकने के बारे में है। अब इस बारे में सरकारिया आयोग द्वारा कुछ अच्छी सिफारिशें की गई है। मुझे इन सिफारिशों को पढ़ने का समय नहीं मिला और न ही मुझे इन पर व्यापक विचार करने का अवसर मिला है। किन्तु सच्चाई यह है कि अब तक 77 विधेयकों पर सहमति नहीं दी गई है और उनमें से कुछ विधेयक राज्य सूची के हैं। क्या राज्यों को लोकतंत्र देने का यही तरीका है? क्या केन्द्र को सुदृढ़ बनाने का यही तरीका है? क्या यह लोगों की आकांक्षाओं के प्रति लापरवाह होने का सबूत नहीं है? मेरा दूसरा सुझाव यह है कि वित्त आयोग की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नहीं होनी चाहिए, जैसा कि अब हो रहा है। हालांकि सरकारिया आयोग ने इस बारे में कोई सिफारिश नहीं की है, किन्तु मेरा यह अनुरोध है कि वित्त आयोग की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नहीं की जानी चाहिए। वित्त आयोग तथा उसके निदेश पद का निर्णय प्रस्तावित अन्तर्राज्यीय परिषद द्वारा किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं योजना आयोग के प्रश्न पर आती हूं। सरकारिया आयोग ने योजना आयोग के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया है। मैं यह अनुभव करती हूं कि योजना आयोग की नियुक्ति संसद द्वारा होनी चाहिए। सुदृढ़ राज्यों के बिना केन्द्र शक्तिशाली नहीं बन सकता। इसलिए, अब राज्यों को सुदृढ़ बनाने की बारी है। यह काफी हो गया कि हमने 40 वर्षों तक केन्द्र को मजबूत बनाया। अब स्थिति बदल गई है। यह बात स्पष्ट है कि जो लोग इतिहास बनाना चाहते हैं, उन्हें अब स्थिति को उलट कर देखना होगा।

———

4.57 म० प०

राज्य सभा से संदेश (—जारी)

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के अनुसरण में मुझे पंजाब विनियोजन विधेयक, 1989 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 27 मार्च, 1989 को हुई बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

4.58 म० प०

केन्द्र-राज्य सम्बन्ध आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव (—जारी)

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। महोदय, इससे पहले कि मैं सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर बोलूं, मैं श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा उठाये गये एक मुद्दे के संबंध में अपनी हैरानी प्रकट करना चाहता हूं। महोदय, मुझे यह बात नहीं मालूम थी कि भारत बहु-राष्ट्रीय राष्ट्र है? उन्होंने इसे बहु-राष्ट्रीय देश कहा है। बहु-राष्ट्रीयता की परिभाषा क्या है? यदि राष्ट्र भारत है तो राष्ट्रीयता भी भारतीय होगी। मुझे उनका सिद्धान्त समझ नहीं आया। फिर भी मुझे उनसे यह नई बात पता चली है।

महोदय, संघीय प्रणाली में केन्द्र-राज्य संबंध एक अत्यन्त नाजुक विषय है। केन्द्र और राज्यों के बीच अधिकारों और हितों के टकराव की सम्भावना हमेशा बनी रहती है। चूंकि, राज्यों और केन्द्र के संबंधों के बीच आधारभूत विवाद शक्ति के विभाजन, धन के विभाजन, प्रशासनिक शक्तियों तथा सबसे अधिक केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण के बारे में है, इसलिए भारत में केन्द्र-राज्य संबंधों को 1947 में भारतीय राज्यों के अस्तित्व में आने के समय से ही देखना होगा। चूंकि भारत एक अनूठा देश है, जो एक लम्बे समय से अपनी अनेकता के बावजूद एक सूत्र में बंधा है, इसलिए शायद हमारे संविधान के निर्माताओं ने यह अनुभव किया हो कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश को विखण्डन से बचाने के लिए और संतुलन बनाए रखने के लिए संविधान तैयार किया गया था और राज्यों तथा केन्द्र के बीच सम्बन्ध स्थापित किये गए थे।

5.00 म० प०

वास्तव में केन्द्र-राज्य संबंधों की पुनरीक्षा का मामला 1980 के बाद ही गम्भीरता से उभरा। 1966 तक कोई समस्या नहीं थी। बहुत कम विवाद थे जो निपटाए जा सकते थे। किन्तु 1967 में पहली बार इस प्रश्न की पुनरीक्षा की गई। 1967 में प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई किन्तु इस समस्या की ओर अधूरे मन से ध्यान दिया गया। डी० एम० के० सरकार ने 1971 में राजामन्नार समिति नियुक्त की जिसने इस समस्या की समीक्षा करने का प्रयास किया। 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार ने स्थिति की समीक्षा का प्रयास किया किन्तु अन्ततः असफल रही। 1980 में जब कुछ मामलों में राज्यों और केन्द्र के संबंध तनावपूर्ण हो गए, तो 1983 में सरकारिया आयोग नियुक्त किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट 1988 में दी। श्री चटर्जी ने जो कहा, मैंने सुना। यह कहना बहुत आसान है कि 'हमें और अधिकार स्वायत्तता दीजिए।' मैं एक उदाहरण देता हूं मान लो आज हम सरकारिया आयोग की रिपोर्ट और इसकी सिफारिशें मान लेते हैं—इस

सिफारिशों की संख्या 248 है—वह क्या चाहते हैं ? जब तक केन्द्र ताकतवर नहीं होगा, राज्य ताकतवर नहीं हो सकते। मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं क्योंकि श्री चटर्जी भी यहीं हैं और श्रीमती मुखर्जी भी यहीं पर हैं। कृपया मेरी बात ध्यान से सुनें। मैं राज्य की आलोचना के लिए यह बात नहीं कर रहा हूं। 12 वर्षों से राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है। यह आशा की जाती है कि जो भी दल सत्ता में हो—यह मार्क्सवादी हो सकता है या कांग्रेस दल हो सकता है किन्तु आपको लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी। वह और अधिक शक्ति की मांग कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि केन्द्र राज्यों को और अधिक शक्तियां दे। उन्होंने सीमित शक्तियों के साथ पिछले 12 वर्षों में क्या किया ? बहस के लिए यदि मैं यह बात मान भी लूं कि राज्यों के पास सीमित शक्तियां हैं तो उन्होंने इस सीमित शक्ति के साथ क्या किया है ? क्या उन्होंने लोगों की खाद्यान्न, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मौलिक जरूरतों को पूरा किया है ? मैं यह चुनौती दे रहा हूं। 1977 से पिछले 12 वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा एक भी औद्योगिक उपक्रम नहीं खोला गया, एक भी आधुनिक अस्पताल नहीं बनाया गया, एक भी विश्वविद्यालय वहां नहीं खोला गया। क्या मैं सामने बैठे माननीय सदस्य से एक सवाल पूछ सकता हूं ? क्या सीमित शक्ति और सीमित साधनों के साथ यह नहीं किया जा सकता था ? वह यह सब कर सकते थे। इसलिए अधिक शक्ति के लिए चिल्लाने का कोई लाभ नहीं है।

महोदय, सरकारिया आयोग ने विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है। सबसे महत्वपूर्ण राज्यपाल की समस्या है। विपक्ष की ओर से राज्यपाल की भूमिका के बारे में विभिन्न टिप्पणियां की गई हैं—मुख्य मंत्री से सलाह ली जानी चाहिए, राज्यपाल नियुक्त करने से पहले अनुमति ली जानी चाहिए। महोदय, इस रिपोर्ट में राज्यपाल की भूमिका को काफी महत्व दिया गया है। एक दिशा-निर्देश दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में क्या मानदण्ड अपनाए जाने चाहिएं। यह सच है कि यदि राज्यपाल अपनी भूमिका निभाने में असफल रहता है तो केन्द्र-राज्य सम्बन्ध बिगड़ सकते हैं। यह सम्भव है कि राज्यपाल की भूमिका को केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का मुख्य मुद्दा माना जाए। इसलिए, राज्यपाल की भूमिका इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि वह जीवन के किस क्षेत्र से आया है। यह एक मार्ग निदेशक सिद्धांत होना चाहिए। मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये जाने चाहिएं। इसलिए सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन में मानदण्ड परिभाषित किए गए हैं। परन्तु हमें एक बात याद रखनी चाहिए। हमारे संविधान निर्माता देश के भविष्य के प्रति अनभिज्ञ नहीं थे। इसीलिए राज्यपाल का पद बनाया गया। यह पद मात्र शान के लिए नहीं था। यह राज्य और केन्द्र के बीच एक तराजू है। यदि राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्यों को अधिक शक्ति दे दी जाती है, जैसा कि वे मांग कर रहे हैं, तो इससे न केवल इस पद के लिए संकट उत्पन्न होगा बल्कि इसकी प्रतिष्ठा भी कम होगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा आपातकाल और राष्ट्रपति शासन है। सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन में आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के विषय में एक सुविचारित सिफारिश की है। यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद से प्राप्त हुई है। इसलिए आयोग की इन टिप्पणियों पर विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

सरकारिया आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय सम्बन्धों, विधाई सम्बन्धों और कार्यकारी शक्तियों पर भी विचार किया है। जहां तक राज्य और केन्द्र के विधाई अधिकारों का प्रश्न है, आयोग ने 7 प्रविष्टियों को समवर्ती सूची में शामिल किए जाने की सिफारिश की है जिसमें कराधान के लिए कानून बनाने की शक्ति भी शामिल है जोकि इस समय संसद के पास है। कानून बनाने के सम्बन्ध में सरकारिया आयोग ने एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। परन्तु राज्य को कानून बनाने के लिए इतनी

[श्री आशुतोष लाहा]

व्यापक शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए। वित्तीय सम्बन्धों के बारे में आयोग ने विभिन्न सिफारिशें की हैं। मैं वित्तीय सम्बन्धों, व्यापार और उद्योग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। वित्तीय सम्बन्धों, व्यापार और उद्योग के अधीन सरकारिया आयोग ने कुछ सिफारिश की है। आयोग को भाड़े को समान बनाने की लम्बे समय से की जा रही मांग पर विचार करना चाहिए था। कम से कम मामले के इस पक्ष पर आयोग द्वारा विचार किया जाना चाहिए था कि यदि भाड़े को बराबर करने की मांग को स्वीकार कर लिया जाए तो क्या प्रतिक्रिया और प्रभाव होंगे। परन्तु दुर्भाग्यवश, सरकारिया आयोग ने वित्तीय सम्बन्धों के अन्तर्गत व्यापार के बारे में विचार करते समय इस पहलू पर विचार नहीं किया। मेरे विचार में सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन से एक गम्भीर और महत्वपूर्ण मामला छूट गया है।

जन सम्पर्क माध्यमों और भाषा के बारे में मेरा विचार है कि कोई भी सरकारिया आयोग द्वारा की गई त्रिभाषा सूत्र सम्बन्धी सिफारिश पर आपत्ति नहीं कर सकता। इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। परन्तु आज अधिकांश विपक्षी सदस्य दूसरे चैनल के सम्बन्ध में विशेष तौर पर अधिक शक्ति की मांग कर रहे हैं। यह ज्यादती है। आखिरकार, जनसम्पर्क माध्यमों पर केन्द्रीय प्राधिकरण का ही नियंत्रण होना चाहिए।

केन्द्र राज्य सम्बन्धों को पुष्प वाटिका के रूप में माना जाना चाहिए जहां राज्य पुष्प हैं और केन्द्र वाटिका। पुष्प रहित वाटिका और बिना वाटिका के पुष्प की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्यों और केन्द्र के बीच समन्वय होना चाहिए। दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए। अधिक शक्तियों की मांग करने का कोई लाभ नहीं है। अधिक शक्तियां दी जा सकती हैं परन्तु यह महसूस किया जाना चाहिए कि राज्यों को अधिक शक्तियां देने और केन्द्र को कमजोर करने से कोई लाभ नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अवसर दिए जाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री बिपिन पाल दास (तेजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में भारत सही मायनों में एक संघ नहीं है। संघ का अर्थ है स्वायत्तशासी सघीय इकाइयों का स्वेच्छा से इकट्ठा होना, परन्तु भारत के मामले में ऐसा नहीं हुआ है।

5.11 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

भारत में, बिल्कुल इसके उलट हुआ है। प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए भारत में गठित इकाइयों में भी गत 41 वर्षों के दौरान कई फेर-बदल हुए हैं। प्रारम्भ में, सभी इकाइयां समान स्तर की नहीं थीं। उनमें भिन्नता थी। हाल ही में, अधिकांश को समकक्ष बनाया गया है। इससे ज्ञात होता है कि भारत में समूचे ढांचे को केन्द्र ने ही संगठित किया है न कि इकाइयों ने स्वेच्छा से इकट्ठा होकर यह ढांचा तैयार किया है। इसलिए, मेरे विचार में भारत सही मायनों में संघ नहीं है।

भारत न ही एकात्मक राज्य है। भारत के संविधान में राज्यों को स्वायत्त शक्तियां और क्षेत्राधिकार दिए जाने का उपबन्ध है। राज्यों और केन्द्र के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। दोनों की कुछ शक्तियां समवर्ती सूची में हैं, जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यह न ही एकात्मक राज्य है।

भारत संघीय प्रणाली और एकात्मक प्रणाली के सिद्धान्तों का एक मिश्रण है। इस विषय पर

चर्चा करते समय इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी सभा से चली गई हैं। मैं उन्हें यह बताना चाहता था। उनका कहना है कि भारत एक बहु-राष्ट्रिक देश है। यह एक बहुत खतरनाक संकल्पना है। इस संकल्पना से बिखराव की प्रवृत्ति पनपती है। इस संकल्पना से देश में अलगाववादी ताकतों को बल मिलता है। भारत बहु-राष्ट्रिक देश नहीं है। भारत बहुत सी भाषाएं और धर्म होते हुए भी एक राष्ट्र है। वस्तु स्थिति यही है। उन्होंने शब्द कोष में राष्ट्रीयता के दिए गए अर्थ का जिक्र किया था। राष्ट्रीयता का अर्थ है किसी राष्ट्र से सम्बद्धता की स्थिति। जहां तक मैं जानता हूं कि अंग्रेजी में 'नेशनेलिटी' (राष्ट्रीयता) का यही एक अर्थ है। राष्ट्रीयता की उनकी संकल्पना विदेश से आई है। मैं जानता हूं यह कहां से आया है। यह भारत में लागू नहीं होती।

सरदार बूटा सिंह : वहां भी, पुनर्गठन किया जा रहा है।

श्री बिपिन पाल दास : यह निसन्देह सिद्ध हो चुका है कि संविधान में किए गए उपबन्ध बुनियादी तौर पर ठोस हैं और इसके स्वरूप में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। सरकारिया आयोग का यह कथन सत्य है कि भारत जैसे देश में, जहां इतनी विविधता है, न केवल देश की एकता, स्वतंत्रता बनाए रखने के लिये बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में समेकित विकास हेतु सही नेतृत्व प्रदान करने के लिये भी मजबूत केन्द्र की आवश्यकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह निर्देश केन्द्र से ही मिलना चाहिए। अनेक केन्द्रों से नहीं। परन्तु यदि संविधान में मजबूत केन्द्र के लिए, उपबन्ध नहीं होता तो हम स्वतंत्रता के 41 वर्षों में अनेक चुनौतियों का सामना न कर पाते।

मजबूत केन्द्र का अर्थ राज्यों का कमजोर होना नहीं है। मैं मजबूत राज्यों के पक्ष में हूं ताकि वे एक मजबूत और स्थिर केन्द्र की सहायता कर सकें। यह दोनों के बीच शक्तियों के न्यायिक वितरण का ही प्रश्न है। संविधान में इस कार्य को तीन सूचियों में शक्तियों का बंटवारा करके कुल मिलाकर संतोषजनक ढंग से सम्पूर्ण किया है। गत वर्षों के दौरान संतुलन बनाए रखने और सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप नवोदित समाज की मांगों को पूरा करने के लिये इसमें कुछ संशोधन किये गये हैं। राष्ट्र स्थिर नहीं रहा है। देश प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति कर रहा है इसलिए संविधान में मामूली फेर-बदल आवश्यक है। यदि भारत को मजबूत, संगठित और अखंड रखना है तो संविधान के बुनियादी ढांचे को बनाये रखना होगा।

मजबूत राज्यों से हमारा क्या अभिप्राय है? इसके दो पहलू हैं—राजनैतिक और आर्थिक। जहां तक राजनैतिक पहलुओं का सम्बन्ध है, मैं इसके बुनियादी ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। संविधान में कोई बुनियादी परिवर्तन करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। जहां तक राज्यों की राजनैतिक शक्तियों का सम्बन्ध है, वर्तमान व्यवस्था बिल्कुल सही है। यह पर्याप्त है। कहीं-कहीं मामूली फेर-बदल किये जा सकते हैं। परन्तु सामान्यत: मैं संविधान के उपबंधों से संतुष्ट हूं।

महोदय, आयोग ने राज्यपालों और उच्च न्यायालयों के जजों की नियुक्ति के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं। मैं इस विषय में यह कहना चाहूंगा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने राज्यपालों की नियुक्ति के लिए एक परम्परा स्थापित की थी। मेरे विचार में उस परम्परा का निर्वाह किया जा रहा है। वह परम्परा बिल्कुल सही है। मेरे विचार में संविधान में ऐसी व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि राज्यपालों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया सरकार द्वारा अपनाई जाये। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जो परम्परा बनाई थी वह ठीक है और हम उसी परम्परा को जारी रखेंगे।

महोदय अंत:राज्यीय समस्याओं के समाधान के लिए अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत अंत:राज्यीय

[श्री बिपिन पाल दास]

परिषद का गठन करने की आयोग की सिफारिश की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। आयोग ने समवर्ती अधिकारों के मामले में अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 254 के अन्तर्गत संसद की सर्वोच्चता बनाए रखी है। किन्तु इसने धारा 252 के अन्तर्गत राज्य सूची के अन्तर्गत संसदीय कानून में संशोधन करने के मामले में राज्यों को और अधिक शक्तियां देने के लिए कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है। इसने यह सुझाव भी दिया है। समवर्ती सूची में दिए गये कराधान अधिकारों के अलावा अवशिष्ट अधिकारों का प्रावधान करने के लिए संघ सूची की प्रविष्टि 97 में संशोधन किया जाए। इन सुझावों और इनके प्रभावों की सावधानी पूर्वक जांच करने की आवश्यकता है। मैं आयोग की इस सिफारिश का स्वागत करता हूं कि राज्य सूची की प्रविष्टि 5 में संशोधन किया जाये ताकि संसद स्थानीय निकायों के चुनावों को व्यवस्थित करने और उनके उचित कार्यकरण के लिए कानून बना सके। किंतु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि केन्द्र को समवर्ती सूची के अन्तर्गत कानून बनाने से पहले हमेशा राज्यों के साथ परामर्श करना चाहिए। मैं उस सिफारिश से सहमत नहीं हूं। कार्यपालिका के मामले में संघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत, जैसा अनुच्छेद 256 और 257 के अन्तर्गत विचार किया गया है, आयोग के सुझाव के अनुसार, बना रहना चाहिए।

महोदय, हाल ही में राज्यपाल के पद की बहुत आलोचना की गई है और इस पर बड़ा विवाद हो रहा है। लेकिन हमें राज्यपाल के पद और उस पद पर आसीन व्यक्ति इन दोनों के बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ये दो भिन्न-भिन्न पहलू हैं। यदि कुछ राज्यपाल कोई गलत कार्य करते हैं तो हम निश्चय ही यह कहेंगे कि यह खराब बात है। लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है कि राज्यपाल का पद जैसी की संविधान में व्यवस्था है, ही गलत है या उपबंधों में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से कई ऐसे राज्यपालों को जानता हूं जिन्होंने इस पद की उच्च परम्पराओं को इसकी गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाये रखा है। इस पद का हमारे संविधान में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह केन्द्र और राज्यों के बीच मात्र संपर्क सूत्र ही नहीं है अपितु संविधान के अनुरूप राज्य के कार्यों को सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। मैं आयोग की इस बात से सहमत हूं कि —कृपया ध्यान दीजिए कि आयोग ने क्या कहा है—राज्यपाल के लिए अपना विवेक इस्तेमाल करने के लिए कोई मार्गनिर्देश बनाना न तो व्यवहार्य है और न ही वांछनीय, सार्वजनिक जीवन के किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। किंतु मैं मानता हूं कि राजनीतिज्ञों को बिल्कुल हटाने की आवश्यकता नहीं है।

मैं आयोग की इस बात से पूर्णत: सहमत हूं कि धारा 356 को जारी रहने दिया जाना चाहिए और इसे कभी-कभार ही इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। अगर यह अनुच्छेद न होता तो संभवत: हमारा सांवैधानिक ढांचा पहले कभी टूट गया होता। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि राज्यपाल को रिपोर्ट में तथ्य होने चाहिए तथा उसे अपनी सिफारिश के पक्ष में सुविचारित और विश्वसनीय कारण बताने चाहिए।

जहां तक राज्यों में सशस्त्र बल भेजने का सम्बन्ध है, आयोग ने कहा है कि इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार स्वत: निर्णय ले सकती है किन्तु सम्बन्धित राज्य सरकार से परामर्श करना वांछनीय है। यह आयोग की सिफारिश है। मैं नहीं समझता कि उस सिफारिश में कुछ गलत है।

अत: राजनैतिक क्षेत्र में वर्तमान प्रबंध और सांवैधानिक ढांचा न्यूनाधिक ठीक ही है और इसमें कोई बड़ा परिवर्तन करना जरूरी नहीं है। यह राष्ट्र, इसकी सुरक्षा और इसकी प्रगति के हित में है कि केन्द्र का नियंत्रण किसी भी तरह कम नहीं होना चाहिए। लेकिन वित्तीय मामलों में राज्यों के हाथ

और मजबूत करने की संभाव्यता और व्यवहार्यता की जांच की गुंजाइश है। आयोग ने निगमित करके बंटवारे, आयकर और उत्पाद-शुल्क के बंटवारे में उपयुक्त समायोजन, रेडियो-दूरदर्शन पर दिए जाने वाले विज्ञापनों पर लगने वाले कर का कुछ भाग धारा 269 के अन्तर्गत राज्यों को भी दिए जाने तथा व्यापार आदि पर कर सीमा बढ़ाने आदि मामलों में सांविधानिक संशोधन करने के लिए कई सिफारिशें की हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि इन सिफारिशों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि रेल यात्री किराया कर के बदले राज्यों को अनुदान दिया जाना चाहिए, जैसे कि पिछले वित्त आयोग ने सिफारिश भी की थी तथा खनिजों पर लगने वाली रायल्टी दरों की 4 वर्षों की बजाय 2 वर्षों में पुनरीक्षा की जानी चाहिए। आयोग ने यह सिफारिश की है। मैं आयोग की इस सिफारिश का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह बात राज्यों के विवेक पर छोड़ देनी चाहिए कि वह राहत निधि के प्रयोग में समायोजन करे। यह बहुत खतरनाक है। मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता। कुछ राज्य राहत निधि की बहुत बड़ी राशि का दुरुपयोग करते हैं। यह बहुत खतरनाक है। ऐसी राशि को किसी और काम के लिए प्रयोग में लाने अथवा उसके गलत उपयोग किए जाने के लिए उन राज्यों पर जुर्माना किया जाना चाहिए।

आयोग का यह सुझाव कि केन्द्र और राज्यों में कराधान में सुधार और संसाधन जुटाने के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, बहुत स्वागत योग्य है ताकि वहां संतुलन बनाया जा सके और केन्द्र तथा राज्य दोनों को वित्तीय मामलों में व्यवहार्य बनाया जाए। किन्तु इसका यह सुझाव उचित नहीं है कि आर्थिक नीतियों के समन्वय तथा वित्तीय मामलों में सम्मति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं क्योंकि केन्द्र और राज्यों का राजनैतिक स्वरूप हमेशा एक सा नहीं हो सकता। आयोग का यह सुझाव व्यवहारिक नहीं है।

सरकारिया आयोग ने यह सुझाव दिया है कि राज्यों के साथ अनौपचारिक परामर्श के बाद वित्त आयोग के विचारणीय विषय बनाए जाने चाहिए। मैं इससे अच्छा सुझाव देना चाहता हूं। यह सुझाव ज्यादा ठीक नहीं है। उससे जटिलताएं पैदा होंगी। मेरा सुझाव यह है कि हम संविधान में ही वित्त आयोग के विचारणीय विषयों को भी जोड़ दें जिससे जब भी आयोग बैठाया जाए तो शिकायतें ही न हों तो यह अधिक न्यायोचित, उपयुक्त और स्थाई कदम होगा। आप इसे संविधान में ही क्यों शामिल नहीं करते ?

मैं मानता हूं कि अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत एन०डी०सी० को सांविधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि शुरू से ही योजनाओं के निर्माण में एक अर्थपूर्ण और प्रभावी निकाय बनाया जा सके। मैं आयोग के इस सुझाव का स्वागत करता हूं कि राज्यों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सहायता के ऋण-अनुदान ढांचे की समीक्षा की जानी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि अधिकांश राज्य निर्धन और पिछड़े हुए हैं, उन्हें केन्द्र से सहायता तथा अपने बारे में सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाए जाने की जरूरत है।

राज्यों की वित्तीय सहायता के मामले में सर्वाधिक विचार करने योग्य बात यह है कि विकसित राज्यों और पिछड़े राज्यों पर समान सिद्धांत लागू नहीं हो सकते। मेरे विचार से राज्यों को प्रति-व्यक्ति आय के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए और ऐसा सूत्र तैयार किया जाना चाहिए जिससे पिछड़े राज्यों और समृद्ध राज्यों के बीच अन्तर को कम करने में सहायता मिल सके। जहां तक पिछड़े राज्यों की सहायता करने का संबंध है, ऐसा किया जाना चाहिए।

[श्री विपिन पाल दास]

कभी-कभी न केवल राज्यों और केन्द्र के बीच कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं अपितु आपस में राज्यों के बीच भी समस्याएं पैदा हो जाती है जैसा सीमा संबंधी तथा नदी-जल विवादों संबंधी समस्याएं। केन्द्र के हस्तक्षेप के बिना इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। केन्द्र को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अतः एक ऐसा तंत्र बनाया जाना चाहिए जिससे केन्द्र राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों के समाधान के लिए उनकी सहायता कर सके।

जहां तक प्रतिबंधात्मक शक्तियों का प्रश्न है, कुछ लोगों ने कहा है कि केन्द्र के पास केवल चार प्रकार की शक्तियां होनी चाहिए— रक्षा, विदेश, मुद्रा और संचार, मुझे खुशी है कि आयोग ने इसे पूरी तरह रद्द कर दिया है। यह सचमुच न मानने की बात है कि केन्द्र सरकार के पास इकाइयों से हटकर के अपने कोई वित्तीय संसाधन न हो। विश्व में कहीं ऐसी कोई केन्द्र सरकार या संघ सरकार नहीं है जहां इस तरह का प्रतिबंध लगा हो। यदि केन्द्र की शक्तियां कम करके उसे केवल 4 ही अधिकार दिये जाएं, जैसा कि मेरे कुछ मित्रों का सुझाव है, तो यह देश एक अखंड राष्ट्र नहीं बना रह सकता।

आयोग ने ठीक ही माना है कि जहां तक संविधान के मूल ढांचे का संबंध है यह संविधान में संशोधन करने के संवैधानिक अधिकार के क्षेत्र के बाहर की बात होगी।

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : सभापति महोदय, यद्यपि सरकारिया आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं तथापि इससे किसी को यह नहीं मान लेना चाहिए कि ऐसे आयोग द्वारा की गई सभी सिफारिशें आज की किसी भी सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जायेंगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी ने वस्तुतः एक सिफारिश उद्धृत की है और कहा है कि इसे स्वीकार नहीं किया गया। जहां तक मुझे इस बात की जानकारी है सरकार ने निश्चित रूप से स्वयं यह नहीं कहा है कि ऐसी सिफारिशें कौन सी हैं जिन्हें स्वीकार किया गया है और ऐसी सिफारिशें कौन सी हैं जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। समय आने पर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी किन्तु इससे पूर्व हम इस सम्बन्ध में सरकार की सहायता करने के लिए मामले पर विचार कर रहे हैं।

सरकारिया आयोग की सिफारिशों के महत्वपूर्ण पक्ष का संबंध राज्यपालों की नियुक्ति से है। बहुत से लोगों ने राज्यपालों की नियुक्ति के विभिन्न पक्षों का सुझाव दिया है। उस ओर के लोगों ने उपहास करते हुए कहा है कि शासित पार्टी के पराजित उम्मीदवार या महासचिव राज्यपाल के पद के लिये उत्तम उम्मीदवार हैं। किन्तु हमें यह देखना है कि यह संस्था बहुत से वर्षों से व्यवस्थित ढंग से तथा बिना किसी समस्या के चल रही है। ऐसी समस्याएं केवल वहीं उत्पन्न की जा रही हैं जहां देवीलाल या एन० टी० आर० जैसे लोगों की सरकार है क्योंकि वे राज्यपाल की स्थिति को कुछ नहीं मानते हैं। उन्हें अपनी निर्वाचित सरकार की स्थिति पर भरोसा नहीं है। संविधान में इसका स्पष्ट अन्तर दर्शाया गया है। इसलिये उन्हें ऐसी कोई शर्त नहीं लगानी चाहिए जो कि संविधान का हिस्सा नहीं है। उदाहरण के लिये, यदि उनके लिये संविधान परमपावन है तो उन्हें वह शर्त लागू करने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो संविधान में नहीं है। संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि मुख्य मंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। तब मुख्य मंत्री ऐसे परामर्श पर जोर क्यों दे रहे हैं ? यदि संविधान में ऐसा नहीं है तो नहीं ही है। कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 22 में संशोधन करने का सुझाव दे सकता है किन्तु यदि संविधान में इसकी इजाजत नहीं दी गई है तो मेरे विचार में इसे थोपा नहीं जाना चाहिये।

मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकारिया आयोग को ऐसा नहीं कहना चाहिए और यहां तक कि हमारी सरकार ने भी एक बार यह वक्तव्य दिया कि वे परामर्श लेने का प्रयास करेंगे और वे परामर्श कर भी रहे हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार यह कहे कि हम मुख्य मंत्रियों से परामर्श कर रहे हैं ? मैं कहता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि परामर्श किया जाये तो इस आशय का प्रावधान भी करें।

इसके आगे जहां तक कार्यकाल का संबंध है तो किसी को भी यह नहीं समझना चाहिये कि राज्यपाल अपने पद पर चार या पांच वर्ष तक रहेगा और यदि राज्यपाल अपने पद पर पांच वर्ष तक रहेगा तो कोई बहुत बड़ा उद्देश्य प्राप्त कर लिया जायेगा। प्रशासनिक आकस्मिकताओं के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि कभी-कभी राज्यपालों को हटा दिया जाये या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण कर दिया जाये। ये आकस्मिकताएं आती रहती है। किन्तु इस संदर्भ में एक पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए और वह पहलू राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियां हैं जो कि उसके पास होती हैं और दूसरे संविधान के अन्तर्गत दी गई दूसरी शक्तियां। अतः इनमें स्पष्ट भेद कर लेना चाहिए। मान लीजिये राज्यपाल किसी विश्वविद्यालय अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करता है—यह उसकी विवेकाधिकार शक्ति है—तब उसे उस शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति होनी चाहिये। मैं नहीं समझता कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद् की सलाह पर किया जाना चाहिये।

इसी प्रकार, बहुत से सांविधिक अपीलीय प्राधिकरण के अधीन राज्यपाल के पास शक्तियां होती है। यदि हमने किसी सांविधिक अपीलीय प्राधिकरण के अधीन राज्यपाल को अधिकार दिया है तो वह उसका प्रयोग करेगा। इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि यह अर्द्ध-न्यायायिक प्राधिकार होता है और हम किसी अर्द्ध-न्यायायिक प्राधिकार के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते इस प्रकार हर व्यक्ति को राज्यपाल को दी गई इन शक्तियों का अन्तर समझने का प्रयास करना चाहिये। जब यह स्पष्ट भेद दर्शाया गया है तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि इसमें अनिश्चितता क्यों उत्पन्न होती है।

सरकारिया आयोग ने राज्यपालों की नियुक्ति के लिये कुछ सुझाव दिये है अर्थात उसे जीवन के किसी क्षेत्र में श्रेष्ठ होना चाहिये। वह उस राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिये। उसे तटस्थ होना चाहिए और स्थानीय राजनीति से निकट का संबंध नहीं होना चाहिए। उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने राजनीति में अधिक भाग न लिया हो और सामान्यतः हाल की राजनीति से दूर होना चाहिये। मैं नहीं समझता कि राजनीति में भाग लेना और राजनीति से निकट के संबंध रखना किसी प्रकार की अयोग्यता है। प्रश्न यह है कि कोई राज्यपाल बदली गई परिस्थितियों में किस प्रकार कार्य करता है। मेरे विचार भिन्न हो सकते हैं किन्तु यदि मुझसे किसी न्यायाधीश का कार्य करने के लिये कहा जाये तब दी गई परिस्थितियों में मेरे सामाजिक विचार इसके मार्ग में आड़े नहीं आएंगे। इसलिये, राजनीति में रहना कोई अयोग्यता नहीं है या यदि पहले कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से सम्बद्ध रहा हो तो मैं नहीं समझता कि यह किसी प्रकार की अयोग्यता है। वस्तुतः कांग्रेस का अर्थ है यह देश और इस देश का अर्थ है कांग्रेस। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कांग्रेस और देश एक ही हैं क्योंकि इसी पार्टी ने देश को स्वतंत्रता दिलायी है और प्रतिक्रियावादी ताकतों के देश के विरुद्ध कार्य करने के बावजूद भारत को आज की स्थिति में पहुंचाया है। इसलिये कांग्रेस पार्टी का सदस्य होने के नाते कांग्रेस पार्टी से संबंध रखना किसी प्रकार की अयोग्यता नहीं हो सकती। मैं कह सकता हूं कि यह तो उच्च योग्यता है।

जहां तक अखिल भारतीय सेवाओं का संबंध है, जिस पर सरकारिया आयोग ने विचार किया

[श्री शांताराम नायक]

है, बहुत से राज्य वस्तुतः अखिल भारतीय सेवाओं के विरुद्ध हैं। कुछ ने तो अखिल भारतीय सेवाओं को भंग करने का सुझाव दिया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा। अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी जहां कहीं भी वे तैनात किये जाते हैं, को उस राज्य की जनता की समस्याओं के साथ स्वयं निपटना चाहिए। कई राज्यों में मार्गनिदेशों के अनुसार तैनात किये गये 50 प्रतिशत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संबंधित राज्यों के साथ तादात्मय स्थापित नहीं करते हैं। वे यह चाहते हैं कि भविष्य में कुछ समय उन्हें दिल्ली में तैनात किया जाये। इसलिये, होता यह है कि कभी-कभी प्रशासन और इन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बीच मतभेद पैदा हो जाते हैं। इसलिये, मैं अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों से लोगों की समस्याओं के साथ जुड़ने की मांग करता हूं ताकि राज्यों की ओर से ऐसी मांग न की जाये।

उदाहरण के लिये, हाल ही में गोवा को नये राज्य का दर्जा दिया गया है। केन्द्र सरकार ने इन सेवाओं के प्रयोजन के लिये अरुणाचल प्रदेश और कुछ अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों को एक संवर्ग में मिला दिया है। यदि कोई राज्य छोटा हो तो कोई बात नहीं है। प्रत्येक राज्य की सेवाओं का अपना स्वतंत्र संवर्ग होना चाहिये। किसी राज्य के छोटा होने के कारण ही दो या तीन राज्यों को मिलाना नहीं चाहिए। इससे होगा यह कि उस राज्य विशेष के पास ऐसा कोई संवर्ग नहीं होगा जो कि राज्य सरकार की विचार धारा, कार्यक्रमों या नीतियों के प्रति वचनबद्ध हो। इस पक्ष की भी जांच की जानी चाहिए। विपक्षी दल के बहुत से सदस्य संघीयवाद और अन्य पहलूओं पर भाषण झाड़ते हैं कि राज्य मजबूत होने चाहिएं, केन्द्र अधिक मजबूत होना चाहिए और इसी प्रकार की बातें। किन्तु मैं आपको यह बता दूं कि संघीयवाद में ऐसे भी मुख्य मंत्री हैं जो यह कहते हैं कि केन्द्र अस्तित्व में ही नहीं है। मैं आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री का नाम लूंगा। उन्होंने एक दिन यह वक्तव्य दिया कि केन्द्र तो एक मिथक की भांति है। केन्द्र का अस्तित्व ही नहीं है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : उनका तात्पर्य राज्यों के संघ से है।

श्री शान्ताराम नायक : इसलिए, यदि ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका न तो केन्द्र में विश्वास है और न ही वे केन्द्र सरकार के अस्तित्व को मानने को तैयार हैं तो आप स्थिति का अन्दाजा लगा सकते हैं। आप बड़ी-से-बड़ी वस्तुओं की आकांक्षा रखते हैं। यदि देश की जनता आपको राज्य पर शासन करने का अधिकार देती है तो आप राज्य पर शासन कर सकते हैं। किन्तु देश के अस्तित्व को न नकारे··· (व्यवधान)

दूसरा पक्ष यह है कि सरकारिया आयोग ने एक विषय "विविध" के अन्तर्गत तीन विषय अर्थात भाषा, संघ शासित क्षेत्र और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शामिल किया है। मैं इसके पीछे क्या तर्क है, उसे समझने में असमर्थ हूं। भाषा विविध विषय नहीं हो सकता। हम भाषा के माध्यम से ही उन्नति करते हैं। यदि हमारी अपनी कोई भाषा नहीं होगी तो हम व्यावहारिक रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते, हमारी संस्कृति अस्तित्वहीन हो जाएगी। हर चीज भाषा से ही निकलती है। इसलिए, यह बड़े दुःख की बात है कि सरकारिया आयोग ने भाषा को विविध मदों के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया है। मेरे विचार में हिन्दी राष्ट्र भाषा होनी चाहिए और यदि हम हिन्दी पर बल नहीं देंगे तो हम अपने देश को मजबूत नहीं बना सकते। हम भारत की एकात्मक स्थिति की बात नहीं कह सकते, जब तक हमारी अपनी भाषा नहीं होगी और, वह भी मेरे अनुसार हिन्दी है, तब तक हम मजबूत केन्द्र की बात नहीं कर सकते। इसलिये यह बहुत ही खेदजनक बात है कि भाषा को विविध मदों में शामिल किया गया है।

इसके बाद, संघ शासित क्षेत्रों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। संघ शासित क्षेत्रों को भी राज्यों के समान दर्जा दिया जाना चाहिए। वास्तव में कुछ निश्चित प्रयोजनों के लिए उनके साथ भिन्न व्यवहार किया जाता है किन्तु इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : आयोग केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के लिए नियुक्त किया गया था न कि संघ शासित क्षेत्रों के साथ सम्बन्धों के बारे में।

श्री शान्ताराम नायक : संविधान के अन्तर्गत राज्यों में संघ शासित क्षेत्र भी शामिल हैं। आप सांविधानिक विशेषज्ञ हैं।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : यदि आप इस अन्तर को नहीं जानते तो मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री शान्ताराम नायक : मैं संघ शासित क्षेत्र में रहा हूं और मैंने संघ शासित क्षेत्र अधिनियम के अधीन राज्यपाल की प्रत्येक शक्ति की जांच की है और मैंने इस पर चार या पांच बार बोला भी है। आप मुझे संघ शासित क्षेत्रों के बारे में न बताएं। मैंने संघ शासित क्षेत्रों का पूरा पक्ष लिया है।

सरकारिया आयोग ने संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया है किन्तु इनपर इतनी तत्परता या गंभीरता से विचार नहीं किया गया है जितना कि किया जाना चाहिए था। मेरे अनुसार सरकारिया आयोग राज्यों पर विचार नहीं कर सकता क्योंकि यह इसके विचारार्थ विषयों में नहीं है।

इसके बाद, विविध विषयों के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शामिल किया गया है। जहां तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का संबंध है हमारे संविधान में इसके लिए किसी प्रकार के परामर्श की अनुमति नहीं दी गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। संविधान में ऐसी व्यवस्था है। जबकि सरकारिया आयोग यह कहता है कि न्यायाधीशों से पूछा जाना चाहिए और यदि न्यायाधीश जाने का इच्छुक न हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए। यह बात मेरी समझ से बाहर है। यदि कोई सांविधानिक प्रावधान ऐसा है और आप कहते हैं वह प्रावधान ठीक नहीं है तो इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। किन्तु वह इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। इस प्रावधान के होते हुए भी यह सुझाव दिया गया कि उनसे सलाह ली जानी चाहिए। गृह मंत्री जी, एक बार इधर से यह वक्तव्य भी दिया गया था कि हमें उनसे परामर्श करना चाहिए। ऐसा क्यों किया जाना चाहिए ? मैं समझता हूं कि हमें केवल वर्तमान प्रावधानों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए।

अन्त में मैं एक सामान्य बात कहना चाहूंगा। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे सांविधानिक प्रावधान बिल्कुल सही हैं। इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मैं इससे सहमत हूं। कुल मिलाकर संविधान में कोई बड़ा संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु हमारे संविधान के कुछ भागों में अत्यधिक अस्पष्टता है जिसे हमें दूर करना चाहिए क्योंकि इनके कारण बहुत-सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा बहुत से विवाद खड़े होते हैं। उदाहरण के लिए राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की इच्छा पर्यन्त किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। हमें इस प्रकार की शब्दावली को त्याग देना चाहिए। हमें संविधान में, जहां आवश्यक हो, स्पष्ट प्रावधान करने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी की इच्छानुसार नियुक्त नहीं किया जाता। किसी व्यक्ति को किन शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाएगा, ये स्पष्टतः निर्धारित की जानी चाहिएं। वास्तव में किसी व्यक्ति की नियुक्ति किसी की इच्छा पर नहीं की जाती। न्यायालयों ने भी कुछ निर्णय दिये हैं जिनमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं है।

[श्री शांताराम नायक]

एक और भी उदाहरण है। राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हैं। क्या वास्तव में ऐसा है ? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कार्यपालक कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में है।

इसलिए, संविधान के ऐसे भागों में, जो वास्तविक नहीं हैं, संशोधन करके उन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, हमने अद्वितीय संघीय प्रणाली का चयन किया है और किसी भी संघीय प्रणाली में केन्द्र-राज्य संबंधों के प्रश्न को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। महोदय, संघवाद का यह सिद्धान्त टकराव की बजाय सहयोग की भावना के बिना और एक-तरफा निर्णय के विपरीत परामर्श की प्रक्रिया के बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। संघवाद का यह सिद्धान्त तो केवल उस स्थिति में कार्यान्वित किया जा सकता है जब सहयोग की भावना हो, पारस्परिक परामर्श हो और एक-दूसरे के लिए आपसी आदर भाव हो अन्यथा मुझे डर है कि किसी भी प्रकार के मार्गदर्शक सिद्धान्त हमारी सहायता नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, सरकारिया आयोग ने ठीक ही इस आवश्यकता का हवाला दिया है जिसे मैं सहयोग से ओतप्रोत संघवाद की आवश्यकता कह रहा था और मैं इसी बात का पूरा-पूरा तथा तहे-दिल से समर्थन करने के लिये उठा हूं।

महोदय, अब राजनीतिक स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन होने के कारण राज्यपाल की भूमिका के बारे में बहुत से प्रश्न उठ गए हैं। यह पहले ही बहुत महत्वपूर्ण पद है। हालांकि एक बात को सभी स्वीकार करेंगे कि हम राज्यपाल के पद के बिना कार्य नहीं कर सकते। सदन में यह ठीक ही कहा गया है कि राज्यपाल के पद और जो व्यक्ति राज्यपाल के पद पर नियुक्त होता है दो अलग-अलग मुद्दे हैं और इन्हें इसी प्रकार माना जाना चाहिए। राज्यपाल केन्द्र और राज्य के बीच महत्वपूर्ण सम्पर्क सूत्र है और राज्यपाल को अनेक बार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है।

महोदय, राज्यपाल की नियुक्ति के प्रश्न से भी कई बार मन-मुटाव पैदा हुआ है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों से परामर्श करके ही की जानी चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि जब संविधान में राज्यों से परामर्श लिये जाने की बात नहीं कही गई है तब हम परामर्श क्यों करें ? हां, कहने को तो इसमें नहीं कहा गया है और इसलिए परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है किन्तु यह बहुत ही अविवेकी रवैया है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारी कुछ अच्छी परम्पराएं रही हैं। यदि मैं गलत नहीं हूं, तो स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर बल दिया था कि राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में सम्बन्धित राज्य से परामर्श करना चाहिए और राज्यपाल ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि उस राज्य को स्वीकार्य हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं इस बात पर जोर दिया था और आज मैं उसी पार्टी से संबंधित लोगों से यह सुन रहा हूं कि परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि संविधान में ऐसा नहीं कहा गया है। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि अब इस बात की मांग करने का उचित समय आ गया है कि नियुक्ति और परामर्श की प्रक्रिया का हमारे संविधान में विस्तृत रूप से उल्लेख किया जाए क्योंकि अब ऐसी प्रवृत्तियां दिखाई देने लगी हैं जो अतीत में अपनाई गई हमारी अच्छी परम्पराओं के लिए भी खतरा बन सकती हैं।

महोदय, ऐसी स्थितियां आती हैं जो राज्यपालों को कई तरह से उनकी विवेकाधिकार की

शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता हो और इनसे बहुत से विवाद भी उत्पन्न हुए हैं। इसलिए मुख्य मंत्रियों की नियुक्तियों, बहुमत समर्थन का परीक्षण करने, मुख्य मंत्री को बर्खास्त करने, उसे तलब करने, विधान सभा भंग करने और सत्रावसान करने, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने, विधेयकों पर असहमति व्यक्त करने और ऐसे ही अन्य पहलुओं पर निर्णय लेने के संबंध में राज्य पाल की भूमिका के बारे में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्तों की आवश्यकता है। महोदय, उचित मार्गदर्शी सिद्धान्तों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भिन्न-भिन्न राज्यपाल भिन्न-भिन्न ढंग से कार्य करते हैं। इससे हमारी राजनीति में एक प्रकार की मनमानी कार्यप्रणाली की शुरुआत हुई है। इसलिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त होने चाहिएं और इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के पीछे कुछ कानूनी शक्ति भी होनी चाहिए।

सरकारिया आयोग ने राज्यपालों की नियुक्ति के लिए अच्छे सिद्धान्त निर्धारित किए है। इस बात पर भी बल दिया गया है कि राज्यपालों की नियुक्ति के समय अल्पसंख्यकों पर भी उचित विचार किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों को स्वीकार किया जाना आवश्यक है। राज्यपालों को नियुक्त करते समय, संविधान के अनुच्छेद 155 में उपयुक्त संशोधन करके, परामर्श की प्रक्रिया को निर्धारित किया जाना चाहिए।

महोदय, अनुच्छेद 356 से काफी कटुता पैदा हुई है। अब समय आ गया है कि अनुच्छेद 356 के अधीन राज्यपाल की शक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में सरकारिया आयोग द्वारा प्रस्तावित सुरक्षा उपायों को बिना किसी हिचक के लागू किया जाए।

समय के अभाव के कारण मैं केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के केवल एक या दो पहलुओं, जिनका उल्लेख मेरे विचार से पूर्व वक्ताओं ने नहीं किया है, पर ही बोलूंगा।

महोदय, यद्यपि हो सकता है कि मैं अकेले ही ऐसा कह रहा हूं परन्तु फिर भी मैं जोर देकर सरकार से यह आग्रह करूंगा कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कल्याण और प्रगति से सम्बन्धित मामलों को विशेष रूप से समवर्ती सूची में रखा जाए। मुझे यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि न्यायिक आयोगों की बहुत-सी रिपोर्टों ने यह उल्लेख किया है कि अल्पसंख्यकों को विभिन्न राज्य सरकारों, स्थानीय प्रशासनों, स्थानीय पुलिस और राज्यों की सशस्त्र पुलिस से नुकसान हुआ है। मुझे अब जमशेदपुर में हुए दंगों के बारे में जितेन्द्र नारायण आयोग की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। सभापति महोदय, आप महाराष्ट्र से हैं और आप इस बारे में भली प्रकार से जानते हैं। जब हमें न्यायमूर्ति मदन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हुई तो हम उस समय महाराष्ट्र विधान सभा में थे। वह रिपोर्ट इस बारे में आंखें खोलने वाली थी कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने कैसे अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाया है। अतः मुझे इस विषय को अधिक समय तक जारी रखे बिना—क्योंकि यह विषय जाना-पहचाना है इस बात पर बल देना चाहिए और मैं माननीय गृह मंत्री श्री बूटा सिंह, जो कि यहां उपस्थित है, से यह आग्रह करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कल्याण और प्रगति संबंधी मामलों को समवर्ती सूची के अन्तर्गत लाया जाये। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए हमारे प्रधान मंत्री महोदय का 15 सूत्री कार्यक्रम है। हम उनके आभारी हैं। परन्तु विभिन्न राज्यों में उन रिपोर्टों के कार्यान्वयन के बारे में क्या स्थिति है, इस बात पर विचार किये बिना कि उन राज्यों में वही दल सत्तारूढ़ है जो केन्द्र में शासन कर रहा है अथवा उन राज्यों में उन दलों का शासन है जो यहां इस सदन में विरोधी पक्ष में हैं? दोनों स्थितियों में दुःखद स्थिति है। अतः इस विषय को समवर्ती सूची के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए और हमें केवल राज्यों

[श्री जी० एम० बनातवाला]

की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस महत्वपूर्ण मामले में केन्द्र और राज्य दोनों को मिल-जुलकर कार्य करना चाहिए।

सरकारिया आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य सरकार को भारत सरकार के परामर्श से सशस्त्र पुलिस को मजबूत बनाने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन व्यवस्था करनी चाहिए। यह सरकारिया आयोग द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण सिफारिश है। इस सदन में हमने कई बार कुछ राज्यों में सशस्त्र पुलिस की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के बारे में भाषण दिया है। अल्पसंख्यक आयोग की पहली रिपोर्ट के पृष्ठ 6 में यह उल्लेख किया गया है कि यह एक वास्तविकता है कि प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस टुकड़ी (पी० ए० सी०) में कुछ अल्पसंख्यक विरोधी भावनाएं हैं। पुलिस आयोग की रिपोर्ट में भी इस पहलू का कई बार उल्लेख किया गया है। अतः यहां सदन में माननीय गृह मंत्री ने हमें कई बार यह आश्वासन दिया है कि विभिन्न राज्यों में सशस्त्र पुलिस का पुनर्गठन किया जायेगा और उसे अधिक निष्पक्ष बनाया जायेगा। इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है? इस बारे में शायद ही कोई कार्यवाही की गई है। अतः मैं इस बात पर बल देता हूं कि माननीय गृह मंत्री को सरकारिया आयोग की इस विशेष सिफारिश पर ध्यान देना चाहिए और इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिए।

मैं शिक्षा और भाषाओं के प्रश्न का उल्लेख करता हूं। जहां तक भाषाओं का संबंध है, हमारी क्षेत्रीय भाषाएं और संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अनुसूचित भाषाएं हैं। केन्द्रीय सरकार को न केवल हिन्दी के विकास पर ही अपना ध्यान केन्द्रित नहीं करना चाहिए—हां, उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए—परन्तु साथ ही उसे सभी अनुसूचित भाषाओं के विकास पर ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से उन अनुसूचित भाषाओं के विकास पर जिन्हें किसी क्षेत्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, जैसे उर्दू और कुछ अन्य भाषाएं। इस कार्य के लिए धनराशि का उचित आवंटन किया जाना चाहिए और इसके लिए आवश्यक उत्तरदायित्व लिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 20.1.35 में यह सिफारिश की है और मैं इसे उद्धृत करता हूं :

> "भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों के लिए बनाई गई आचार संहिता को पूर्णतः लागू किया जाये।"

महोदय यह कहा गया है कि इसे सख्ती के कार्यान्वित किया जाना चाहिए। सरकारिया आयोग ने स्वयं इस बात को नोट किया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षोपायों को उचित प्रकार से कार्यान्वित नहीं किया गया है। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के जांच परिणामों के फलस्वरूप इन रक्षोपायों की व्यवस्था की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने उल्लेख किया है "इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कि पुनर्गठन के बाद भी भाषाई अल्पसंख्यक समूह विद्यमान रहेंगे, ऐसे समूहों को उनके विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए उपबन्धों की आवश्यकता है ताकि उनमें उपेक्षा अथवा भेदभाव का भाव न पनप सके।"

6.00 म०व०

अतः आयोग ने विभिन्न रक्षोपायों की सिफारिश की है।

फिर भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के बारे में अगस्त 1949 में प्रान्तीय शिक्षा मन्त्री सम्मेलन में अपनाये गए प्रस्ताव की व्यवस्था है। इस बारे में हमारे पास वर्ष 1956 का भारत सरकार ज्ञापन भी है। हमारे पास वर्ष 1958 का भारत सरकार का भाषाओं के बारे में वक्तव्य भी है। फिर वर्ष 1959 के दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के निर्णय भी हैं। अन्ततः हमारे पास अगस्त 1961 में आयोजित केन्द्रीय मन्त्रियों और राज्यों के मुख्यमन्त्रियों द्वारा जारी वक्तव्य हैं।

अब सरकारिया आयोग ने स्वयं यह तर्क दिया है कि उन विभिन्न रक्षोपायों का उचित कार्यान्वयन नहीं हो रहा है जिन्हें भाषाई अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया था। अतः मुझे यह मांग करनी चाहिए कि इन सभी विभिन्न रक्षोपायों को आवश्यक सांविधिक मान्यता दी जानी चाहिए ताकि उन रक्षोपायों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के न्यायालय में जाया जा सके।

महोदय, एक अन्य मुद्दे का उल्लेख करते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा और वह मुद्दा भी भाषा से सम्बंधित है। इस मुद्दे के बारे में हमें सहमत होना चाहिए और मैं सरकारिया आयोग की रिपार्ट के पैरा 20-1-33 से उद्धृत करता हूं :

"संघ और राज्य सरकारों का वह काम, जिससे स्थानीय लोग संबंधित हों या प्रभावित होते हों, स्थानीय भाषा में किया जाना चाहिए। कल्याणकारी राज्य में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि सभी फार्म, आवेदनपत्र तथा पत्र बिल नोटिस आदि स्थानीय भाषा के साथ-साथ राज भाषा में भी उपलब्ध हों। उन राज्य सरकारों के लिए भी यह समान रूप से महत्वपूर्ण है जिनके अधिकतर भाषायी अल्पसंख्यक निश्चित क्षेत्रों में रहते हैं।" इस विशेष मुद्दे के महत्व को ध्यान में रखते हुए मुझे यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहिए कि एक स्थानीय निगम क्षेत्र में यदि उस क्षेत्र की 10 प्रतिशत जनता किसी विशेष भाषा का प्रयोग करती है, तो उस भाषा को उस क्षेत्र की अतिरिक्त राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और अधिकारियों को भी उस विशेष भाषा की जानकारी होनी चाहिए। उसे उस विशेष क्षेत्र की अतिरिक्त राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और इस बारे में आवश्यक सांविधिक उपबन्ध बनाये जाने चाहिए।

महोदय, सरकारिया आयोग ने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि यद्यपि इस बारे में मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में एक समझौता हुआ है कि यदि स्कूल में विद्यार्थियों की एक निश्चित संख्या की मातृभाषा समान है तो उस भाषा के लिए अध्यापक की व्यवस्था की जानी चाहिए परन्तु इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से यह आग्रह करता हूं कि उसे इसके लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए। उसे भाषा अध्यापकों का एक पूल बनाये रखना चाहिए और इसे विशेष रूप से एक उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी और सरकार को इस पहलू की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

यद्यपि मैं सम्पूर्ण भाषण नहीं दे पाया हूं जैसा कि 'सम्पूर्ण भाषण' का अर्थ है, परन्तु मुझे यह आशा है कि बाद में किसी समय मुझे भाषण देने का अवसर भी मिलेगा और ऐसी स्थिति में उस अनुचित

[श्री जी० एम० बनातवाला]

भाषण को भी मेरे वर्तमान भाषण का एक हिस्सा समझा जाना चाहिए जिससे मेरा भाषण एक सम्पूर्ण भाषण बन सके।

सभापति महोदय : अब सभा कल 11.00 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.03 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 31 मार्च, 1989/10 चैत्र, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : चित्रलेखा प्रिंटिंग न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53